राजस्थान सरकार

जिला मानव विकास प्रतिवेदन

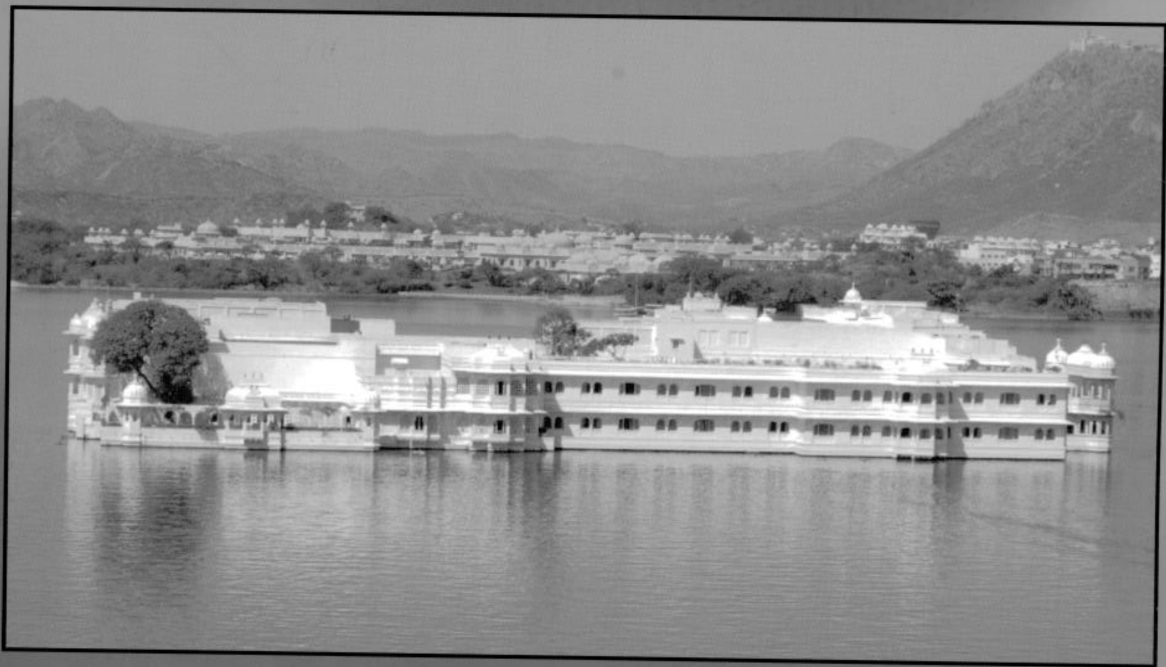

2009-10

उदयपुर (राज.)

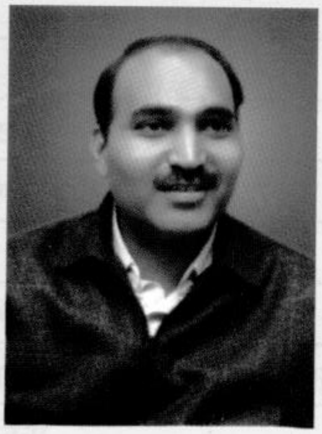

आमुख

जन सहभागिता द्वारा तैयार की गई योजना भारत के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह जिला स्तर पर मानव विकास के लिए सार्वजनिक संसाधनों का संकलन करने के लिए पूर्व अपेक्षित भी है। इस सम्बन्ध में राजस्थान में योजना आयोग भारत सरकार और यू.एन. डी.पी. के सहयोग से मानव विकास के लिए राज्य योजनाओं का सुदृढिकरण परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस परियोजना के तहत लोगों को राज्य/जिला योजनाओं में विकास के केन्द्र पर लाने का प्रयास किया गया है। इस हेतु जिलों में मानव विकास रिपोर्ट (DHDR) तैयार कराई गई है। इस रिपोर्ट को तैयार कराने के उद्धेश्यों में पर्याप्त संसाधनों के उचित उपयोग, प्रत्येक जिले के पिछडे क्षेत्रों की पहचान करने में जिला आयोजना समितियों एवं सम्बन्धित सरकारी विभागों की सहायता, राज्य योजना विभाग की भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों की मात्रा के वास्तविक आंकलन और राज्य के आर्थिक सामाजिक पिछडेपन के निवारण में सहायक होगी।

मैं आशा करता हूँ कि इस पुस्तिका से योजना निर्माण से जुड़े अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों को समुचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा वे जिले के पिछडे क्षेत्रों की पहचान कर पाने एवं DHDR के डेटा बेस को योजना निर्माण में प्रारम्भिक संसाधन के रूप में उपयोग कर उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों का समुचित प्रयोग कर जन कल्याणकारी जिला योजनाओं का निर्माण करेगें।

आनन्द कुमार

जिला कलक्टर, उदयपुर

सारणी

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
	आमुख	
	सारिणी सूची	
	ग्राफ एवं मानचित्र सूची	
	मानचित्र	
1	**मानव विकास रिर्पोट की पृष्ठभूमि एवं उददेश्य**	1
2	**प्रस्तावना**	3—13
	जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	3
	प्रशासनिक व्यवस्था	3
	प्रशासनिक इकाईयॉ	4
	भौगोलिक स्थिति	5
	स्थानीय प्राकृतिक भूगोल (टोपोग्राफी)	5
	पहाडियां	6
	जलस्त्रोत	6
	जलवायु एवं वर्षा	6
	वन सम्पदा	7
	खनिज सम्पदा	7
	मानव संसाधन	8
	उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग	9
	सहकारिता	11
	सेवा क्षेत्र	12
	सड़के एवं पुल	13
	पर्यटन उद्योग	13
3	**शिक्षा**	14—65
	प्रस्तावना	14
	साक्षरता	15
	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	19
	उत्तर साक्षरता अभियान	20

	स्वयं सहायता समूह गठन	23
	साक्षरता दर बढाने हेतु किये जाने वाले प्रयास	25
	प्रारंभिक शिक्षा	29
	प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में डाइट	37
	सर्व शिक्षा अभियान	40
	समावेशित शिक्षा	49
	वैकल्पिक शिक्षा	49
	नवाचार (नन्हीं कली परियोजना, लहर कार्यक्रम)	51
	माध्यमिक शिक्षा	54
	समस्याएं	58
	भविष्य हेतु सुझाव	60
	शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियाँ	61
	शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आवश्यकताएं/कमजोरियां	61
	शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं	62
4	**स्वास्थ्य**	66—111
	स्वास्थ्य संस्थानें/अस्पतालें	68
	स्टाफ	69
	जनसांख्यिक पार्श्वचित्र	70
	डाईरिया/डीसेन्टरी	72
	मलेरिया	73
	एड्स	75
	आर.टी.आई./एस.टी.आई	78
	कुष्ठ रोग	79
	राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	80
	अन्धता निवारण कार्यक्रम	82
	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाए	83
	जननी सुरक्षा योजना	88
	जनमंगल कार्यक्रम	90
	बच्चों का टीकाकरण	92

	नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की समेकित देखभाल (IMNCI)	95
	माल न्यूट्रेशन ट्रीटमेन्ट कोर्नर	96
	परिवार नियोजन	96
	परिवार परामर्श केन्द्र	99
	आई.ई.सी	100
	आर.एच.एस.डी.पी, उदयपुर एक नजर	103
	एम्बूलेन्स सेवाए	107
	पी.सी.पी.एन.डी.टी.– गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन	108
	मेडिकेयर रिलीफ कार्ड योजना	109
	मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना	109
5	**आजीविका**	112–148
	प्रस्तावना	112
	आजीविका के साधन एंव उपाय	112
	पारिवारिक आय	114
	कृषि क्षेत्र	117
	कृषि उपज मंडी एवं सब यार्ड	119
	जिले में कृषि की स्थिति	121
	औद्योगिक घरानों/व्यापारियों/उपभोक्ता संगठनों से अनुबन्ध	121
	वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन	122
	बीज प्रतिस्थापन्न दर	124
	संतुलित उर्वरक उपयोग	125
	फल विकास कार्यक्रम	126
	पशुपालन	127
	पशु चिकित्सा संस्थाओं की उपलब्धता	131
	चरागाह की स्थिति	132
	डेयरी विकास	133
	मत्स्य पालन	134
	खनिज सम्पदा	137
	पर्यटन उघोग	139

	गरीबी, बेरोजगारी एवं पलायन	143
	बाल श्रमिकों का जिले से बाहर पलायन	144
	उदयपुर मे मौसमी पलायन	145
	उदयपुर मे पलायन	146
6	**महिला एवं बाल विकास**	149—157
	जिले में लैंगिक भिन्नता	149
	महिलाओं के काम का सीमान्तकरन(मार्जिनेलिजेशन)	150
	पंचायती राज संस्थाओं आदि में महिलाओं का राजनीतिक भागीदारी में रूझान	150
	महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले सामुदायिक व्यवहार और सामाजिक पूर्वाग्रह	151
	महिलाओं की भूमिका और स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)	153
	महिलाओं के भूमि स्वामित्व(लैंड होल्डिंग)	153
	प्रासंगिक प्रकरण अध्ययन(केस स्टडी) महिलाओं के जीवन के अनुभव	153
	महिला अधिकारिता – एक परिचय	155
	मुख्यमंत्री पॉच सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	155
	बाल विवाह	157
	संक्षिप्त आंकलन	157
7	**जिले के सूचकांक**	158—174
	पृष्ठभूमि	158
	जिले के पिछडेपन के कारण	159
	मानव विकास सूचकांक	163
	अत्यन्त पिछडी पंचायत समिति की पहचान	165
	विश्लेषण का आधार	165
	गरीबी पर आधारित विश्लेषण	165
	परिवारों में उच्चतम शिक्षित वयस्कों का साक्षरता स्तर	166
	पारिवारिक श्रमिक बल	167
	ग्रामीण परिवारों का पलायन	168
	सामाजिक आर्थिक सूचकांक पर आधारित विश्लेषण	169
	स्वास्थ्य सूचकांक	169
	शिक्षा सूचकांक (EDI)	170

	लिंग वार शिक्षा सूचकांक	170
	आय सूचकांक	171
	लिंग वार आय सूचकांक (GINI)	172
	मानव विकास सूचकांक	173
	संक्षेपाक्षर	175—176

सारणी सूची

अध्याय 3 –शिक्षा

सारणी–1 उत्तर साक्षरता अभियान (PLC)
सारणी–2 साक्षरता अभियान के अर्न्तगत उदयपुर जिले की उपलब्धि
सारणी–3 2001 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत
सारणी–4 जिले में दशकीय साक्षरता दर में वृद्वि
सारणी–5 साक्षरता की गुणात्मक,परिणात्मक उपलब्धि एवं तुलनात्मक साक्षरता प्रतिशत
सारणी–6 केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में बंदी कैदियों को साक्षर करना
सारणी–7 केन्द्रीय कारागृह,उदयपुर में बंदी कैदियों का समतुल्यता परीक्षा विवरण
सारणी–8 स्वयं सहायता समूह
सारणी–9 साक्षरता प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के जिलों का वरिष्ठता क्रम
सारणी–10 उदयपुर जिले में बालको की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये व्यवस्थाओं
सारणी–11 नामांकन की सूचना स्तर, वर्ग, प्रबन्धन एवं लिंगानुसार
सारणी–12 समस्त विद्यालय (राजकीय एवं विभिन्न प्रकार के निजी विद्यालयों सहित)
सारणी–13 **Teachers in Primary Schools**
सारणी–14 **Teachers in Upper Primary Schools**
सारणी–15 **Table of Gender Gap**
सारणी–16 ठहराव दर एवं रिपिटेशन रेट
सारणी–17 एन.ई.आर (Net Enrollment Ratio)
सारणी–18 Service status
सारणी–19 कम्पलीशन रेट एवं ट्रांजिशन रेट
सारणी–20 उदयपुर जिले में पंजीकृत मदरसों की स्थिति
सारणी–21 क्वालिटी फॉरमेट के तहत् उपलब्धि
सारणी–22 विद्यालयों की उपलब्धि व छात्रों की उपस्थिति के आधार पर ग्रेड का निर्धारण कर विद्यालयों में अंकन कराया गया है पूर्व वर्षो का परिणाम
सारणी–23 **Grade Wise Schools in 2007-08**
सारणी–24 ASER survey अनुसार उदयपुर जिले की स्थिति
सारणी–25 औपचारिक शिक्षा
सारणी–26 भौतिक लक्ष्य
सारणी–27 वित्तीय लक्ष्य
सारणी–28 Number of Schools under SSA

सारणी–29 शिक्षक वेतन प्रगति विवरण
सारणी–30 गत वर्षो में देय ग्रांटस प्रगति
सारणी–31 शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित सारणी के अनुसार शिक्षण शिक्षण अधिगम सामग्री का लक्ष्य शिक्षकों
सारणी–32 विद्यालय सुविधा अनुदान (एस.एफ.जी)
सारणी–33 गत वर्षो में देय टी.एल.ई प्रगति विवरण
सारणी–34 विद्यालय रखरखाव एवं मरम्मत विधालयो को अनुदान
सारणी–35 शाला मरम्मत अनुदान का लक्ष्य प्राप्त करने
सारणी–36 वैकल्पिक शिक्षा से बालक–बालिकाओं लाभान्वित
सारणी–37 जिला योजना निर्माण की विभिन्न बैठकों में उठे मुद्दें
सारणी–38 शिक्षा के क्षेत्र मे सत्र 08–09 जिले की उपलब्धि
सारणी–39 पंचायत समितिवार विद्यालयों की संख्या
सारणी–40 योजनाओं का विवरण
सारणी–41 स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों

अध्याय 4 –चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
सारणी–1 स्वास्थ्य संस्थानें/अस्पतालों
सारणी–2 उदयपुर जिले में विभिन्न संस्थानों/अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ देने हेतु कार्यरत स्टाफ
सारणी–3 उदयपुर जिले में विभिन्न संस्थानों अस्पतालों में बेडों
सारणी–4 उदयपुर जिला एवं राजस्थान राज्य की जनसांख्यिकी (सेन्सस 2001 आधारित)
सारणी–5 उदयपुर जिले की खण्ड अनुसार ग्रोथ रेट
सारणी–6 डाईरिया/डीसेन्टरी की वर्ष 2006, 2007 व 2008 मे प्रवृति
सारणी–7 उदयपुर जिले मे माह अनुसार मलेरिया रोगियों की प्रवृति विगत तीन वर्षों (2006 से 2008 तक)
सारणी–8 उदयपुर जिले मे वर्ष 2009 एकीकृत परामर्श एवं जाचं केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) पर दिए गए परामर्श
सारणी–9 एड्स रोगियो को दी गई ART
सारणी–10 उदयपुर जिले में आर.टी.आई./एस.टी.आई रोगियों की जाचं व ईलाज (वर्ष 2008 व 2009 में)
सारणी–11 उदयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण (रिपोर्ट वर्ष 2007,2008,2009)
सारणी–12 जिले में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण (वर्ष 2007– 2008 व 2008–2009)
सारणी–13 उदयपुर जिले में संस्थाओं/अस्पतालों में हुई प्रसव (वर्ष 2007–08 व 2008–09 मे)

सारणी–14 विभिन्न संस्थानो पर हुए प्रसव वर्ष 2007–08 व 2008–09
सारणी–15 ''जननी सुरक्षा योजना '' की सेवाओं का हिताधिकारी गर्भवती महिलाओं (वर्ष 2008 व 2009)
सारणी–16 उदयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं की आउटकम, बर्थ आर्डर व नवजात शिशु के वजन (रिपोर्ट वर्ष 2007, 2008, 2009)
सारणी–17 मातृ मृत्यु –उदयपुर जिले में वर्ष 2007, 2008 व 2009 में मातृ मृत्यु
सारणी–18 पोस्ट पार्टम केयर दी गई मरीजो
सारणी–19 जनमंगल मिलन बैठक का प्रगति विवरण
सारणी–20 बच्चों का टीकाकरण
सारणी–21 जिले में बच्चों में विभिन्न बिमारियों की रिपोर्ट (वर्ष 2007,2008 व 2009)
सारणी–22 उदयपुर जिले में बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2007–08 व 2008–09
सारणी–23 चालू वित्तिय वर्ष में इस योजनान्तर्गत माहवार निम्नानुसार राशि का विवरण
सारणी–24 उदयपुर जिले में हुए नसबंदी केंसेज (वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09)
सारणी–25 वर्ष 2007, 2008 व 2009 में आइ.यू सी. डी. निवेशन की रिपोर्ट
सारणी–26 उदयपुर जिले मे आई.ई.सी. गतिविधियो
सारणी–27 उदयपुर जिले में 24 अक्टूबर 2008 से जुलाई 2009 तक 108 ऐम्बूलेन्स द्वारा दी गई सेवाऐं

अध्याय 5 –आजीविका

सारणी–1 आजीविका के उपाय (2002), जिला उदयपुर
सारणी–2 पारिवारिक आय (2002), जिला उदयपुर
सारणी–3 मासिक आय के आधार पर परिवारों का वर्गीकरण, जिला उदयपुर
सारणी–4 ऋण का प्रकार(2002), जिला उदयपुर
सारणी–5 वस्त्र पहनने की औसत उपलब्धता (2002), जिला उदयपुर
सारणी–6 बच्चों का स्तर (6–14) वर्ष, जिला उदयपुर
सारणी–6 जिले में कृषि की स्थिति
सारणी–7 श्रेणीवार कृषकों की संख्या
सारणी–8 फसलवार उन्नत किस्मो के बीजों का उपयोग
सारणी–9 संतुलित उर्वरक उपयोग
सारणी–8 जिले मे उपलब्ध पशुधन की संख्या और प्रतिशत
सारणी–9 सरकारी संस्था को किया जाने वाला भुगतान उनके द्वारा क्षेत्र में किसानो को दी गयी सेवाओं की सफलता के आंकलन

सारणी–10 जिले में पंचायत समितिवार कार्यरत संस्थाऐं
सारणी–11 नियंत्रित मंदिरों की जिलावार स्थिति
सारणी–12 उदयपुर में मौसमी पलायन

अध्याय 6 – महिला एवं बाल विकास

सारणी–1 जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम स्वीकृति वर्ष अप्रेल,1994 एवं समाप्ति वर्ष 31.3.98 है सर्वे के अनुसार निरक्षर
सारणी–2 लाभान्वितो की संख्या
सारणी–3 शेष रहे निरक्षर
सारणी–4 उदयपुर द्वारा आयोजित साधारण सभा की बैठकों में महिलाओं की उपस्थिति रही है
सारणी–5 महिलाओं के पक्ष में विक्रय संबंधी पंजीबद्ध दस्तावेज दस्तावेज संख्या है

अध्याय 7 – जिले के सूचकांक

सारणी –1 मानव विकास सूचकांक–2007 : जिलों और राज्य
सारणी –2 सकल जिला उत्पाद का विवरण, उदयपुर 1999.2005 (वर्तमान आय)
सारणी –3 पंचायत समितिवार बी.पी.एल. परिवारों का सामाजिक वितरण जिला उदयपुर
सारणी –4 पंचायत समितिवार उच्च साक्षर परिवारों की स्थिति (2002), जिला उदयपुर
सारणी –5 ग्रामीण परिवारों के पलायन का कारण 2002, जिला उदयपुर
सारणी –6 शिक्षा सूचकांक अनुसार पंचायत समितियों की स्थिति, जिला उदयपुर
सारणी –7 मानव विकास सूचकांक के गणनायक संकेतक, जिला उदयपुर

ग्राफ–1 आजीविका के उपाय, जिला उदयपुर

ग्राफ–2 पारिवारिक आय (2002), जिला उदयपुर

ग्राफ–3 ऋण का प्रकार (2002), जिला उदयपुर

ग्राफ–4 परिवारों की आवास सुविधा ;प्रतिशत, जिला उदयपुर .2002

ग्राफ–5 बच्चों का स्तर (6-14) वर्ष 2002 जिला उदयपुर

ग्राफ–6 परिवार वार कृषि जोत, जिला उदयपुर

ग्राफ–7 मक्का एवं गेंहू की फसल की उपज पर, जिला उदयपुर

ग्राफ–1 उदयपुर जिले में खण्ड अनुसार फिमेल मेल अनुपात (सेन्सेस 2001)

ग्राफ–2 डाईरिया/डीसेन्टरी की वर्ष 2006, 2007 व 2008 मे प्रवृति

ग्राफ–3 उदयपुर जिले मे माह अनुसार मलेरिया रोगियों की प्रवृति विगत तीन वर्षों (2006 से 2008 तक)

ग्राफ–4 प्रतिशत गर्भवती महिला जिन्होने 3 ए.एन.सी. जांच

ग्राफ–5 डी.एल.एच.एस. सर्वे द्वारा उदयपुर जिले व राजस्थान राज्य में संस्थागत प्रसव

ग्राफ–6 उदयपुर जिला व राजस्थान राज्य में डी.एल.एच.एस. ।। व डी.एल.एच.एस.।।। से बच्चों के टीकाकरण

Graphical representation, not to scale
Ganganagar
Hanumangarh
Bikaner
Churu
Bikaner
Jhunjhunu
Jaipur
Alwar
Sikar
Bharatpur
Jaisalmer
Nagaur
Jaipur
Dausa
Jodhpur
Ajmer
Dhaulpur
Jodhpur
Ajmer
Karauli
Tonk
Sawai Madhopur
Barmer
Pali
Bhilwara
Bundi
Bhar
Jalor
Rajsamand
Kota
Baran
Sirohi
Chittaurgarh
Jhalawar
Udaipur
Udaipur
Dungarpur
Banswara

ग्राम पंचायत समिति मानचित्र, जिला उदयपुर

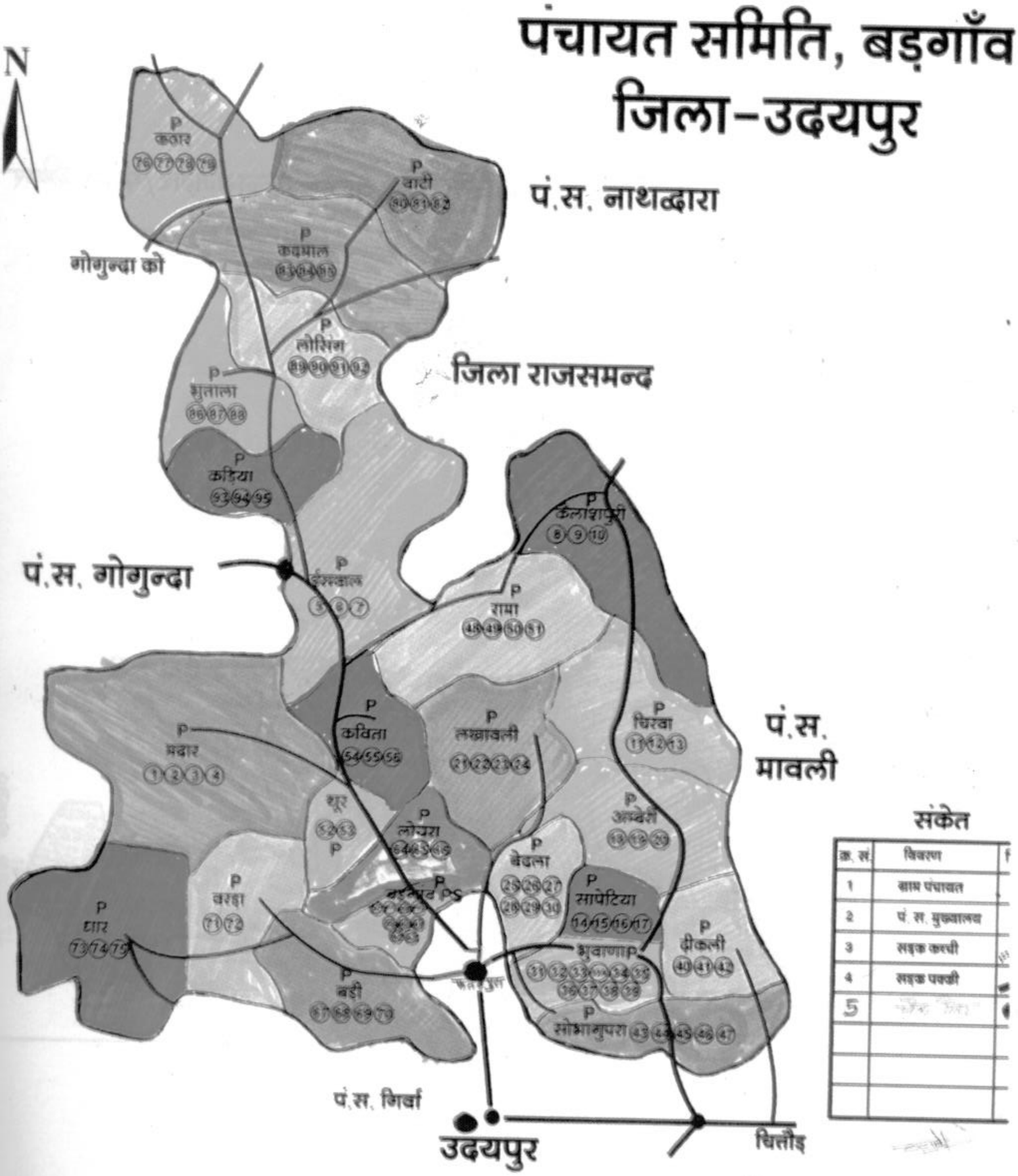

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति बडगांव

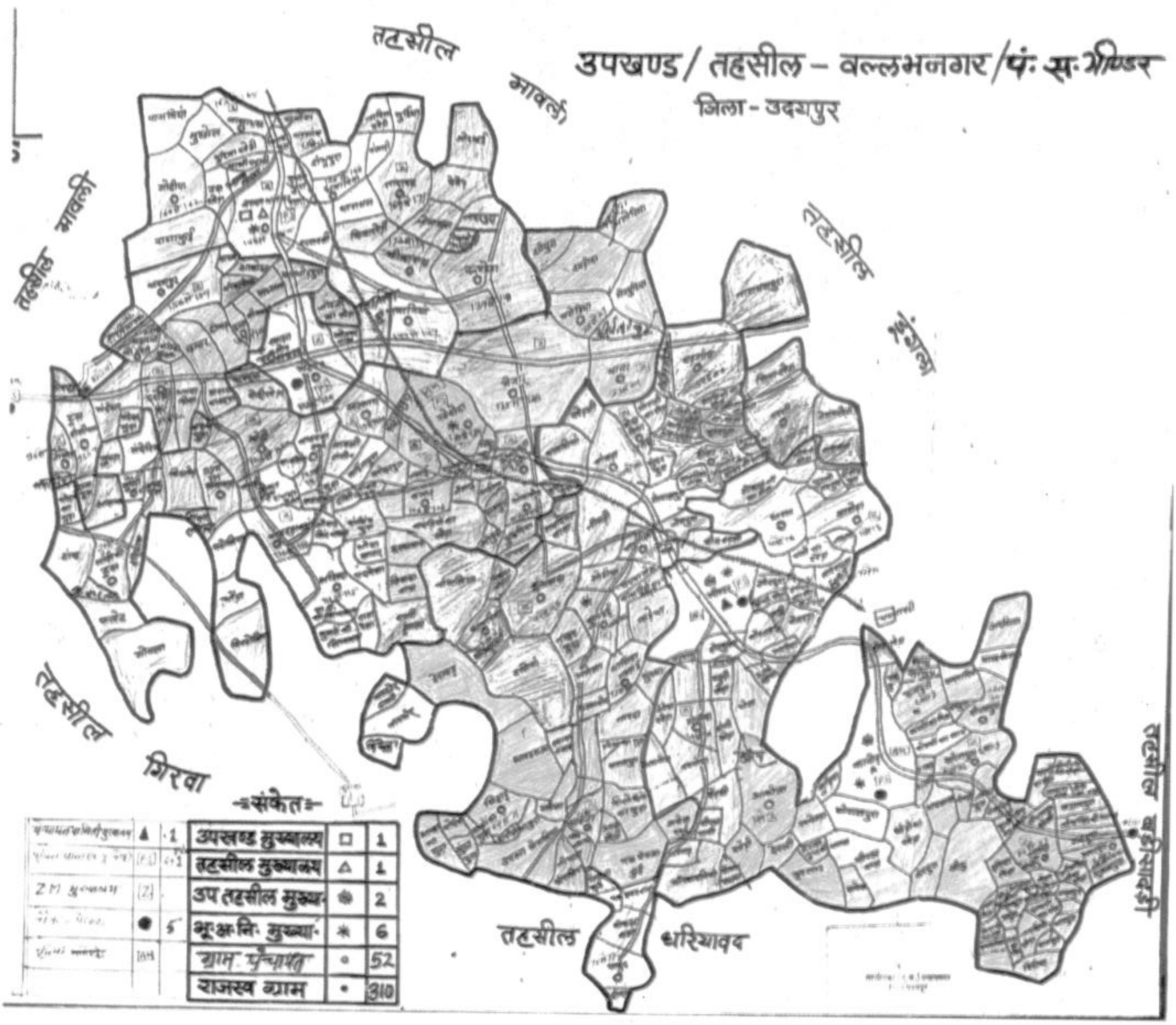

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति भिंडर

District: Udaipur
Panchayat Samiti: Dhariawad

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति धारियावाद

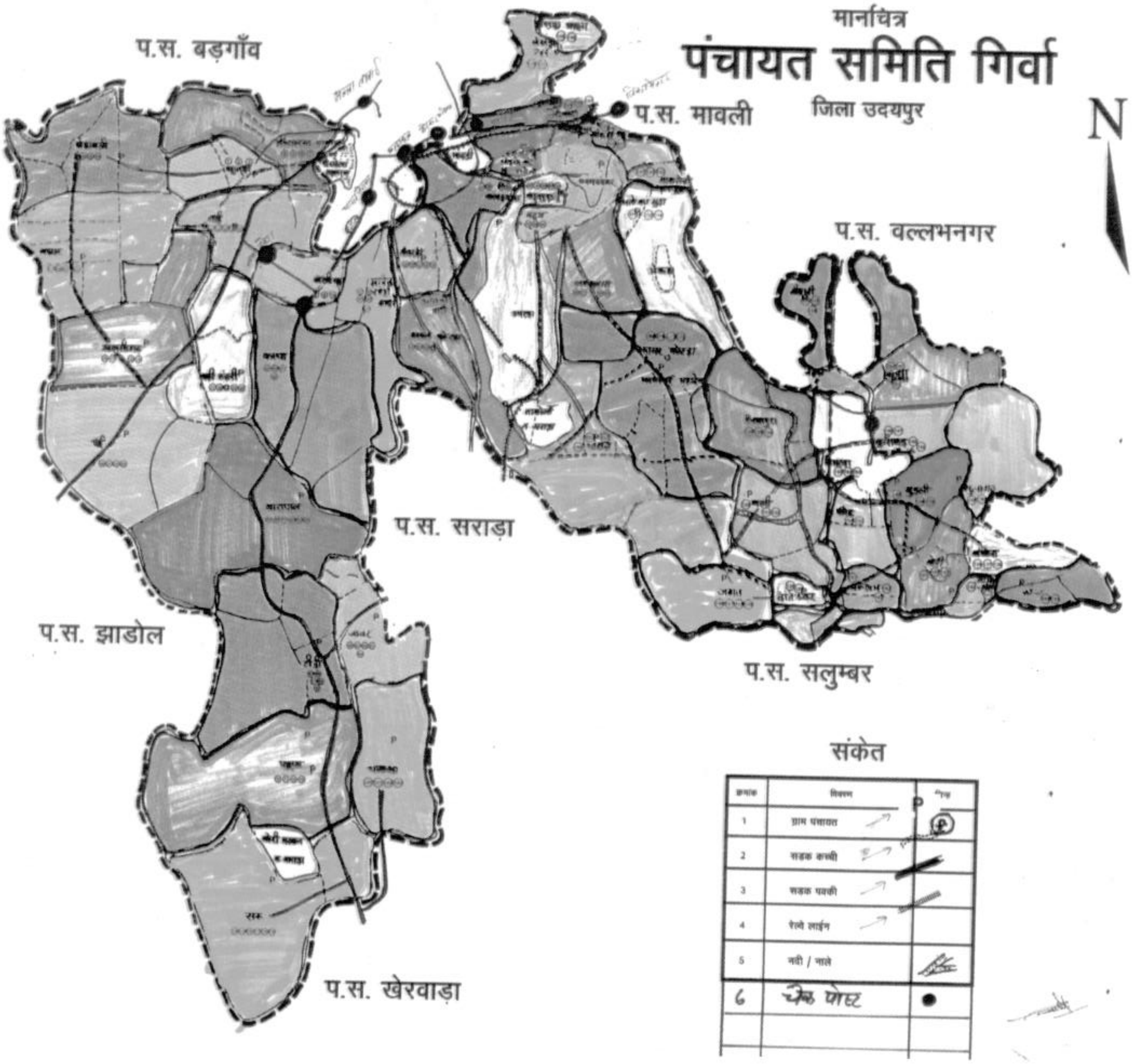

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति गिर्वा

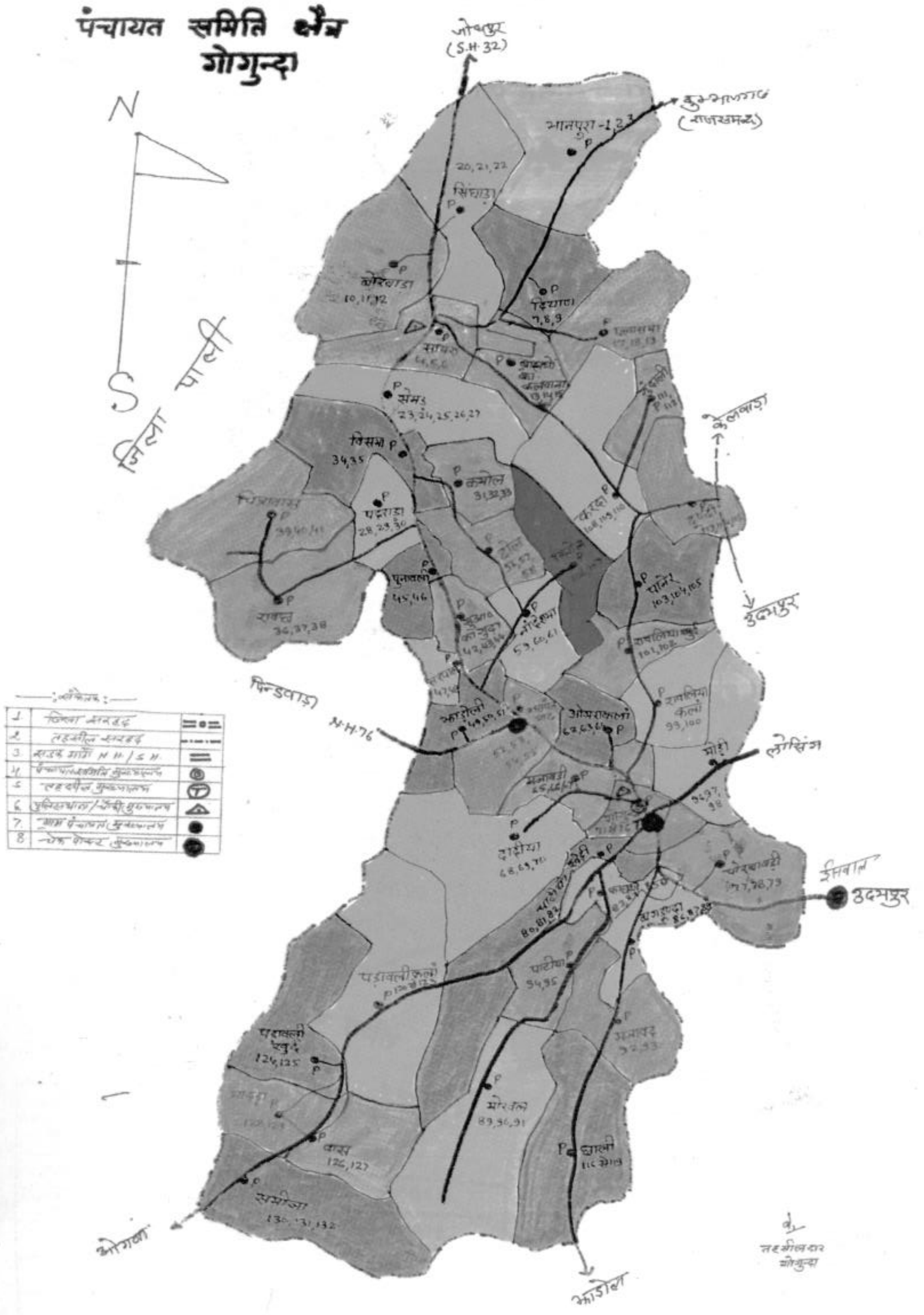

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति गोगुन्दा

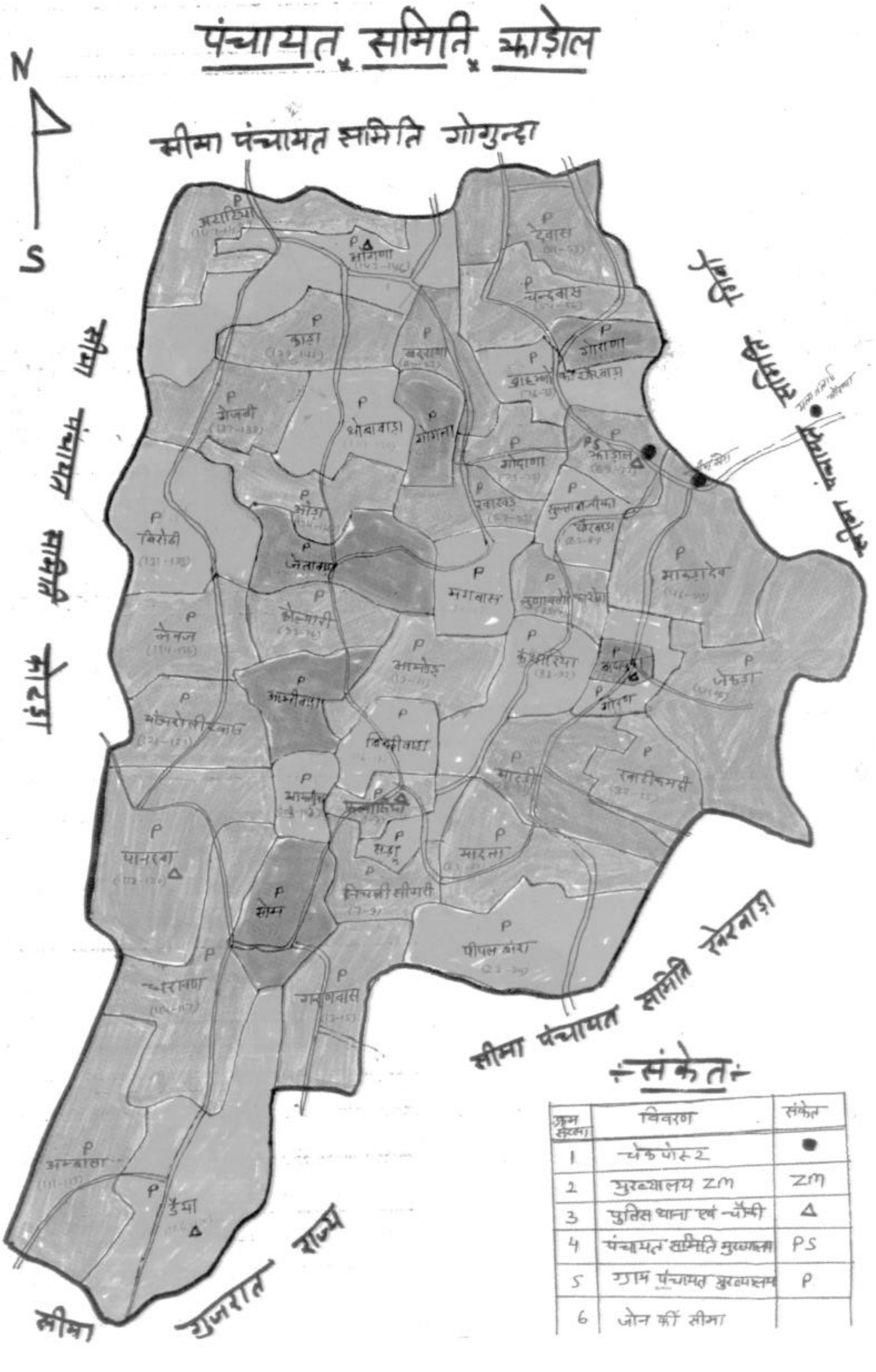

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति झाडोल

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति खेरवाडा

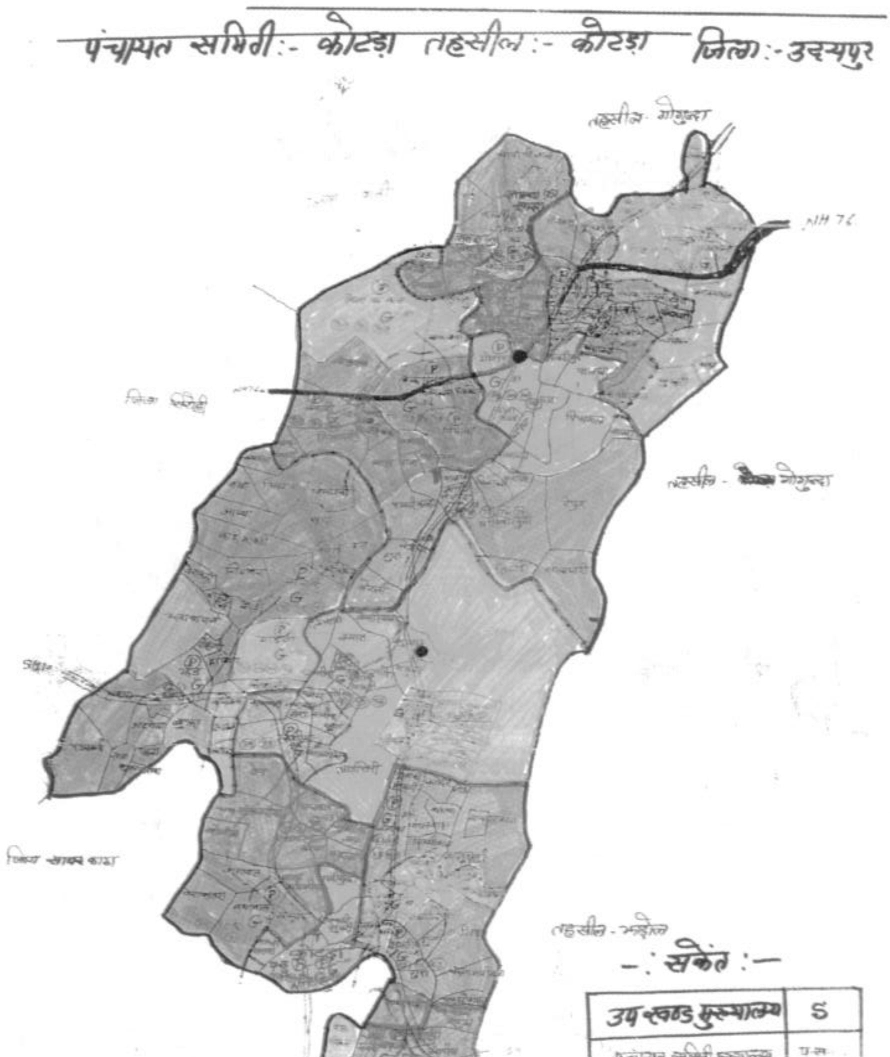

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति कोटडा

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति मावली

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति सलुम्बर

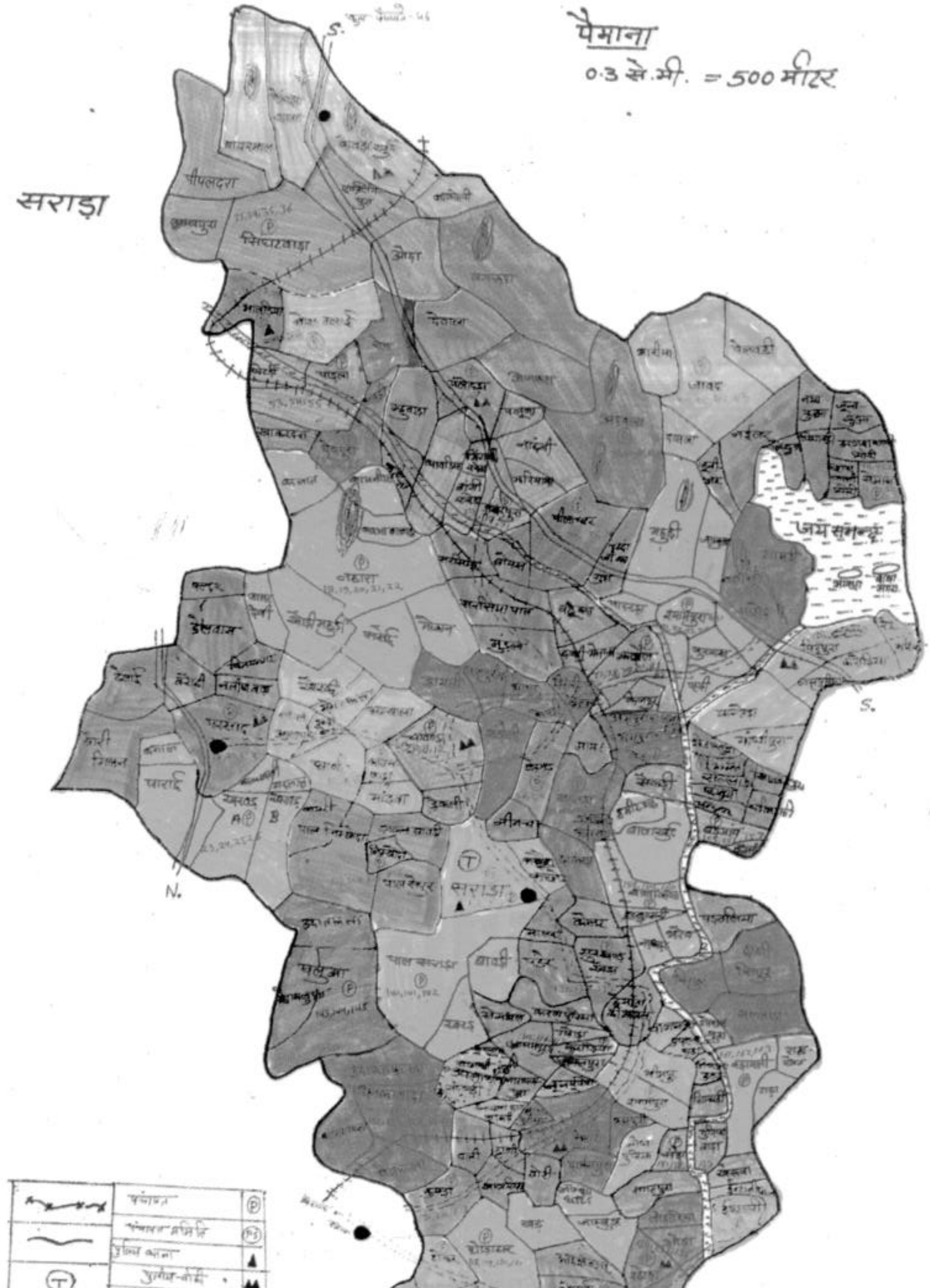

ग्राम पंचायत मानचित्र, पंचायत समिति सराडा

अध्याय - 1

मानव विकास प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

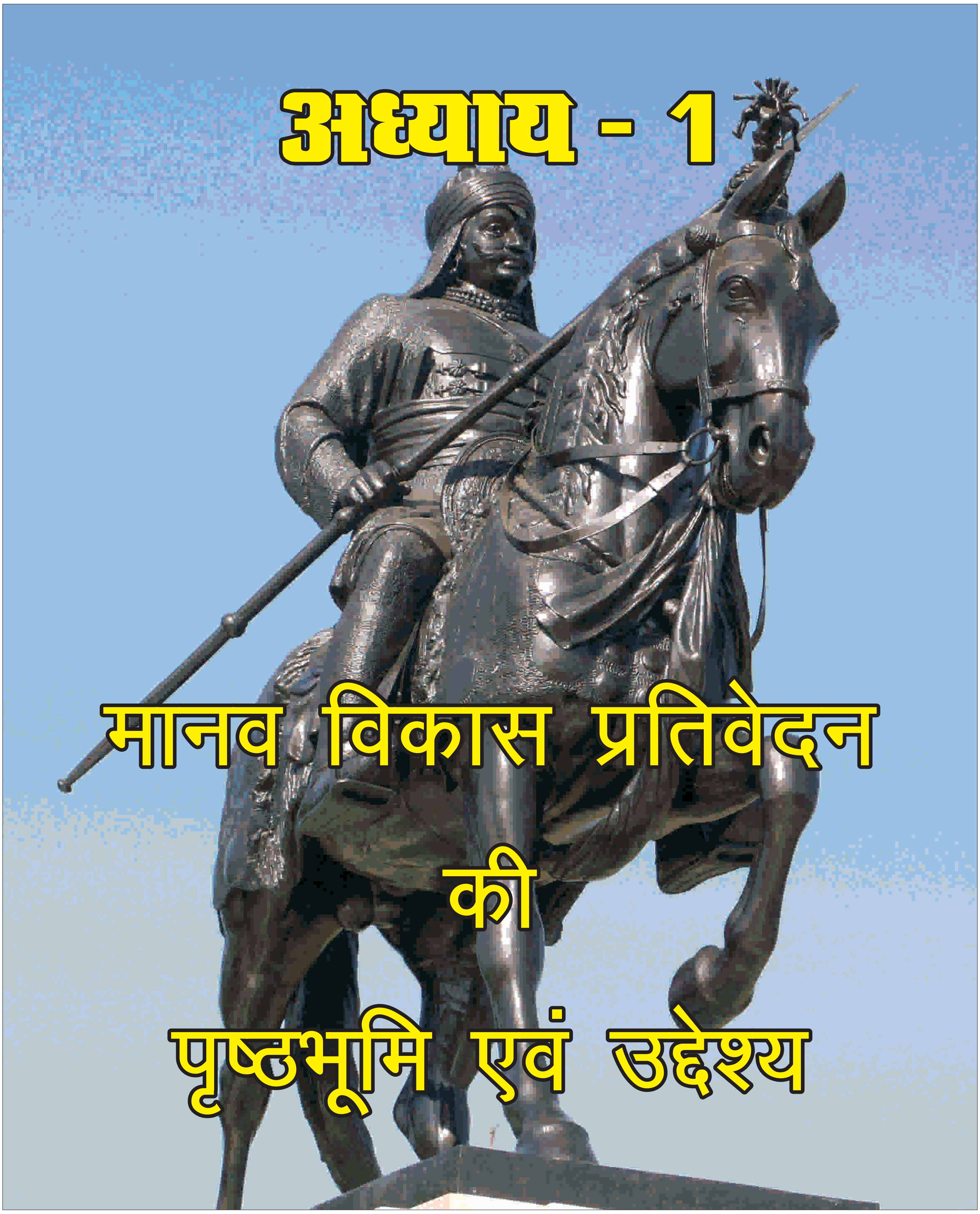

मानव विकास प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि :–

जन सहभगिता द्वारा तैयार की गई योजना भारत मे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है और यह जिला स्तर पर मानव विकास के लिए सार्वजनिक संसाधन का संकलन करने के लिए पूर्व अपेक्षित भी है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 243 विकास योजना प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान प्रदान करता है। यह समिति जिले पंचायतों और नगरपालिकों द्वारा तैयार की गई योजनाओ का उन्मुख समेकन करती है।

योजना आयोग ने जिला योजना निर्माण के लिए एक विस्तृत दृष्टिकोण आधार की आवश्यकता पर बल देते हुए दिशा निर्देश जारी किए है। ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–2012) मे क्षेत्रीय असंतुलन को दुर करने के उद्देश्य से आयोजना को सहभागिता पूर्ण प्रकिया से जमीनी स्तर पर असंतुलन के विश्लेषण के लिए जिला मानव विकास रिर्पोट को एक उपयोगी उपकरण के रुप मे सुझाती है। राज्य सरकार से जारी दिशा निर्देशो के अनुसार उदयपुर जिले मे भी मानव विकास रिर्पोट तैयार करने का कार्य किया गया है।

मानव विकास प्रतिवेदन वह प्रतिवेदन है जो अंतर और उप जिला स्तर पर जिला विकास में असंतुलन का आंकलन और अंतर का विश्लेषण कर संभव समाधान सुझाव दे। वर्तमान मे योजना आयोग और यूएनडीपी परियोजना मानव विकास के लिए राज्य योजनाओं का सुदृढीकरण के रुप मे जिले की मानव विकास प्रतिवेदन तैयार कर रहे है।

पंचायती राज मंत्रालय के समर्थन से कार्यान्वित पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष का उद्देश्य विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दुर करना है। पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष काफी हद तक भागीदारीपूर्ण जिला योजना की सफलता पर आश्रित है। पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष मे क्षमता निर्माण के लिए अतिरिक्त धन के प्रावधान के साथ ही विकास योजनाओ के लिए संयुक्त कोष का प्रावधान रखा गया है। सहभागितापूर्ण योजना को तैयार करने के लिए योजना आयोग ने निर्देश जारी किए है। पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष दिशा निर्देश ने योजना अभ्यास आरंभ करने से पहले एक आघारभूत सर्वेक्षण की आवश्यकता का उल्लेख है। उदयपुर जिला भी पिछडा क्षेत्र अनुदान कोष के तहत् पिछडे जिले के रुप मे चिन्हित है। उदयपुर जिले की मानव विकास रिर्पोट जिला योजना तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। मानव विकास रिर्पोट स्थिति का विश्लेषण करने और भविष्य

मानव विकास प्रतिवेदन के उददेश्यः–

अध्याय - 2

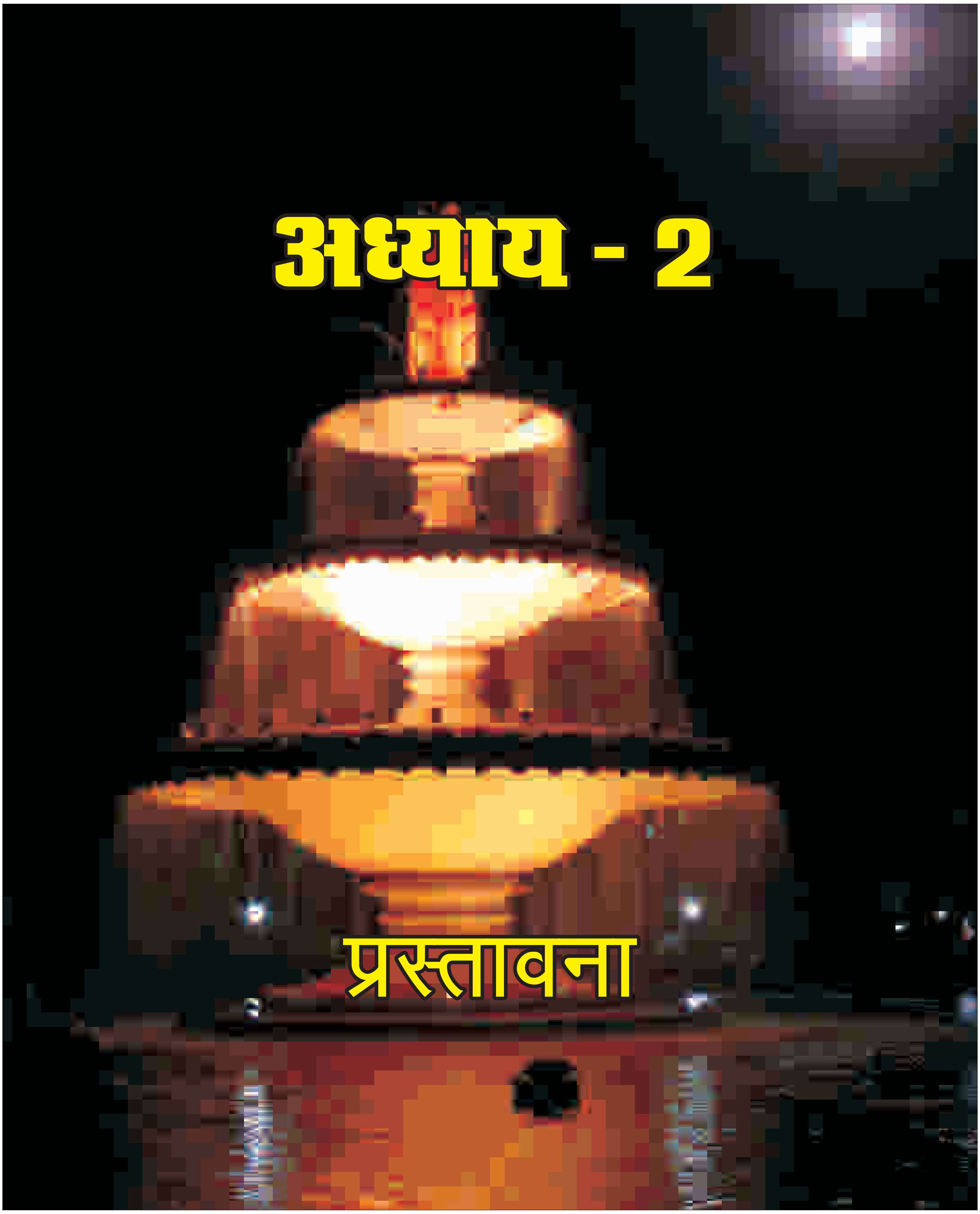

प्रस्तावना

प्रस्तावना

जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

उदयपुर भारतीय इतिहास में अनुपम शौर्य अपूर्व वीरता, असीम देश भक्ति एवं अद्धितीय बलिदानों के लिये विख्यात मेवाड़ राज्य की राजधानी था। इस क्षेत्र का इतिहास अति प्राचीन है। इस क्षेत्र में प्रारम्भिक मानव का अस्तित्व पाया गया है, जो पाषाण के औजार प्रयोग में लाता था। आहड़ व गिलूण्ड जैसे स्थानों में हुई पुरातत्व खुदाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल में काफी समृद्ध था। उक्त स्थानों पर टीलों की खुदाई से प्राप्त भौतिक अवशेषों में ताम्र पाषाणकालीन मानव का होना सिद्ध होता है। जो कि ईसा से 1800 वर्ष पूर्व का है। कुछ शताब्दियों के अन्तराल के बाद आहड़ नामक स्थान ईसा समय से 5000 पूर्व काल में पुनः आबाद हो गया जो पाषाण काल से मेल खाता है।

उदयपुर शहर का नाम राजा उदयसिंह के नाम पर रखा गया जिन्होनें 1659 में इसे बसाया था। इस जिले का राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा में सदैव अपना विशिष्ठ स्थान रहा है। ''गुहिल'' राजपूतों की अधीनता में रहे वीरभूमि मेवाड़ के इस राज्य में महाराणा कुम्भा महाराणा सांगा व महाराणा प्रताप जैसी महान विभूतियों ने जन्म लिया। उत्कृष्ट स्थापत्य कला के मन्दिरों के नमूने आहड़, सरनेश्वर, एकलिंग जी, ऋषभदेव में आज भी विद्यमान है। अत्यन्त मनोहारी पिछोला झील के मध्य व किनारे स्थित भव्य राजमहल इस क्षेत्र की उत्कृष्ट कला के बेजोड़ नमूने है। इसी क्षेत्र में जयसमन्द एवं उदयसागर जैसी मानव निर्मित विशाल झीलें अपनी नैसर्गिक सौन्दर्य एवं संसाधनों के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। उदयपुर जिला राजस्थान के दक्षिणी सिरे पर स्थित है और गुजरात की सीमा के करीब है। यह जिला उत्तर में राजसंमद जिले से दक्षिण में डूंगरपुर पूर्व में चित्तौडगढ व बांसवाडा जिले से घिरा है, इसके पश्चिम में गुजरात की साझा सीमा है जिले की सीमा उदयपुर जिले से मिलती है।

प्रशासनिक व्यवस्थाः–

उदयपुर जिले को वर्तमान स्वरूप मे आने से पूर्व यह भूतपुर्व मेवाड़ रियासत का एक भाग था। वर्ष 1948 मे संयुक्त राजस्थान बनने के साथ ही गिर्वा, खमनोर, राजनगर, भीम, रेलमगरा, खैरवाड़ा, एवं कुम्भलगढ़, के हिस्सो तथा नाथद्वारा, कांकरोली,, सलुम्बर, देवगढ़, एवं गोगुन्दा के ठिकानो को मिलाकर उदयपुर जिले का गठन हुआ। उदयपुर जिले के कुछ गांव चितोड़गढ जिले मे स्थानान्तरित कर दिये गये। उदयपुर जिले का क्षैत्र अत्यधिक वृद्धि होने के कारण 10 अप्रेल 1991 को इस जिले के दो भाग कर एक नवीन जिला राजसमन्द का सृजन किया गया। वर्तमान मे प्रशासनिक दृष्टी से उदयपुर जिले के सात उप खण्ड गिर्वा, सलूम्बर, झाड़ोल, वल्लभनगर, कोटड़ा, धरियावद, मावली, है विकास एवं प्रशासनिक दृष्टि से जिला परिषद 10 तहसील एवं 11 पंचायत समिति विकास

खण्ड जिला बंटा हुआ है। इसके अतिरिक्त जिले मे 8 पुलिस उप अधीक्षक वृत, थाने 38 एवं 45 चौकिया है। विभिन्न विकास कार्यक्रमो की क्रियान्विति हेतु एक नगर परिषद् तथा चार नगरपालिकाऐं है। जिलाधीश जिले का प्रशासनिक मुखिया एवं जिला दण्डनायक के अधिकार से निहित है।

प्रशासनिक इकाईयाँ :–

प्रशासनिक दृष्टि से जिला 7 उप–खण्डों, 11 तहसीलों 14 उप तहसीलों एवं 11 विकास खण्डों में बंटा हुआ है, जिसमें 469 ग्राम पंचायतें, 400 पटवार मण्डल, 53 भू–अभिलेख निरीक्षक मण्डल है। जिले के पांच जनगणना टाउन, एक नगर परिषद, उदयपुर तथा चार नगरपालिकाऐं क्रमशः भीण्डर, कानोड़, फतहनगर व सलुम्बर है। जिले के 2498 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त चार ग्रामदानी ग्राम भी है। उदयपुर आठ विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त है।

उपखण्ड	तहसील	पंचायत समिति (पटवार मण्डल)	राजस्व ग्राम संख्या	शहर
गिर्वा	गिर्वा	गिर्वा (65)	330	1
	गोगुन्दा	गोगुन्दा (40)	233	–
वल्लभनगर	वल्लभनगर	भीण्डर (48)	310	2
मावली	मावली	मावली (49)	183	1
सलुम्बर	सलुम्बर	सलुम्बर (37)	269	1
	लसाडिया	लसाडिया (20)	114	–
	सराड़ा	सराड़ा (37)	195	–
खेरवाड़ा	खेरवाड़ा	खेरवाड़ा (26)	196	–
	ऋषभदेव	ऋषभदेव (25)	123	
झाड़ोल	झाड़ोल	झाड़ोल (32)	263	–
कोटड़ा	कोटड़ा	कोटड़ा (27)	262	–
7	**11**	**400**	**2498**	**5**

स्रोतः– जिला कलक्टर (भू.अ)उदयपुर

भौगोलिक स्थिति :–

उदयपुर जिला राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित अरावली पहाडियो से घिरा जनजाति क्षेत्र है जो उत्तरी अक्षांश 23° 46' 15" एवं 25° 05' 10" के बीच एवं पूवी देशान्तर पर 73° 10' 20" एवं 74° 40' 15" के मध्य स्थित है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 14,62,105 हैक्टेयर है। यह उत्तर में राजसंमद, दक्षिण में डूॅगरपुर व बांसवाड़ा, पूर्व में चित्तौड़गढ़ व पश्चिम में पाली व सिरोही जिलों एवं गुजरात राज्य की सीमा सें घिरा है। जिला उत्तर से दक्षिण तक अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। जिले का उत्तरी भाग उँचे पठारो से बना हुआ है, दक्षिण भाग चट्टानों, पहाडियों व वनों से आच्छादित है।

स्थानीय प्राकृतिक भूगोल (टोपोग्राफी) :–

भूमि –

जिले में पथरीली चट्टानी भूमि को छोड़कर सामान्य शेष भूमि अधिकतर गहरी व कहीं कही कम गहरी है। जबकि चूना युक्त रेतीली भूमि गोगुन्दा, कोटड़ा, झाडोल, मावली, भीण्डर, बडगांव, गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र में तथा लाल रेतीली भूमि खैरवाड़ा, लसाडिया, सलुम्बर व सराड़ा पंचायत समितियों में पायी जाती है। जिले के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों की भूमि सामान्यतः पथरीली है। जबकि इसके पूर्व में थोडे से क्षेत्र की भूमि हल्की भूरी है तथा उस पर पीली मिट्टी की हल्की सी परत है।

भूमि के प्रकार

भूमि के प्रकार	कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	तहसील जहां उपलब्ध है
क्ले लोम	74,477	मावली, गिर्वा, भीण्डर
रेड क्ले	1,47,219	सलुम्बर, कोटड़ा, सराड़ा, खैरवाड़ा, लसाडिया
हेवी क्ले	3,22,346	गोगुन्दा, झाड़ोल, गिर्वा

भू अभिलेख

पहाडियां –

जिले में उत्तर से दक्षिण की तरफ अरावली की पहाड़ियां फैली हुई है। इसका उतरी भाग उँचें पठारों से परिपूर्ण है, जबकि पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र काफी उपजाऊ है। जिले के दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में चट्टानों, पहाड़ियों तथा घने जंगलो की बहुतायत है।

जलस्त्रोत –

बनास एवं इसकी सहायक नदियां जिले के पूर्वी भागों में होकर बहती है। जिले में अन्य नदियां सोम, जाखम, वाकल, सेई, साबरमती, एवं बेंडच सम्मिलित है। जो केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है। इसके अतिरिक्त जिले में कई कृत्रिम तालाब एवं झीलें है। जयसमन्द झील जो उदयपुर जिला मुख्यालय से 50 कि.मी. बांसवाड़ा रोड पर है, विश्व की बडी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसके अतिरिक्त पीछोला, फतहसागर, बडी, वल्लभनगर, एवं डाया प्रमुख जल स्त्रोत है, एवं ऐतिहासिक महत्व रखते है। लगातार छः वर्षो से अकाल के बाद गत एवं इस वर्ष शहर की झीले लबालब रही एवं जिले में सिंचाई की दृष्टि क्षैत्रफल में वृद्वि हुई तथा रबी में रिकोर्ड बुवाई संभव हो सकी।

जलवायु एवं वर्षा –

उदयपुर जिले की जलवायु समशीतोष्ण हैं मौसम के अनुसार परिवर्तनशील जलवायु मे जनवरी सर्वाधिक ठंडा एवं मई जून सर्वाधिक गर्म हैं जनवरी माह में तापमान 3 डिग्री से 24 डिग्री एवं जून माह में 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जिले की औसत वर्षा 645 मि.मी. है। वर्ष 2008 में जिले में कुल 584.40 मि.मी. वर्षा हुई जो सामान्य वर्षा से 96 प्रतिशत अधिक रही। सिंचाई का मुख्य स्त्रोत कुएं एवं टयूबबैल है एवं लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र में कुओं एवं टयूबबैल से सिंचाई होती है तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र तालाब/नहरों से सिंचित है।उदयपुर जिला चतुर्थ–अ और चतुर्थ ब नम दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। जो सूखा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है एवं राज्य के शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। उप उष्णकटिवन्धीय जलवायु और उच्च वाष्पीकरण इस क्षेत्र की पहचान है। मानसून के मौसम में सापेक्ष आर्द्रता 75% से 85% तक रहती है, हांलाकि गर्मी के मौसम में आर्द्रता 25% से 35% तक रहती है। सर्दियों में तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस एवं गर्मी में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुॅच जाता है।

राजस्थान में उदयपुर की भौतिक स्थिति

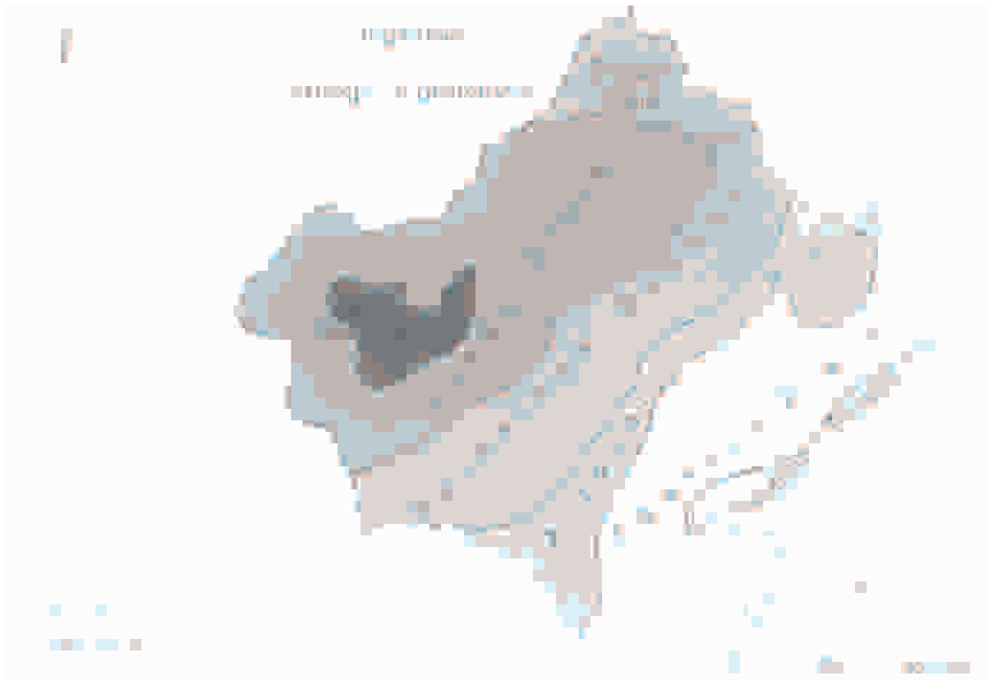

वन सम्पदा –

जिले में कुल 4141.69 वर्ग किमी वन क्षेत्र है, जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का 24.62 प्रतिशत है। कुल 4141.69 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से 2639.77 वर्ग किलोमीटर (61.73 प्रतिशत) आरक्षित, 1493.26 वर्ग किलोमीटर (37.15 प्रतिशत) संरक्षित एवं 8.66 वर्ग किलोमीटर (1.11 प्रतिशत) अवर्गीकृत वन क्षेत्र है। जिले में वनों से मुख्यतः जलाऊ लकड़ी, कोयला, बल्ली एवं डण्डे तथा खिरनी के पोल्स आदि प्राप्त होते है। लघु उपज के रूप में बॉस, घास, महुआ, डोलमा, आंवले की छाल, अरीग एवं शहद आदि प्राप्त होते है। वन क्षेत्र में मुख्यतया आम, बबूल, बरगद, गूलर, खेजड़ी, पीपल, नीम, सालुर, आदि के पेड़ पाए जाते है। उपरोक्त उत्पादों में से बड़ी उपज के सम्बन्ध में विक्रय से वन विभाग को आय प्राप्त होती है तथा लघुवन उपज संग्रहण का एकाधिकार राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ को है।

खनिज सम्पदा –

उदयपुर जिला खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तार से फैली है जिसकी चट्टानें विश्व में प्राचीनतम है। अरावली पर्वत श्रृंखला के गर्भ में विविध एवं बहुमूल्य खनिज सम्पदा छुपी हुई है जिसका सम्बन्ध मानव विकास से जुड़ा हुआ है। जिले में अनेकानेक बहुमूल्य खनिजों

की उपलब्धता प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में वरदान सिद्ध हो रही है। खनिज सम्पदा के विपुल भण्डारों को अपने गर्भ में छिपाये यह सीसा–जस्ता–चांदी अयस्क, ताम्र अयस्क, रॉक फास्फेट, सोप–स्टोन, डोलोमाइट, केल्साइट, क्वार्टज, चाइना–क्ले, लोह अयस्क, बेराइटीज, सीमेन्ट श्रेणी का चुना पत्थर, विभिन्न रंगों व प्रकार का मार्बल, सरपेन्टाइन (ग्रीन) मार्बल, लाइमस्टोन (बर्निंग), चूनाई पत्थर, कंकड़, बजरी, वोलेस्टोनाइट्स, एसबेसट्स आदि खनिज उपलब्ध कराता है।

मानव संसाधन

जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 263312 है, जिसमें से 81.38प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 18.62 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। 1981–91 के दशक मे, जनसंख्या वृद्वि दर 24.40 प्रतिशत थी जबकि 1991–01 के दशक में 26.22 प्रतिशत थी। दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में 1.82 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 2001 में जिले का जनसंख्या घनत्व लगभग 196 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी था, जबकि राज्य की जनसंख्या का घनत्व 119 प्रतिशत है। गिर्वा अधिकतम जनसंख्या वाला जबकि बडगांव न्यूनतम जनसंख्या वाली पंचायत समिति है। शहरीकरण केवल गिर्वा, बल्लभनगर, मावली और सलुम्बर में है। जिले में कुल परिवार 510608 है। खेरवाडा पंचायत समिति में सबसे अधिक (62609) परिवार हैं। गोगुन्दा सबसे छोटी पंचायत समिति है, जिसमें कुल 38024 परिवार है। उदयपुर बहुल्य आदिवासी क्षेत्र है, इस जिले में कुल 34.80 प्रतिशत बी.पी.एल. परिवार है, जिनमें अनुसुचित जाति के 4.16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के 65.13 प्रतिशत और अन्य पिछडा वर्ग के 30.17 प्रतिशत है।

लिंग अनुपात

जिले का लिंग अनुपात 971 है। कुल लिंग अनुपात सलुम्बर पंचायत समिति में सर्वाधिक, जबकि बडगांव पंचायत समिति में सबसे कम है। 0–6 लिंग अनुपात **कोटडा** पंचायत समिति में सर्वाधिक (996) है, जबकि सबसे कम (915) गिर्वा पंचायत समिति में है। कुल आबादी की लगभग 18.67 फीसदी आबादी 0–6 वर्ष की आयु वर्ग में है। खेरवाडा पंचायत समिति में 0–6 वर्ष की जनसंख्या सबसे ज्यादा है।

लिंग अनुपात, जिला उदयपुर

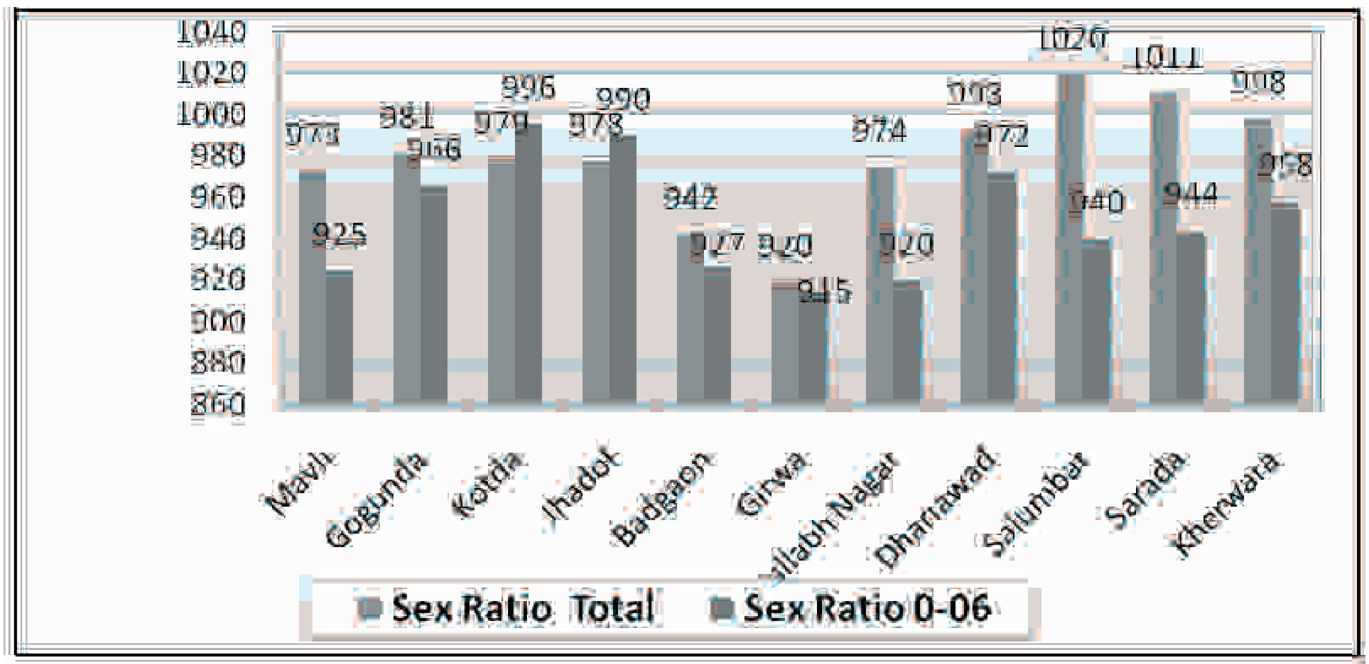

जनगणना—2001

उद्योग

उदयपुर जिले में 31 मार्च 2006 तक कुल 13,005 औद्योगिक ईकाइयां स्थापित थी। इन ईकाइयों में से 12,970 लघु/ दस्तकारी उद्यौग है, जिनमें 21,428.36 लाख रू. का विनियोजन है तथा 46,914 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वृह्द एवं मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत 35 औद्योगिक ईकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें 56,538.84 लाख रू. का विनियोजन है तथा 12,764 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

वृहद उद्योग

इस जिले में वर्तमान में 35 वृहद एवं मध्यम उद्योग पर स्थित है, जिनमें रूपये 56538.64 लाख का विनियोजन है और लगभग 40763 स्थानीय व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे है। जिनमें से 12764 स्थानीय है।

लघु व कूटीर उद्योग

वर्तमान में संचालित 12970 लघु उद्योग इकाईयों में कुल रूपये 21411.91 लाख के विनियोजन के साथ 46763 लोग इन इकाईयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे है। इन इकाईयों में मुख्य रूप से आटा चक्की, खाद्य तेल, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग, स्टोन, कृषि उपकरण, रेडीमेड वस्त्र एवं प्लास्टिक का उत्पादन होता है।

लघु उद्योग इकाईयों का उत्पादवार विवरण :

उदयपुर जिले में दिनांक 1.10.06 तक 13332 लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में 48122 व्यक्ति नियोजित है तथा इनमें 22014 लाख रूपये का नियोजन किया हुआ है। भारत सरकार द्वारा सुक्ष्म लघु एवं मध्यम एन्टर प्राईजेज डवलमेंट एक्ट, 2006 लागू होने के पश्चात 31.3.09 1838 लघु एवं दस्तकारी उद्योगों में 13252 व्यक्ति नियोजित है तथा इनमें 42311 लाख रूपये का नियोजन किया हुआ है। जिले वृहद एवं मध्यम स्तरीय 28 उद्योग है, इसमें 9024 नियोजन एवं 64890 लाख का विनियोजन है।

वृहद एवं मध्यम स्तरीय इकाइयां :

जिले में 35 इकाईयॉ कार्यरत हैं इनमें मुख्यतः मै. हिन्दुस्तान जिंक लि., मै. रिलायंस कोमोटेक इण्डस्ट्रीज लि0, मै. राजस्थान पेट्रोसिंथेटिक्स लि0, मै. लिपिडेटा सिस्टम, मै0 सिक्योर मीटर, मै0 पेस्टीसाइट इण्डिया लि0, मै. वोल्केम इण्डिया लि0 आदि इकाइयां उत्पादनरत् है।

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल	भू–खण्डों की संख्या	आवंटन	रिक्त
1	मेवाड औद्योगिक क्षेत्र	496.61	439	439	0
2	उद्योग विहार सुखेर	102.83	296	296	0
3	औद्योगिक सम्पदा प्रतापनगर	48.62	48	48	0
4	औद्योगिक क्षेत्र फतहनगर	25.41	65	63	2
5	औद्योगिक क्षेत्र गुडली	202.08	294	270	24
6	औद्योगिक क्षेत्र सनवाड	98.00	185	173	12
7	औद्योगिक क्षेत्र कल्लडवास				
	आई.आई.टी.	73.32	243	242	1
	भामाशाह	41.75	303	210	93
8	एम.आई.ए. एक्सटेंशन				
	आई.टी.		38	21	17
	औद्योगिक		46	46	0

स्रोतः–जिला उधोग केन्द्र,उदयपुर

खादी ग्रामोद्योग

बैंक वित्त मार्जिन मनी योजना – बैंक वित्त मार्जिन मनी योजना मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संचालन हो रही है, जिसमें 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत मार्जिन मनी सहायता (अनुदान) राज्य स्तर राज्य बोर्ड तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित नोडल बैंकों के बनी उपलब्ध होती है। खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मध्य राष्ट्रीयकृत बैंको का विभाजन है। जि.उ. के राज. खा. ग्रा. बोर्ड के नामित बैंकों को ही आवेदन पत्र प्रायोजित किया जा रहे हैं। मार्जिन मनी योजना के अन्तर्गत वर्ष 1996–97 से मुख्य रूप से बैंक एवं जिला उद्योग केन्द्र संयुक्त तत्वावधान में इकाइयों को प्रोजेक्ट एवं इकाई लागत पर वित्त पोषण किया जा रहा है।

परम्परागत व्यवसाय :–

जिनमें प्रत्येक गाँव में कुछ विशेष योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध होते है जिनका जिविकोपार्जन उनकी हुनर का उपयोग कर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने से होता है। जिसमें उनके हाथ का हुनर महत्त्वपूर्ण होता है। इस केटेगरी में लद्यु एवं घरेलु उद्योग–धन्धे भी सम्मिलित किये जाते है। ये उद्योग–धन्धे व्यक्तिगत, परिवार के सदस्यों या समूह के माध्यम से संचालित होते है। उदयपुर पिछडा जिला होने व अनुसूचित जनजाति की बाहुल्यता के कारण कोई विशेष उद्योग विकसित नहीं हो पाये है अधिकतर कार्य व्यक्ति या परिवार द्वारा पीढ़ीयों से ज्ञान के ट्रान्सफर द्वारा चलते आ रहे है जिसमें मुख्य सेवा क्षेत्र निम्न हैं जो विशेष जाति, समुदाय या वर्ग विशेष द्वारा संचालित होते है जैसे नाई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, मेघवाल, हरिजन, सुनार, महाजन व कलाल आदि।

सहकारिता

सहकारिता का मूल उद्देश्य देश की निर्धन, शोषित, जरूरतमंद जनता में सहबंधुत्व की भावना विकसित कर उन्हें आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाना है। उदयपुर जैसे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि यहां के आदिवासी अत्यन्त ही निर्धन एवं पिछडे हुए है। विगत वर्षों में किये गये सार्थक प्रयासों से इन वर्गो में जागृति का संचार हुआ है। तथा इनका आर्थिक उन्नयन हुआ है। हालांकि इस दिशा में ओर अधिक प्रयास किये जाने है।

सहकारिता के प्रयास के लिए उदयपुर जिले में निम्न सहकारी संस्थाऐं कार्य कर रही है–

क्र.सं.	प्रकार सहकारी समितिया	कुल सहकारी समितियां
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक	1
2.	भूमि विकास बैंक	1
3.	क्रय–विक्रय सहकारी समिति	3
4.	थोक भण्डार	1
5.	नागरिक सहकारी बैंक	3
6.	लेम्पस् / पेक्स	123
7.	तिलहन सहकारी समिति	7
8.	गृह निर्माण सहकारी समिति	52
9.	प्राथमिक भणडार	29
10.	औद्योगिक सहकारी समिति	40
11.	महिला सहकारी समिति	83
1.2.	बचत साख सहकारी समिति	56
13.	भेड़ व उन सहकारी समिति	—
14.	श्रमिक ठेका सहकारी समिति	77
15.	जिला सहकारी संघ	1
16.	दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ	529
17.	दुग्ध संघ	1
18.	अन्य सहकारी समितिया	76
	योग	**882**

स्रोतः—उपरजिस्टारएसहकारी समितियॉ,उदयपुर

सेवा क्षेत्र :—

जिले में व्यावसायिक बैंकों की 130, उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. की 9, उदयपुर जिला भूमि विकास बैंक लि. की 3, उदयपुर शहरी एवं सहकारी बैंक लि. की 13 तथा मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक की 39, कुल 194 बैंक शाखाओं के माध्यम से ऋण एवं साख सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है। बैंक, बीमा, सहकारी समितियाँ के अतिरिक्त कुछ व्यवसाय भी सेवा क्षेत्र में सम्मिलित होते है।

सड़के एवं पुल :

जिले की वर्तमान स्थिति :

विवरण	क्षैत्रफल (वर्ग कि.मी.)	सड़के (कि.मी.)	घनत्व (प्रति 100 वर्ग कि. मी.)
जिला उदयपुर	12511	4565.00	36.50
राजस्थान राज्य	324239	167128.00	48.80
राष्ट्रीय	3287263	3383300	102.90

स्रोत SE & PWD Udaipur

उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 8 एवं 76 गुजरता है एवं राज्य मार्ग 8 जो उत्तर में एकलिंगजी, तहसील गिर्वा से शुरू होकर दक्षिण में खेरवाड़ा तहसील तक आता है। इस राष्ट्रीय राज.मार्ग की जिले में कुल लम्बाई 117. 50 कि.मी. है तथा इसके माध्यम से यह जिला अहमदाबाद, अजमेर, जयपुर आदि महत्वपूर्ण स्थान सड़क सम्पर्क से जुडा हुआ है। जिले में दूसरा राष्ट्रीय राज्य मार्ग 76 है जो पश्चिम में पिण्डवाडा (तहसील कोटडा) से शुरू होकर पूर्व में मंगलवाड (तहसील भीण्डर) तक है एवं इसके माध्यम से सिरोही, चितोडगढ आदि महत्वपूर्ण स्थान जुडे हुऐ है, इसकी कुल लम्बाई 137.50 कि.मी. है।

उदयपुर जिले का क्षैत्रफल 11, 249.04 वर्ग किमी एवं आबादी 26.33 लाख है। उदयपुर जिले मे डामर सडकों का घनत्व 39.23 कि.मी प्रति 100 वर्ग कि.मी, एवं 167.58 कि.मी. प्रति लाख जनसंख्या है। इसी प्रकार कुल सडकों का घनत्व 40.58 कि.मी प्रति 100 वर्ग कि.मी एवं 173.34 कि.मी प्रति लाख जनसंख्या है।उदयपुर जिले मे कुल 498 पंचायत मुख्यालय है, जिसमें से 478 (95.98 प्रतिशत) डामर से, 13 (2.61 प्रतिशत) डबल्यू.बी.एम. सडक से जुडे हुए हैं शेष 7 (1.41 प्रतिशत) पंचायत मुख्यालय किसी भी प्रकार की सडक से जुडे हुए नहीं है।

पर्यटन उधोगः—

पर्यटन एवं ऐतिहासिक दृश्टि से महत्वपूर्ण उदयपुर जिला हस्तशिल्प की विभिन्न विधाओं यथा लकडी के खिलौने व कलात्मक वस्तुऐं, चित्रकारी, बतिक पेटिंग, तलवार, भाले, चाकू आदि, धतू—ताराकारी व पच्चीकारी, व्हाईट मेटल कार्य तथा पत्थर की हस्तशिल्प वस्तुऐं देश—विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

अध्याय - 3

शिक्षा

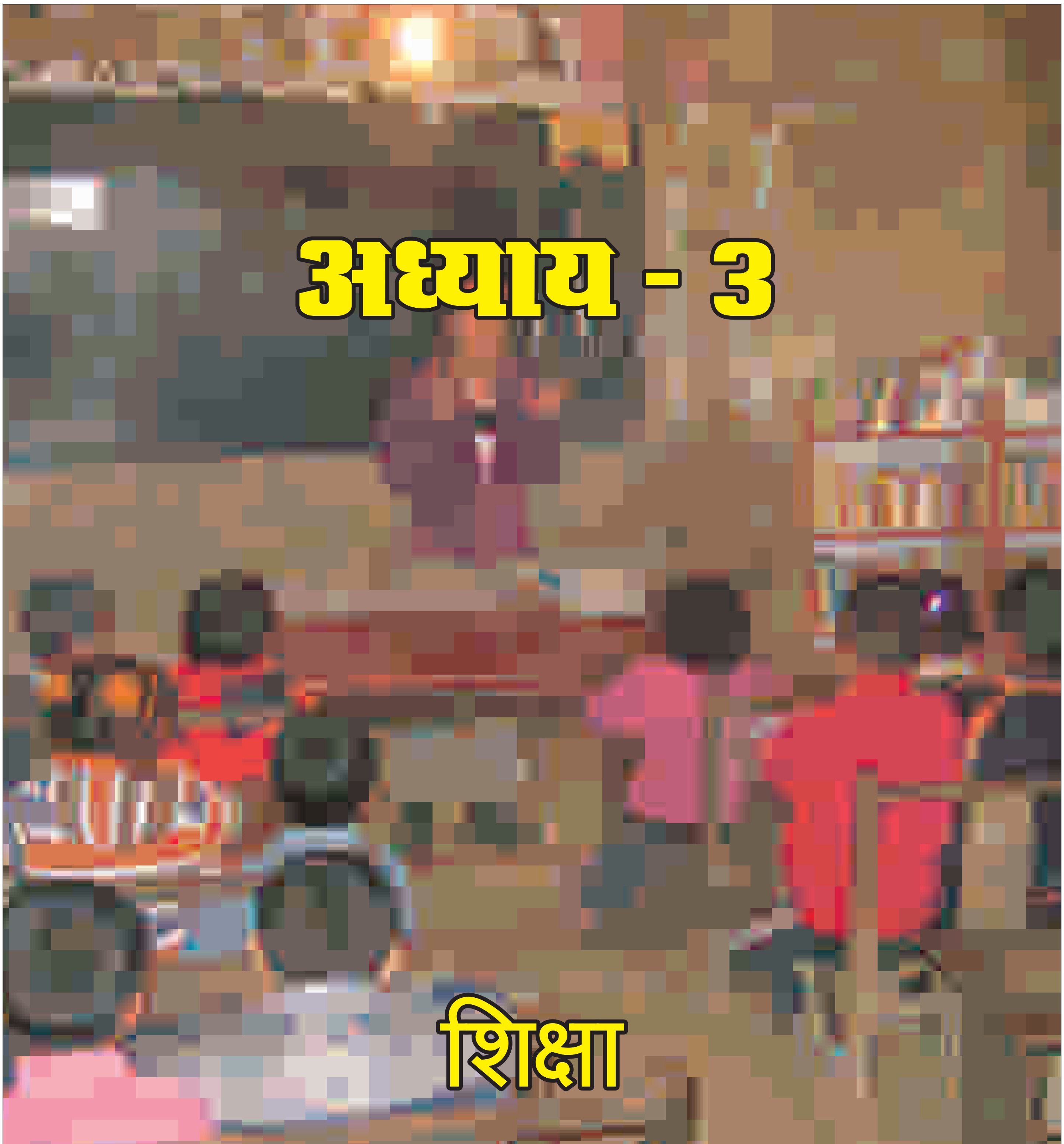

प्रस्तावना

राजस्थान का कश्मीर और झीलो की नगरी की रमणीयता देशी –विदेशी सभी को लुभाने वाली है। नगर सौन्दर्य के इतिहास को देखा जाय जो मेवाड की राजधानी के रूप में तत्कालीन महाराणा उदयसिंह जी ने अक्षय तृतीया के दिन नगर स्थापना हेतु नींव रखी।

शिक्षा के स्तर को महत्व देते हुए तत्कालीन महाराणा भूपालसिंह जी ने आजादी से एकदशक पूर्व अनेक शिक्षा संस्थानों का शुभारम्भ करवाया, जिनके गौरव को आज दर्शाते हुए शिक्षा के कई उच्चतम स्तर तक के संस्थान साक्षी है।

पुरानी हवेलियों, मठों, भवनों आदि में संचालित विद्यालयों में इस समय राजे–रजवाडों के कुमार एवं प्रतिष्ठित घरानों के बालक शिक्षा ग्रहण करते थे। समय के साथ दौर बदला आजादी के बाद हमारे संविधान के प्रारूप में प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 20 वर्षो में प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने की बात रखी थी।

गुलामी की जंजीरो से मुक्त होते ही हमारा देश कई प्रकार के संकटों से गिरा था। आर्थिक व्यवस्था, लड़खड़ा रही थी। ऐसे समय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये दोनों हमारे लिए बहुत बडी चुनौती के रूप में थे।

गांधी जी ने कहा था '' जब तक शिक्षा के स्तर में सुधार नही होगा तब तक देश का भविष्य अंधकार में है। ''

ऐसी कठिन परिस्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं, राजनेताओं, नवयुवकों, जुझारू नेताओं एवं प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग के द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में विशेष प्रयास करके शिक्षा संस्थाएं खुलवाई गई। जिसके बाद अथक प्रयास करके बालिका शिक्षा हेतु भी प्रयास किए गए।

उदयपुर जिले में मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर विद्यालयों की स्थापना की गई। क्रमशः उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा में कई निजी शिक्षण संस्थान भी अग्रणी रहे। विद्या भवन, शिक्षा भवन, भूपाल नोबल्स संस्थान आदि इनमें से कुछ प्रमुख है। शिक्षा की प्रारंभिक नींव है साक्षरता।

साक्षरता :–

वर्तमान में उदयपुर जिले में बडगॉव ब्लॉक का साक्षरता स्तर अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है यह गौरव का विषय है। यद्यपि कोटडा, सराडा एवं सलुम्बर जनजाति बहुल क्षेत्र है यहॉ की साक्षरता दर बढ़ाना अपेक्षित है।

अन्य ब्लॉक की स्थिति सामान्य से ठीक है।

सन 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत 60% है। यह स्थिति राज्य के अन्य जिलों की तुलना में सुखद है। महिलाओं की साक्षरता दर 44% है इसमें आगे प्रयास करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त ऑकड़ों के अनुसार 65% सामान्य साक्षरता दर के समक्ष हमारा जिला 60% तक की स्थिति दर्शाता है। प्रयासों में तनिक गति लाने से इस स्तर पर पहुॅचने में हम कामयाब हो सकेंगे।

राजस्थान के कुल 32 जिलों में उदयपुर जिला वर्ष 1991 से 2001 तक साक्षरता में 15 वॉ स्थान बनाए हुए है।

महिला साक्षरता में यही स्थिति 12 वें स्थान पर बनी हुई है।

विद्यालयों की संख्या एवं सृजित पद :–

सरकारी एवं निजी मिलाकर कुल 3361 प्राथमिक विद्यालय, 1424 उच्च प्राथमिक, 114 माध्यमिक, 293 उच्च प्राथमिक के साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक है। कुल सरकारी एवं निजी विद्यालयों की संख्या मिलाकर जिले में 5192 विद्यालय संचालित हो रहे है।

बालिका शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु यहॉ उपलब्ध सरकारी, निजी, आवासीय विद्यालयों की संख्या स्वयं इस बात का प्रमाण है कि सम्पूर्ण जिला महिला शिक्षा हेतु कितना जाग्रत है।

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कक्षा I_VIII तक सम्पूर्ण जिले के कुल 11 ब्लॉकों में शिक्षण अभिनवन शिविर आयोजित करके शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं को प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। अन्य कई भौतिक सुविधाएं भी जैस रैम्प निर्माण, शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) हेतु राशि आदि भी विद्यालयों को प्राप्त होती है यह शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु किए गए प्रयासो में सम्मिलित है।

शिक्षा का क्रम जारी रखते हुए उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की स्थापना सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लगातार होते रहने से अब तक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या शतक तक पहुॅच गई है।

संभाग स्तरीय मुख्यालय होने के कारण उदयपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है।

वर्तमान स्थिति :–

अद्यतन उदयपुर जिला शैक्षिक दृष्टि से अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। कृषि, उच्च शिक्षा आदि हेतु उपलब्ध विश्वविद्यालयों, शोध केन्द्रों की संख्या एकाधिक है।

नामांकन दर 97.03 एवं ड्रॉप आउट दर 41.13 रही।

लिंग के अनुसार 9.29 का अंतर रहा।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक को मिडिल बोर्ड पेटर्न परीक्षा उत्तीर्ण करना होता है। इस व्यवस्था के संचालन में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर अपनी महत्ती भूमिका स्वयंपाठी छात्रों की संख्या के आधार पर कोटडा ब्लॉक निम्नतम एवं गिर्वा ब्लॉक श्रेष्ठतम, उदयपुर शहर उच्चतम शिखर को छू रहा है।

डाइट जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर का गौरव है कि उससे संचालित शोध गतिविधि के अन्तर्गत जिला शिक्षा अनुसंधाता वाक्पीठ (DERF) द्वारा कृत शोध सार एवं सुझाव राज्य स्तरीय अंकन में उच्चतम स्तर को प्राप्त करते है।

जिले की अन्य उपलब्धियां –

आदिवासी बहुल क्षेत्र से खेल प्रतिभाओं में तीरंदाजी, भाला फेंक, सॉफ्ट बॉल आदि में तो शहरी एवं सामान्य क्षेत्र से क्रिकेट, बेडमिंटन, तैराकी, पॉवर लिफ्टिंग, हॉकी आदि में राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं ने अपना स्थान कायम किया है।

सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में भारतीय लोक कला मण्डल, शिल्पग्राम कुंभा संगीत कला केन्द्र आदि संस्थाएं संचालित है, जिनमें निखरे हुए हीरे के संमान प्रतिभाशाली बालक राज्य भर में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के पर्दे पर नजर आते है।

ऐसा सुनकर देखकर बडा हर्ष होता है कि इनको आगे बढाने में शिक्षण संस्थानों का अवश्य योगदान रहा होगा।

सांस्कृति स्त्रोत प्रशिक्षण केन्द्र अम्बावगढ उदयपुर

शिक्षा एवं संस्कृति को जोड़ने का दायित्व वहन कर रहा है, जो सम्पूर्ण भारत में स्थापित कुल तीन केन्द्रों में से एक है।

यह केन्द्र संचालित आवासीय प्रशिक्षण शिविरों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक प्रान्त से शिक्षकों को जि.शि. अधिकारी के माध्यम से आमन्त्रित करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है एवं आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक यहॉ प्रशिक्षण प्राप्त कर जाते है।

इस केन्द्र का योगदान एवं सहायता राशि उन बालकों को मिल पाती है, जो 14 वर्ष से कम आयु के हों तथा वे किसी कला–प्रतिभा के धनी हों, जो अपनी कला को आगे बढ़ाने में खर्च राशि वहन न कर सकते है। इसमें गायन, नृत्य, चित्रकला,शिल्पकला, मृणकला, मूर्तिकला आदि कलाएं सम्मिलित है।

विद्यालय कक्षागत छात्रों एवं अध्यापन तथा परिणाम सम्बंधी शैक्षिक समस्याओं का निदान, तुलनात्मक अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान आदि भी शैक्षिक गुणवत्ता हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करते है।

एसआईईआरटी संस्थान :–

जिले में स्थित होनार एक सौभाग्य है कि यहॉ समय–समय पर शैक्षिक शोध, समस्याओं, तुलनात्मक अध्ययन, विषय प्रशिक्षण एवं राज्य स्तरीय शोधो पर आवश्यक सुझाव राज्य सरकार को भेजे जाते है। कार्यक्षेत्र की वास्तविक समस्या का पता लगाकर आवश्यक सुझावों पर राज्य सरकार अमल कर शिक्षा विभाग को तथा संबद्ध विभागों को आवश्यक निर्देश प्रदान करती है।

कई प्रकार की सुविधाएं भी मुहया कराती है।

कार्य संपादन कैसे ?

शिक्षा के संदर्भ ह्यूमन डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट DHDR तैयार करने हेतु सर्व प्रथम जिला स्तर पर दिनांक 11.07.09 को मीटिंग का आयोजन किया गया तत्पश्चात जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 258 दिनांक 14.07.09 द्वारा कोर ग्रुप एवं वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया। कोर ग्रुप में एसआईईआरटी के डायरेक्टर, उपनिदेशक माध्यमिक व प्रारंभिक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, प्राचार्य डाइट,

जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी आदि को सम्मिलित किया गया। वर्किंग ग्रुप में शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी, जनप्रतिनिधि आदि 23 सदस्यों को सम्मिलित किया गया।

दिनांक 17.07.09 को जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु स्थापना कार्यशाला का आयोजन कर समस्त क्षेत्रों से सम्बंधित कोर ग्रुप एवं वर्किंग ग्रुप के सदस्यों को प्रासंगिक विषयों की जानकारी दी गई तथा निर्देश एवं साझा खाका पर चर्चा की गई। सम्बंधित इकाईयों के प्रतिवेदन लेखन हेतु सभी समूहो को अलग–अलग मीटिंग आयोजित कर कार्य संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त संदर्भ में शिक्षा समूह की दिनांक 23.07.09 को एस.आई.ई.आर.टी. मे मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान आदि से सम्बंधित सूचनाओं/जानकारियों के लिए समूह बनाकर त्वरित गति से कार्य संपन्न करने का लक्ष्य रखा गया। दिनांक 28.07.09 को पुनः सभी समूहों की मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें प्रगति प्रस्तुत की गई। कार्यालयों, फिल्ड एवं विभिन्न स्त्रोतो से सूचनाएं एकत्र कर दिनांक 11,12 एवं 13 अगस्त को शिक्षा समूह की बैठक में प्रतिवेदन को पूर्ण रूप देकर दिया गया जिसका प्रस्तुतिकरण जयपुर किया गया। दिनांक 25.08.09 को पुनः आंशिक संशोधन हेतु सभी समूहों मीटिंग का आयोजन कर शिक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया गया।

1 शिक्षा ही बालक के सर्वांगिण विकास की आधारशीला है। महात्मा गांधी के ये शब्द हर काल परिस्थिति में प्रासंगिक रहेगें। उदयपुर जिला जनजाति बहुल क्षेत्र होने के कारण शिक्षा की दृष्टि से पिछडा था। राज्य सरकार के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से यह जिला विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र तीन महत्वपूर्ण अभिकरण संचालित है जिनमें साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा है।

साक्षरता

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (TLC)

यह जिला साक्षरता की दृष्टि से से पिछड़ा था। 1991 की जनगणना के अनुसार इस जिले का साक्षरता प्रतिशत 34. 90 था। जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का शुभारम्भ दिनांक 11 अप्रेल 1994 को हुआ।

जिले की समस्त 11 पंचायत समितियों व उदयपुर शहर में 09–40 आयुवर्ग में निरक्षर व्यक्तियों का सर्वेक्षण करवाया गया। सर्वेक्षण के अनुसार उदयपुर जिले में 5,55,662 निरक्षर व्यक्ति थे। इनमें 208584 पुरूष (36%) व 347078 महिलाएँ (64%) थी।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का बाह्य मूल्यांकन जून 1998 में हिमालयन रीजन स्टडी एवं रिसर्च इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा किया गया जिसका परिणाम 60 प्रतिशत रहा। वर्ष 1998 में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा जिले को सत्येन मैत्रेय साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया। जिले का राज्य में प्रथम व देश में तृतीय स्थान रहा।

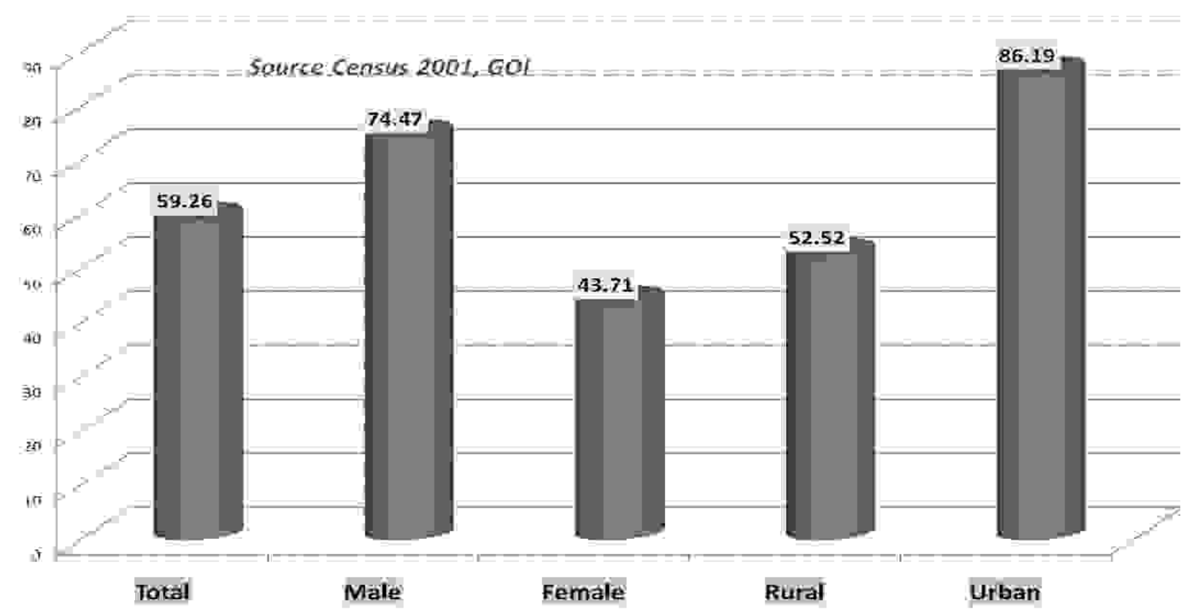

स्रोतः–जनसंख्या 2001

1. उत्तर साक्षरता अभियान (PLC)

उत्तर साक्षरता अभियान के लिए सितम्बर 1998 में पुनः सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वेक्षण 15–35 आयुवर्ग में किया गया। सर्वेक्षण के अनुसार 15–35 आयुवर्ग में निम्नानुसार, अर्द्धसाक्षरों एवं शेष रहे निरक्षरों की पहचान की गई।

नवसाक्षर			अर्द्धसाक्षर			निरक्षर		
पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
111643	155391	267034	48365	72405	120770	25470	39722	65192

इस प्रकार उत्तर साक्षरता अभियान में भाग लेने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 4,52,996 थी जिनमें 1,85,962 अर्द्धसाक्षर व शेष रहे निरक्षर थे।

उतर साक्षरता अभियान का मूल्यांकन मीडिया रिसर्च ग्रुप नई दिल्ली द्वारा 5 फरवरी से 17 फरवरी 2001 तक किया गया। जिसमें कार्यक्रम की गुणवत्ता का प्रतिशत 72.44 रहा तथा पठन–पाठन का प्रतिशत 56.8 रहा।

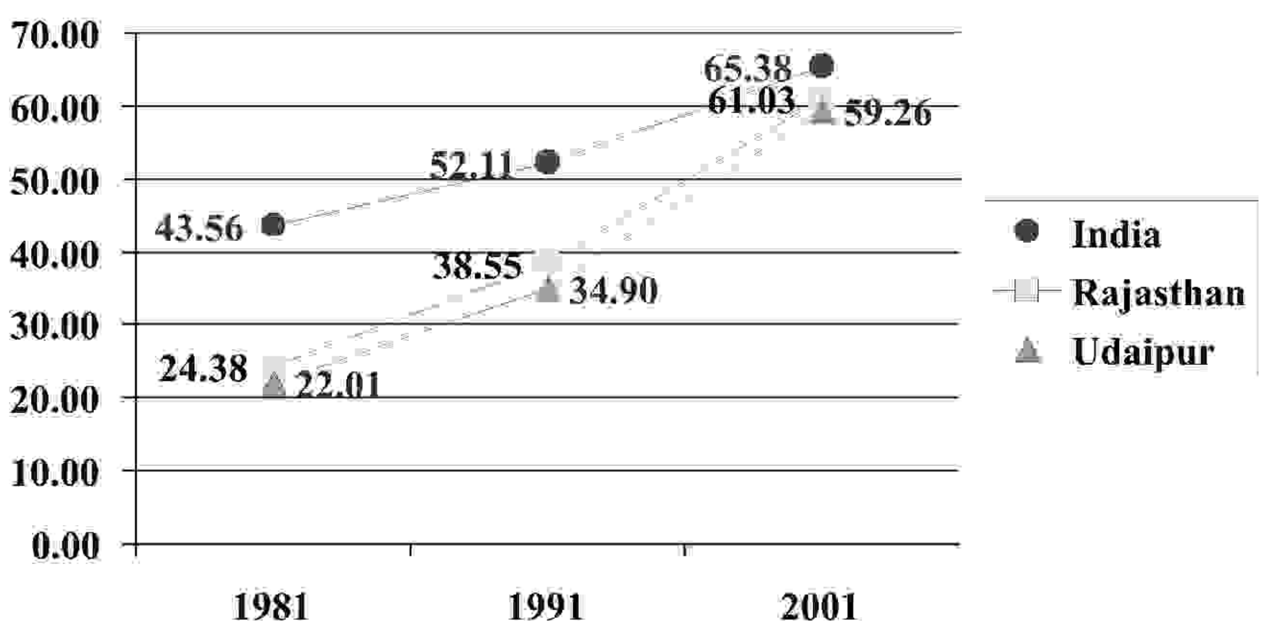

जिला साक्षरता समिति उदयपुर

साक्षरता अभियान के अर्न्तगत उदयपुर जिले की उपलब्धि

साक्षरता	पुरूष	महिला	योग	एस.सी.	एस.टी.
प्रारम्भिक सर्वे के अनुसार	185478	267518	452996	31709	253677
साक्षर	117643	149391	267034	18692	149539
शेष रहे निरक्षर	67835	118127	185962	13017	104138
उत्तर साक्षरता में साक्षर	32405	24551	56956	3986	31895
शेष रहे निरक्षर	35430	93576	129006	840	72243

स्रोतः— जिला साक्षरता समिति

2001 की जनगणनानुसार साक्षरता प्रतिशत

वर्ग	महिला	पुरूष	योग
सामान्य	60.60	89.17	74.88
एस.सी.	38.32	69.74	54.03
एस.टी.	32.20	64.50	48.36
योग	43.71	74.47	59.09

जनगणना 2001

सर्वे के अनुसार एक दशक में उदयपुर जिले में साक्षरता दर में 24.36 प्रतिशत की वृद्विहुई है।

जिले में दशकीय साक्षरता दर में वृद्धि

वर्ष	महिला	पुरूष	योग
1991	20.41	48.73	34.57
2001	43.71	74.47	59.09
वृद्धि	23.03	25.74	24.25

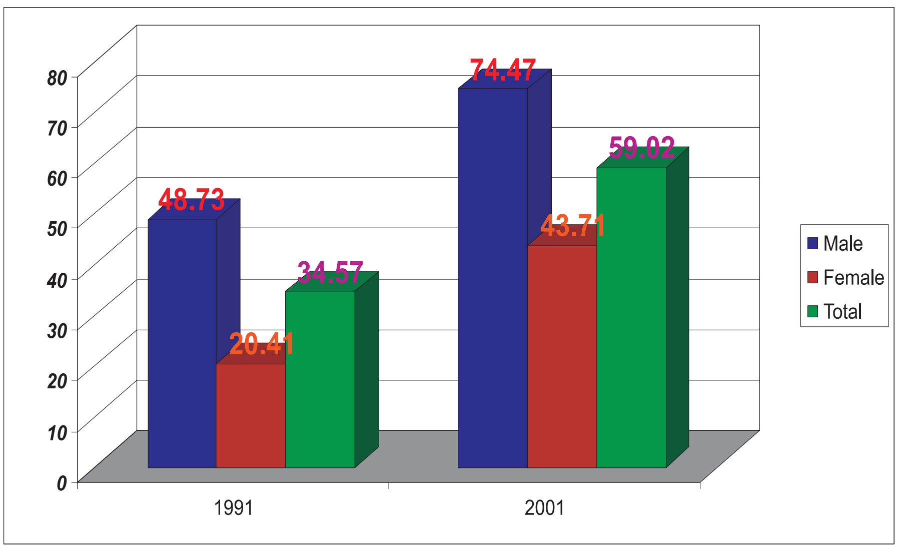

साक्षरता की गुणात्मक,परिणात्मक उपलब्धि एवं तुलनात्मक साक्षरता प्रतिशत

	सामान्य	पुरूष	महिला
उदयपुर	59.09	74.47	43.71
राजस्थान	60.04	76.46	44.34
भारत	65.38	75.85	54.16

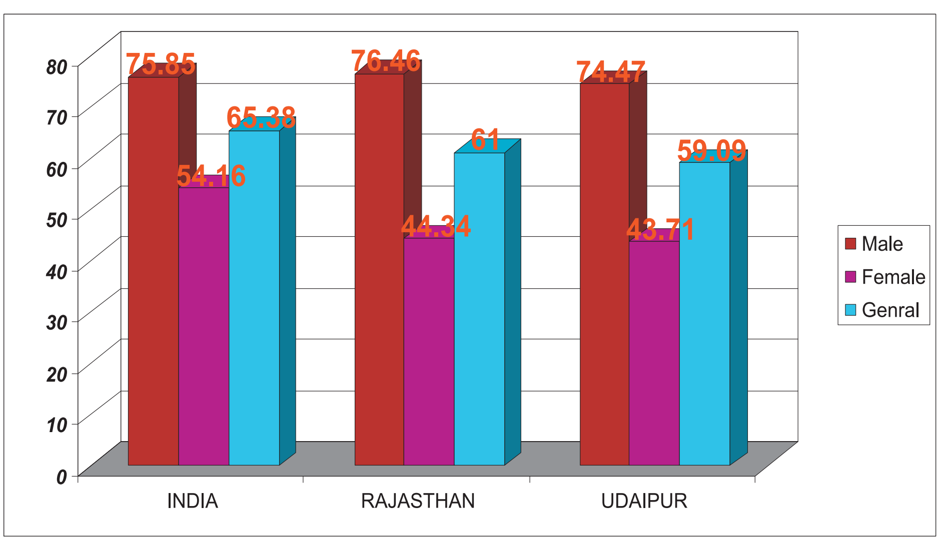

केन्द्रीय कारागृह उदयपुर में बंदी कैदियों को साक्षर करना

उदयपुर जिला मुख्यालय पर स्थित केन्द्रीय कारागृह में सतत शिक्षा केन्द्र का संचालन किया जाकर निरक्षर कैदियों को साक्षर किया जा रहा है इसका प्रगति विवरण निम्नानुसार हैः–

पहली पोथी पूर्ण	दुसरी पोथी पूर्ण	तीसरी पोथी पूर्ण
70	28	11

केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर में बंदी कैदियों का समतुल्यता परीक्षा विवरण

वर्ष	स्तर ए (कक्षा–3)	स्तर बी (कक्षा–5)	योग
मई2008 (उत्तीर्ण)	39	....	39
मई 2009 (पंजीयन)	53	36	89

स्वयं सहायता समूह गठन

सतत शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक प्रेरक को एक–एक स्वयं सहायता समूह का लक्ष्य दिया गया। इस प्रकार जिले में 1052 स्वयं सहायता समुह गठन का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी 09 की समाप्ति तक जिलें में 703 समूहों का गठन हो चुका है जिसमें आंतरिक लेन–देन भी आरंभ हो गया है यथा शीघ्र ही बैक से सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

क.स.	प.स.	समूह संख्या	जमा राशि	कार्यरत महिलाएं
1	बडगांव	35	113750	410
2	भीण्डर	80	260000	845
3	धरियावद	78	253500	882
4	गिर्वा	45	146250	542
5	गोगुन्दा	75	243750	764
6	झाडोल	76	247000	790
7	खैरवाडा	83	269550	845
8	कोटडा	36	117000	372
9	मावली	81	263250	865
10	सलुम्बर	38	123500	415
11	सराडा	76	247000	795
	योग	**703**	**2284550**	**7525**

जिले की उपलब्धियां एवं पुरस्कार

1. सत्येन मैत्रेय पुरस्कार 1998 : जिले को 8 सितम्बर, 1998 में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के सफल संचालन पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से सत्येन मैत्रेय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

2. सत्येन मैत्रेय पुरस्कार 2008 : जिले को 8 सित्मबर, 2008 को सतत् शिक्षा कार्यक्रम के सफल संचालन पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से सत्येन मैत्रेय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

3. राज्य स्तरीय गुरूजी पुरस्कार 2007 : राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में राज्य स्तर पर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर जिला साक्षरता समिति उदयपुर मोहनलाल को विश्व साक्षरता दिवस पर गुरूजी पुरस्कार प्रदान किया गया।

4. अक्षर मित्र पुरस्कार 07–08 : उदयपुर जिले के सतत शिक्षा केन्द्र, टूस डांगियान, तहसील वल्लभनगर की प्रेरक श्रीमती हंसा सेन को वर्ष 2007–08 में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर अक्षर मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

5. गणतन्त्र दिवस वर्ष 2008 पर जिले साक्षरता समिति की झांकी प्रथम स्थान पर रही। मुख्य अतिथि तत्कालीन गृहमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा प्रंशसा पत्र प्रदान किया गया।

6. जिला स्तरीय पुरस्कार 2008 : जिला कलक्टर महोदय उदयपुर द्वारा साक्षरता कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने पर जिला साक्षरता समिति, उदयपुर के सचिव श्री मोहनलाल धोबी को स्वतन्त्रता दिवस, 2008 पर जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

7. उदयपुर स्थापना दिवस 2008 पर जिला साक्षरता समिति की झांकी प्रथम स्थान पर रही। इस अवसर पर मुख्य अतिथि तत्कालीन गृहमत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा प्रंशसा पत्र प्रदान किया गया।

जिले के कुछ विकास खण्डों में साक्षरता दर कम रहने के कारण

उदयपुर जिले की समस्त 11 पंचायत समितियों एवं उदयपुर शहर को सम्मिलित करते हुए साक्षरता का प्रतिशत 58.60 है जिसमें पुरूषों की साक्षरता दर 73.60 एवं महिलाओं की साक्षरता दर 43.30 है।जहाँ उदयपुर शहरी क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत 94.10 होने के साथ ही शहरी क्षेत्र के निकटस्थ विकास खण्डों गिर्वा एवं बडगाँव में साक्षरता का प्रतिशत 86.47 है वही जनजाति बाहुल्य एवं दूरस्थ विकास खण्डों यथा कोटडा में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 24.52 है।

विकास खण्डों में साक्षरता प्रतिशत कम रहने के कारण निम्नानुसार है

1. **भौगौलिक स्थितिः**— कोटडा विकास खण्ड जनजाति बाहुल्य विकास खण्ड है जहाँ आज भी जनजाति परिवार दूर दूर पहाडों में एकल परिवार के रूप में दुर्गम स्थानों पर निवास करते है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के व्यक्तियों का साक्षरता केन्द्रों पर नियमित जुडाव नही हो पाया एवं अपेक्षित परिणाम अर्जित नही हो पाए।

2.. **सामाजिक कारण** :— जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक संरचना सयुंक्त परिवार की है जहा परिवार के सभी सदस्य कृषि एवं गैर कृषि कार्यो में सलंग्न रहते है जहा एक ओर पुरूष मजदूरी, श्रमिक आदि कार्य करते है वही महिलाऍ कृषि,पशुपालन का कार्य करती है पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से इनका शिक्षा के प्रति रूझान नही रहता है साथ आज भी इन क्षेत्रों में सामाजिक कुरीतियॉ यथा बालविवाह,पर्दाप्रथा, मधपान सेवन आदि विधमान है।

3. **आर्थिक कारणः**— इस क्षेत्र में रोजगार के साधनों का अभाव है व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए मजदुरी एवं कृषि पर निर्भर है सिचाई के संसाधनों का अभाव होने से कृषि भी मानसून पर आधारित है एवं जोतो की सीमा काफी छोटी है इस कारण पर्याप्त पैदावार भी नही हो पाती है अन्ततः परिवार के जीवनयापन के लिए पुरा परिवार मजदूरी के कार्यो में सलंग्न रहता है।

4. **यातायात के साधनों की कमीः**— पहाडी एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में यातायात के साधनों की कमी है इस कारण यहा के निवासियों का शहरी क्षेत्रों में आना जाना नही होता साथ ही ये शहरी संस्कृति एवं नवीन जानकारी से अनभिज्ञ रहते है।

5. **पलायनः**— उक्त विकास खण्ड की सीमाए गुजरात प्रान्त सें जुडी हुई है जिस कारण रोजगार की दृष्टि से अधिकाश व्यक्ति गुजरात पलायन कर जाते है।

6. **दूरसंचार के साधनों की कमीः**— इस क्षेत्र में दूरदर्शन, दूरसंचार दूरभाष आदि साधनों का काफी अभाव है इस कारण भी व्यक्तियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।

साक्षरता दर बढाने हेतु किये जाने वाले प्रयास

जिले के जिन विकास खण्डों में साक्षरता दर कम है वहा साक्षरता दर बढाने के लिए अधोलिखित प्रयास किये जा रहे हे।

1. **असाक्षर महिला शिविरों का आयोजनः**— जिले में निरक्षर महिलाओं को साक्षर करने की दृष्टि से सत्र 2004 से आदिनांक तक असाक्षर महिला शिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से जिन क्षेत्रों में

निरक्षर महिलाओं की संख्या अधिक है वहा 35 दिवसीय गैर आवासीय शिविरो का आयोजन किया जाता है तथा संदर्भ व्यक्तियों के माध्यम से निरक्षर महिलाओं को तीनो प्रवेशिकाए पूर्ण करा पठन पाठन केन्दो से जोडा जाता है।

2. **इच वन टीच वन** :– जिले के कुछ विकास खण्डों में भौगौलिक विषमताओं के कारण इच वन टीच वन प्रणाली अपनाई गई। इसके अन्तर्गत उसर परिक्षेत्र के विधालयों के बालक बालिकाओं एवं अध्यापको के माध्यम से निरक्षरों को साक्षर करने का प्रयास किया जा रहा है।

3. **कार्य आधार पर मानदेय का भुगतान** :– पूर्व में संचालित सतत शिक्षा केन्द्र के प्रेरको को प्रतिमाह 10 निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य दिया गया था। उसके परीक्षण के उपरान्त ही उसके मानदेय का भुगतान किया जाता था।

4. **रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य स्थल पर पठन पाठन की व्यवस्था** :– जिले में गत वर्षो से वृहद स्तर पर रोजगार गांरटी कार्यक्रमों का संचालन हो रहा है जहा काफी संख्या में महिला पुरूष श्रमिक के रूप में कार्यरत हे। इनको साक्षर करने की दृष्टि से सतत शिक्षा केन्द्रों के प्रेरको को मेट का दायित्व दिया गया। जो कार्य स्थल पर जाकर प्रतिदिन एक घण्टे पठन पाठन का कार्य करवाते है।

5. **बी.एड. छात्राध्यापको को साक्षर करने का दायित्व**:– पूर्व में बी,एड, कर रहे छात्राध्यापको को 2–2 निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने का दायित्व दिया गया था।

6. **साक्षरता प्रेरकों का मानदेय लक्ष्य आधारित हो** –

कार्यक्रम के तहत जो प्रेरक लगाये जाते हैं उन्हें प्रतिमाह नवसाक्षर बनाने के लक्ष्य निर्धारित करते हुए उन्हें लक्ष्य आधारित मानदेय दिये जाने से कार्यक्रम में ठोस उपलब्धि प्राप्त हो सकेंगे।

जिला साक्षरता समिति, उदयपुर साक्षरता प्रतिशत के अनुसार राजस्थान के जिलों का वरिष्ठता कम

S.No.	District	Male			Female			Persons		
		1991	**2001**	**Increase over 91**	**1991**	**2001**	**Increase over 91**	**1991**	**2001**	**Increase over 91**
1	Kota	70.66	85.23	14.57	37.56	60.43	22.87	55.24	73.53	18.29
2	Jhunjhunu	68.32	86.09	17.77	25.54	59.51	33.97	47.60	73.04	25.44
3	Sikar	64.13	84.34	20.21	19.88	56.11	36.23	42.49	70.47	27.98
4	Jaipur	66.77	82.80	16.03	31.84	55.52	23.68	50.38	69.9	19.52
5	Churu	51.30	79.69	28.39	17.32	53.35	36.03	34.78	66.81	32.03
6	Ganganagar	56.98	75.53	18.55	30.07	52.44	22.37	44.55	64.74	20.19
7	Ajmer	68.75	79.37	10.62	34.50	48.86	14.36	52.34	64.65	12.31
8	Bharatpur	62.11	80.54	18.43	19.60	43.56	23.96	42.96	63.57	20.61
9	Karauli	52.79	79.54	26.75	13.01	44.39	31.38	34.73	63.38	28.65
10	Hanumangarh	53.31	75.18	21.87	22.22	49.56	27.34	38.67	63.05	24.38
11	Dausa	56.75	79.35	22.60	14.15	42.32	28.17	36.87	61.84	24.97
12	Alwar	60.98	78.09	17.11	22.54	43.28	20.74	43.09	61.74	18.65
13	Dhaulpur	50.45	75.09	24.64	15.25	41.84	26.59	35.09	60.13	25.04
14	Baran	53.76	75.78	22.02	17.22	41.55	24.33	36.57	59.5	22.93
15	**Udaipur**	**48.73**	**74.47**	**25.74**	**20.41**	**43.71**	**23.03**	**34.57**	**59.09**	**24.52**
16	Barmer	36.56	72.76	36.20	7.68	43.45	35.77	22.98	58.99	36.01
17	Jhalawar	48.22	73.31	25.09	16.18	40.02	23.84	32.94	57.32	24.38
18	Nagaur	49.35	74.10	24.75	13.29	39.67	26.38	31.80	57.28	25.48
19	Bikaner	54.63	70.05	15.42	27.03	42.03	15.00	41.73	56.91	15.18
20	Jodhpur	56.74	72.96	16.22	22.58	38.64	16.06	40.69	56.67	15.98
21	S.Madhopur	55.15	75.74	20.59	16.07	35.17	19.10	37.04	56.67	19.63
22	Rajsmand	50.66	73.99	23.33	15.54	37.59	22.05	33.09	55.65	22.56
23	Bundi	47.40	71.68	24.28	16.13	37.79	21.66	32.75	55.57	22.82

24	Pali	54.42	72.20	17.78	16.97	36.48	19.51	35.96	54.39	18.43
25	Chittorgarh	50.55	71.30	20.75	17.15	36.39	19.24	34.28	54.09	19.81
26	Sirohi	46.24	69.89	23.65	16.99	37.15	20.16	31.94	53.94	22.00
27	Tonk	50.64	70.52	19.88	15.24	32.15	16.91	33.67	51.97	18.30
28	Jaiselmer	44.99	66.26	21.27	11.28	32.05	20.77	30.05	50.97	20.92
29	Bhilwara	45.95	67.39	21.44	16.50	33.48	16.98	31.65	50.74	19.09
30	Dungarpur	45.71	66.04	20.33	15.40	31.77	16.37	30.55	48.57	18.02
31	Jalor	38.97	64.72	25.75	7.75	27.80	20.05	23.76	46.49	22.73
32	Banswara	38.16	60.45	22.29	13.42	28.43	15.01	26.00	44.63	18.63

प्रारम्भिक शिक्षा

उदयपुर जिले में बालको की प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निम्नानुसार व्यवस्थाएँ संचालित है।

विद्यालयों की सूचना

डाईस 2008–09

Block	PS			UPS			PS+UPS with Sec./ Sr. Sec.			UPS with Sec./ Sr. Sec.			All		
	Gov	Pvt	T	Gov	Pvt	T	Gov	Pvt	T	Gov	Pvt	T	Gov	Pvt	T
Badgaon	115	30	145	54	25	79	2	5	7	21	0	21	192	60	**252**
Girwa	296	74	370	168	109	277	17	89	106	50	7	57	531	279	**810**
Jhadol	329	23	352	97	19	116	5	3	8	20	1	21	451	46	**497**
Mavli	186	37	223	133	33	166	12	5	17	34	3	37	365	78	**443**
Kherwada	451	27	478	139	34	173	17	4	21	28	2	30	635	67	**702**
Sarada	292	19	311	75	18	93	14	1	15	24	0	24	405	38	**443**
Salumber	347	35	382	109	15	124	16	1	17	27	1	28	499	52	**551**
Lasadiya	118	2	120	39	1	40	4	0	4	5	0	5	166	3	**169**
Gogunda	200	19	219	75	13	88	16	2	18	17	0	17	308	34	**342**
Kotra	360	9	369	58	3	61	5	0	5	10	0	10	433	12	**445**
Bhinder	257	34	291	165	26	191	1	5	6	32	3	35	455	68	**523**
Total	**2951**	**309**	**3260**	**1112**	**296**	**1408**	**109**	**115**	**224**	**268**	**17**	**285**	**4440**	**737**	**5177**

Source DISE 2008-09

कक्षावार नांमाकन–

राजकीय विद्यालय

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनु. जाति		जनजाति		OBC		सर्व योग			मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	**B**	**G**	**T**	B	G
I	4356	4352	2329	2296	36378	32049	5271	5515	**48334**	**44212**	**92546**	360	342
II	2883	3008	1525	1537	23311	1990	3424	3825	**31143**	**10360**	**41503**	256	238
III	2620	2824	1379	1322	19020	15572	3288	3476	**26307**	**23194**	**49501**	225	186
IV	2622	2678	1324	1300	16768	12871	3279	3439	**23993**	**20288**	**44281**	220	236
V	2682	2771	1250	1238	16072	11624	3391	3423	**23395**	**19056**	**42451**	193	230
योग **I-V**	**15163**	**15633**	**7807**	**7693**	**111549**	**74106**	**18653**	**19678**	**153172**	**117110**	**270282**	**1254**	**1232**
VI	3330	3010	1638	1488	13175	8122	4468	3862	**22611**	**16482**	**39093**	251	277
VII	3251	2817	1292	1348	9550	6694	4052	3352	**18145**	**14211**	**32356**	191	220
VIII	3213	2668	1218	1276	8377	6060	3534	2968	**16342**	**12972**	**29314**	179	188
योग VI-VII	**9794**	**8495**	**4148**	**4112**	**31102**	**20876**	**12054**	**10182**	**57098**	**43665**	**100763**	**621**	**685**
महायोग I-VIII	**24957**	**24128**	**11955**	**11805**	**142651**	**94982**	**30707**	**29860**	**210270**	**160775**	**371045**	**1875**	**1917**

Source DISE 2008-09

समस्त विद्यालय (राजकीय एवं विभिन्न प्रकार के निजी विद्यालयों सहित)

कक्षा	सामान्य वर्ग		अनु. जाति		जनजाति		**OBC**		सर्व योग			मुस्लिम	
	B	G	B	G	B	G	B	G	**B**	**G**	**T**	B	G
I	8743	7581	3439	3138	38597	33487	8397	7665	59176	51871	111047	672	648
II	6746	5718	2407	2128	25108	21088	6037	5481	40298	34415	74713	543	476
III	6485	5710	2330	1994	20721	16595	5940	5125	35476	29424	64900	488	440
IV	6401	5168	2217	1856	18151	13713	5652	5083	32421	25820	58241	485	449
V	6218	5108	1974	1705	17315	12318	5635	4811	31142	23942	55084	408	425
योग **I-V**	34593	29285	12367	10821	119892	97201	31661	28165	198513	165472	363985	2596	2438
VI	6488	5015	2211	1886	14065	8672	6281	4920	29045	20493	49538	453	465
VII	6107	4774	1852	1716	10452	7204	5757	4322	24168	18016	42184	335	363
VIII	5974	4566	1710	1623	9171	6479	5139	3823	21994	16491	38485	326	317
योग VI-VII	18569	14355	5773	5225	33688	22355	17177	13065	75207	55000	130207	1114	1145
महायोग I-VIII	53162	43640	18140	16046	153580	119556	48838	41230	273720	220472	494192	3710	3583

Source DISE 2008-09

1. राजकीय विद्यालय एवं निजी विद्यालय में नामांकन अनुपात 4:1 है जबकि राजकीय विद्यालयों की संख्या निजी विद्यालयों से 6 गुना है।

2. निजी विद्यालयों में सामान्य वर्ग के बालकों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है।

Block/ Municipal Area	Students Enrolment in Govt. Primary Schools	Entitlement of Teachers At 1:40 ratio	Entitlement of Teachers minimum As per 2 teachers in each school	Sanctioned Posts			Working			PTR w.r.t. Sanctioned Posts	PTR w.r.t. Working Posts	Single Teacher SchoolsAfter Rationalization
				By State	Under SSA	Total	By State	Under SSA	Total			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jhadol	32458	811	664	227	290	517	121	290	411	62.78143133	78.97323601	103
Gogunda	13757	344	430	195	268	463	140	268	408	29.71274298	33.71813725	46
Kotda	22196	555	726	648	216	864	166	216	382	25.68981481	58.10471204	180
Badganwa	8610	215	236	344	161	505	344	161	505	17.04950495	17.04950495	15
Girva	28991	725	636	977	218	1195	929	218	1147	24.26025105	25.27550131	53
Kherwada	31002	775	936	342	718	1060	63	718	781	29.24716981	39.69526248	180
Sarada	23912	598	612	472	64	536	445	64	509	44.6119403	46.978389	61
Salumbar	21631	541	728	451	222	673	232	222	454	32.14115899	47.64537445	106
Mavali	11534	288	376	384	268	652	297	268	565	17.69018405	20.41415929	15
Bhindar	13133	328	514	380	360	740	133	360	493	17.7472973	26.63894523	60
Lasadiya	6039	151	244	211	74	285	80	74	154	21.18947368	39.21428571	87
Total	**213263**	**5331**	**6102**	**4631**	**2859**	**7490**	**2950**	**2859**	**5809**			**906**

Soure DISE 2008-09

छात्र शिक्षक अनुपात

सारणी के आधार पर टिप्पणी :–

1. 906 विद्यालय एकल अध्यापक ही है। जो शिक्षको के असमान वितरण को दर्शाता है।
2. छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों मे औसतन 30 है परन्तु 906 एकल अध्यापकीय व दुरस्थ जन जातिय ब्लॉक मे संचालित विद्यालयो मे औचित्यपूर्ण नहीं है।

Block/ Municipal Zone	Students Enrolment in Govt. Upper Primary Schools	Entitlement of TeachersAt 1:40 Ratio	Entitlement of TeachersAt 1 teacher for every section	Sanctioned Posts			Working			PTR w.r.t. Working Posts	UP SchoolsAfter Rationalization	
				State	Under SSA	Total	State	Under SSA	Total		Single taecher School	Schools with 2 Teacher
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
Jhadol	16107	403	117	236	177	413	219	177	396	40.6742424	3	7
Gogunda	12382	310	92	328	135	463	315	135	450	27.5155556	2	6
Kotda	9125	228	67	236	60	296	189	60	249	36.6465863	4	10
Badganwa	10420	261	75	369	193	562	369	193	562	18.5409253	0	2
Girva	31117	778	215	693	165	858	693	165	858	36.2668998	2	7
Kherwada	27800	695	67	402	252	654	378	252	630	44.1269841	1	2
Sarada	17467	437	99	116	270	386	106	270	376	46.4547872	2	2
Salumbar	15638	391	134	460	207	667	440	207	647	24.1700155	4	9
Mavali	19637	491	168	447	285	732	438	285	723	27.1604426	3	4
Bhindar	21962	549	197	575	305	880	558	305	863	25.4484357	12	26
Lasadiya	4990	125	44	144	68	212	131	68	199	25.0753769	6	7
Total	186645	4668	1275	4006	2117	6123	3836	2117	5953	32.0072956	39	82

Source DISE 2008-09

छात्र शिक्षक अनुपात

सारणी के आधार पर टिप्पणी :–

1. 39 उच्च प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय व 82 विद्यालय द्विअध्यापकीय है। जो शिक्षको का असमान वितरण प्रमाणित करता है।
2. छात्र शिक्षक ओसतन 32 है परन्तु शहरीय क्षेत्र व सडक मार्ग पर स्थित विद्यालयो मे अध्यापको का आधिक्य है एवं दुरस्थ विद्यालयो मे भारी कमी

S.No.	Name of block	Enrollment in Primary Classes				Enrollment in Upper Primary Classes			
		B	G	T	Gender Gap	B	G	T	Gender Gap
1	Badganwa	4515	4333	**8848**	2.057	5956	4852	**10808**	10.215
2	Bhindar	8561	6666	**15227**	12.445	11895	11322	**23217**	2.468
3	Girva	15267	13120	**28387**	7.563	21624	18495	**40119**	7.799
4	Gogunda	7114	5695	**12809**	11.078	6611	5499	**12110**	9.182
5	Jhadol	12009	10556	**22565**	6.439	9114	7718	**16832**	8.294
6	Kherwada	15425	13914	**29339**	5.150	16552	14584	**31136**	6.321
7	Kotda	12650	9070	**21720**	16.483	5832	3577	**9409**	23.966
8	Lasadiya	3151	2365	**5516**	14.249	2860	1800	**4660**	22.747
9	Mavali	6804	5671	**12475**	9.082	11173	9634	**20807**	7.397
10	Salumbar	12337	9586	**21923**	12.548	9057	6765	**15822**	14.486
11	Sarada	12227	10985	**23212**	5.351	8984	7651	**16635**	8.013
	Total	**110060**	**91961**	**202021**	**9.313**	**109658**	**91897**	**201555**	**15.52**

Source DISE 2008-09

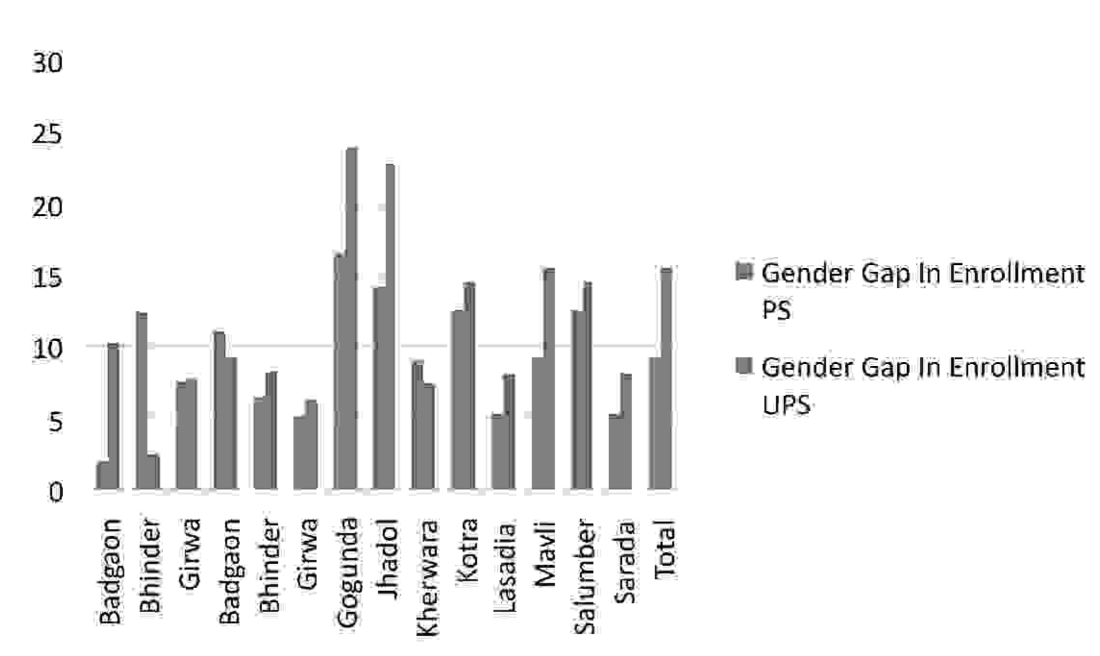

Source DISE 2008-09

1. कोटडा, लसाडिया, सलूम्बर, भीण्डर, गोगुन्दा का प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में जेण्डर गेप ज्यादा है अतः इन ब्लॉकों में बालिका शिक्षा में विशेष प्रयास किये जाने है।

2. उच्च प्राथमिक विद्यालय नामांकन में जेण्डर गेप प्राथमिक जेण्डर गेप से 150 प्रतिशत ज्यादा है। कोटडा, सलुम्बर व लसाडिया में जेण्डर गेप उच्च प्राथमिक विद्यालयी कक्षाओं में अधिक है। जिससे 11–14 वय की बालिकाओं का विद्यालय में अध्ययन बालको की तुलना में कम दर्शाता है।

ठहराव दर एवं रिपिटेशन रेट

Retention rateAnd Repeatation rate

S.No.	Name of Block/ Municipal Area	Children of 6-11Age group				Children of 11-14Age group			
		GER	NER	Cohort Dropout	Repetition Rate	GER	NER	Cohort Dropout	Repetition Rate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jhadol	103.72	98.04	2.05	8.28	106.07	99.98	4.08	9.99
2	Gogunda	110.17	98.26	1.38	6.6	102.35	97.25	2.67	11.2
3	Kotda	101.93	99.99	0.67	8.37	106.45	98.58	5.5	12.6
4	Badgaon	105.26	98.74	1.07	10.6	104.28	98.56	1.29	11.6
5	Girva	102.47	98.55	1.23	6.46	104.01	98.98	0.99	6.76
6	Kherwada	101.58	99.79	0.85	5.6	101.34	99.47	1.57	9.84
7	Sarada	106.92	99.86	0.75	8.5	101.32	88.65	1.17	11
8	Salumbar	102.61	99.23	0.686	6.36	101.38	99.15	0.57	7.41
9	Mavali	102.99	99.03	0.652	5.64	101.51	98.62	1.17	10.5
10	Bhindar	103.32	99.16	0.7	5.89	107.12	98.85	1.08	4.11
11	Lasadiya	106.16	93.21	3.81	10.2	103.98	95.21	4.27	6.1
	Total	104.28	98.53	0.115	0.75	103.62	97.57	0.201	9.19

Source DISE 2008-09

1. प्रारम्भिक शिक्षा के तहत 6–11 आयुवर्ग के 7.5 प्रतिशत बालक–बालिकाएँ पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेते है। तथा 11–14 आयुवर्ग के 9.19 प्रतिशत पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेते है। जो की गत वर्ष से औसतन 5 प्रतिशत कम है।

एन.ई.आर (**Net Enrollment Ratio**)

NER (6-11Age group)

Name of Block/ MunicipalArea	Children of 6-11Age group			Children of 11-14Age group		
	NER	Cohort Dropout	Repetition Rate	NER	Cohort Dropout	Repetition Rate
Jhadol	98.04	2.05	8.28	99.98	4.08	9.99
Gogunda	98.25	1.38	6.6	97.25	2.67	11.24
Kotda	99.99	0.67	8.37	98.58	5.5	12.56
Badganwa	98.73	1.07	10.62	98.56	1.29	11.6
Girva	98.55	1.23	6.46	98.98	0.987	6.76
Kherwada	99.78	0.85	5.6	99.47	1.57	9.84
Sarada	99.85	0.7496	8.5	88.65	1.17	11.03
Salumbar	99.23	0.6855	6.36	99.15	0.57	7.41
Mavali	99.03	0.6518	5.64	98.62	1.17	10.49
Bhindar	99.16	0.7	5.89	98.85	1.08	4.11
Lasadiya	93.20594	3.81	10.18	95.21	4.27	6.1
Total	**98.53213**	**0.114437**	**0.681818**	**97.57**	**0.201298**	**0.835785**

Source DISE 2008-09

1. कोटडा ब्लॉक में जीईआर 98.82 वहां के नामांकन को कम दर्शाता है।
2. खैरवाडा ब्लॉक में जीईआर 115.12 है, जो कि वहां 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के नामांकन को दर्शाता है।
3. कोटडा ब्लॉक में एनईआर 89.62 वहां के 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन को कम दर्शाता है।

Service Status

Indicators	2006-07	2007-08	2008-09	Trend
GER	102.17	96.06	127.10	↑
NER	97.62	87.14	98.83	↑
Gender Gap	11.56	10.92	9.29	↓
Drop out Rate	37.12	42.23	41.13	→
Out of School	5733	3348	2054	↓
Transition Rate	84.55	94.73	97.03	↑

GER: Gross Enrollment Ratio *NER: Net Enrollment Ratio* **Source: DISE**

Pratapgarh was part of Chittorgarh district in 2006-07 and 07-08

कम्पलीशन रेट एवं ट्रांजिशन रेट

S.No.	Name of Block/ MunicipalArea	Completion Rate	No. of primary graduates	Transition Rate from primary to upper primary
1	Jhadol	77.32	3073	76.37
2	Gogunda	41	3154	77
3	Kotda	42	3753	58.03
4	Badganwa	37.1	2663	97.86
5	Girva	63.04	6175	93.04
6	Kherwada	61.47	6955	52.85
7	Sarada	63	5458	91
8	Salumbar	55.8	4311	83
9	Mavli	89.61	4305	88.78
10	Bhinder	95.94	4776	97.16
11	Lasadiya	62.95	963	75.58
	Total	**62.66**	**45586**	**80.97**

Source Block Plan

1. प्राथमिक कक्षाओं में कम्पलीशन रेट का अवलोकन करने पर पाया की भीण्डर, मावली ब्लॉक में ड्रॉप आउट अन्य ब्लॉकों से कम है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बडगॉव गोगुन्दा, कोटडा में दर्शीत है। वहां ड्रॉप आउट को कम करने के लिए विशेष प्रयास सुनिश्चित किये जाने है।

TREND IN ENROLMENT

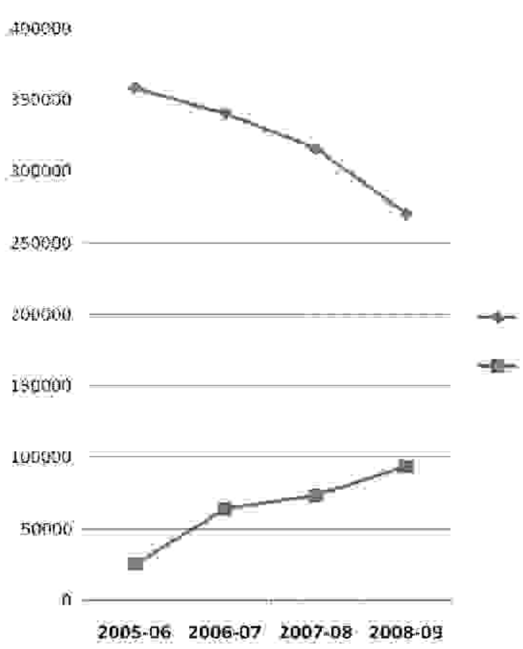

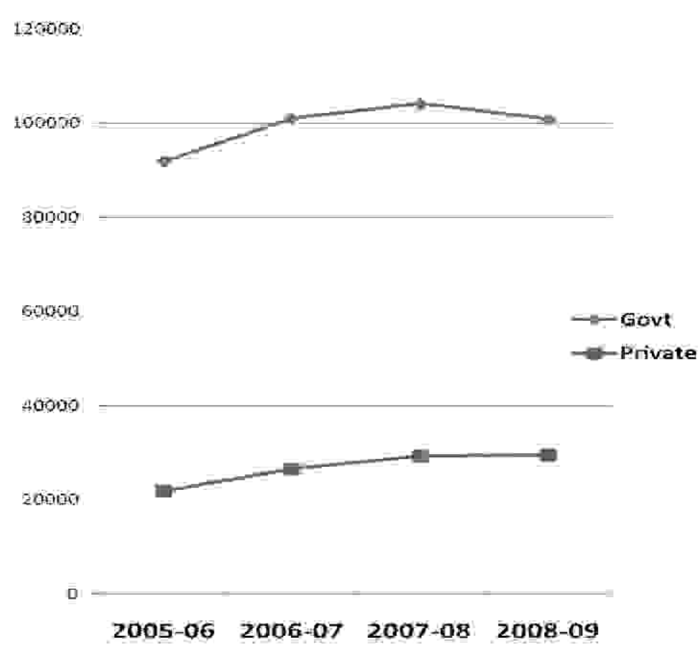

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में डाइट

राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों को उत्तम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, संसाधनो का सदुपयोग करने तथा नवाचारों मे प्रवृत्त होने के निमित्त प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभिकरण की दिशा में सार्थक प्रयास है।

कार्य

1. सेवारत शिक्षकों के विभिन्न विषयो का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण
2. नवाचारो से अवगत कराना
3. क्रियात्मक अनुसंधान
4. दूरस्थ शिक्षा हेतु सामग्री उपलब्ध कराना।
5. शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण
6. पाठ्यक्रम विभाजन, पाठ्यपुस्तक समीक्षा, प्रश्न पत्र निर्माण
7. मिडिल बोर्ड पैटर्न परीक्षा सम्पादित करना
8. प्रकाशन कार्य
9. संदर्भ्य व्यक्ति तैयार करना
10. विद्यालय प्रसारण हेतु रेडियो पाठ तैयार करना
11. प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण करना

सेवापूर्व प्रशिक्षण (एसटीसी) कार्यक्रम (2 वर्षीय पाठ्यक्रम)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण सम्बंधी विगत पॉच वर्षो की उपलब्धियॉ एक दृष्टि मे :–

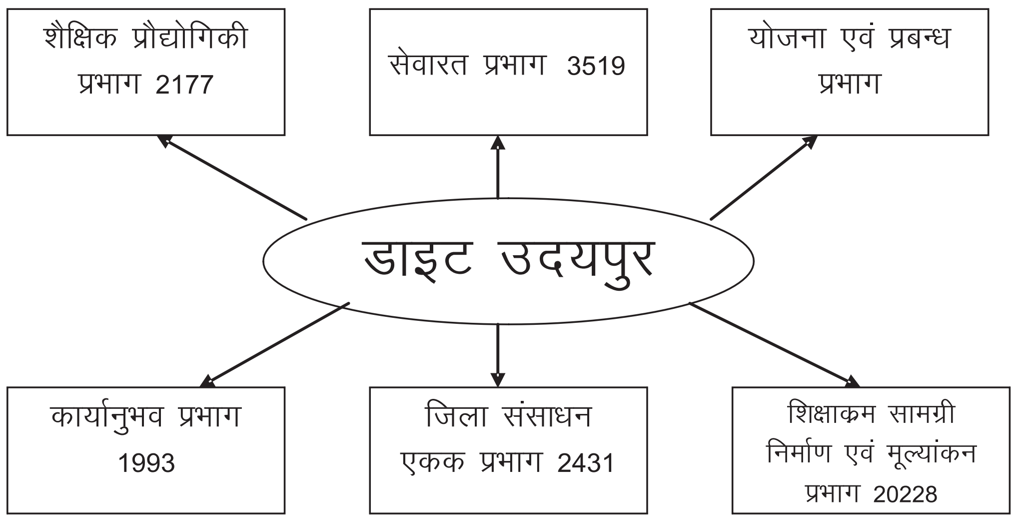

डाइट एवं सर्वशिक्षा अभियान द्वारा शिक्षको के प्रशिक्षण अलग–2 योजनाबद्वआयोजित करने मे समन्वय का अभाव है। प्रशिक्षण का प्लानिंग पारस्परिक समन्वय से किया जाकर अध्यापको को दोहरे प्रशिक्षण से मुक्ति व फालोअप पर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

डाइट उदयपुर द्वारा आयोजित मिडिल बोर्ड पेटर्न परीक्षा में विगत पॉच वर्षो में प्रविष्ठ स्वंयपाठी छात्र–छात्राओं की पंचायत समितिवार छात्र–छात्राओं की तुलनात्मक स्थिति

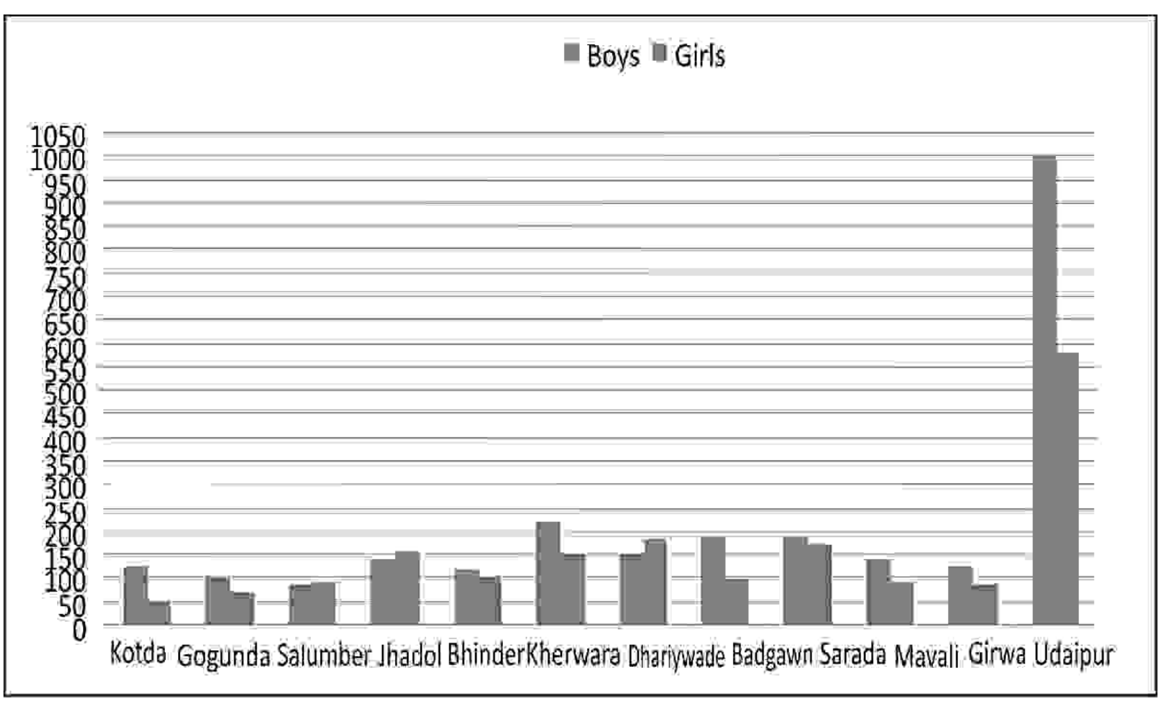

राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर

उदयपुर जिले में पंजीकृत मदरसों की स्थिति

कुल मदरसों की संख्या	कार्यरत शिक्षा सहयोगी	नांमाकित छात्र संख्या
21	21	1724

स्रोतः—राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र—छात्राओं में शिक्षा के प्रति संचेतना जागृत करने के उद्वेश्य से मदरसो का संचालन किया जा रहा है। जो राजस्थान मदरसा बोर्ड राजस्थान जयपुर के अर्न्तगत पंजीकृत है।

सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान :– सर्व शिक्षा अभियान '' सबके लिए शिक्षा'' हेतु एक जन अभियान है। विद्यालय गतिविधियों में समुदाय की सक्रिय सहभागिता से 2010 तक सभी समुदायों एवं वर्गो को संतोषप्रद गुणवत्तापूर्ण उपयोगी एवं प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।इस अभियान की उपलब्धी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उदयपुर जिला मुख्यालय पर 2004 से यह अभियान चल रहा हैं।

शिक्षण गुणवत्ता आधारित गतिविधियॉ

पृष्ठ भूमि :– सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 6 – 14 वर्ष की आयु के बालको हेतु सत्र 2010 तक गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। विगत वर्षो में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के विशेष प्रयासों के तहत् नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन तथा ड्राप आउट/अनामांकित बालकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा के तहत् अनुकरणीय प्रयास किये गये है। सार्वजनीकरण के साथ–साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत् विविध गतिविधियां व विद्यालयों में ग्रान्ट उपलब्ध कराकर शैक्षिक, सहशैक्षिक व भौतिक सम्बलन दिया गया है। विद्यालयों में शिक्षण सामग्री ग्रान्ट विद्यालय सुविधा अनुदान, शाला मरम्मत अनुदान, टी.एल.ई. देकर जहाँ शैक्षिक उन्नयन का प्रयास रहा है। उसी के साथ गुणवत्ता प्रबोधन आयाम, क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम से मूल्यांकन कर उपचारात्मक शिक्षण व सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है।

उद्देश्य :–

1 प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार।

2 शिक्षको की कार्य कुशलता में वृद्वि।

3 विद्यालयों में भौतिक संसाधनो में वृद्वि।

4 कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने हेतु शिक्षण सामग्री का उपयोग।

5 परीक्षा परिणाम के आधार पर काठिन्य बिन्दुओं का निदान व उपचारात्मक कार्य।

6 प्रबोधन से प्राप्त सुविधाओं का समेकन, विश्लेषण तथा पुष्ठ पोषण।

7 फीड बेक के आधार पर व्यूह रचना का निर्माण एवं योजना क्रियान्वयन।

8 शिक्षकों की मासिक बैठकों में प्रशिक्षण में प्राप्त विधाओं व टी.एल.एम. उपयोग व सम्बलन।

प्रयास एवं उपलब्धि :—

गुणवत्ता सुधार हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत् शिक्षकों की कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु वर्ष वार प्रशिक्षण आयोजित किये गये है तथा शिक्षकों की मासिक बैठकों में समीक्षा तथा सीखने — सीखाने के तौर तरिको पर वार्ताए की जाती है। इसके अलावा टी.एल.एम.,एस.एफ.जी., स्कूल मेन्टेनेन्स ग्रान्ट, नवीन क्रमोन्नत व गैर ओबीवी विद्यालयों, टी.एल.ई. दी गई है। जिसका उल्लेख औपचारिक शिक्षा सम्बधित परिशिष्ठ मे किया गया है।

वर्ष 2006—2007 में गुणवत्ता उन्नयन की दिशा में विशेष प्रयासों के तहत् गुणवत्ता प्रबोधन आयाम तथा क्वालिटी एश्योरेन्य कार्यक्रम की अनुठी शुरूआत की गई, जो कि सकारात्मक होने से वर्तमान में भी जारी है। इन कार्यक्रमों की प्रगति व जानकारी निम्नानुसार है।

क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉरमेट :— इसके तहत् प्रबोधन कार्यक्रम वर्ष में दो बार होगा प्रथम अर्द्ववार्षिकी जुलाई से दिसम्बर तक तथा द्वितीय अर्द्ववार्षिकी जनवरी से जून तक होगी। प्रबोधन का स्तर विद्यालय, संकुल, ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर होगा। इसमें शिक्षक, प्रधानाध्यापक, समुदाय, एसडीएमसी, सीआरसीएफ, बीआरसीएफ, डीपीसी, डाईट व एसआईईआरटी की मुख्य भूमिका रही है। प्रबोधन एवं फीड बेड कार्यक्रम निम्नांकित प्रकार से होगा।

विद्यालय — संकुल — खण्ड — डीपीसी — परिषद्
डाईट — एसआईईआरटी

<u>क्वाल्टिी फॉरमेट के तहत् उपलब्धि :—</u>

जिला	सत्र	प्रथम अर्द्ववार्षिकी			द्वितीय अर्द्ववार्षिकी			शिक्षार्थी उपलब्धि									
								प्रथम अर्द्ववार्षिकी					द्वितीय अर्द्ववार्षिकी				
		f'k{kkFkhZ mifLFkfr	शिक्षक उपस्थिति	छात्र शिक्षक अनुपात	शिक्षार्थी उपस्थिति	शिक्षक उपस्थिति	छात्र शिक्षक अनुपात	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
उदयपुर	2007-08	78.09	95.48	30.53	73	94.81	35.3	13.1	32.3	35.5	17	2.2	13	36.8	31.8	14	4.6
	2008-09	88.66	95.97	28.86	76	95.98	34.8	10.1	35.7	33.4	16.1	4.7	17	40.2	27	12.8	3

विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकला की प्रबोधन द्वारा शिक्षार्थी उपस्थिति, अध्यापक उपस्थिति, पी.टी.आर. में प्रगति सन्तोषप्रद है। उपलब्धि स्तर वृद्वी हेतु प्रयास वांछनिय है।

क्वालिटी एश्योरेन्स कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के तहत् वर्ष 2006–07 में कक्षा 4 व 7, वर्ष 2007–08 कक्षा 4, 5 व 7 तथा वर्ष 2008–09 में कक्षा 4,6 व 7 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालको के लिये स्थानीय परीक्षा के अलावा निष्पत्ति परीक्षण वस्तुनिष्ठ व कौशल आधारित प्रश्न पत्रों का उपयोग कराया गया है। इसमें प्रत्येक छात्र – छात्रा का कक्षा वार तथा विषय वार मूल्यांकन किया जाकर विद्यालयों की उपलब्धि व छात्रों की उपस्थिति के आधार पर ग्रेड का निर्धारण कर विद्यालयों में अंकन कराया गया है। पूर्व वर्षो का परिणाम निम्नानुसार रहा है :–

Class	YEAR	Hindi	Maths	English	En. Study	Grade	
	2006-07	50.22	49.2	50.13	52.68	C	
IV	2007-08	50.87	48.72	51.45	52.22	C	
V	2007-08	55.78	48.19	52.49	54.6	C	
Class	YEAR	Hindi	Maths	English	Science	En. Study	Grade
	2006-07	45.02	38.83	34.35	38.81	45.42	D
VII	2007-08	54.42	43.33	45.41	48.32	49.98	D

Grade Wise Schools in 2007-08

Grade	Achievement in Percentage	No. of Schools	Percentage
A	80% & More	218	5.05
B	65 to 79%	525	12.17
C	50 to 64%	1686	39.09
D	36 to 49&	1160	26.89
E	36 & lower	724	16.79

विश्लेषण :–

परीक्षा परिणाम अवलोकन से निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में अ व ब ग्रेड के विद्यालयों की संख्या मात्र 17 प्रतिशत है। जिससे इस कार्यक्रम को भविष्य के लिये जारी रखा जाना है तथा यथा संभव स्थानीय परीक्षाओं के साथ संचालित हो जिससे स्थानीय परीक्षाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा तथा मूल्यांकन प्रक्रिया में व प्रश्न पत्र छपाई का दोहरा खर्च नही होगा।

प्रस्तावित कार्यक्रम :–

1 अर्द्धवार्षिक परीक्षा के साथ निष्पत्ति परीक्षण आयोजित करना।

2 पूर्व वर्षो में विषयवार कठिन बिन्दुओं से सम्बधित सामग्री के कीट उपलब्ध कराना।

3 ब्लॉकवार डी व ई ग्रेड के उपलब्धि वाले विद्यालयों हेतु कीट उपलब्ध कराना।

4 क्वालिटी मॉनिटरिंग फॉरमेट को पूर्ववत प्रथम अर्द्धवार्षिकी एवं द्वितीय अर्द्धवार्षिकी में जारी रखना।

ASER survey अनुसार उदयपुर जिले की संस्थिति :–

Rank in Indicators	2006	2007	2008
6 से 14 आयु वर्ग के बालकों का प्रतिशत जो विद्यालय से बाहर है **(out-of-school)**	23	27	23
कक्षा 1–2 में अध्ययनरत बालक –बालिकाओं का प्रतिशत जो पढ सकते है।	31	20	23
कक्षा 1–2 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का प्रतिशत जो गणित के अंकों का ज्ञान रखते है।	30	16	30

❖ विद्यालय से बाहर (Out of School) बालकों के प्रतिशत में 2006 की तुलना में आज की स्थिति में कोई परिवर्तन नही है।

❖ कक्षा 1–2 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की संस्थिति हिन्दी एवं गणित में गत वर्ष से बेहतर हुई है।

औपचारिक शिक्षा

नवीन / क्रमोन्नत विद्यालय

1. नवीन प्राथमिक विद्यालयों के प्रस्ताव– उन वासस्थानों के नाम प्रस्तावित किऐ गये है। जिनकी आबादी राज्य सरकार के नॉर्म्स के अनुसार 250 (पहाड़ी, रेगिस्तानी एवं कठिन क्षेत्रों में आबादी 150) है तथा जिनके 1 कि. मी परिधी में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा नहीं है। वर्ष 2009–10 के लिए ब्लॉकवार प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार विद्यालय खोले जाने है जिससे दुरस्थ क्षेत्रों के बालक – बालिकाऍ विद्यालय धारा से जुडेगे एवं नामांकन एवं ठहराव का लक्ष्य पुरा होगा।

भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	
अरबन	रूरल	अरबन	रूरल
-	314		

- उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन के प्रस्तावः– उन प्राथमिक विद्यालयों की सूची प्रेषित की गई हैं जिनके 3 कि.मी. की परिधि में उच्च प्राथमिक कक्षाओं की सुविधा नहीं है। प्रस्ताव भेजते समय यह भी ध्यान रखा गया कि जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2:1 होना चाहिए। ब्लॉक प्लान से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार यदि विद्यालय क्रमोन्नयन होते है तो कक्षा 6 से 8 में बालक – बालिकाओं का नामांकन जी.ई.आर. , एन.ई.आर व जेण्डर गेप में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त होगा।

भौतिक लक्ष्य		वित्तीय लक्ष्य	
अरबन	रूरल	अरबन	रूरल
-	267		

- नवीन प्राथमिक विद्यालयों में 2 अध्यापक के पद देय है।
- क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक का पद एवं 2 अध्यापकों के पद देय।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अब तक सृजित पदों का विवरण दिया गया है।

Number of Schools under SSA

Year	No. of schools			No. of Post under SSA				
				New PS	EGS to PS		PS to UPS	
	New Schools	EGS to PS	PS to UPS	Teacher	Para Teacher	Teacher	Teacher	H.M
2001-02	0	0	0	0	498	0	0	0
2002-03	0	0	20	12	25	0	40	20
2003-04	15	53	38	73	41	80	98	36
2004-05	108	74	100	211	103	93	169	73
2005-06	25	54	78	128	60	63	120	60
2006-07	5	55	155	472	658	915	390	154
2007-08	2	0	97	181	258	100	170	107
2008-09	33	0	261	66	0	0	683	261
Total	188	236	749	1143	1643	1251	1670	711

शिक्षक वेतन प्रगति विवरण एक दृष्टि मे

Teachers Salary for Primary & Upper Primary School Teachers				
	Targets		Achievements	
Year	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
2005-06	2244	1866.488	2244	1866.49
2006-07	5824	2686.41	5824	2686.41
2007-08	7630	3659.97	4361	3655.28
2008-09	7630	6434.64	5288	4293

ग्रांट

गत वर्षो में देय ग्रांटस प्रगति एक दृष्टि में :–

Maintenance & Repair Grant				
Year	Targets		Achievements	
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
2004-05	2459	122.95	2272	111.15
2005-06	2772	138.6	2679	133.95
2006-07	2720	126.41	2720	126.41
2007-08	4203	210.13	3722	157.934
2008-09	4083	306.225	3923	221.25

School Facility Grant				
Year	Targets		Achievements	
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
2004-05	2747	54.94	2288	45.76
2005-06	28.65	57.3	2865	57.3
2006-07	4262	74.64	2736	45.11
2007-08	4743	94.34	4717	91.588
2008-09	4417	245.71	3930	218.15

Teaching Learning Material (TLM) Grant				
Year	Targets		Achievements	
	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
2004-05	10564	52.82	7627	38.135
2005-06	10156	50.78	10156	50.78
2006-07	11110	33.33	11110	33.33
2007-08	12338	61.69	12338	61.69
2008-09	12954	64.77	10724	53.62

ग्रांट लक्ष्य

शिक्षण अधिगम सामग्री (**TLM**)

1. जिले में राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले अध्यापकों को 500/– प्रति वर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री के देय है।
2. जिले के उन अध्यापकों की संख्या को समेकित किया गया है। जो राजकीय विद्यालयों की प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते है। इसमें पंजिकृत मदरसा पैरा टीचर व सै. व सी. सै. विद्यालयों में 6 से 8 पढाने वाले अध्यापकों को सम्मलित किया गया है।

विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं की संस्थिति

% of Schools by facility (Sourse DISE 2008-09)

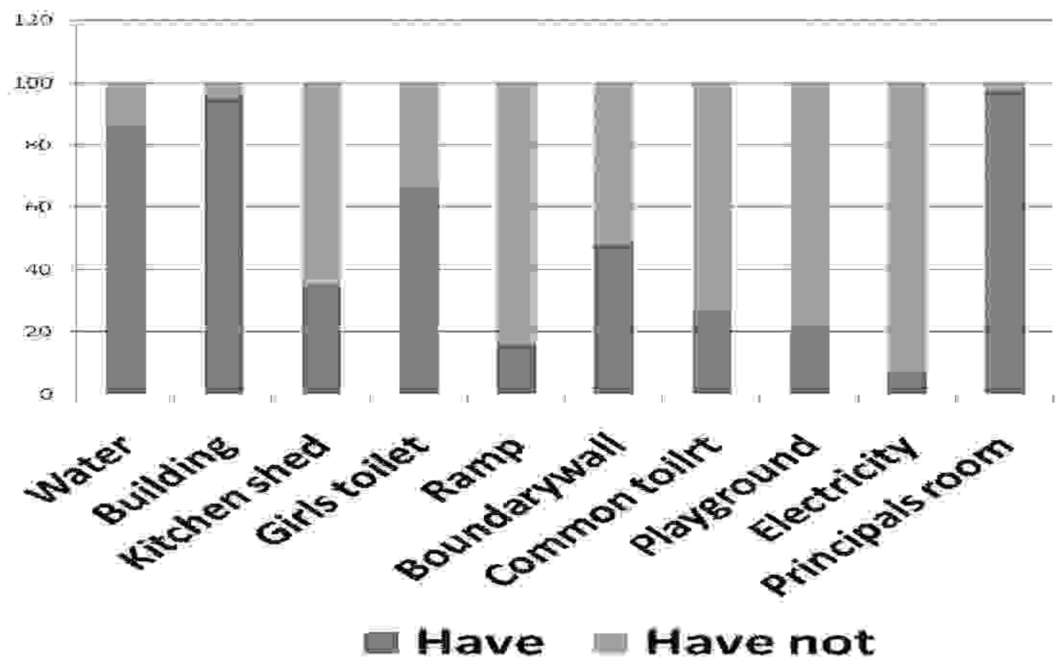

Source DISE 2008-09

- ❖ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक कक्ष, विद्यालय भवन तथा पानी की उपलब्धता नजर आ रही है।
- ❖ विद्यालयों में किचन शेड, रैम्प, खेल का मैदान, विद्युत आदि की आवश्यकता है।

शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित सारणी के अनुसार शिक्षण शिक्षण अधिगम सामग्री का लक्ष्य निम्नानुसार है।

No.of Teachers

क्र.सं.	विद्यालयों का प्रकार	भौतिक			वित्तीय		
		रूरल	अरबन	योग	रूरल	अरबन	योग
1	प्रावि	6108	265	6373	30.54	1.325	31.865
2	उप्रावि	7413	1032	8445	37.065	5.16	42.225
	योग	13521	1297	14818	67.605	6.485	74.09

विद्यालय सुविधा अनुदान (एस.एफ.जी)

1. प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय को प्रति वर्ष 5000/– तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों का (कक्षा 1 से 8) 12000/– व 6 से 8 तक संचालित विद्यालयों मे 7000/– सुविधा अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

School Category	Government schools									
	Education	Local body	Sanskrit department	Shiksha karmi school	Tirbal welfare	Central govt.	AS/EGS	As madarasa	KGBV	Total
Primary only	75	2507	2	346	3			16		**2949**
Primary with upper primary classes	1051		35	9						**1095**
Primary with upper primary classes &sec/high sec.	109					4		2		**115**
Upper primary classes only	7								6	**13**
Upper primary classes with Sec./high. sec.	260		5		3	1				**269**
Total	**1502**	**2507**	**42**	**355**	**6**	**5**	**0**	**18**	**6**	**4441**

Source DISE 2008-09

गत वर्षो में देय टी.एल.ई प्रगति विवरण

TLE for Primary School				
Year	**Targets**		**Achievements**	
	Phy.	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**
2005-06	97	9.7	97	9.7
2006-07	1381	103.57	1315	98.62
2007-08		-	-	-
2008-09	0	4.43	33	3.3

TLE for Upper School				
Year	**Targets**		**Achievements**	
	Phy.	**Fin.**	**Phy.**	**Fin.**
2005-06	80	40	64	32
2006-07	275	82.5	208	62.4
2007-08	622	319.83	261	130.5
2007-08 (OBB)	327	100.2	334	100.2
2008-09 (Spil Over)	295	211.625	18	9

विद्यालय रखरखाव एवं मरम्मत अनुदान (**Maintenance & Repair Grant**)

1. जिले के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को औसतन 7500/– प्रति विद्यालय की दर से विद्यालय रखरखाव एवं मरम्मत हेतु प्रावधान निम्न शर्तों के अध्यधीन देय है :–

''जिन विद्यालयों में तीन या तीन से कम कक्षा कक्ष है, उन्हे 5000/– तथा तीन से अधिक कक्षा कक्ष वाले विद्यालयों को 10000/– की राशि प्रदान की जाती है, लेकिन कुल औसत 7500/– रूपये प्रति विद्यालय से अधिक नहीं होनी चाहिए।''

2. वे विद्यालय जो भवन रहित है, उन्हें यह राशि प्रदान नहीं की जाती है।

Number of schools with Number of classrooms

No. of Class rooms	1	2	3	Total	6-Apr	7	Total	Total
No. of P.S.	259	1647	631	**2537**	370	21	**391**	2928
No. of U.P.S.	9	113	173	**295**	559	235	**794**	1089
	268	**1760**	**804**	**2832**	**929**	**256**	**1185**	**4017**

Source DISE 2008-09

इस प्रकार शाला मरम्मत अनुदान का लक्ष्य निम्नानुसार है।

क्र. सं.	विद्यालयों का प्रकार	भौतिक						वित्तीय					
		कक्षा कक्ष 3 से कम			कक्षा कक्ष 3 से अधिक			कक्षा कक्ष 3 से कम			कक्षा कक्ष 3 से अधिक		
		ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1	प्रावि	2461	76	2537	379	12	**391**	123.1	3.8	**126.9**	37.9	1.2	**39.1**
2	उप्रावि	269	26	295	722	72	**794**	13.45	1.3	**14.75**	72.2	7.2	**79.4**
	योग	**2730**	**102**	**2832**	**1101**	**84**	**1185**	**136.5**	**5.1**	**141.6**	**110**	**8.4**	**119.5**

<u>विश्लेषण</u> :–

1. प्रतिवर्ष शिक्षको को विषयवस्तु आधारित प्रशिक्षण दिया जाता रहा है इसमे ग्राण्ट के प्रभावी उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाना वांछनीय है तथा वर्ष पर्यन्त आयोजित मासिक बैठको मे समीक्षा की जानी चाहिये।
2. जो विद्यालय ग्राण्ट का उपयोग सही रूप से नही कर रहे है उन्हे अगले वर्ष मे ग्रान्ट से वंचित रखा जाये।

समावेशित शिक्षा :– विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु होम बेस्ड एजुकेशन 125 अंग उपकरण वितरण किये गये तथा ब्रिज कोर्स संचालित कर विशेष आवश्यकता वाले 300 बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया गया साथ ही समावेशित शिक्षान्तर्गत स्पेशल 25 टॉयलट, 418 रैम्प आदि का निर्माण करा विद्यालयों को लाभान्वित किया गया।

वैकल्पिक शिक्षा :– अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोडने हेतु सत्र 2008–09 एवं 2009–10 में जिले के समस्त विकास खण्डों में वैकल्पिक शिक्षा अन्तर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का संचालन कर बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया गया।

क.स.	नाम गतिविधि	उपलब्धि सत्र 2008–09		लक्ष्य सत्र 2009–10	
		केन्द्रों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	केन्द्रों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
1	आवासीय ब्रिज कोर्स	48	2160	16	787
2	गैर आवासीय ब्रिज	98	4139	45	2053
3	शिक्षा मित्र केन्द्र	37	1590	47	1260
4	स्टे होम	8	290	-	-
5	माइग्रेटरी हॉस्टल	3	150	5	250

Source DISE 2008-09

गुजरात पलायन करने वाले बालक–बालिकाओं का चिन्हीकरण किया गया है इन्हें भी शिक्षा से जोडने की कार्य योजना तैयार की गई है।

निर्माण शाखा :– भवन निर्माण अन्तर्गत कुल 730 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें 263 कार्य पूर्ण हो गये तथा 467 कार्य प्रगति पर है। 1100 रैम्प विद्यालयों में निर्मित किये गये है।

एनपीईजीईएल :– प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए 322 मॉडल कलस्टर विद्यालयों मे निम्नाकित गतिविधिया आयोजित की गई एवं सुविधा दी गई है। उपचारात्मक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जेण्डर संवेदनशिलता प्रशिक्षण, विद्यालय शिक्षक पुरूस्कार, रिडिंग कॉर्नर, मॉ–बेटी सम्मेलन, कम्प्युटर शिक्षण आदि।

सामुदायिक गतिशीलता :– सामुदायिक गतिशीलता के अन्तर्गत 17710 मुखियाओं को प्रशिक्षित किया गया।

कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय :– प्रारम्भिक शिक्षा के तहत् अनुसुचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवार की अनामांकित ड्रोप आउट लडकिया जो ब्रीज कोर्स से 5 वीं उतीर्ण है अथवा जिनके गॉव में तीन किलोमीटर की दूरी पर मिडिल स्कूल नही है उन्हे प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाता है। उदयपुर जिले मे 6 मॉडल

प्रथम व तीन मॉडल तृतीय केजीबीवी संचालित है।

मॉडल प्रथम – 100 छात्राओ हेतु आवासीय विद्यालय

मॉडल तृतीय – 50 छात्राओ हेतु आवासीय हॉस्टल

कोटडा एवं झाडोल दुरस्थ व जनजातिय बाहुल्य ब्लॉक में मॉडल तृतीय केजीबीवी के बजाय मॉडल प्रथम प्रस्तावित किया गया है जिससे बालिकाओ को आवासीय सुविधा के साथ–साथ विद्यालय की सुविधा भी मिल पायेगी।

केस स्टडी –

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, खेरोदा, भीण्डर की छात्रा सुश्री जसवन्त कुंवर राणावत जो कि विकलांग बालिका है, ने स्वच्छ कार्यक्रम के तहत् सत्र 2008–09 की राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर जिले का नाम गौरवान्वित किया।

जिले की शैक्षिक समस्याओं का संक्षिप्त विवरण

उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि 11 ब्लॉक में विभाजित है, जिसमें 467 ग्राम पंचायतें है। जिले में कुल 3049 वास स्थान है। इन वास स्थानों में करीब 82 ऐसे फले है जिनमें प्राथमिक शिक्षा की पहुंच नहीं बन पाई है। ये फले मुख्य आबादी से करीब 3 से 6 किलोमीटर दुरी पर स्थित है। जहां शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शिक्षा मित्र केन्द्र खोले जा सकते है। दुरस्थ क्षैत्रों के इन बालकों को ब्रिज कोर्स से जोडने पर भी ब्रिज कोर्स समाप्ति के पश्चात मुख्य धारा से जोडा जाना सम्भव नहीं होता और बालक शिक्षा से वंचित ही रह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए शिक्षा मित्र केन्द्र कारगर सिद्ध हो सकता है। जिले में 339 ऐसे वास स्थान है जहां पर प्राथमिक विद्यालय अतिआवश्यक है, जबकि विद्यालय विहीन 421 वास स्थान है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नयन हेतु 276 विद्यालय के प्रस्ताव योजना में शामिल किये गये है। ब्लॉक वार शैक्षिक समस्याओं का विवरण ब्लॉक स्पेसिफीक प्लान में अंकित किया गया है।

जिला योजना निर्माण की विभिन्न बैठकों में उठे मुद्दों का विवरण

क्र. स.	बैठक के मुद्दे	सुझाव	प्रस्तावित समाधान
1	भवन निर्माण	एसडीएमसी के अन्य सदस्यों (सचिव एवं अध्यक्ष) के अतिरिक्त निष्क्रियता	एसडीएमसी सदस्यों की भागीदारी बढानें हेतु प्रशिक्षण पर जोर
2	ड्रॉप आउट एवं अनामांकित	एकल अध्यपकीय विद्यालय नहीं रहें।	छात्रा अनुपात में अध्यापकों का समान वितरण
3	वृक्षारोपण	प्रत्येक विद्यालय में चार दिवारी होनी चाहिए जिससे पौधे सुरक्षित रहें	निर्माण कार्यो के तहत चार दिवारी के प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जावें
4	ग्रांट का प्रभावी उपयोग	ग्रांट का उपयोग शिक्षक द्वारा समय पर किया जाकर शिक्षण हेतु सामग्री काम में ली जावें	शिक्षक प्रशिक्षण दौरान सोच विकसित करना
			विद्यालय परिवीक्षण दौरान प्रबोधन
5	उ.प्रा. स्तर पर बालिका नामांकन में कमी	आवासीय सुविधायुक्त विद्यालय	नामांकन की कमी वाले क्षैत्रों में अतिरिक्त आवासीय विद्यालय खोले जावें।
6.	छात्र/छात्राओं की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति	अध्यापकों द्वारा अभिभावक सम्पर्क बढ़ाया जावें।	राष्ट्रीय पौषाहार कार्यक्रम गुणवत्ता युक्त संचालित हों।
			प्रत्येक अध्यापक की बालकों की नियमित उपस्थिति हेतु जवाबदेही सुनिश्चित की जावें
7	निःशक्त बालकों हेतु सुविधाएँ	संदर्भ कक्षों को समृद किया जावे तथा इसकी उपयोगिता सनिश्चित की जावे	संदर्भ कक्ष में लाभान्वित बालक – बालिकाओं का रेकार्ड संधारण किया जावे एवं अभिभावकों को आमंत्रित किया जावे।
8	शैक्षिक सर्वे	चाईल्ड ट्रेकिंग सर्वे किये हुए 6 वर्ष हो चुके है	प्रस्तावित योजना 2009–10 में प्रावधान रखा जायेगा

नवाचार

नन्हीं कली परियोजना

- उदयपुर जिले में प्रारंभिक स्तर पर प्रमुख रूप से निम्न शैक्षिक समस्याएं अस्तित्व में है –

  (अ) एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या अत्यधिक होना।

  (ब) शिक्षकों पर कार्य की अधिकता जैसे पॉच–पॉच कक्षाओं का शिक्षण साथ में मिड डे मिल, सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां व अन्य सहशैक्षिक कार्य इत्यादि।

  (स) अधिकांश शिक्षकों द्वारा अपने निवास स्थान से विद्यालय तक अपडाउन किया जाना शिक्षण क्षमता को कम करता है।

परिणाम होता है अधिगम का निम्न स्तर व ड्रॉप आउट, इन समस्याओं के समाधान में ''नन्हीं कली परियोजना'' का सहयोग सकारात्मक परिणाम दे रहा है।

- नन्हीं कली परियोजना राजस्थान में सर्वप्रथम उदयपुर जिले में एक नवाचार के रूप में सत्र 2006–07 से चलाई जा रही है।

- इस परियोजना में राजस्थान सरकार एवं के.सी. महिन्द्रा एज्युकेशन ट्रस्ट मुम्बई के मध्य हुए 3 वर्ष के एम.ओ.यू. अन्तर्गत प्रत्येक बालिका पर कुल रूपये 1800/– प्रति वर्ष खर्च किये जा रहे है यह शेयर 50–50 प्रतिशत (सरकार व ट्रस्ट) दोनो का है।

- इसके अन्तर्गत उदयपुर जिले के टी.एस.पी. एरिया कोटडा, झाडोल व धरियावद विकास खण्ड की कक्षा 1 से 8 तक की 10000 (दस हजार) एस.टी. बालिकाओं को शैक्षिक लाभ दिया जा रहा है।

केस स्टडी :– बाबू कुमारी डामोर पुत्री श्री लक्ष्मण लाल डामोर उम्र 13 वर्ष गॉव घाटीपुला ब्लॉक कोटडा जिला उदयपुर की रहने वाली है। उसके परिवार में 7 भाई–बहिन है। पिताजी मजदुरी की कमाई शराब, गुटखा आदि में व्यय कर देते है। कक्षा 5 पास करने के पश्चात 2005 में बाबू कुमारी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय सैलाना गॉव में 6 कक्षा में प्रवेश लिया। गरीबी के कारण उसका परिवार शैक्षिक अवस्थाओं की पूर्ति नही कर पा रहा है। कुछ समय पश्चात उसने पढाई छोडकर घर परिवार संभालना व गाय बकरी चराना शुरू कर दिया। 2006 में जब नन्ही कली कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब नन्ही कली कार्यकर्ताओं ने बाबू कुमारी व उसके परिवार से सम्पर्क कर उसे पुनः शिक्षा से जोडने हेतु प्रेरित किया व पुनः सैलाना स्कूल में प्रवेश दिलवाकर नन्ही कली कीट प्रदान कर शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की तथा शैक्षिक कार्यकर्ता द्वारा शैक्षिक सम्बलन दिय गया। आज वह विद्यालय में अच्छे नम्बर प्राप्त करते हुए निरन्तर अध्ययनरत है तथा उसका सपना है वह एक अच्छी शिक्षिका बने।

लहर कार्यक्रम – जिले के 322 मॉडल क्लस्टर विद्यालयो मे जहॉ कक्षा 1 व 2 संचालित है वहॉ बाल केन्द्रित आधारित अनुठि शिक्षण विद्या लहर शुरू किया गया है इसके तहत् बाल मित्र कक्ष का निर्माण किया जा रहा है तथा 2354 कार्ड व अभ्यास पुस्तिकाओ के माध्यम से शिक्षण कराया जायेगा व शिक्षक टीएलएम का उपयोग हो पायेगा।

सत्र 08–09 जिले की उपलब्धि

S.No.	BUDGET HEAD	NewAWP & B 2008-2009	EXP. UP TO March.09	Total PercentageAchievement
1	2	3	4	5
1	**Teachers Salary**	6434.64	5853.67	90.97%
2	**Free Text book for UPS SC/ST ***	50.525	35.05	69.37%
3	**Civil Work**	1183.87	935.71	79.04%
4	**Major Repair**	55.12	39.05	70.85%
5	**Maintenance & Repairs**	306.22	224.03	73.16%
6	**TLE ***	211.625	8.64	4.08%
7	**School Grant**	245.71	245.83	100.05%
8	**Teachers Grant**	64.77	59.43	91.76%
9	**Teachers Training**	148.02	119.87	80.98%
10	**Training for Community Leaders**	10.94	10.91	99.77%
11	**Provision for Disabled Children**	93.834	88.04	93.83%
12	**Research, Evaluatuion, SupervisionAnd Monitoring**	53.004	52.62	99.27%
13	**Management Cost**	275.84	192.45	69.77%
14	**Innovation ***	98.78	59.26	59.99%
15	**Block Resource Center ***	43.00	76.52	177.96%
16	**Cluster Resourcr Center ***	262.7	218.62	83.22%
17	**Interventions for Out of School Children**	244.59	168.55	68.91%
18	**Remedial teaching**	36.49	34.00	93.18%
	Total A (SSA)	**9819.678**	**8422.25**	**85.77%**
1	**NPEGEL**	**299.062**	**195.24**	**65.28%**
2	**KGBV**	**235.27**	**181.10**	**76.98%**
	TOTAL B	**534.332**	**376.34**	**70.43%**
	Grand TOTAL	**10354.01**	**8798.59**	**84.98%**
	Actual received Fund (SSA)		**8117.00**	
	Actual received Fund (NPEGEL)		**336.00**	
	Actual received Fund (KGBV)		**230.00**	
	Total		**8683.00**	

माध्यमिक शिक्षा

उदयपुर जिला कुल 11 पंचायत समितियों में विभक्त है। शैक्षिक दृष्टि से पंचायत समिति गिर्वा को दो भागों में विभक्त किया गया है। जिसमें पंचायत समिति गिर्वा एवं उदयपुर शहर समाहित है। उदयपुर जिले के कुल 302 राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा 147 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल 449 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हो रहे है। जिसमें लगभग 90,000 (नब्बे हजार) छात्र–छात्राएँ अध्ययनरत है एवं समस्त विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय–मूत्रालय की व्यवस्था उपलब्ध है।

पंचायत समितिवार विद्यालयों की संख्या

क. सं.	पंचायत समिति	उमावि	मावि	योग
1	बडगांव	6	18	24
2	भीण्डर	17	36	53
3	गिर्वा	12	29	41
4	झाडोल (फ)	12	20	32
5	गोगुन्दा	9	26	35
6	कोटडा	5	11	16
7	खेरवाडा	8	32	50
8	धरियावाद	10	20	30
9	सलुम्बर	16	31	47
10	सराडा	11	29	40
11	मावली	15	35	50
12	उदयपुर शहर	16	15	31
	योग	147	302	449

स्रोतः–पंचायत समितियां

मानव संसाधन के विकास हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित है जिनके माध्यम से राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा रहा है। जिनमें कक्षा 6 से 12 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शत प्रतिशत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है। राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से शिक्षण शुल्क से मुक्त किया गया है एवं अध्ययनरत राजकीय विद्यालयों में एवं अनुदानित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा छात्र–छात्राओं का दुर्घटना बीमा करवाया जा रहा है। दुर्घटना होने पर छात्र–छात्राओं के स्थिति के अनुसार राशि का पुनर्भरण किया जा रहा है।

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्ण अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र–छात्राओं को पूर्ण मैट्रिक छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती है, साथ ही अल्प संख्यक छात्र–छात्राओं को छात्रवृतियाँ दिये जाने का प्रावधान किया

गया है। प्रतिवर्ष प्रतिभावान जनजाति के छात्र–छात्राओं को 65 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृति प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओ को अस्वच्छ छात्रवृति प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की है :–

1 आपकी बेटी योजना :– इसमें वे बालिकाएँ पात्र होती है। जो बी.पी.एल. परिवार की है। जिनके माता–पिता दोनों का अथवा किसी एक का स्वर्गवास हो चुका हो, कक्षा 6 से 8 तक प्रति बालिकाएँ 1100 रूपये तथा 9 से 12 तक प्रति बालिकाएँ 500 रूपये देय होता है।

2 साईकिल योजना :– कक्षा 9 उत्तीर्ण कक्षा 10 में नियमित अध्ययनरत जिनकी विद्यालय से घर की दूरी 2 कि.मी. से 5 कि.मी. के मध्य हो उनकी जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क एवं अन्य समस्त वर्ग की छात्राओं से 300 रूपये अंशदान लेकर साईकिले वितरित की जाती है।

3 ट्रांसपोर्ट वाउचर :– इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 से 12 तक की 5 कि.मी. से अधिक दूरी से विद्यालय में अध्ययन हेतु आती है को उन्हें 5 रूपये प्रतिदिन उपस्थिति के आधार पर देय होता है।

4 स्कूटी वितरण :– माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान से कक्षा 10 व 12 में 65 प्रतिशत एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने की जनजाति उपयोजना क्षेत्र की बालिकाओं को स्कूटी 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस पर वितरित की जाती है।

5 गार्गी पुरस्कार :– कक्षा 10 व 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्रमशः 1500 एवं 3000 रूपये देय है तथा कक्षा 8 पर पंचायत समिति स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली प्रति छात्राओं को 1000 रूपये दिये जाते है। यह योजना संस्कृत शिक्षा के अनतर्गत विद्यालय की बालिकाओं में भी लागु है।

6 बालिका प्रोत्साहन :– बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत कक्षा उत्तीर्ण जनजाति की कक्षा 9 में नियमित अध्ययनरत 14 वर्ष से 16 वर्ष तक की आयु वाली छात्राओं को अपने बैंक खाते में 3000 रूपये जमा कर एफडी करवायी जाती है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को शुल्क मुक्त किया है।

कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न में विद्यालय में पोषाहार निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने अन्य अधिकारियों के सहयोग से बी.पी.एल कार्डधारी परिवार के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को 100 रूपये प्रतिमाह पन्नाधाय जीवन अमृत योजनान्तर्गत छात्रवृति दी जाती है।

इन योजनाओं का विवरण निम्न तालिकानुसार दर्शाया गया है :—

मुख्य—योजना

क. स.	कार्य का नाम	लक्ष्य (आवेदनानुसार)	उपलब्धि
1	आपकी बेटी योजना (बी.पी.एल. परिवार की बालिकाएं जिनके माता —पिता) दोनों या किसी एक का स्वर्गवास हो गया हो, पात्र होती है।	50 पात्र बालिकाएँ कक्षा 6 से 8 तक 109 पात्र बालिकाएँ कक्षा 9 से 12 तक	प्रति बालिका 1100 रूपये प्रति बालिका 1500 रूपये
2	साईकिल योजना (दो से पांच किलोमीटर की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को देय है)	949 जन जाति बालिकाओं को निःशुल्क वितरण 669 सामान्य बालिकाओं को 300 रूपया अंशदान लेकर वितरण	सभी को वितरित सभी को वितरित
3	मिड—डे— मील की व्यवस्था (कक्षा 6 से 8 तक के विधार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है। मिड डे मील के मीनू अनुसार नान्दी फाउन्डेशन एवं विद्यालय स्तर पर की जाती है।)	नान्दी फाउन्डेशन द्वारा 119 विद्यालयों में ,विद्यालय स्तर पर 166 ,विद्यालयों में, 24 विद्यालयों में सभी छात्रों में कक्षा 9 से 12 तक होने से भोजन नहीं मिलता है	सभी को नियमित भोजन कक्षा 6 से 8 तक
4	ट्रांसपोर्ट वाउचर (5 किलोमीटर से दूर रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं को उपलब्ध कराई जाती है।)	69 विद्यालयों की 2383 छात्राएँ लाभान्वित	प्रति छात्रा 5 रूपया प्रतिदिन व्यय 14 लाख रूपया
5	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (बीपीएल परिवार के कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत प्रति परिवार अधिकतम दो छात्राओं को 100 रू. प्रतिमाह प्रति छात्रा छात्रवृति दी जाती है। मुखिया का बीमा भी किया जाता है।)	2855 आवेदन—पत्र भराए गये 2826 नवीनीकरण तथा कुल 5681 आवेदन पत्र भरवाये गये।	न—पत्र जयपुर कार्यालय प्रेषित किये गये।
6	गार्गी पुरस्कार (कक्षा 10 एवं 12 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिया जाता है।)	कक्षा 10 की छात्राएँ 249 जिन्होंने बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कक्षा 12 की छात्राएँ 37 जिन्होंने बोर्ड में 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कक्षा 8 की छात्राएँ 12 जिन्होनें पंचायत समितिं स्तर पर आठवीं बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त किया इसी प्रकार कक्षा 8 संस्कृत शिक्षा की 7 बालिकाएँ पात्र रही।	कक्षा 10 में प्रति छात्रा 1500 रूपये प्रति छात्रा 15 अगस्त 08 को दिए गये। कक्षा 12 में प्रति छात्रा 3000 रूपयें 15 अगस्त 08 को दिए गये। कक्षा 8 में प्रति छात्रा 1000 रूपये 15 अगस्त 08 को दिए गये।
7	स्कूटी वितरण योजना (कक्षा 10 में 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली जनजाति उपयोजना की अ.ज.जा. बालिका को दी जाती है।)	13 जनजाति उपयोजना क्षेत्र की बालिकाओं को वितरित की गई।	15 अगस्त 08 को वितरित की गई।
8	नाबार्ड योजना (नाबार्ड द्वारा विभाग के माध्यम से विद्यालयों में निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावानुसार राशि	26 विद्यालयों हेतु कक्षा—कक्ष, कम्प्यूटर—लेब, वाटर—टेंक, शौचालय के कार्य स्वीकृत	वर्ष 08—09 में प्राप्त बजट 78. 92/—लाख व्यय 1941271/— शेष कार्य राज्य सरकार के आदेश से उक्त निमार्ण कार्य स्थगित किया गया।

9	ज्ञानोदय योजना (जन सहभागिता से पिछडे क्षैत्र में जिन पंचायत मुख्यालयों में माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं वहॉ 5 एकड जमीन उपलब्ध कराकर विद्यालय खोलना जिले के 5 विद्यालय)	5 उप्रावि के प्रस्ताव तैयार कर शिक्षा सचिव जयपुर को भिजवाये गये।	ज्ञानोदय योजनान्तर्गत चयनित विद्यालयों में ग्राम के पटवारियों से आंशिक नक्शा, नकल ट्रेस एवं जमाबन्दी नकल प्राप्त कर ली गई है। संबन्धित ग्राम की भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का है एवं ग्रामों में सडक, पानी, बिजली सुविधा है।
10	मॉडल विद्यालय (जिले के जिन ब्लॉक में साक्षरता दर कम है वहॉ केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर विद्यालय खोलने के लिए 10 एकड जमीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।)	शैक्षिक दृष्टि से पिछडे 4 विकास खण्डों में 4 मॉडल विद्यालय के प्रस्ताव बनाये गये। (गोगुन्दा,कोटडा,सराडा एवं खेरवाडा)।	प्रस्ताव निदेशालय में प्रेषित। जमीन आवंटन शेष।
11	कम्प्यूटर योजना (बोर्ड द्वारा कम्प्यूकॉम के माध्यम से संचालित योजना)	स्व वित्तपोषित योजना में 24 विद्यालय	वर्णित सभी विद्यालयों में संचालित है।
12	ईसीआईएल के माध्यम से करार कर विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारंभ कराना	ईसीआईएल द्वारा जयपुर द्वारा संचालित 33 विद्यालय में।	वर्णित सभी विद्यालयों में संचालित है।
13	बालिका कम्प्यूटर शिक्षा के लिए विशेष योजना।	ग्रेस प्रोजेक्ट योजना में 8 विद्यालय	वर्णित सभी विद्यालयों में संचालित है।
14	हिन्दुस्तान जिंक द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा प्रोत्साहन हेतु शिक्षा विभाग को सहयोग से प्रारंभ योजना।	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 38 विद्यालयों में	वर्णित सभी विद्यालयों में संचालित है।
15	एकीकृत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना।	आई सी टी द्वारा 120 विद्यालयों में	वर्णित सभी विद्यालयों में संचालित है।
16	जिला कम्प्यूटर योजना	राजकीय गुरू गोविन्द सिह उमावि उदयपुर में 40 कम्प्यूटर्स से सुसज्जित लेब है। जहॉ छात्र–छात्राओं / शिक्षकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है।	यहॉ पर समस्त विद्यालयों के छात्र–छात्राओं एवं अध्यापकों को कम्प्यूटर–प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उक्त योजना अन्तर्गत कम्प्यूटर फन्डामेन्टल बेसिक एवं टेली कोर्स के वर्तमान में 4 बेच संचालित हो रहे है। एक बेच में 30–40 छात्र–छात्राऍ लाभान्वित हो रहे है।
17	सब डिवीजन कम्प्यूटर योजना	राजकीय गुरू गोविन्द सिह उमावि उदयपुर में 20 कम्प्यूटर्स से सुसज्जित लेब है। जहॉ छात्र–छात्राओं / शिक्षकों हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है	यहॉ पर शहरी विद्यालयों के एवं गिर्वा तहसील के छात्र–छात्र ाओं/अध्यापकों कम्प्यूटर सम्बन्धि प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

समस्याएँ :—

1 रिक्त पदः— अध्यापकों / कर्मचारियों के पद रिक्त रहने से अध्यापन कार्य एवं विद्यालय सम्बन्धी अन्य कार्यों सम्पादन में समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। गत 4 वर्षों में नव क्रमोन्नत विद्यालयों में एक भी मन्त्रालयिक एवं च.श्रे. कर्मचारी के पद सृजित नहीं किये जाने से माध्यमिक विद्यालयों को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है। गत सत्र 2007—08 में नव क्रमोन्नत माध्यमिक विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पद सृजित नहीं होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहे है।

2 भवन मरम्मत :— कई विद्यालयों में भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है और बजट के अभाव में भवन मरम्मत कार्य नहीं हो रहे है।

3 पन्नाधाय योजना :— पन्नाधाय अमृत जीवन योजनान्तर्गत आवेदन—पत्र सीधे ही पंचायतों द्वारा विद्यालयों से प्राप्त किये जावें। उक्त योजना विकास विभाग में होने से आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त नहीं होती हैं।

4 वर्तमान में जिला शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ विद्यालयों की संख्या अधिक हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक तहसील स्तर पर 1 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का कार्यालय खोला जाना आवश्यक है ताकि समय—समय पर विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जा सकें तथा सूचनाओं का आदान—प्रदान भी समय पर हो सकेगा। उच्चाधिकारियों द्वारा चाही गई सूचनाएँ भी समय पर प्रेषित की जा सकेगी।

स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का तालिका

क.सं.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
1	जि.शि.अ.	2	2	0
2	अति0जि.शि.अ.	2	2	0
3	व0उप जि0शि0अ0	1	1	0
4	शै0प्र0प0	2	1	1
5	सहायक लेखाधिकारी	2	0	2
6	प्रधानाचार्य	136	100	36
7	प्रधानाध्यापक	179	117	62
8	व्याख्याता	878	515	363
9	पर्यवेक्षक शाशि	1	1	0
10	शा.शि. 1	7	7	0
11	पु.अ. प्रथम	2	2	0
12	व.अ.	1748	1358	390
13	विधि सहायक	1	1	0
14	व.पु.अ.	54	50	4
15	व.शा.शिक्षक	80	64	16
16	व.प्र.शा.स.	21	10	11
17	अध्यापक	629	433	196
18	शा0शि0	162	158	4
19	पु.अ.	120	100	20
20	प्र.शा.स.	43	32	11
21	सांख्यिकी निरीक्षक	1	0	1
22	कार्या. अधीक्षक	2	1	1
23	क.लेखाकार	2	0	2
24	कार्या. सहायक	32	21	11
25	आशु लिपिक	1	1	0
26	व.लि.	282	275	7
27	क.लि.	221	200	21
28	फिल्ड मेन	1	1	0
29	जमादार	32	19	13
30	वाहन चालक	3	2	1
31	प्र.शा.सेवक	66	57	9
32	च.श्रे.क.ाा	15	14	1
33	च.श्रे.क.	721	682	39
योग		**5449**	**4227**	**1222**

उच्च शिक्षान्तर्गत उदयपुर जिले में वर्तमान में मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर के संघटक महाविद्यालय कुल 04, राजकीय महाविद्यालय कुल 04, इसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालय कुल 21 तथा राजस्थान विद्यापीठ(मानद विश्व विद्यालय) के संघटक महाविद्यालय कुल 03, इस प्रकार उदयपुर जिले में विभिन्न डिग्री व पी.जी. महाविद्यालयों की कुल संख्या 32 है। विश्वविद्यालयों को भी अपनी स्वायत्ता है। गैर अनुदानित महाविद्यालयो का अपना प्रबन्ध मण्डल होता है जिसके मार्गदर्शन में उनके महाविद्यालयो का संचालन होता है। अनुदानित निजी महाविद्यालयों की संचालन व्यवस्था राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं इनके प्रबन्ध मण्डल की भागीदारी से की जाती है।

समस्याएं :—

- जनजाति क्षेत्र में कोटडा में वर्ष 2006—07 में खोले गये महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।
- रिक्त पदो को भरने की आवश्यकता है।
- महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण की भी आवश्यकता है।
- कोटडा जैसे स्थान की विषम परिस्थितियों की दृष्टि से यहॉ के स्टाफ के आवास हेतु स्टाफ क्वार्टर का निर्माण होना आवश्यक है। इस महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था नही है।
- जनजाति क्षेत्र के ही सलूम्बर एवं खैरवाडा महाविद्यालयों में चारदीवारी का निर्माण, स्टॉफ क्वाटर्स का निर्माण, स्टाफ कक्ष का निर्माण, खैल का मैदान एवं अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

भविष्य हेतु सुझाव :—

- उदयपुर जिले के जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढावा देने हेतु नये महाविद्यालय खोले जाए।
- महाविद्यालयों में स्थाई स्टाफ की नियुक्ति की जाये।
- स्टाफ एवं छात्रो के लिए आवास व्यवस्था हेतु क्वार्टर एवं छात्रावास बनवाये जाये।
- भौतिक संसाधन उपलब्ध कराये जाये।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां

- ❖ उदयपुर जिले में पब्लिक प्राईवेट पार्टनर शिप के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं यथा : नन्ही कली कार्यक्रम, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिड डे मिल, लाईफ लाइन एजुकेशन, कम्प्यूटर एजुकेशन (एच. जेड.एल.) (कम्प्यूटर मोबाईल बस) आदि के द्वारा शिक्षा को बढावा दिया जा रहा है।
- ❖ सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु दी जाने वाली सुविधाओं द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में भौतिक एवं गुणात्मक उन्नयन।
- ❖ प्राइवेट शैक्षिक एजेन्सियों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में बढावा।
- ❖ युवाओ का बढता शैक्षिक रूझान एवं तकनीकी व व्यावसायिक क्षेत्र में बढते रोजगार।
- ❖ सरकार द्वारा शिक्षा को बढावा देने हेतु निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, मिड डे मील।
- ❖ बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु ''प्रोत्साहन योजनाएं''
- ❖ निःशक्त, विकलांग बालकों, गरीब बालकों, एसटी–एससी बालकों की शिक्षा हेतु विशेष योजनाएं
- ❖ अध्यनरत विद्यार्थियों हेतु टीएलएम, कमजोर विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक शिक्षण आदि

शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख आवश्यकताएं / कमजोरियां

- ❖ सरकारी विद्यालयों में पढने वाले एवं न पढने वाले (ड्रॉप आउट) बालकों के अभिभावकों का शिक्षा के प्रति गैर जिम्मेदाराना रूझान
- ❖ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी
- ❖ कम शिक्षक वाले विद्यालयों में शिक्षकों पर कार्य का बोझ।
- ❖ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में लगाया जाना।
- ❖ पार्ट टाईम शिक्षक, विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की अस्थाई व्यवस्था होने से शिक्षा के परिणाम की जिम्मेदारी इन शिक्षकों पर नही होती है अतः शिक्षा की गुणात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पडता है।
- ❖ शिक्षकों को दिया जाने वाला टीएलएम, शिक्षक प्रशिक्षण आदि का उपयोग शिक्षकों द्वारा पूर्ण रूप से परिलक्षित नहीं होता है।

❖ शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्थित मॉनिटरिंग एवं सुपरवीजन का अभाव।

❖ दूरदराज के विद्यालयों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के आवास एवं आने जाने की सुविधा का नही होना।

❖ कोटडा विकास खण्ड जैसे दूरदराज एवं एससी–एसटी बहुल क्षेत्र जहॉ सामान्यतः शिक्षक का ठहराव नही होता।

❖ शारीरिक शिक्षा को बढावा देने हेतु खेल सुविधाओं का अभाव।

❖ अध्ययनरत विद्यार्थियो हेतु विषय चयन एवं भविष्य के निर्धारण हेतु निर्देशन एवं मार्गदर्शन अभाव।

❖ शैक्षिक उन्नयन हेतु विद्यालयों में पुस्तकालयो का अभाव।

❖ बालकों के सर्वांगीण विकास एवं शैक्षिक रूप से अग्रणिय विद्यार्थियों को और आगे बढाने हेतु आवश्यक सुविधाओं का अभाव।

❖ बालिकाओं की शिक्षा को निरन्तर रखने हेतु विकास खण्डों में बालिका हॉस्टल का अभाव।

❖ कुछ विद्यालयों में भवन, शौचालय, मुत्रालय एवं पीने का पानी आदि आधारभूत सुविधाओं का अभाव।

❖ शिक्षकों में समुदाय एवं विद्यार्थियों के साथ अतरंगता की कमी

❖ शिक्षा के क्षेत्र में शोध की कमी एवं किये गये शोध के परिणामों के इम्पिलिमेंटेशन की कमी।

❖ शिक्षकों के अव्यवहारिक स्थानान्तरण।

❖ विद्यालयों में शैक्षिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त (पी.एचडी) शिक्षकों की क्षमता का उपयोग नही। न ही इन्हें महाविद्यालय के शिक्षकों की तरह आर्थिक लाभ दिया जा रहा है।

❖ स्नातक शिक्षक को माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक बनाकर उच्च वेतनमान देना तथा स्नातकोत्तर, उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक को प्राध्यापक बनाकर प्रधानाध्यापक से कम वेतनमान देना। शिक्षकों में वेतन विसंगति विद्यालय के प्राध्यापकों में असन्तोष का कारण बन रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाएं

❖ सरकार का सर्वाधिक ध्यान शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

- ❖ विद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की कमी पूर्ति कर शैक्षिक गुणवत्ता को बढाया जा सकता है।
- ❖ विद्यालयों में प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुपरवीजन पर शिक्षा की गुणवत्ता को बढा सकता है।
- ❖ समुदाय की जिम्मेदारी से विद्यालयो का रूप बदला जा सकता है।
- ❖ दूरदराज के शिक्षकों को आवश्यक साधन सुविधाएं, प्रोत्साहन राशि आदि देकर उनका ठहराव सुनिश्चित किया जा सकता है।
- ❖ शिक्षकों के असन्तोष के कारणों का निवारण किया जाए।
- ❖ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो से दूर रखा जाए।
- ❖ बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु अधिकाधिक बालिका आवासीय विद्यालय/ छात्रावास की व्यवस्था की जाए।
- ❖ विद्यालयों में शेष रही भौतिक सुविधाओं की पूर्ति की जाए।
- ❖ मुश्किल दूरदराज के शिक्षकों को हार्ड ड्यूटी एलाउन्स दिया जाए।
- ❖ उच्च प्राथमिक स्तर पर जेण्डर गेप को घटाने के प्रयास किये जाये।
- ❖ विद्यालयों में निर्देशन एवं मार्गदर्शन हेतु व्यवस्था की जाये। पुस्तकालय हेतु फण्ड दिया जाये।
- ❖ पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप को शिक्षा के क्षेत्र में और बढावा दिया जाये।

महिला व्यवसायिक कौशल शिविर

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम

पुरस्कार वितरण समारोह

कम्पयुटर शिक्षा

नन्ही कली कार्यक्रम शैक्षणिक भ्रमण

अध्याय - 4
स्वास्थ्य

मानव विकास प्रतिवेदन

1. **भूमिका** – मानव विकास मे स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है। पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही सामाजिक और आर्थिक विकास एवं नए स्वस्थ समाज की संरचना का आधार है।

स्वस्थ जीवन
↓
स्वस्थ परिवार
↓
स्वस्थ मनुष्य
↓
स्वस्थ देश

हमारा उद्देश्य एक सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना है जिससे समाज मे स्वास्थ्य सेवाओं की अभिवृद्धि निरन्तर एवं प्रगतिशील रहे। हर नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने एवं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर मिले।

उदयपुर जिला अरावली पहाडियों में बसा होने से दुर्गम और पहाडी क्षेत्र है। यहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक जरूरतों की पूर्ण जानकारी एकत्र कर सभी स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों तक पहुँचाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है।

2. **कार्यविधी** – उदयपुर जिले का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया, जिसकी बैठक में विभिन्न विभागों से उनकी गतिविधियों की जानकारी एकत्र कर जिले की छवि का यथार्थ रूप पेश करने का निर्णय लिया गया।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.), उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, अन्धता, राजस्थान हेल्थ सिस्टम एण्ड डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, एकीकृत परामर्श एवं जाँच केन्द्र आदि से जानकारी प्राप्त कर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य गतिविधियों, उनकी उपलब्धियों एवं कमजोरियों को दर्शाते हुए उन सेवाओं का नवीनीकरण एवं अभिवृद्धि करने का प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सभी उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्र में हर वर्ग के मनुष्य को

3. स्वास्थ्य संस्थानें/अस्पतालें :– स्वास्थ्य हेतु उदयपुर जिले में निर्मित उपकरण एवं विभिन्न सुविधाओं से युक्त संस्थानें एवं अस्पतालों की सूची निम्नानुसार है –

क्र.स.	विवरण	संख्या
1	अस्पताल 50 बेड	6
2	अस्पताल 100 बेड	1
3	अस्पताल 200 बेड	1
4	प्रा.स्वा.केन्द्र	76
5	सा.स्वा.केन्द्र	17
6	ग्रामीण वेलफेयर केन्द्र	10
7	उपकेन्द्र	538
8	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केन्द्र	8
9	पोस्ट पार्टम सेन्टर	6
10	शहरी फेमिली वेल्फेयर केन्द्र	2
11	आर्युवेदिक और यूनानी डिस्पेन्शरी	192
12	आंगनवाडी केन्द्र	1426
13	अप्रशिक्षित बर्थ अटेण्डेन्ट्स	2666
14	ई.एस.आई. अस्पताल	—
15	ई.एस.आई. डिस्पेन्शरी	4
16	सिटी डिसपेन्सरीज	10
17	शहरी रिवाम्पिंग स्कीम	1
18	शहरी मातृ एवं शिशु स्वा.केन्द्र	5
19	सेटेलाईट अस्पताल	2
20	RTI/STI क्लीनिक	88
21	मेडीकल कॉलेज (प्राईवेट व सरकारी)	2
22	डेन्टल कॉलेज (सरकारी)	2
23	आयुर्वेदिक कॉलेज (सरकारी)	1
24	होम्योपेथिक कॉलेज (सरकारी)	1

स्त्रोत :– मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर

4. स्टाफ – उदयपुर जिले में विभिन्न संस्थानों /अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ देने हेतु कार्यरत स्टाफ की जानकारी निम्नानुसार है–

क्र.स.	स्टाफ का (वर्गीकरण) वर्ग	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	प्रतिशत रिक्त
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	2	2	0	0
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	31	12	19	61.29
3	चिकित्सा अधिकारी	140	131	9	6.43
4	स्पेशलिस्ट	73	37	36	49.32
	1. एनेस्थेटिस्ट	10	5	5	50.00
	2. गायनिकलोजिस्ट	13	10	3	23.08
	3. पेडिट्रिशन	8	4	4	50.00
	4. पेथोलोजिस्ट	2	1	1	50.00
	5. डेन्टल सर्जन	21	10	11	52.38
	6. सर्जन	19	9	12	63.16
5	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी	10	4	6	60.00
6	स्टाफ नर्स/नर्स मिडवाईफ	349	337	12	3.44
7	फार्मासिस्ट/कम्पाउण्डर	2	-	2	100
8	लेब टेक्नीशियन/लेब सहायक	109	78	31	28.44
9	रेडियोग्राफर	23	14	9	39.13
10	कम्प्यूटर	10	Nil	10	100
11	वाहन चालक	44	44	-	
12	पेरामेडिकल सुपरवाईजर	20	10	10	50
	मलेरिया इस्पेक्टर	9	7	2	22.22
	पी.एच.एन	4	1	3	75
	एल.एच.वी	89	72	17	19.10
	एच.ए.	1	1	-	
	मल्टीपरपस वर्कर	770	742	28	3.64
13	एम.पी.डब्ल्यू (मेल)	125	115	10	8.00
	एम.पी.डब्ल्यू (फिमेल)/प्रसाविका	645	627	18	2.79
14	अतिरिक्त प्रसाविका	365	205	160	43.84
	जी.एन.एम.	174	170	4	2.30

स्त्रोत– अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर

5. **बैड संख्या**– उदयपुर जिले में विभिन्न संस्थानों/अस्पतालों में बेडों की संख्या निम्न प्रकार है –

क्र. स.	संस्थान/अस्पताल	बेडों की संख्या
1	मेडीकल कॉलेज	1474
2	जिला अस्पताल	150
3	सेटेलाईट	100
4	सामुदायिक स्वा. केन्द्र	620
5	प्रा. स्वा. केन्द्र	444

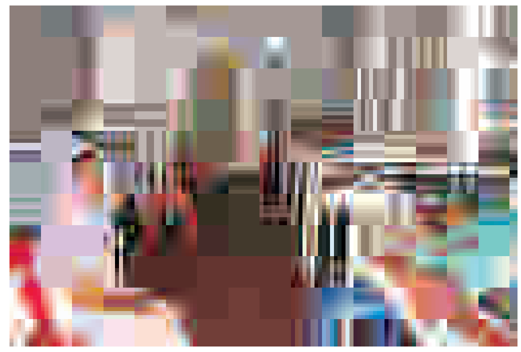

स्त्रोत– अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर

6. **जनसांख्यिक पार्श्वचित्र**– सेन्सर 2001 के अनुसार उदयपुर जिला की जनसंख्या 2695367 (राज्य जनसंख्या की 4.74%) जिसमें से 2493276 (92.5%) गांवो मे और 202091(7.50%) शहर में बसते हैं। 51.12 प्रतिशत पुरूष और 48.88 प्रतिशत महिलाओं की संख्या है।

उदयपुर जिला एवं राजस्थान राज्य की जनसांख्यिक सूचना इस प्रकार है

(सेन्सस 2001 आधारित)

Particulars	**District Udaipur**	**Rajasthan State**
Total Population	2695367	62386400
Percentage of State Population	4%	100%
Rural	2493276 (92.5%)	77.1%
Urban	202091(7.50%)	22.9%
Male	1377872(51.12%)	32281657(51.74%)
Female	1317495(48.88%)	29970677(48.04%)
Sex Ratio	971	921
SC Population	6%	-
ST Population	47.9%	-
Population Density	196	165
Decadal Growth Rate	27.37%	28.33%
Crude Birth Rate	25.67%	28.6%
Couple Protection Rate	57%	45.8%
Total Fertility Rate	4.2%	4.9%

स्त्रोत– अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर

जिले मे फिमेल–मेल अनुपात 971 (राज्य के 922 की तुलना मे) है।

उदयपुर जिले में खण्ड अनुसार फिमेल मेल अनुपात (सेन्सेस 2001) इस प्रकार है–

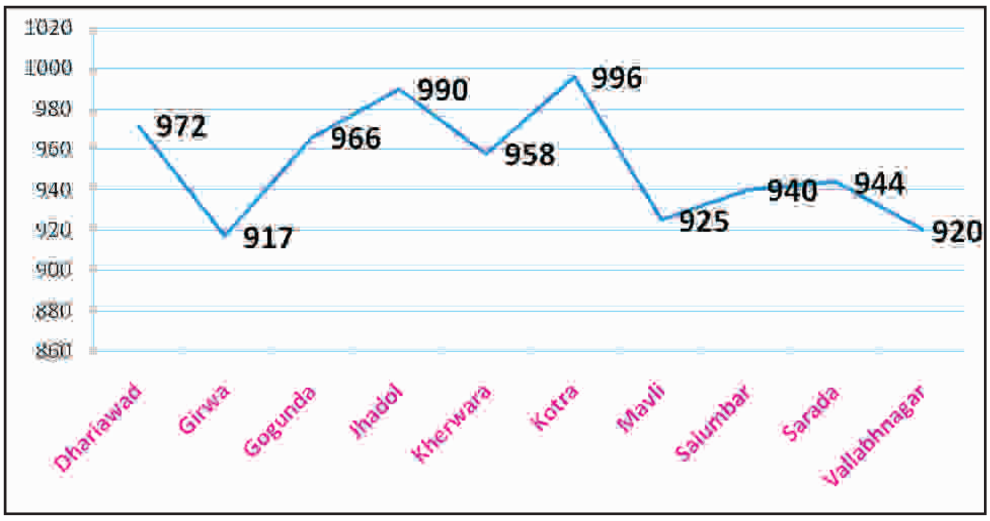

स्त्रोत :– डी.एल.एच.एस. I I व डी.एल.एच.एस. I I I

महिलाओ की संख्या सबसे ज्यादा (996) कोटडा खण्ड में एवं सबसे कम (917) गिर्वा खण्ड में है।

वर्ष 1991 से 2001 तक जनसंख्या वृद्धि दर 22.59 प्रतिशत से 27.37 प्रतिशत हो गई है, जो राज्य से कम है। शहरी जनसंख्या 12.30 प्रतिशत से बढकर 15.06 प्रतिशत हो गई है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या उदयपुर शहर में और सबसे कम सराडा ब्लॉक में पाई गई है।

उदयपुर जिले की खण्ड अनुसार ग्रोथ रेट

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	ग्रोथ रेट
1	गिर्वा	15.42
2	बडगांव	15.42
3	गोगुन्दा	16.35
4	कोटडा	27.07
5	झाडोल	26.40
6	खेरवाडा	22.14
7	सराडा	13.00
8	सलुम्बर	17.88
9	भीण्डर	18.83
10	मावली	18.83
11	लसाडिया	21.72
12	उदयपुर सिटी	36.02
	उदयपुर जिला	27.37

स्त्रोत– अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) उदयपुर

7. डाईरिया / डीसेन्टरी – डाईरिया / डीसेन्टरी उदयपुर जिले के जनस्वास्थ्य पर भारी आर्थिक संकट है क्योकि अस्पतालों में भर्ती की संख्या में बढोतरी होती है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार पडता है। उदयपुर जिले में खण्ड अनुसार डाईरिया व डीसेन्टरी की वर्ष 2006, 2007, व 2008 मे प्रवृति इस प्रकार है –

डाईरिया / डीसेन्टरी की वर्ष 2006, 2007 व 2008 मे प्रवृति

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	वर्ष		
		2006	2007	2008
1	बडगांव	2000	2705	2134
2	भीण्डर	4232	1537	1410
3	गिर्वा	249	943	742
4	गोगुन्दा	48	2708	1987
5	झाडोल (फ)	1728	1343	365
6	खेरवाडा	4531	4842	2085
7	कोटडा	59	517	422
8	मावली	1037	2002	1715
9	सलुम्बर	1903	25	1034
10	सराडा	3080	3958	2888
11	उदयपुर सिटी	8702	12608	6448
	कुल योग	27569	33188	21230

स्त्रोत – एकीकृत रोग सर्वेक्षण परियोजना

डाईरिया / डीसेन्टरी की वर्ष 2006, 2007 व 2008 मे प्रवृति

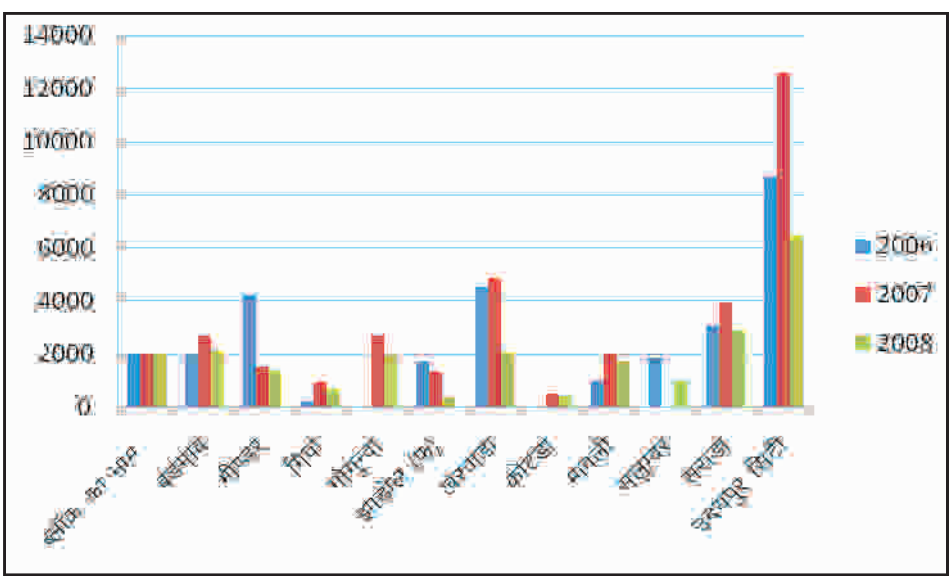

स्त्रोत – एकीकृत रोग सर्वेक्षण परियोजना

स्त्रोत – एकीकृत रोग सर्वेक्षण परियोजना

वर्ष 2008 मे डाईरिया व डीसेन्टरी की संख्या 27569 (2006) से घटकर 21230 रह गई है। बडगांव एवं सलुम्बर खण्ड में रोगियों की संख्या में बढोतरी पाई गई एवं बाकी सब जगह में रोगियों की संख्या में कमी आई है।

डाईरिया व डीसेन्टरी की रोकथाम हेतु डायरिया डीसीस कंट्रोल प्रोग्राम कार्यरत है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डाईरिया की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं एवं माताओं को घर में उपलब्ध सामग्री, ओ.आर.एस. का घोल पिलाना एवं स्तनपान कराने की जानकारी दी जाती है।

8. मलेरिया –

1. उदयपुर जिले में खण्ड अनुसार मलेरिया रोगियों की प्रवृति विगत तीन वर्षो (2006 से 2008 तक) की इस प्रकार है –

क्र. सं.	खण्ड	वर्ष		
		2006	2007	2008
1	भीण्डर	862	295	27
2	गिर्वा	1520	613	408
3	गोगुन्दा	68	223	129
4	झाडोल	529	271	351
5	खेरवाडा	736	422	401
6	कोटडा	428	461	983
7	मावली	313	188	161
8	सलुम्बर	1348	684	409
9	सराडा	775	448	193
10	उदयपुर सिटी	176	91	109
	कुल योग	6755	3696	3171

स्त्रोत : स्वीकृत रोग सर्वेक्षण परियोजना

उदयपुर जिले में खण्ड अनुसार मलेरिया की प्रवृति–

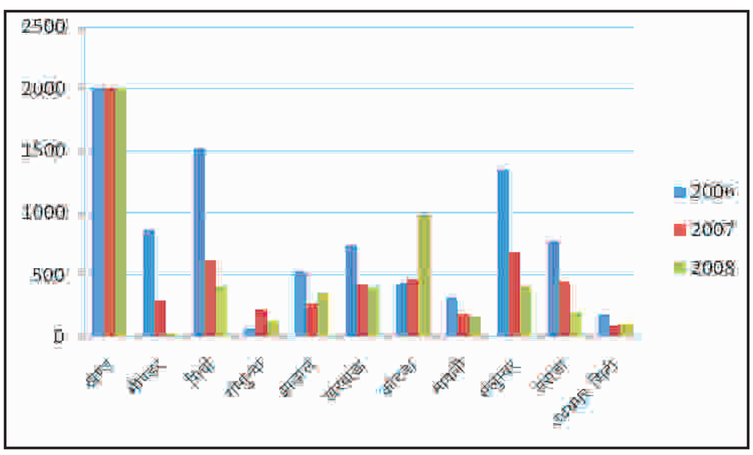

स्त्रोत : स्वीकृत रोग सर्वेक्षण परियोजना

वर्ष 2008 मे मलेरिया रोगियों की संख्या 6755(2006) से घटकर 3371 रह गई है। भीण्डर खण्ड में मलेरिया रोगियों की संख्या में गिराव आया जबकि कोटडा खण्ड में बढोतरी पाई गई है।

उदयपुर जिले मे माह अनुसार मलेरिया रोगियों की प्रवृति विगत तीन वर्षों (2006 से 2008 तक) की इस प्रकार है –

माह		2007	2008
जनवरी		36	7
फरवरी		38	25
मार्च		49	42
अप्रेल		73	55
मई		126	108
जून		184	230
जुलाई		796	441
अगस्त		888	685
सितम्बर		642	873
अक्टूबर		549	538
नवम्बर		133	269
दिसम्बर		45	28
कु		3559	3301

वर्ष 2008 मे मलेरिया रोगियों की संख्या अधिकतम सितम्बर व अगस्त माह में पाई गई जो वर्ष 2006 में अक्टूबर व सितम्बर माह में पाई गई थी। माह जनवरी व फरवरी में मलेरिया रोगियों की न्यूनतम संख्या दर्ज की गई।

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा दवाई वितरण केन्द्र स्थापित किए गए जिसमें क्लोरोक्विन की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2009 में 2421 दवाई वितरण केन्द्र स्थापित है जिनमें से 2236 कार्यरत हैं।

मलेरिया की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसकी गतिविधियाँ निम्न प्रकार है –

- **सर्वेक्षण कार्य / उपचार** – एक्टिव केस डिटेक्शन के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा घर–घर जाकर बुखार के रोगियों का सर्वेक्षण कर रक्त पट्टिकाएं संग्रहित की जाती है।

- **पेसिव केस डिटेक्शन** के तहत जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों पर बुखार के सभी रोगियों की जांच की जाती है। एकत्रित की गई रक्त पट्टिकाओं की जिले में विभिन्न संस्थानों पर कार्यरत 63 प्रयोगशालाओं में जांच कर मलेरिया रोगी पाये जाने पर उपचार उपलब्ध कराया जाता है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों मे वर्ष में दो बार मलेरिया क्रेश कार्यक्रम के तहत मोबाईल दलों द्वारा मलेरिया नियन्त्रण हेतु गतिविधियाँ की जाती है।

- **कीटनाशी का छिड़काव** – जिले में मलेरिया की उच्चघनात्मक वाले क्षेत्रों में प्रथम व द्वितीय चरण में कीटनाशी 50% डीडीटी एवं अल्फासाईपरमेथरीन का छिडकाव करवाया जाता है। वर्ष 2009 में 20856 किलोग्राम कीटनाशक का छिडकाव हुआ जिसमें 59% जनसख्ंया, 74% मकान और 75 % कमरों में कार्य सम्पादित हुआ।

- **एन्टीलावी कार्य** – मच्छर के लार्वा को नष्ट करने के लिए मच्छर के प्रजनन स्त्रोतों मे मलेरिया लार्वा –साईडल आयल का छिडकाव किया जाता है तथा लार्वाभक्षी मछलियाँ गम्बूशिया छोडी जाती है। गम्बूशिया मछलियों के लिये प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एवं जिला स्तर पर 'हेचरी' का निर्माण किया गया है।

9. एड्स – 'एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसिएन्सी सिण्ड्रोम' की बीमारी एच.आई.वी. नामक विषाणु से होती है। एक बार एच.आई.वी. विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ – जीवन भर का संक्रमण एवं दर्दनाक मृत्यु।

एच.आई.वी. के संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए फैलाव के लिए यौन जनित रोग व प्रजनन तंत्र संक्रमण में कमी लाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं शहरी जनता में यौन रोग, प्रजनन तंत्र, एड्स रोग की जानकारी बढ़ाने हेतु

तथा यौन रोग व प्रजनन तंत्र संक्रमण का प्रारम्भिक अवस्था में निदान व मुफ्त ईलाज कराने के उद्देश्य से परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान चलाया गया है।

उदयपुर जिले में 25 एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र (ICTC) का निर्माण किया गया है जिनमें दो प्रा.स्वा. केन्द्र पर और 1 प्राईवेट केन्द्र पर है। जिला स्तर पर एक एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र के पर्यवेक्षक का पद सृजित किया गया है।

परामर्श एवं जांच केन्द्र पर निम्न सेवाएँ दी जाती है –

- एडस के बारे में जानकारी
- इससे बचने के उपाय
- एड्स रोगियों को परामर्श
- खून की जांच
- उपचार

उदयपुर जिले मे वर्ष 2009 एकीकृत परामर्श एवं जाचं केन्द्र (आई.सी.टी.सी.) पर दिए गए परामर्श की सूची निम्नलिखित है –

Total ICTC	23
PHC ICTC	2
Private ICTC	1

S.No.	ICTC	June to Jan 2008	Jan to June 2009
1	RN.T. Medical College	3012	1520
2	PPTCT Zanana Hospital	4156	3230
3	Satelite Hospital H.M. 6	167	1069
4	Satelite Hospital, Chandpole	98	187
5	TB Hospital badi	424	793
6	CHC Rishabdev	18	284
7	CHC Sanwad	295	553
8	CHC Vallabhnagar	164	516
9	CHC Semari	281	362
10	CHC Gogunda	62	772
11	CHC Kurabad		
12	CHC Kotda	20	103
13	CHC Bhinder	6	463
14	CHC Badgon	97	290
15	CHC Phalasia		
16	CHC Sarada		
17	CHC Jhadol		
18	CHC Iasadia		1
19	Chc Salumber	263	87
20	CHC Dhariyawad		
21	CHC Kanod		
22	CHC Kherwada		
23	CHC Mavli	252	752

स्त्रोत – राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, उदयपुर

एड्स रोगियो को दी गईART का ब्यौरा निम्नानुसार है –

क्र.स.	मरीजों का ब्यौरा	मरीजो की संख्या
1	मरीज जो ART पर हैं	1158
2	नए मरीज जिन्हें ART चालू की गई	62
3	मरीजों की मृत्यु	140
4	मरीज जिन्होनें ईलाज छोड दिया	104

स्त्रोत – राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, उदयपुर

10. आर.टी.आई. / एस.टी.आई. – राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की 80% महिलाएँ श्वेत प्रदर की बीमारी से ग्रसित हैं परन्तु शर्म की वजह से बीमारी को छुपाती हैं। यौन रोग व प्रजनन तंत्र की उपस्थिति में एड्स रोग होने की सम्भावना 30 से 40 गुणा अधिक बढ़ जाती है, साथ ही परिवार कल्याण साधनों की स्वीकारता भी कम रहती है।

उदयपुर जिले में 94 आर.टी.आई. / एस.टी.आई क्लीनिक स्थापित किए गए हैं जहां परामर्श, जाँच और ईलाज किया जाता है।

अ. उदयपुर जिले में आर.टी.आई. / एस.टी.आई रोगियों की जाँच व ईलाज की वर्ष 2008 व 2009 में संख्या निम्न है –

क्र. सं.		वर्ष 2007–08				वर्ष 2008–09			
		अजा	अजजा	अन्य	कुल	अजा	अजजा	अन्य	कुल
	RTI/STI केसेज डायगनोस्ड								
	पुरूष	755 (15.39%)	3220 (65.62%)	932 (18.99%)	4907	652 (14.08%)	3089 (66.69%)	891 (19.24%)	4632
	महिला	3564 (17.86%)	11186 (56.05%)	5208 (26.09%)	19958	3675 (17.72%)	11058 (53.31%)	6008 (28.97%)	20741
2	RTI/STI केसेज ईलाज								
	पुरूष	767 (17%)	2897 (64.19%)	849 (18.81%)	4513	574 (14.96%)	245 (64.07%)	805 (20.97%)	3838
	महिला	3345 (18.89%)	9581 (54.11%)	4782 (27%)	17708	3049 (17.58%)	9147 (52.75%)	5145 (29.67%)	17341

स्त्रोत– अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), उदयपुर

उदयपुर जिले में कार्यरत RTI/STI क्लीनिक्स की कार्यशैली व उपलब्ध संसाधनों को जानने के लिए केस स्टडी की गई।

उद्देश्य :–

1. RTI/STI क्लीनिक्स की कार्यशैली जानना।
2. RTI/STI क्लीनिक्स में उपलब्ध संसाधनों को जाँचना
3. यहां के कार्यकर्ताओं व उनकी सेवाएं लेने वालों का सामाजिक–आर्थिक, जनसांख्यिक ढाँचे को जाँचना।

कार्यप्रणाली – इस स्टडी में उदयपुर जिला स्तर पर पन्नाधाय जनाना अस्पताल व चर्म रोग विभाग, महाराणा भोपाल चिकित्सालय, सब डिविजनल स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खण्ड स्तर पर तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और ग्राम स्तर पर तीन उपकेन्द्रों को चुना गया। 102 मरीजों व 34 कार्यकर्ताओं का इन्टरव्यू लिया गया।

निष्कर्ष :–

1. उपकेन्द्र व प्रा.स्वा.केन्द्र के द्वारा केस को पहचानना, रिपोर्ट करना, रेफर करना, लोगों को ज्ञान देना व RTI/STI की रोकथाम के लिए कन्डोम की सप्लाई करना जैसे कार्य किये जा रहे हैं। सा. स्वा.केन्द्र, FRU व जिला अस्पताल में RTI/STI केस की जाँच व ईलाज किया जाता है।
2. ईलाज लेने वाले मरीजों को सफेद पानी जाना, स्केबिज, पेडिन्क्यूलोसिस, वैजीनाईट्सि और जैनाइटल अल्सर की शिकायत थी।
3. 69 प्रतिशत मरीजों ने RTI/STI क्लीनिक्स के लिए अलग कमरे व भवन की जरूरत बताई।
4. 68 प्रतिशत लोगों ने बताया कि RTI/STI सेवाओं की उपलब्धता नहीं है व 66 प्रतिशत ने मुफ्त की दवाईयों की उपलब्धता में कमी बताई।
5. 85 प्रतिशत कार्यकर्ताओं ने संसाधनो एवं दवाईयों की उपलब्धता में कमी होना बताया।
6. आधे से ज्यादा कार्यकर्ता सेवाओं से सन्तुष्ट हैं।
7. आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं को RTI/STI सेवाओं मे 10 साल से ज्यादा का अनुभव है।

प्रस्तावनाएं :–

1. रिक्त पदों को भरना एवं RTI/STI स्पेशलिस्ट को सा.स्वा.केन्द्र व FRU स्तर पर लगाना।
2. दवाईयां एवं संसाधनों को उपलब्ध कराना।
3. कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण करना।
4. RTI/STI की जानकारी का डाक्यूमेन्टेशन पूर्ण करना।

11. कुष्ठ रोग – कुष्ठ रोग को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम देशभर में चलाया जा रहा है।

समय–समय पर कुष्ठ रोग खोज अभियान चला कर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में

घर–घर जाकर कुष्ठ रोग के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे पीडित स्त्री–पुरूष व बच्चों की जाँच कर रोग की पहचान की जाती है तथा चिकित्सा अधिकारी की राय से उसको ईलाज उपलब्ध कराया जाता है।

कुष्ठ रोगियों को घर–घर जाकर मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जाती है तथा उनकी निरन्तर देख–रेख की जाती है। कुष्ठ रोग की MDT पैकेट के अलावा आवश्यक सहायक औषधियाँ भी मुफ्त दी जाती है। समिति के माध्यम से महात्मा गाँधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, जिसमें जिले भर में सभी संस्थानों पर रैली संगोष्ठी का आयोजन कर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कुष्ठ रोग दिवस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से ठीक हुए रोगियों के पुनर्वास हेतु साईकल व सिलाई मशीन वितरित की जाती है। कुष्ठ रोग के उपचार की दवा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त उपलब्ध है। जिला कुष्ठ रोग निवारण समिति का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय उदयपुर में कार्यरत है।

जिले में 99 कुष्ठ रोगियों की संख्या वर्ष 2009 मे दर्ज की गई। कुष्ठ रोग निवारण हेतु 2 हेल्थ मेला, 2 स्कूल क्यूरीज का आयोजन किया गया है। जिला परिषद व पी.आर.आई. मेम्बर के साथ इन्टर पर्सनल कम्यूनिकेशन मीटींग ली गई। महिला व आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के साथ समय–समय पर बैठक ली जाती है। इन्फारमेशन, एड्यूकेशन और कम्यूनिकेशन द्वारा लोगों को कुष्ठ रोग निवारण के लिए जागरूक किया जा रहा है।

12. राष्ट्रीय संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

उदयपुर जिले में RNTCP कार्यक्रम सितम्बर 2000 से शुरू किया गया। उदयपुर जिले की करीब 30.63 लाख जनसंख्या को क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में 9 टी.यू. में विभक्त किया गया है यथा– उदयपुर, बड़गाँव, वल्लभनगर, झाड़ोल(फ), झाड़ोल(स), कोटड़ा, सलूम्बर, ऋषभदेव एवं धरियावद। प्रत्येक TU पर मेडिकल ऑफिसर – टी.बी. कंट्रोल (MO-TC) का कार्य डेजिगनेटेड चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक TU पर एक सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) एवं एक सीनियर ट्यूबरक्युलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर (STLS) संविदा के अन्तर्गत Supervision एवं Monitoring का कार्य करते हैं। बलगम परीक्षण (SputumAFB) कार्य करने हेतु जिले की 50 लेबोरेटरी को डेजिगनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर (DMC) का दर्जा दिया गया है।

जिले की समस्त CHC एवं PHC (Treatment Centres – TC) पर टी.बी. के Category boxes (Cat I, II एवं III) सदैव उपलब्ध रहते हैं। जिले के सारे चिकित्सा संस्थान यथा CHC, PHC, Subcentres पर DOT की व्यवस्था निर्बाध एवं सुचारू रूप से उपलब्ध है।

मेडिकल कॉलेज involvement के अन्तर्गत महा० भू० सार्व० चिकित्सालय एवं टी.बी. हॉस्पीटल बड़ी प्रत्येक में एक DMC की स्थापना की गयी है एवं उदयपुर जिले, जिले के बाहर एवं राज्य से बाहर के रोगियों को जांच एवं DOTS इलाज की निःशुल्क सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है।

टी.बी.–एच.आई.वी कॉर्डिनेशन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला टी.बी.–एच.आई.वी. कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। विभिन्न ICTC,ART सेन्टर, कम्युनिटी केयर सेन्टर एवं District level Network for People living with HIV-AIDS (DLN) के साथ पूर्ण समन्वय के साथ cross-referral कार्य किया जा रहा है।

External QualityAssurance के अन्तर्गत प्रत्येक DMC पर नियमित रूप से On site Evaluation एवं Random Blinded Re-Checking किया जाता है।

विभिन्न समुदायों, PRI समूहों, SHG, NSS एवं विद्यालयों के छात्रों को DOTS की जानकारी समय–समय पर दी जाती है।

Community Meetings एवं Patient Provider Meetings का गाईडलाइन के अनुसार पर नियमित संचालन किया जाता है। इससे समुदाय के अधिकाधिक सदस्य कार्यक्रम से जुड़ते हैं एवं रोगियों की default rate कम होती है।

राष्ट्रीय संशोधित क्षय रोग निवारण कार्यक्रम की कार्यशाला

RNTCP को NRHM के अन्तर्गत लिया गया है। आशा सहयोगिनियों को जो कि प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर कार्य कर रही हैं संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया गया है। वे Symptomatics को

DMC पर बलगम जांच हेतु रेफर करती हैं एवं DOT provider का भी कार्य करती हैं। NGO-PP की भांति इन्हें 250/- प्रति ठीक किये रोगी पर मानदेय दिया जाता है।

जिले में भ्रमण, मासिक व पाक्षिक मीटिंग व ब्लॉक/सेक्टर मीटिंगों के माध्यम से नियमित आधार पर Supervision एवं Monitoring किया जा रहा है।

कार्यक्रम में अन्य सेक्टर की भागीदारी भी सुनिश्चित की गयी है। NGO एवं प्राइवेट प्रेक्टिशनर्स को involve किया गया है। स्वच्छ NGO के करीब 300 कार्यकर्त्ता जनजातीय ब्लॉक के 300 गाँवों में DOT प्रोवाइडर का कार्य कर रहे हैं। अलर्ट संस्थान गोगुन्दा एवं झाड़ोल ब्लॉक में प्रभावशाली IEC कार्य कर रहा है। अलर्ट संस्थान के सहयोग से गोगुन्दा क्षेत्र में संभवतः देश में प्रथम बार भोपाओं को राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रशिक्षण देकर कार्यक्रम में जोड़ा गया है। Catholic Bishop Conference of India (CBCI) भी उदयपुर TU में SlumArea एवं झाड़ोल(फ) टी.यू. में क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में योगदान दे रही है। नान्दी फाउन्डेशन के माध्यम से स्कूल IEC के अलावा छोटे बच्चों को डॉट्स ईलाज दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन मेडिकल एसोसियेशन (IMA) /पुलिस लाईन / जेल / ई.एस.आई./रेल्वे /मिलिट्री /ECHS /कॉर्पोरेट हॉस्पीटल का भी involvement सुनिश्चित किया गया है।

जिले में क्षय नियंत्रण कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संतोषजनक चल रहा है। पिछले वर्ष 2008 में New Sputum Positive Case Detection Rate 70% के विरूद्ध 117.5 प्रतिशत एवं क्योर रेट 85% के विरूद्ध 89 प्रतिशत रही है।

13. **अन्धता निवारण कार्यक्रम** – उदयपुर जिले में अन्धता निवारण के लिए सदस्य सचिव, जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति, अन्धता, उदयपुर द्वारा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, स्वयं सेवा संस्थान द्वारा नेत्र शिविर लगाकर लक्ष्य पूर्ति हेतू सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008–09 के लिये निदेशालय से 18600 मोतियाबिन्द आपरेशन का लक्ष्य प्राप्त हुआ। माह दिसम्बर 08 तक उपरोक्त सभी के प्रयत्नों के पश्चात् 5884 मोतियाबिन्द आपरेशन किये गये।

अभी तक गैर सरकारी संस्थानों का सहयोग सराहनीय रहा है। स्टेटिक सेन्टर पर मोतियाबिन्द आपरेशन करने हेतु जोर दिया जा रहा है जिससे की लक्ष्य पूर्ति की जा सके।

14. **किशोर अवस्था** – किशोर अवस्था मे जैविक, सामाजिक और मानसिक रूप से कई बदलाव आते हैं और बालिकाओं को इन बदलावों से सामन्जस्य बिठाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

उदयपुर जिले में एडोलेसेन्ट फ्रेण्डली हेल्थ सर्विसेस (AFHS) के अन्तर्गत हर शुक्रवार को प्रा.स्वा. केन्द्र व सा.स्वा.केन्द्र पर किशोर बालक–बालिकाओं को 1 घंटा परामर्श दिया जाता है। एक परामर्श कमरा व सम्बन्धियों के रूकने हेतु एक कमरे के लिए 10000 रू. हर प्रा.स्वा.केन्द्र व 20000/– रू. सा.स्वा.केन्द्र के लिए निश्चित किए गए हैं।

15. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं – मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएँ के अन्तर्गत प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव बाद देख भाल, बच्चे की देख रेख एवं परिवार नियोजन सम्मिलित है। माताओं और बच्चों को जरूरी सेवाएँ पहुँचाना एवं जटिलताओं को पहचान कर उन्हे रेफरल हॉस्पीटल भेजने जैसे कार्य की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई है। उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सृदृढ़ीकरण हेतु मातु एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया है। इसके अन्तर्गत माइक्रोप्लान की संरचना की गई है जिसमें प्रत्येक गुरूवार को पूर्व निश्चित ग्राम में स्वास्थ्यकर्ता द्वारा मातृ एवं शिशु स्वा. दिवस मनाया जाता है। इस माइक्रोप्लान में सभी छोटे–बड़े गॉवों को सम्मिलित किया गया है। दूर दराज व कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में यह आयोजन द्विमासिक किया जाता है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस में की जानी वाली गतिविधियाँ निम्नानुसार हैः–

- गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण।
- पूर्व में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जाँच, टीकाकरण एवं आयरन की गोली वितरण।
- गर्भ के दौरान होने वाली जटिलताओं की पहचान एवं संस्थागत प्रसव हेतु सलाह।
- नवजात शिशुओं का टीकाकरण हेतु पंजीयन एवं टीकाकरण।
- गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों की जाँच, उपचार एवं पौष्टिक आहार की जानकारी।
- 0–5 वर्ष की आयु के बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण।
- योग्य दम्पत्तियों की अन्तराल साधनों की उपलब्धता।
- महिला समूह की बैठक।
- मातृ एंव शिशु स्वा. दिवस की प्रगति का प्रगति रजिस्ट्रर मे अंकन

मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य दिवस पर गर्भवती महिला की जांच करती प्रसाविका

हर महीने रिपोर्ट कम्प्यूटर द्वारा भेजी जाती है। इसके लिए जिला स्तर पर रूटीन इम्यूनाईजेशन मैनेजमेन्ट सिस्टम (RIMS) को परिष्कृत किया गया है।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस के दिन टीकाकरण हेतु वैक्सीन डीलीवरी के लिए मोबिलिटी मानदेय 800/– की सुविधा दी गई है। दूरदराज के इलाको में यह मानदेय कम पडने से इसे और बढाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

उदयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की रिपोर्ट वर्ष 2007,2008,2009 में निम्नानुसार है–

क्र.सं.	ANC पंजीकरण	2007	2008	2009
i	कुल संख्या	83794	93182	94173
ii	12 सप्ताह के भीतर	25643	32664	35489
iii	जिन्होंने 3 बार चैक अप करवाए	61766 (73.71%)	65114 (69.88%)	70120 (74.46%)

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

जिले में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं 3 बार चैक अप करवाने की संख्या में वर्ष 2009 में बढोतरी पाई गई है। अनुसुचित जाति को और प्रेरित करने की जरूरत है।

प्रतिशत गर्भवती महिला जिन्होने 3 ए.एन.सी. जांच करवाई–

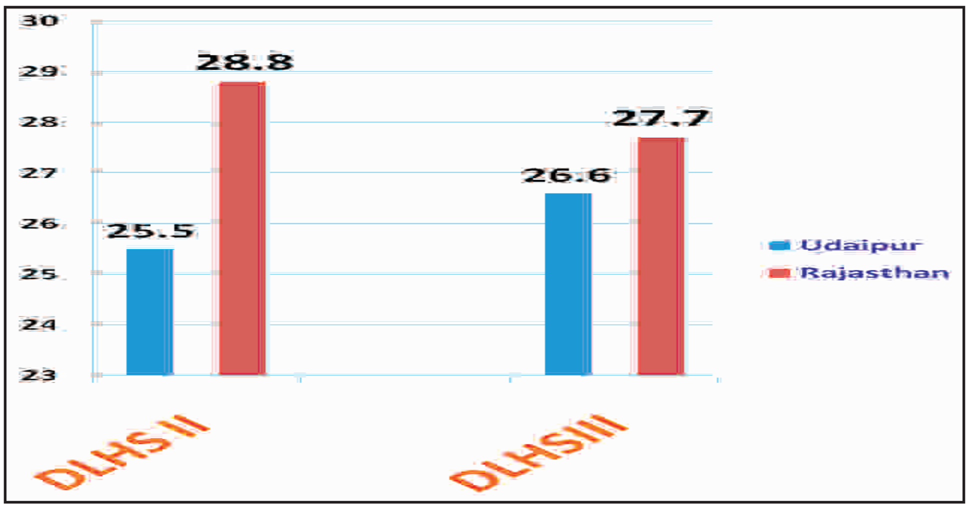

स्त्रोत :– डी.एल.एच.एस.।। (2002–04) व डी.एल.एच.एस.।।। (2007–08)

उदयपुर जिले व राजस्थान राज्य मे गर्भवती महिलाएं जिन्होने 3 ए.एन.सी. जाँच करवाई का प्रतिशत लगभग बराबर है।

जिले में गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सूची वर्ष 2007– 2008 व 2008–2009 की इस प्रकार है–

	विवरण	वर्ष 2007–08					वर्ष 2008–09				
		लक्ष्य	अ.जा	अजजा	अन्य	कुल उपलब्धि	लक्ष्य	अ.जा	अजजा	अन्य	कुल
1	टी.टी. 1	97431	9234 12.56%	37992 51.70%	26265 35.74%	73491 75.43%	97094	8780 11.38%	38284 49.64%	30063 38.98%	77127 79.44%
2	टी.टी. 2	97431	9638 12.83%	39367 52.41%	26107 34.76%	75112 77.09%	97094	9999 13.94%	36494 50.88%	25233 35.18%	71726 73.87%
3	बूस्टर	97431	2347 14.76%	8943 56.26%	4606 28.98%	15896 16.32%	97094	1800 13.60%	7370 55.67%	4067 30.72%	13237 13.63%

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

वर्ष 2008–2009 में उदयपुर जिले में 79.44 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का टी.टी.1 दिया गया जबकी टी.टी. 2 व बूस्टर डोस की संख्या में कमी आई है।

उदयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं को आईरन गोलियों के वितरण की संख्या निम्न है–

क्र.सं	विवरण	2007	2008	2009
1	गर्भवती महिला को आईरन की 100 गोलियॉ दी गई	57220	71205	70170
2	गभर्वती को आईरन की 200 गोलियॉ दी गई	47521	15187	9987

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

उदयपुर जिलें में गर्भवती महिलाओं द्वारा आईरन गोलियों का सेवन निरन्तर बढा है। सेवामंदिर व पावर्टी एक्शन लेब द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का 2003 में हेल्थ सर्वे एकशन रिसर्च किया गया। जिसमें एनिमिया (खून की कमी) को दूर करने के लिए आटे मे आईरन मिलाकर विक्रेन्द्रीकरण किया गया। आईरन युक्त आटे का शुरूआती दौर में उपयोगिता बढी लेकिन छः महिने बाद फिर घटने लगी। इसके कारणों का पता लगाया गया। एक तो यह कि नई आटा चक्की लोगों के घरो के पास खुलने से लोग दूर जाकर पुरानी आटा चक्की से आईरन युक्त आटा लेना बंद कर दिया, एवं दूसरी बात यह है आटा चक्की के मालिक बदल जाने से या घर के किसी और सदस्य का आटा लेने आने पर आईरन युक्त करना व कराना भूल जाते थे। यह देखा गया कि जब तक आईरन युक्त आटा का उपयोग किया गया एनिमिया में कमी दर्ज की गई।

आगे भी इस तरह के कार्यक्रम सुदृढ रूप से लागू होने पर एनिमिया की रोकथाम की जा सकती है।

उदयपुर जिले में संस्थाओं/अस्पतालों में हुई प्रसव की सूची निम्न है –

(वर्ष 2007–08 व 2008–09 मे)

विवरण	वर्ष 2007–08					वर्ष 2008–09				
	लक्ष्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल	लक्ष्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल
संस्थागत प्रसव	87688	7978	19919	23383	51280	87688	7412	15969	26879	50260
	15.56%	38.84%	45.60%	58.48%		14.75%	31.77%	53.48%		

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

विभिन्न संस्थानो पर हुए प्रसवो की सूची वर्ष 2007–08 व 2008–09

क्र.सं.	विवरण	वर्ष 2007–08	वर्ष 2008–09
1	सब सेन्टर	3671	1969
2	प्रा.स्वा.केन्द्र	12074	10095
3	सा.स्वा.केन्द्र	19084	18587
4	पन्नाधाय हॉस्पीटल	15110	16985
5	अन्य सरकारी संस्थान	1157	2584
6	अन्य प्राईवेट	184	40
	योग	**51280**	**50260**

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

जिले में 2008–09 वर्ष मे कुल 57.32 प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुए हैं। जिनमें केवल 15.56 प्रतिशत भागीदारी अनुसूचित जाति व 38.84 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की रही। पन्नाधाय हॉस्पीटल जिला अस्पताल में प्रसव अधिक है। उदयपुर जिले के सेटेलाईट अस्पतालों में प्रसव बढाने हेतु प्रसाविकाओं और आशाओं को यहां लगाने का प्रस्ताव है।

डी.एल.एच.एस. सर्वे द्वारा उदयपुर जिले व राजस्थान राज्य में संस्थागत प्रसव की सूची निम्न है –

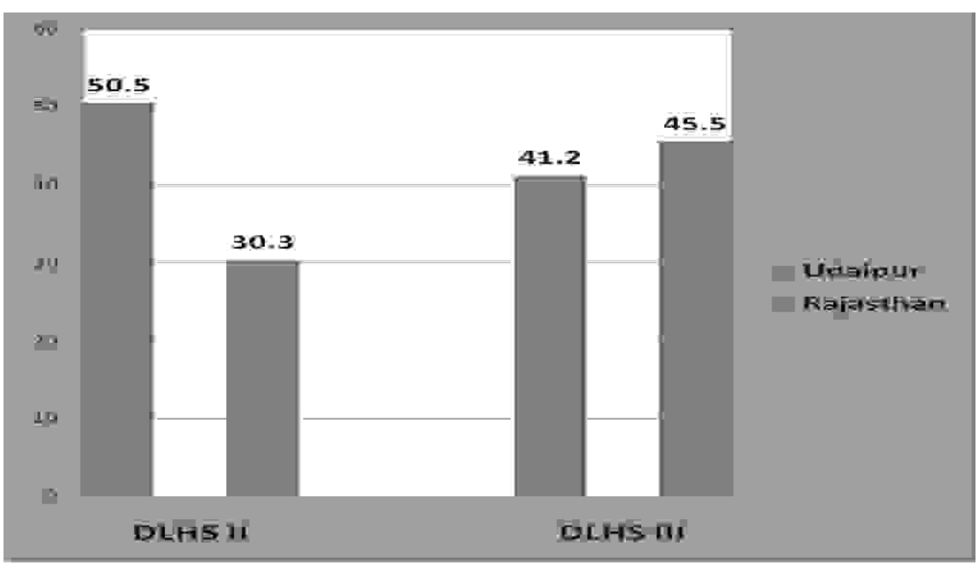

स्त्रोत :– डी.एल.एच.एस.।। (2002–04) व डी.एल.एच.एस.।।। (2007–08)

उदयपुर जिले में संस्थागत प्रसव डी.एल.एच.एस.।।। (2007–08) मे 41.2 प्रतिशत है जो राजस्थान राज्य से कम है।

जिले मे गर्भवती महिलाओं की अस्पतालों/संस्थाओं में प्रसव हेतु प्रेरित करने के लिए '' जननी सुरक्षा योजना '' कार्यरत है। इसके अन्तर्गत –

- गर्भवती महिला को प्रसव होने के बाद 24 घन्टे अस्पताल में रूकने पर एवं ए.एन.सी. कार्ड उपलब्ध होने पर 1400 रू व शहरी क्षेत्र मे 1000 रू का मानदेय दिया जाता है।
- आशा सहयोगिनी को गर्भवती महिला के साथ आने पर 200 रू. का क्षतिपूर्ति मानदेय व ग्रामीण क्षेत्र मे 3 0 0 रू मोबिलिटी सपोर्ट का मानदेय दिया जाता है।
- बी.पी. एल. कार्ड धारी गर्भवती महिला को 500रू. तीसरे त्रीमाह में सम्पूर्ण टीकाकरण होने पर उपलब्ध कराया जाता है और शेष 900रू. संस्थागत प्रसव होने के उपरान्त दिया जाता है। बी.पी.एल. कार्डधारी गर्भवती महिला को पहला बच्चा होने के उपरान्त 5 किलोग्राम घी सरकार की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- आशा सहयोगिनी द्वारा गर्भवती महिला को प्रसव बाद तीन बार प्रसुता की जॉच, आईरन गोलियाँ का वितरण व बी.सी.जी. टीकाकरण करने पर 100 रूपये/– का मानदेय दिया जाता है।
- स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती से कार्य करने के लिए प्रा.स्वा.केन्द्र पर आशा सहायोगिनी की मासिक बैठक में उपस्थित होने पर 100रू– मानदेय एवं यात्रा भत्ता दिया जाता है।

''जननी सुरक्षा योजना '' की सेवाओं का हिताधिकारी गर्भवती महिलाओं की वर्ष 2008 व 2009 में सूची निम्न है –

क्र.स.	विवरण	2008	2009
1	हिताधिकारी गर्भवती महिलाओं की संख्या	43741	45772
2	आशा द्वारा कार्य सम्पादन	13101	9842
3	प्रसाविका द्वारा कार्य सम्पादन	14326	14506
4	अन्य द्वारा कार्य सम्पादन	16179	16948
5	हिताधिकारी गर्भवती महिला जिसे ज.सु.यो. का लाभ दिया गया	43606 (99.69%)	45025 (98.37%)

स्त्रोत – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उदयपुर

उदयपुर जिले में गर्भवती महिलाओं की आउटकम, बर्थ आर्डर व नवजात शिशु के वजन की रिपोर्ट वर्ष 2007, 2008, 2009 में निम्न है–

क्र.स.		2007	2008	2009
अ	**गर्भ का आउट कम**			
	1. जीवित जन्म	60617	90649	76868
	बालक	32105	46459	41606
	बालिका	28512	44190	35262
	2. मृतजन्म बालक	1405	1531	1317
	3. गर्भपात		957	636
ब	**जीवित जन्म का बर्थ आर्डर**			
	1. पहला बच्चा	25021	25217	26553
	2. दूसरा बच्चा	21616	26550	25110
	3. तीसरा बच्चा या उससे ज्यादा	17702	25098	25154
स	**नवजात शिशु का वजन**			
	1. 2.5 किलो ग्राम से ज्यादा	39212		
	बालक		33863	32974
	बालिका		28874	30602
	2. 2.5 किलोग्राम से कम	9850		
	बालक		4123	3450
	बालिका		3884	3552

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा जीवित जन्म प्रसवों में बढ़ोतरी हुई है एवं मृत जन्म एवं गर्भपात में कमी आई है।

16. मातृ मृत्यु –उदयपुर जिले में वर्ष 2007, 2008 व 2009 में मातृ मृत्यु की संख्या निम्न है

क्र.स.	मातृ मृत्यु	2007	2008				2009			
				अ.ज.जा.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	कुल
1	गर्भ के दौरान	14	4	7	3	14	16	4	3	23
2	प्रसव के दौरान	31	4	27	14	45	4	23	10	37
3	प्रसव के छः सप्ताह के भीतर	31	6	30	21	57	10	87	20	117
	कुल योग	76	14	64	38	116	30	114	33	177

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

मातृ मृत्यु की संख्या निरन्तर बढकर वर्ष 2009 में 177 हो गई है। जिनमें ज्यादातर प्रसव के 6 सप्ताह के भीतर पाई गई है। अर्थ संस्थान द्वारा निकाली गई प्रभावी मातृ मृत्यु दर 426 है। MDG के तहत वर्ष 2015 तक मातृ मृत्यु दर 109 तक लाने का लक्ष्य है। मातृ मृत्यु की संख्या को कम करने के प्रयास निम्न है –

1. पोस्ट पार्टम केयर हेतु 6 पोस्ट पार्टम सेन्टर निर्मित है।

पोस्ट पार्टम केयर दी गई मरीजो की संख्या निम्न है –

विवरण	वर्ष 2007	वर्ष 2008	वर्ष 2009
पोस्ट पार्टम केयर	54501	69883	72624

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

पोस्ट पार्टम केयर की सुविधा लेने वाली महिलाओं की संख्या भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

2. मातृ मृत्यु व उससे सम्बन्धित सम्भव कारणों से होने वाली मृत्यु की जानकारी हेतु MAPEDIR (Maternal and Perinatal Death Inquiry and Response) कार्यक्रम स्थापित किया गया है।

3. जिला स्तर पर स्कील बर्थ अटेण्डेन्टस ट्रेनिग दी जा रही है।

4. 15–45 वर्ष की महिलाओं एंव गर्भवती महिलाओं को इन्फार्मशन, एड्यूकेशन व कम्यूनिकेशन (आई.ई.सी.) द्वारा उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

5. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर महिलाओं का परामर्श, जाँच व खून की कमी का निदान किया जा रहा है।

6. जटिल बिमारी से ग्रसित गर्भवती महिला व प्रसव में कठिनाई आने पर उपयुक्त रेफरल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

17. जनमंगल कार्यक्रम :– प्रदेश मे योग्य दम्पतियों के सर्वेक्षण व अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि परिवार को सीमित रखने के लिए दम्पतियों को बच्चों में अन्तराल रखने हेतु साधनों की आपूर्ति या तो पर्याप्त नहीं हो रही है या नियमित नहीं है इस कारण जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण मे अपेक्षित उपलब्धियाँ अर्जित करने मे आशातीत सफलता प्राप्त नहीं होती है। इस अनापूरित माँग को पूरा करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने सीमित परिवार की अवधारणा पर आधारित गर्भ निरोधक के अन्तराल साधनों (गर्भ निरोधक गोलियाँ व निरोध) को उपयोग को बढावा देने हेतु सामुदायिक कार्यक्रम **''जनमंगल कार्यक्रम''** प्रारम्भ किया है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला एवं शिशु स्वास्थ्य का सम्बल प्रदान करना है। इस सन्दर्भ में जनमंगल

कार्यक्रम महिलाओं को अधिक बच्चों के जन्म, दो बच्चों के जन्म के मध्य अन्तर एवं कम उम्र मे महिलाओं को प्रसव उत्पीडन से मुक्त करने का प्रयास है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में लैंगिक समानता, पति–पत्नी मे परिवार के कल्याण हेतु आपसी संवाद को प्रोत्साहन एवं प्रजनन जागरूकता के माध्यम से सीमित परिवार हेतु अन्तराल साधनों की मांग को बढाने तथा इसे पूर्ण करने के लिए अग्रसर है।

जनमंगल जोडो की द्विमासिक बैठक मे प्रगति सूचना प्राप्त की जाती है एंव बैठक मे उपस्थित होने पर जोडो को 100/– रू. प्रति व्यक्ति का मानदेय दिया जाता है।

जनमंगल मिलन बैठक का प्रगति विवरण इस प्रकार है–

क्र.स.	प्रगति विवरण	2006–07	2007–08	2008–09
1	जनमंगल जोडे	2285	2285	2356
2	बैठक की संख्या	195	331	356
3	बैठको मे भाग लेने वाली स्त्रियों की संख्या	1133	2898	2171
4	पुरूषो की संख्या	873	2948	2062
5	ओरल पिल्स वितरण	5295	25611	25328
6	ओरल पिल्स लाभार्थियो की संख्या	5295	4692	16932
7	निरोध वितरण	45460	191100	282741
8	निरोध लाभार्थियो की संख्या	4546	8519	32211
9	नसबंदी प्रेरणा		384	1248
10	कॉपर टी प्रेरणा		293	756
11	ओ. आर. एस. वितरण		5313	2060

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

18. बच्चों का टीकाकरण

उदयपुर जिले में यूनिवर्सल इम्यूनाईजेशन प्रोग्राम के तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। जिसकी वर्ष 2007–2008 व 2008–2009 की रिपोर्ट निम्न हैः–

विवरण		वर्ष 2007–08					वर्ष 2008–09				
		लक्ष्य	अ.जा.	अजजा	अन्य	कुल	लक्ष्य	अ.जा.	अजजा	अन्य	कुल
BCG											
अ	बालक		6018 (13.12%)	20689 (45.13%)	19131 (41.73%)	45838		4799 (11.07%)	20069 (46.33%)	18446 (42.58%)	43314
ब	बालिका		5849 (14.33%)	18843 (46.19%)	16100 (39.46%)	40792		4197 (10.31%)	19007 (46.70%)	17491 (42.98%)	40695
स	कुल	87073	11867 (13.69%)	39532 (45.63%)	35231 (40.66%)	86630	88267	8996 (10.70%)	39076 (46.51%)	35937 (42.77%)	84009
DPT-1											
अ	बालक		6163 (14.74%)	20533 (49.13%)	15090 (36.11%)	41786		4564 (11.37%)	21490 (53.57%)	14056 (35.04%)	40110
ब	बालिका		5397 (13.09%)	19783 (48.01%)	16021 (38.88%)	41201		4193 (11.63%)	19477 (54.04%)	12370 (34.32%)	36040
स	कुल	82640	11560 (13.92%)	40316 (48.58%)	31111 (37.48%)	82987	82652	8757 (11.49%)	40967 (53.79%)	26426 (34.70%)	76150
DPT-2											
अ	बालक		5775 (14.26%)	20957 (51.76%)	13751 (33.96%)	40483		4393 (11.29%)	21615 (55.56%)	12890 (33.13%)	38898
ब	बालिका		5310 (13.69%)	19725 (51.91%)	12960 (34.10%)	37995		3972 (11.14%)	19808 (55.55%)	11873 (33.30%)	35653
स	कुल	82640	11085 (14.12%)	40682 (51.84%)	26711 (34.04%)	78478	82652	8365 (11.22%)	41423 (55.56%)	24763 (33.21%)	74551
DPT-3											
अ	बालक		6163 (14.38%)	22704 (52.98%)	13987 (32.64%)	42854		4848 (12.19%)	20957 (52.70%)	13956 (35.09%)	39761
ब	बालिका		5562 (14.09%)	20523 (52%)	13385 (33.91%)	39470		4326 (11.36%)	19409 (51.01%)	14314 (37.61%)	38049
स	कुल	82640	11725 (14.24%)	43227 (52.51%)	27372 (33.25%)	82324	82652	9174 (11.79%)	40366 (51.87%)	28270 (36.33%)	77810
OPV-1											
अ	बालक		6162 (14.79%)	20416 (49.01%)	15079 (36.20%)	41657		4529 (11.32%)	21450 (53.65%)	13996 (35.01%)	39975
ब	बालिका		5382 (14.06%)	19450 (50.82%)	13444 (35.12%)	38276		4189 (11.65%)	19439 (54.07%)	12321 (34.27%)	35949
स	कुल	82640	11544 (14.44%)	39866 (49.87%)	28523 (35.68%)	79933	82652	8718 (11.48%)	40889 (53.85%)	26317 (34.66%)	75924

OPV-2											
अ	बालक		5792 (14.43%)	20632 (51.40%)	13717 (34.17%)	40141		4350 (11.18%)	21642 (55.66%)	12890 (33.15%)	38882
ब	बालिका		5315 (14.11%)	19493 (51.75%)	12859 (34.14%)	37667		3956 (11.03%)	20019 (55.84%)	11871 (33.11%)	35846
स	कुल	82640	11107 (14.27%)	40125 (51.57%)	26576 (34.16%)	77808	82652	8306 (11.11%)	41661 (55.75%)	24761 (13.69%)	74728
OPV-3											
अ	बालक		6274 (14.54%)	22376 (51.85%)	14504 (33.61%)	43154		4895 (12.25%)	20722 (51.89%)	14313 (35.84%)	39930
ब	बालिका		5605 (14.31%)	20276 (51.76%)	13289 (33.93%)	39170		4314 (11.38%)	19588 (51.71%)	13978 (36.90%)	37880
स	कुल	82640	11879 (14.43%)	42652 (51.81%)	27793 (33.76%)	82324	82652	9209 (11.83%)	40310 (51.80%)	28291 (36.35%)	77810
Measles											
अ	बालक		5999 (13.98%)	22192 (51.73%)	14708 (34.29%)	42899		5198 (13.03%)	20176 (50.60%)	14499 (36.36%)	39873
ब	बालिका		5688 (14.43%)	20088 (50.95%)	13649 (34.62%)	39425		4515 (12.25%)	18677 (50.69%)	13652 (37.05%)	36844
स	कुल	82640	11687 (14.20%)	42280 (51.36%)	28357 (34.45%)	82324	82652	9713 (12.66%)	38853 (50.64%)	28151 (36.69%)	76717
Fully Immunized											
अ	बालक		5816 (13.28%)	20520 (46.86%)	17450 (39.85%)	43786		4184 (11.38%)	18794 (51.12%)	13780 (37.48%)	36758
ब	बालिका		5330 (13.03%)	19191 (46.92%)	16382 (40.05%)	40903		3767 (11.11%)	17450 (51.48%)	12679 (37.40%)	33896
स	कुल	82640	11146 (13.16%)	39711 (46.89%)	33832 (39.95%)	84689	82652	7951 (11.25%)	36244 (51.29%)	26459 (37.44%)	70654
DPT Booster											
अ	बालक		3493 (14.49%)	12227 (50.43%)	8382 (3478%)	24102		3038 (12.70%)	12108 (50.63%)	8767 (36.66%)	23913
ब	बालिका		3480 (15.42%)	11258 (49.87%)	7837 (34.72%)	22575		2824 (12.84%)	11199 (50.93%)	7963 (36.21%)	21986
स	कुल		6973 (14.94%)	23485 (50.31%)	16219 (34.74%)	46677		5862 (12.77%)	23307 (50.77%)	16730 (36.44%)	45899
OPV Booster											
अ	बालक		3376 (14.23%)	12140 (51.16%)	8213 (34.61%)	23729		3020 (12.80%)	11872 (50.32%)	8701 (36.87%)	23593
ब	बालिका		3414 (15.46%)	11036 (49.99%)	7628 (34.55%)	22078		2750 (12.65%)	11062 (50.92%)	7910 (36.41%)	21722
स	कुल		6790 (14.82%)	23176 (50.59%)	15841 (34.58%)	45807		5770 (12.73%)	22934 (50.61%)	16611 (36.65%)	45315

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

टीकाकरण की दरो में कमी देखते हुए वर्ष 2003 मे सेवा मंदिर और (J-PAL) पॉवर्टी ऐक्शन लेब द्वारा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट लागू किया गया जिसके अन्तर्गत टीकाकरण की दरों में वृद्धि हेतु टीकों की सप्लाई व टीकों की उपयोगिता में सुधार लाने का प्रयास किया गया।

टीकाकरण केम्प लगाए गए व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मोटरसाईकिल द्वारा टीकाकरण स्थान पर पहुँचाया गया। उनके फोटो लिए गए व केम्प टीम को समय पर मानदेय दिया गया। टीकाकरण के लिए बच्चों को लाने पर अभिभावकों को 1 किलो दाल उपलब्ध कराई गई व पूर्ण टीकाकरण होने पर प्लेटों का सेट दिया गया।

इससें बच्चों के टीकाकरण दरों में 6% से 17% बढ़ोतरी पाई गई व पूर्ण टीकाकरण दर 20% हो गई।

बच्चों के टीकाकरण उपलब्धि में गत वर्ष से कमी आई है। लक्ष्य को पूर्ण करने का निरन्तर प्रयास जारी है।

उदयपुर जिला व राजस्थान राज्य में डी.एल.एच.एस.।। व डी.एल.एच.एस.।।। से बच्चों के टीकाकरण की सूची

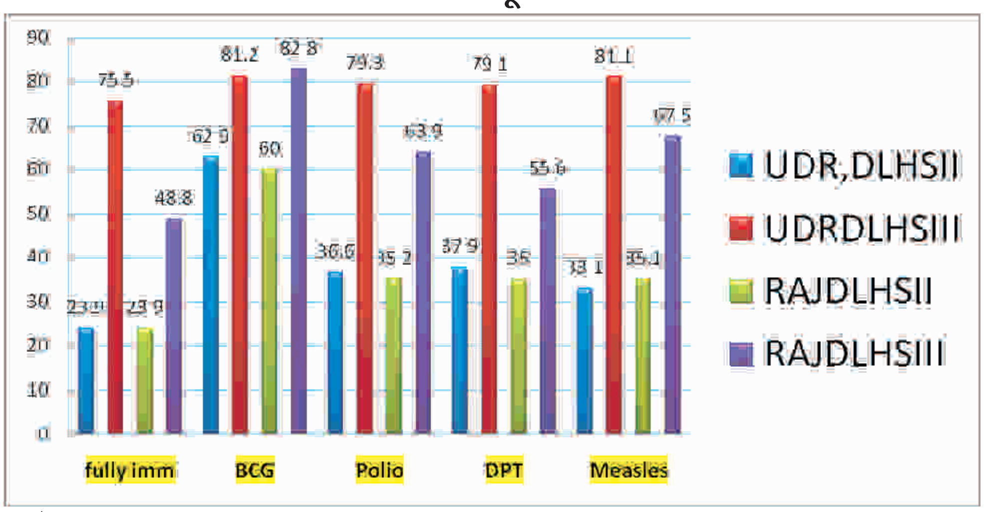

स्त्रोत :– डी.एल.एच.एस.।। (2002–04) व डी.एल.एच.एस.।।। (2007–08)

राजस्थान राज्य की तुलना में उदयपुर जिलें में बच्चों के टीकाकरण का प्रतिशत ज्यादा है।

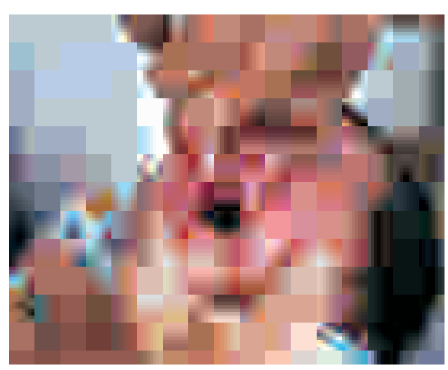

मातृ एवं शिशु स्वा. दिवस पर टीकाकरण ओ.पी.वी. की खुराक लेते हुए बच्चा

19. जिले में बच्चों में विभिन्न बिमारियों की रिपोर्ट वर्ष 2007,2008 व 2009 में निम्न है—

क्र.स.	बच्चों की बिमारियों का विवरण	2007	2008	2009
1	पोलियो मायलेटिस	0	0	0
2	खसरा	0	164	61
3	श्वसन रोग	40897	10159	9231
4	दस्ते / डीसेन्टरी	39527	16989	13363
5	मलेरिया		3647	1817
6	क्षय रोग		36	183
7	मृत्यु			
	जन्म के 1 सप्ताह के भीतर	749	1155	1024
	1 सप्ताह से 1 महिने के भीतर	288	215	322
	1 महिने से 11 महिने के भीतर	245	173	471
	1 साल से 5 साल तक	157	216	216
	कुल मृत्यु	**1439**	**1759**	**2033**

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

जिले में बच्चों के रोगों में क्षय रोग के अलावा सभी में कमी आई है। जन्म से एक सप्ताह के भीतर मरने वाले शिशुओं की संख्या अधिक है। इन बच्चों की देखरेख हेतु नवजात शिशु एवं बाल्याकाल की समेकित देखभाल (IMNCI) कार्यक्रम कार्यरत है।

20. नवजात शिशु एवं बाल्याकाल की समेकित देखभाल (IMNCI) – शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु शिशु एवं बाल्याकाल की बिमारियों की समेकित देखभाल में आशाओं का प्रशिक्षण उदयपुर जिले में चल रहा है। इसके अन्तर्गत आशा कार्यकर्ता को नवजात शिशु एवं पाँच वर्ष तक के बच्चों की समेकित देखभाल, उनकी बीमारी की पहचान व गंभीर बीमारी होने पर उनको रेफर करने के बारे में सिखाया जा रहा है। आशा के 8 बैच का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इस प्रशिक्षण के उदयपुर जोन में पूरा हो जाने तक शिशु मृत्यु दर में कमी अपेक्षित है।

जिले में कुल 2600 आशाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है।

नवजात शिशु एवम् बाल्यकाल में होने वाली बीमारियों की समेकित देखभाल के लिए 28 प्रशिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दिया गया है। लक्ष्य है कि सन् 2010 तक सभी आशाओं को प्रशिक्षित कर लिया जाएगा और उदयपुर जिले में शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।

उदयपुर जिले में बच्चों की मृत्यु दर वर्ष 2007—08 व 2008—09 निम्न है—

विवरण	**2007—08**	**2008—09**
आई.एम.आर	**16.70**	**23.68**
5 वर्ष से कम बच्चे की मृत्यु दर	**19.04**	**26.45**

स्त्रोत — अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

21. माल न्यूट्रेशन ट्रीटमेन्ट कोर्नर — रविन्द्र नाथ टेगौर आयुविर्ज्ञान महाविद्यालय से सम्बन्धित बाल चिकित्सालय उदयपुर में माल न्यूट्रेशन कार्नर की सुविधा उपलब्ध है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती कुपोषित गरीब बच्चों को प्रतिदिन 30 /— रू. प्रति बच्चे के हिसाब से भुगतान किया जाता है इस हेतु चिकित्सालय मे अलग वार्ड एवं स्टॉफ नियुक्त है। चालू वित्तिय वर्ष में इस योजनान्तर्गत माहवार निम्नानुसार राशि का भुगतान किया गया है।

क्र.स.	माह	बच्चों की संख्या	भुगतान की गई राशि
1	अप्रेल 09	22	6120
2	मई 09	20	4080
3	जून 09	3	600
4	जुलाई 09	6	2400

स्त्रोत — रविन्द्र नाथ टेगौर आयुविर्ज्ञान महाविद्यालय

22. परिवार नियोजन — जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने हेतु कार्ययोजना तैयार की गयी है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जनता के माँग के अनुसार स्वयं अपने क्षेत्र के लिए वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं।इसके लिए प्रतिवर्ष अप्रेल माह में प्रत्येक योग्य दम्पतियों का सर्वेक्षण कर के परिवार कल्याण के बारे में उनकी इच्छा की जानकारी प्राप्त की जाती है व परिवार कल्याण कार्यक्रम के लाभों की जानकारी देकर कोई न कोई साधन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता हैं।

- परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन तथा प्राइवेट हैल्थ क्लीनिक द्वारा नसबंदी ऑपरेशन करने एवं आई.यू.डी. निवेशन पर प्रोत्साहन की योजना के अन्तर्गत पंजीकृत/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठन तथा प्राइवेट हैल्थ क्लीनिक द्वारा नसबंदी ऑपरेशन किए जाने पर महिलाओं को 1350रू/—व पुरूषों को 1300/— प्रति नसबंदी ऑपरेशन कुछ शर्तो के अध्याधीन दिये जा रहे हैं।

- जिले में नसबंदी केसेज हेतु 7 स्टेटिक सेन्टर – सेटेलाईट अस्पताल (हिरण मगरी / चांदपोल), सलुम्बर, कानोड, भीण्डर, मावली और सनवाड कार्यरत है जहां प्रत्येक दिन नसबंदी केसेज कराने की सुविधा उपलब्ध है। सप्ताह में एक बार सर्जन व एनेस्थेटिस्ट की टीम नसबंदी केम्प के लिए सा.स्वा. केन्द्र गोगुन्दा, झाडोल, सराडा, खेरवाडा, कोटडा व सेक्टर प्रा.स्वा.केन्द्र (महिने में एक बार) भेजी जाती है।

- पुरूष नसबंदी कराने पर 1100 रू / –पुरूष को व महिला नसबंदी कराने पर 600रू / –महिला को क्षतिपूर्ति की राशी के रूप में दिए जाते है।

- पुरूष नसबंदी व महिला नसबंदी कराने वाले प्रेरक को क्रमशः 200 व 150 रू. प्रति के बजट के माध्यम से भुगतान किया जाता है।

उदयपुर जिले में हुए नसबंदी केसेज का वर्ष 2006–07, 2007–08 व 2008–09 की रिपोर्ट इस प्रकार है –

क्र. स.	नसबंदी					
	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि		कुल	प्रतिशत
			महिला नसबन्दी	पुरूष नसबंदी		
1	2006–07	22422	8321	48	8369	37.32
2	2007–08	21340	9449	276	9725	45.57
3	2008–09	19485	10601	182	10783	55.34

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

NSV को बढावा देने हेतु IPC, ग्रुप मीटिंग उदयपुर जिलें में वर्ष 2006–07 में लक्ष्य का 37.32 प्रतिशत नसबंदी ऑपरेशन में उपलब्धि हासिल की गई जो बढकर 2008–09 में 55.34 प्रतिशत हो गई है। नान स्केलपल वैसक्टमी की संख्या में गत वर्ष से कमी आई है।

- NSV को बढ़ावा देने हेतु IPC ग्रुप मीटिंग आदि कार्य की समेकित देख रेख की जरूरत है एवं प्रचार प्रसार के लिए आशा सहयोगिनीयों, प्रसाविकाओं और अन्य स्वास्थ्यकर्ता को प्रशिक्षण एवं प्रेरित करना है।

- ग्रामिण क्षेत्र मे पुरूष नसबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए मेरीस्टोप्स इन्टरनेशनल से खण्डों का पर्यवेक्षण कर एक कम्बल व 100 रूपये मानदेय देने का निर्णय लिया गया है।

23. गर्भ निरोधक

- **वर्ष 2007, 2008 व 2009 में आइ.यू सी. डी. निवेशन की रिपोर्ट निम्न है–**

क्र.स.	वर्ष	आई.यू.सी. डी.		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2007	16181	14623	90
2	2008	16818	15471	85.1
3	2009	14909	17984	120.63

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

उदयपुर जिले में आई.यू.सी.डी. निवेशन वर्ष 2007 में लक्ष्य का 90 प्रतिशत से बढकर वर्ष 2009 में 120.63 प्रतिशत हो गई है।

- **उदयपुर जिले में ऑरल पिल्स व निरोध का साधन अपनाने वालों की संख्या वर्ष 2008 व 2009 में निम्न है:–**

क्र. स.	विवरण	वर्ष 2007–08			वर्ष 2008–09		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	ओरल पिल्स	60240	48042	79.75	60240	60143	99.84
2	निरोध	58554	47704	81.47	58554	55901	95.47

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

जिले में वर्ष 2008–09 में ओरल पिल्स का उपयोग 79.75 प्रतिशत (2007–08) से बढकर 99.84 हो गया है और साथ ही निरोध का उपयोग भी 81.47 प्रतिशत (2007–08) से बढकर 95.47 प्रतिशत हो गया है।

24. एम.टी.पी.–उदयपुर जिले में एम.टी.पी. की रिपोर्ट वर्ष 2007, 2008 व 2009 में निम्न है:–

क्र.स.	विवरण	2007	2008	2009
1	कुल एम.टी.पी. की सख्या	1428	1285	1325
2	12 सप्ताह तक		1201	1261
3	12 सप्ताह से ज्यादा की		84	64

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

जिले में कराई गई एम.टी.पी. की संख्या में गत वर्ष से कोई ज्यादा फर्क नही पाया गया।

25. परिवार परामर्श केन्द्र (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आर.सी.एच.।।)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आर.सी.एच.।। के तहत परिवार परामर्श केन्द्र का संचालन पन्नाधाय राजकीय महिला चिकित्सालय उदयपुर में जनता कॉलेज डबोक द्वारा किया जा रहा है। केन्द्र संचालन हेतु निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, जयपुर द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। केन्द्र की गतिविधियों के संचालन हेतु 1 परामर्शदात्री व 1 परामर्शदाता अनुबन्ध पर नियुक्त है।

- ❖ केन्द्र की आवश्यकता :– देश मे महिलाओं के साथ बढते बलात्कार, यौन शोषण, दहेज हत्यायें/आत्महत्याएँ, घरेलू (पारिवारिक) व मानसिक हिसाओं के कारण ऐसे केन्द्रों की आवश्यकता महसूस हो रही है।
- ❖ केन्द्र पर कौन आ सकता :– किसी भी उम्र, जाति , समुदाय, साक्षर/निरक्षर /ग्रामीण परिवेश से जुडी सभी महिलाएं व लडकियां। जरूरत हो तो पुरूष भी इस केन्द्र पर आ सकते है।
- ❖ केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सेवाये :–

- पति/ससुराल/पीहर पक्ष/अन्य लोगों के सामने अपनी बात मजबूती से रखने में।
- हिंसा का मुकाबला करने और जिन्दगी में आगे बढने के लिए सलाह देना।
- मानसिक परेशानी से बाहर आने के उपाय खोजने में।
- पुलिस कार्यवाही में

- हिंसा होने पर डॉक्टरी सहायता दिलवाने में।
- गुजारे का खर्च दिलवाने में।
- महिला की मर्जी से राजीनामा, छुट चिठ्ठी, तलाक के लिए।
- कमाई के जरिये ढूढंवाने में
- जरूरत होने पर खाने व ठहरने की व्यवस्था करने में।

❖ मदद पाने के लिये क्या करना होगाः– केन्द्र पर प्रार्थी स्वंय को परामर्शदाता से बातचीत करनी होगी, समस्या को सुनकर उसका समस्या समाधान के विकल्प प्रस्तुत करे जाते हैं। प्रार्थी सहमति से प्रतिपक्षी को बुलाकर बातचीत करी जाती है, तथा समस्या के समाधान का जो बेहतर विकल्प है उसे चुनने मे मदद करी जाती है।

❖ विगत तीन वर्षों के लाभार्थियों का विवरण वर्ष :– 2006–07 में 97 केस पंजीकृत हुए उनमें से 40 केस हल किये गये, 25 केस न्यायालय, पुलिस, जिला महिला सहायता समिति एवं शार्ट स्टे होम भेजे। 32 केस में परामर्श जारी है। वर्ष 2007–08 में 94 केस पंजीकृत हुए, पूर्व लम्बित केस 32 थे, 73 केसेज का निराकरण किया जबकि 53 केसेज मे परामर्श जारी है।

वर्ष 2008–09 मे 37 केसेज पंजीकृत किये गये , पूर्व लम्बित केस 53 थे, 12 केसज का निराकरण किया गया, 8 केस न्यायालय, पुलिस, जिला महिला सहायता समिति एवं शार्ट स्टे होम रेफर किये गये जबकि 70 केसेज मे परामर्श जारी है।

केन्द्र उदयपुर जिले की हिंसा ग्रस्त महिलाओं को सलाह, सहायता एवं सम्बलन देने के लिये सदैव तत्पर है।

26. आई.ई.सी.– इन्फार्मेशन, एडुकेशन और कम्यूनिकेशन (आई.ई.सी.) एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आम व्यक्ति को स्वास्थ्य के विभिन्न अंगो जैसे स्वच्छता, बिमारियो की जानकारी अस्पतालों मे उपचार, साक्षरता आदि के बारे में अवगत कराया जाता है। आई.ई.सी. के तहत निम्न गतिविधियाँ की जाती है।

1. महिला स्वास्थ्य संघ की बैठक
2. मदर्स मीटिंग
3. पंचायत की बैठक

4. फिल्म शो

5. ग्राम सम्पर्क अभियान

6. पेम्पलेट वितरण

7. उपकेन्द्र सलाहकार समिति की बैठक

8. निमोनिया हेतु आई.ई.सी. सेशन

9. डाईरिया हेतु आई.ई.सी. सेशन

10. लोक कलाकारो के माध्यम से प्रदर्शन

11. मातृ शिशु स्वास्थ्य मेले

IEC जादूगर द्वारा निरोध का उपयोग बताते हुए

उदयपुर जिले मे आई.ई.सी. गतिविधियो की रिपोर्ट की रिपोर्ट निम्नानुसार है

क्र.सं.	खण्ड मु.चि. अधिकारी, नाम	महिला स्वास्थ्य संघ की बैठक	मदर्स मीटिंग	पंचायत की बैठके	फिल्म शो	ग्राम सम्पर्क अभियान (Village Contact Drive)	पम्पलेट वितरण	उपकेन्द्र सलाहकार समिति की बैठक	निमोनिया हेतु आई.ई.सी. सेशन	डायरिया हेतु आई.ई.सी. सेशन	लोक कलाकारों के माध्यम से प्रदर्शन	मातृ शिशु स्वास्थ्य मेले	अन्य
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	गिर्वा	504	1296	1154	210	862	54000	912	1068	1068	70	248	0
2	बड़गाव	84	610	766	0	72	31700	379	480	432	4	940	0
3	गोगुन्दा	264	762	222	38	187	61000	201	223	223	74	55	0
4	कोटड़ा	504	486	640	129	324	33000	352	706	694	363	84	0
5	झाड़ोल फ	624	900	1656	517	780	102300	888	1488	1490	994	810	852
6	खेरवाड़ा	324	1154	1800	35	47	34390	803	617	536	49	932	33
7	सलुम्बर	0	630	1308	61	97	148100	832	493	416	0	0	0
8	सराड़ा	840	948	856	117	590	47380	776	802	766	190	2692	26
9	लसाड़िया	0	584	504	0	42	84000	128	192	192	0	0	0
10	भीण्डर	636	936	1278	236	500	147600	816	708	638	340	1428	0
11	मावली	180	1163	1272	36	477	25250	712	1152	1078	24	863	0
12	शहर रिवाम्पिग	516	756	0	10	276	21500	276	516	492	0	0	0
	योग	**4476**	**10225**	**11456**	**1389**	**4254**	**790220**	**7075**	**8445**	**8025**	**2108**	**8052**	**911**

स्त्रोत – अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (प.क.) उदयपुर

27. **आर.एच.एस.डी.पी, उदयपुर एक नजर** –: उदयपुर जिले में राजस्थान हेल्थ सिस्टम्स परियोजना में जिला परियोजना समन्वयक एवं मोनीटरिंग समिति (डी.पी.सी.एम.सी.) द्वारा निर्देशानुसार बैठकें आयोजित कर जिले में प्रस्तावित व आयोजित की गई गतिविधियों का अनुमोदन किया जाता है। जिला परियोजना प्रबन्धन प्रकोष्ठ (डी.पी.एम.सी.) परियोजना की विभिन्न गतिविधियों का विस्तृत प्रारूप तैयार कर डी.पी.सी. एम.सी. द्वारा अनुमोदन के पश्चात् जिले में क्रियान्विती सुनिश्चित करती है।

परियोजना में वर्ष 2004–2005 से मार्च 09 तक निर्देशानुसार उदयपुर जिले में निम्न गतिविधियों का संचालन किया गया है –

- फर्निचर व उपकरण मरम्मत और अस्पताल भवनों का नविनीकरण–जिले में आवश्यकतानुसार यह कार्य सभी चयनित संस्थानो पर कराया गया है।

- एमरजेन्सी ड्रग्स सा.स्वा.केन्द्र से अपनी आवश्यकतानुसार दवाईयों का माँगपत्र तैयार कर दवाईयाँ सीधे या सी.एम.एच.ओ. कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

- हॉस्पीटल सप्लाई – अस्पताल में काम में आने वाली कुछ सामग्री जैसे केप,गाउन,एप्रिन,टॉवेल,आई.ओ. एल,चप्पल, POP बेंड़ेज., ग्लव्स पाउडर एवं डेन्टल मटेरियल की सप्लाई सभी संस्थानों को उपलब्ध कराई गई है।

- हेल्थ केयर वेस्ट मेनेजमेंट – सम्बन्धित अस्पताल का बॉयो मेडिकल अपशिष्ट हरे,लाल,काले,व पीले चार रंग के बेग्ज में एकत्र कर रखा जाता है। जहॉ से ये सीटी.एफ द्वारा एकत्र किये जाते है एवं कॉमन ट्रीटमेंट प्लान्ट (सी.टी.एफ.) पर इसका निस्तारण किया जाता है। बेग्स व कन्टेनर जहॉ रखे जाएगें व जिस तरह का वेस्ट उसमें डाला जाएगा यह प्रदर्शित करते हुए प्रत्येक स्थान पर छोटी फलेक्सी शीट बनवाकर लगवाई गई है। सभी चयनित संस्थानों के समस्त स्टाफ को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

- आई.ई.सी. के तहत विभिन्न जगहों पर साईन बोर्ड, होडिंग्स, एच.सी.डब्ल्यू.एम. पोस्टर्स की माउटिंग आदि कार्य करवाया जाता है। जिले में तीन माह के लिए 30 बसों के बेक पेनल पर कन्या भ्रूण हत्या, टीकाकरण, विवाह की उम्र एंव जन्म व मृत्यु पंजीकरण बाबत संदेश प्रदर्शित किया गया है।

- लोक मिडिया प्लान– आर.एच.एस.डी.पी की गतिविधियों के बारे में एवं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता लाने हेतु निर्देशानुसार जिला स्तर पर स्थानीय माध्यमों से प्रचार – प्रसार का कार्यक्रम किया गया है। दशहरा–दीपावली मेला कार्यक्रम में आईईसी हेतु स्टॉल एवं सास्कृतिक कार्यक्रम, ग्राम सभाएं,

प्रिन्टिंग / पेन्टिंग व स्वास्थ्य केन्द्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन देखा एवं सराहा गया है।

- ट्राइबल हेल्थ–प्लान – इस प्लान के अन्तर्गत जनजाति बाहुल्य व रेगिस्तानी जिलों (कुल 9 जिले) में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जा रहे है।

- वर्कशॉप / कार्यशालाएँ – HCWM, सेवा प्रदाताओं / NGO / PRI / रेफरल प्रोटोकोल / ट्राईबल हेल्थ प्लान हेतु जिला अधिकारीयों व सेवा प्राप्तकर्ताओं का आमुखीकरण इन कार्यशालाओं के माध्यम से किया गया है।

राजस्थान हेल्थ सिस्टम प्रोजेक्ट, उदयपुर की कार्यशालायें

- **रेफरल प्रोटोकोल** – कार्ड्स व रजिस्टर – इस गतिविधि हेतु प्राप्त रजिस्टर्स एवं पीले,लाल एवं हरे कार्ड सभी संस्थानों पर उपलब्ध करवायें गये है।

चिकित्सा शिविर – आरसीएच आरएचएसडीपी शिविर प्रतिमाह छ संस्थानों पर आयोजित किए जा रहें है। इन शिविरों हेतु जिले के कुल 12 दूरदराज व जनजाति क्षेत्रो के चिकित्सा संस्थानों का चयन किया गया है। 6 संस्थानों पर एक माह व दूसरे माह शेष 6 संस्थानों पर शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रा.स्वा.केन्द्र पानरवा, पदराडा, कोटडा, पादेडी, मालवा का चौरा व कालीभीत, ओगणा, बीकरनी, कोल्यारी, बावलवाडा, मादडी व बेकरिया पर शिविर लगाए गए। 4 शिविर RHSDP के व 2 शिविर RHSDP सपोर्टेड RCH शिविर प्रतिमाह आयोजित किए जा रहे हैं।

राजस्थान स्वास्थ्य सिस्टम परियोजना के द्वारा आयोजित केम्प का विहगंम दृश्य

- मोनिटरिंग – इस हेतुं फील्ड विजिट भ्रमण हेतु आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने के निर्देश है।
- **क्लिनीकल व टेक्नीकल ट्रेनिंग** :– सम्भाग के कई विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ व टेक्निशियनों को यह प्रशिक्षण दिया गया है व ग्रामीण एवं जन–जाति क्षेत्र में बेहतर सेवाएं दी जा रही हैं।
- **एचएसआईटी व एचएसआईसी बैठकों का आयोजन** :– चयनित संस्थानों पर हैल्थ सिस्टम्स इम्प्रूवमेंन्ट टीम की बैठकें आयोजित कर गुणवत्ता युक्त सेवाओं एवं सुधार बाबत प्रस्ताव प्रेषित किए जाते है।
- **वाटर कूलर** – वाटर फिल्टर सिस्टम एक्वागार्ड भी स्थापित किये गए हैं।
- **स्टेन्डर्ड ट्रीटमेन्ट गाईड लाईन पुस्तक का वितरण** :– एस.टी.जी. की यह पुस्तक जिले के समस्त चिकित्सा अधिकारियों व चयनित 10 संस्थानों की लाइब्रेरी हेतु दे दी गई है। सभी संस्था प्रभारियों को एसेन्शल ड्रग लिस्ट ई.डी.एल. भी उपलब्ध कराई गई है।
- **डिजीटल केमरा** – सभी चिकित्सा संस्थानों के कार्य से पूर्व व कार्य के चित्र लेने के साथ ही स्वास्थ्य शिविरों की फोटोग्राफी, सिविल कार्य की पाक्षिक प्रगति का छांयाकन/फोटोग्राफ लिया जाता है एवं परियोजना में समय – समय पर होने वाले विभिन्न आयोजनों के फोटोग्राफ व डोक्यूमेन्टेशन किया जाता है।

- **कार्यालय व्यय** – उपरोक्त चयनित 10 चिकित्सा संस्थानों के कार्यालयों के सुचारू संचालन के लिये प्रथम वर्ष में 30 बेड के अस्पताल हेतु 4000 रू. प्रतिमाह एवं 50 बेड के अस्पताल हेतु 6000 रू. प्रतिमाह बजट प्रावधान रखा गया था। परियोजना के द्वितीय वर्ष में कार्यालय व्यय का प्रावधान दुगुना कर दिया गया है अर्थात 8000 रू एवं 12000 रू. प्रतिमाह।

28. नान्दी फाउण्डेशन –विद्यालयी बालक स्वास्थ्य योजना नाइस फाउण्डेशन द्वारा स्कूली बालकों को स्वास्थ्य प्रदान करने हेतु यह योजना है। जिसमें जिले के 222 स्कूलों सरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल, मदरसा व राजीव गांधी पाठशालाएँ शामिल है। इसमें 196 स्कूल उदयपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के हैं व 26 स्कूल उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र सिसारमा व बडगांव के हैं। इस सेवा में 40000 विद्यार्थी शामिल हैं। यह योजना राजस्थान सरकार व नान्दी संस्थान (नाइस संस्थान के सहयोगी) के संयुक्त तत्वाधान में है।

यह योजना इन विद्यार्थियों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को केन्द्रित करके बनाई गई है। इसमें त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाता है।

1. विद्यालय स्तर पर बहिरंग क्लिनिक है।
2. बेस हॉस्पिटल – भर्ती की सुविधा हेतु उदयपुर जनाना हॉस्पिटल के उपर वार्ड स्थापित किया है।
3. विशेषज्ञ सेवाओं हेतु विशेषज्ञ चिकित्सालयों से सम्बद्धता, आधारभूत चिकित्सालय के वार्ड में 19 बिस्तर हैं जिसमें 7 बिस्तर अति गहन चिकित्सा इकाई के हैं। इसमें विशेष चिकित्सक 24 घण्टे उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा अति गंभीर रोगियों हेतु साल हॉस्पिटल से सम्बद्धता है। दंत रोगियों के लिए उदयपुर के पेसिफिक डेन्टल कॉलेज से सम्बद्धता है। जांच हेतु वेलस्प्रिग अमोलक, कल्पना नर्सिंग होम, उदयपुर से सम्बद्धता है।

प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के आधार पर इस प्रोग्राम को धन उपलब्ध होता है।

25 प्रतिशत धन नगर विकास प्रन्यास उदयपुर, 25 प्रतिशत धन नगर परिषद देता है। बाकी 50 प्रतिशत धन नांदी फाउण्डेशन हैदराबाद से उपलब्ध होता है।

इस कार्यक्रम की उपलब्धि 15 जनवरी 2007 से 31 जून 2009 तक निम्न है–

- बच्चें जिन्हें बहिरंग विभाग में देखा गया – 75643
- बच्चें जिन्हें बेस हॉस्पिटल में देखा गया – 30363
- कुल सर्जरी – 137
- हृदय रोग के लिए अहमदाबाद के साल हॉस्पिटल में जिनका ईलाज किया गया –15
- बच्चें जिन्हें चश्में दिये गये – 1756

29. **अरबन ब्लॉक** – शहरी ब्लॉक राजस्थान के इतिहास में पहली बार उदयपुर शहर में जिला कलक्टर उदयपुर एवं निदेशक (आर.सी.एच.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर की आज्ञा से अक्टूबर 2008 में शहरी ब्लॉक बनाया गया है।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अरबन रिवाम्पिंग स्कीम, उदयपुर को शहरी ब्लॉक प्रभारी बनाया है एवं एल.एच.वी. को ब्लॉक हेल्थ सुपरवाईजर बनाया है। अरबन ब्लॉक उदयपुर के क्षेत्राधीन शहर की 10 सिटी डिस्पेन्सरी, 2 सेटेलाईट हॉस्पीटल, 5 अरबन आर.सी.एच. केन्द्र एवं अरबन रिवाम्पिंग स्कीम शामिल है जो कुल मिलाकर 16 सेक्टर है।

अरबन ब्लॉक उदयपुर बनाने का मुख्य उद्देश्य शहर में 145 आंगनवाडी केन्द्रों पर हो रहे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर आशा सहयोगिनी के भुगतान एवं शहर मे स्थित 20 पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों पर हो रहे नसबंदी केसों एवं आई.यू.डी. के लिए भुगतान में देरी को रोकना है। अरबन ब्लॉक उदयपुर द्वारा इस मद से लगभग 20 लाख रूपया बांटा जा चुका है। जिससे शहर की सभी आंगनवाडी केन्द्रों पर MCHN DAY का कार्य एवं शहर के निजी पंजीकृत चिकित्सा संस्थानो पर नसबंदी, IUD निवेशन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

इस ब्लॉक में कुल 16 चिकित्सा अधिकारी, 8 एल.एच.वी. एवं 40 ए.एन.एम. कार्यरत है। इस सभी की मासिक बैठक ब्लॉक प्रभारी द्वारा आहूत की जाती है। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मौसमी बिमारियों पर गहन चर्चा की जाती है एवं आगे की रणनीती बनाई जाती है। अरबन ब्लॉक में एपिडेमिक की स्थिति में टीम वर्क द्वारा कार्य किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 2008 में फेले डेंगू रोग, मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु उठाये गये प्रयासा से हैं।

इस सभी गतिविधियों के लिए राशि का प्रावधान श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर NRHM द्वारा किया जाता हैं।

इस तरह अरबन ब्लॉक सुचारू रूप से कार्य करते हुए, सफलता की और निरन्तर अग्रसर है।

30. **एम्बूलेन्स सेवाएँ** :– राजस्थान सरकार व जी.वी.के. ई.एम.आर.आई. के संगठन से 20 सितम्बर 2008 को जयपुर में 108 एम्बुलेन्स सेवाओं का प्रवर्तन किया गया।

उदयपुर जिले में 24 अक्टूबर 2008 से कुल 9 ऐम्बूलेन्स की सेवाएं शुरू की गई। ये ऐम्बूलेन्स वातानुकूलित व उच्चतम सुविधाओं से परिपूर्ण है। फोन करने से लेकर मरीज को अस्पताल पहुँचने तक की सभी सुविधाएँ निःशुल्क दी जाती है।

4 ऐम्बूलेन्स उदयपुर शहर में, 1 मावली में, 1 भीण्डर में, 1 गोगुन्दा में, 1 सलुम्बर में, व 1 खेरवाडा में लगाई गई है।

उदयपुर जिले में 24 अक्टूबर 2008 से जुलाई 2009 तक 108 ऐम्बूलेन्स द्वारा दी गई सेवाएं निम्न है –

क्र	माह	रोड ट्रेफिक एक्सीडेन्ट	गर्भ व उससे सम्बन्धित मरीज	आत्महत्या व विषाक्त मरीज	पेट सम्बन्धित	सांस के रोगी	हार्ट रोगी	अन्य	कुल योग
1	अक्टूबर	27	1			1	2	10	41
2	नवम्बर	128	11	2	6	7	3	50	207
3	दिसम्बर	184	18	1	11	10	15	74	313
4	जनवरी	206	44		11	21	11	127	420
5	फरवरी	202	59	1	11	13	10	104	400
6	मार्च	256	67	8	16	17	14	150	528
7	अप्रेल	243	92	8	16	15	11	148	533
8	मई	225	101	5	29	13	24	145	542
9	जून	318	213	9	33	14	24	240	851
10	जुलाई	289	300	12	47	5	14	253	920
	कुल योग	2078	906	46	180	116	128	1301	4755

108 ऐम्बूलेन्स द्वारा दी गई सेवाएँ लगातार बढती जा रही है एवं जनजीवन को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है।

31. पी.सी.पी.एन.डी.टी.– गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994–

- पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत 6 केस विभिन्न न्यायालय मे विचाराधीन है।
- उदयपुर जिले में 74 सोनोग्राफी सेन्टर है जिसमें प्रतिमाह फार्म एफ की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में सेन्टर के द्वारा भिजवाई जाती है। फार्म एफ मे महिला की सोनाग्राफी करने सम्बन्धी पूर्ण जानकारी नाम, पता एवं उसके द्वारा लिंग परीक्षण नही करवाये जाने सम्बन्धी सूचना होती है।
- उदयपुर जिले मे पंजीकृत समस्याओ का निरीक्षण पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत समुचित प्राधिकारी के द्वारा सलाहकार समिति के सदस्यो के साथ प्रत्येक माह की जाती है। प्रतिमाह पांच निरीक्षण किए जा रहे है।
- सलाहकार समिति की बैठक समुचित प्राधिकारी की अध्यक्षता में 60 दिवस मे आयोजित की जाती है।
- सोनोग्राफी सेन्टर पंजीकृत कराये जाने हेतु संस्थानों के नये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सलाहकार समिति की बैठक में रखा जाता है और उसके बाद संस्थान का निरीक्षण कर आवेदन पत्र में अंकित योग्यता पूर्ण होने पर संस्थान को समुचित प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन जारी किया जाता है जो 5 वर्ष तक के लिये होता है।

- पांच वर्ष पूर्व होने पर पुराने संस्थान द्वारा आवेदन दिये जाने पर 5 वर्ष के लिये नवीनीकरण करने हेतु निरीक्षण कर नवीनीकरण किया जाता है।
- पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट को जिले में बेहतर रूप से लागु करने के लिये प्रत्येक वर्ष दो वर्कशाप आयोजित की जाती है
- फार्म एफ की ऑडीटींग की जा रही है। कमीयाँ होने पर संस्थानों को नोटिस दिये जा रहे है।
- निरीक्षण करने पर संस्थानों को एक्ट के अनुसार कमियाँ पाये जाने पर नोटिस दिये गये है। यदि कमियाँ पूर्ण नहीं की जाती है तो उन्हे नोटिस देकर भरने को कहा जाता है अन्यथा उनके विरूद्ध परिवाद न्यायालय मे भी केस प्रस्तुत किया जाता है।

32. **मेडिकेयर रिलीफ कार्ड योजना** – राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित व्यक्तियों/असहाय व्यक्तियों को मुफ्त उपचार करने के लिए मेडिकेयर रिलीफ कार्ड योजना वर्ष 1999 से लागू की गई। मेडिकेयर रिलीफ कार्ड होल्डर्स को ग्रामीण क्षेत्र के दूर–दराज में भी निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे है। यदि मरीज गम्भीर रोग से पीडित है या इसका ईलाज ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालय में सम्भव नहीं हो सकता है तो इसे रेफर कर रेफरल चिकित्सालय में या जिला चिकित्सालय पर भिजवाया जाता है जहां पर रोगी की सभी प्रकार की जांच, उपचार हेतु आवश्यक औषधियाँ, रक्त व ऑपरेशन आदि की सभी सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व जिला चिकित्सालय और उच्च स्तर के चिकित्सालयों में संचालित मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय की राशि का 25% मेडिकेयर रिलीफ कार्ड होल्डर्स निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान रखा गया है।

33. **मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना** – राजस्थान सरकार की गरीबों की जीवन रक्षा हेतु एक अभूतपूर्व पहल कर प्रथम बार प्रारम्भ की गई यह एक अनुठी योजना है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों एवं असहाय लोगों को गम्भीर रोगों की जाँच व अन्यत्र उपचार की सुविधा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है।

यह योजना पात्र गरीब रोगियों को अतिविशिष्ट चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध कराने व चिन्हित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा सुविधा हेतु राशि का आवंटन या भुगतान की गई राशि का पुनर्भरण कराने व रोगी व उसके एक परिचालक हेतु विश्राम भत्तों की राशि के आवंटन के उद्देश्य से लागू की गई है।

34. मजबूतियाँ :–

1. मलेरिया की रोकथाम हेतु दवाई वितरण केन्द्र व गम्बूसिया मछली के प्रजनन के लिए हेचरी का निर्माण किया गया है।

2. एडोलेसेन्ट फ्रेण्डली हेल्थ सर्विसेस के अन्तर्गत किशोर बालक व बालिकाओं के लिए परामर्श केन्द्र कार्यरत है।
3. रिपोर्टिंग के कार्य का कम्प्यूटराइजेशन किया गया।
4. गैर सरकारी संगठन व निजी संस्थानों से गठबंधन कर परिवार नियोजन कार्य को प्रोत्साहित किया गया।
5. संस्थागत प्रसव बढाने हेतु मानदेय दिया जाना।
6. विभिन्न परियोजना जैसे राजस्थान हेल्थ सिस्टम डवल्पमेन्ट परियोजना व नांदी फाउण्डेशन का कार्यरत होना।
7. महिलाओं के साथ बढती हिंसाओं की रोकथाम व निराकरण के लिए परिवार परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है।
8. जिले में शहरी ब्लॉक का निर्माण व कार्यरत होना।

35. कमजोरियाँ :–

1. अन्धता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नेत्र शिविर के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर वैक्सीन डिलिवरी व समय पर टीकाकरण पूर्ण करने में लापरवाही।
3. प्रसाविकाओं व आशा सहयोगिनियों के द्वारा होम विजिट व आई.पी.सी. में शिथिलपन।
4. रिक्त पद व विशेषज्ञों की सेवाओं में कमी।
5. मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य दिवस पर सुचारू मोनिटरिगं व मोबिलिटी सपोर्ट मानदेय में कमी होना।
6. मुख्यालय पर स्टाफ के निवास में कमी होना।

36. आवश्यकताएँ :–

1. किशोर बालक–बालिकाओं को परामर्श केन्द्र पर आकर किशोर अवस्था की विभिन्न भ्रांतियों को दूर करना और स्वास्थ्य सेवाओं में उनका योगदान बढाना।
2. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन व निजी संस्थानों से गठबंधन को बढावा देना, जिससे समूचे स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनों का पूर्ण उपयोग व सुदृढीकरण किया जाए। नियमित केस स्ट्डिस कार्यरत हो।
3. रिक्त पदों में भर्ती व विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ लिया जाए।
4. प्रसाविकाओं और आशा सहयोगिनियों को उपकेन्द्र पर प्रसव कराने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रेरित करना।
5. महिलाओं को आगे लाना व जागरूक करना।
6. रेफरल सेवाओं मे अभिवृद्धि।

37. डर :–

1. ग्रामीण क्षेत्र मे रीति –रिवाजों व भ्रांतियों के तहत महिलाओं के योगदान व जागरूकता में कमीं।
2. ग्रामीण क्षेत्र में अपंजीकृत वैध, नीम–हकीम का कार्यरत होना।

38. अग्रिम मार्ग :–

1. प्रसाविकाओं व आशा सहयोगिनियों को सब सेन्टर पर प्रसव कराने परामर्श एवं इन्टर पर्सनल कम्यूनिकेशन हेतु प्रशिक्षण एवं प्रेरित करनां
2. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस पर सुदृढ़ मोनिटरिग व मोबिलिटी सपोर्ट हेतु मानदेय बढाया जाये।
3. पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत और गैर सरकारी संगठन व प्राईवेट संस्थानो से गठबन्धन को बढ़ावा देना, जिससे समूचे स्वास्थ्य सेवाओं और संसाधनो का पूर्ण उपयोग व सुदृढीकरण किया जाए।

अध्याय - 5

आजीविका

प्रस्तावनाः–

मानव एक सामाजिक प्राणी है वह समूह मे रहकर जीवनयापन करता है। एक समय था जब मनुष्य अपने समूह के सदस्यो अर्थात् रिश्तेदारो के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को उधत रहता था। किन्तु परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है ,समय बदला मानव मूल्य भी बदल गए है क्योकि मानव आज धन को ज्यादा महत्व देता क्योकि उससे उसकी आजीविका संचालित होती है। यदि वास्तव मे देखा जाए तो धन है भी अत्यन्त महत्वपूर्ण। धन चाहे रुपये के रुप मे हो या डालर,दिनार या फिर सोने के रूप मे यह विनिमय का साधन है। इसके बदले मे जीवनोपयोगी विभिन्न पदार्थ प्राप्त किये जा सकते है। धन से मनुष्य सर्वत्र सम्मान पाता है।

धन आ जाने से रहन के तौर तरीके,बात करने का ढंग ,पहनने का सलीका सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। धन प्राप्त होने से व्यक्ति कुलीन, गुणी, कुशल वक्ता, दर्शनीय, सुयोग्य बन जाता है।

वर्तमान मे उदयपुर जिले का मानव श्रम अन्य जिलों की तुलना में अकुशल है, उसके पास किसी तकनीकी पर आधारित व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधाऐं जैसे– ग्रामीण क्षेत्रो में अनवरत बिजली, पानी व दक्ष श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

उदयपुर जिले के शैक्षणिक शिक्षा पुर्ण कर चुके बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारोन्मुखी/स्वरोजगारोन्मुखी तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हे उनके व्यापार/स्वयं के स्वरोजगार से जोडा जाऐगा, जिसके लिये वर्णित व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाकर युवाओं को स्वरोजगार से प्रेरित किया जाना है जिससे अपनी आजीविका कमा सके व अपने पैरो पर खडे हो सके।

मध्यम एवं वृहद उद्योग क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योग कार्यरत है। जिसमें 4,778 व्यक्त्यिों को रोजगार उपलब्ध है। जिले की प्रमुख वन सम्पदा इमारती लकडी, कोयला, जलाउ लकडी, गोंद, बांस, तेन्दु पता, कत्था, शहद व मोंम है। लघु उद्योग क्षेत्र में वन संसाधन आधारित 2,126 इकाईयॉ पंजीकृत है। जिसमें 5,219 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

आजीविका के साधन –

आदिवासी जिला होने के बावजूद केवल 8.21 प्रतिशत परिवार वेतनभोगी है। समाज का एक बडा भाग निर्वाह हेतु कृषि या दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। वेतनभोगियों की सूची में बडगांव पंचायत समिति 17.66 प्रतिशत परिवारों के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि कोटडा में केवल 1.35 प्रतिशत परिवार वेतन से निर्वाह करते है। कारीगरों की दृष्टि से भी मावली और भीण्डर पंचायत समितियों में 5.46 प्रतिशत परिवार मजदूरी करते है, जबकि कोटडा (1.32 प्रतिशत) के साथ सूची में अंतिम स्थान पर है।

आजीविका के उपाय जिला उदयपुर

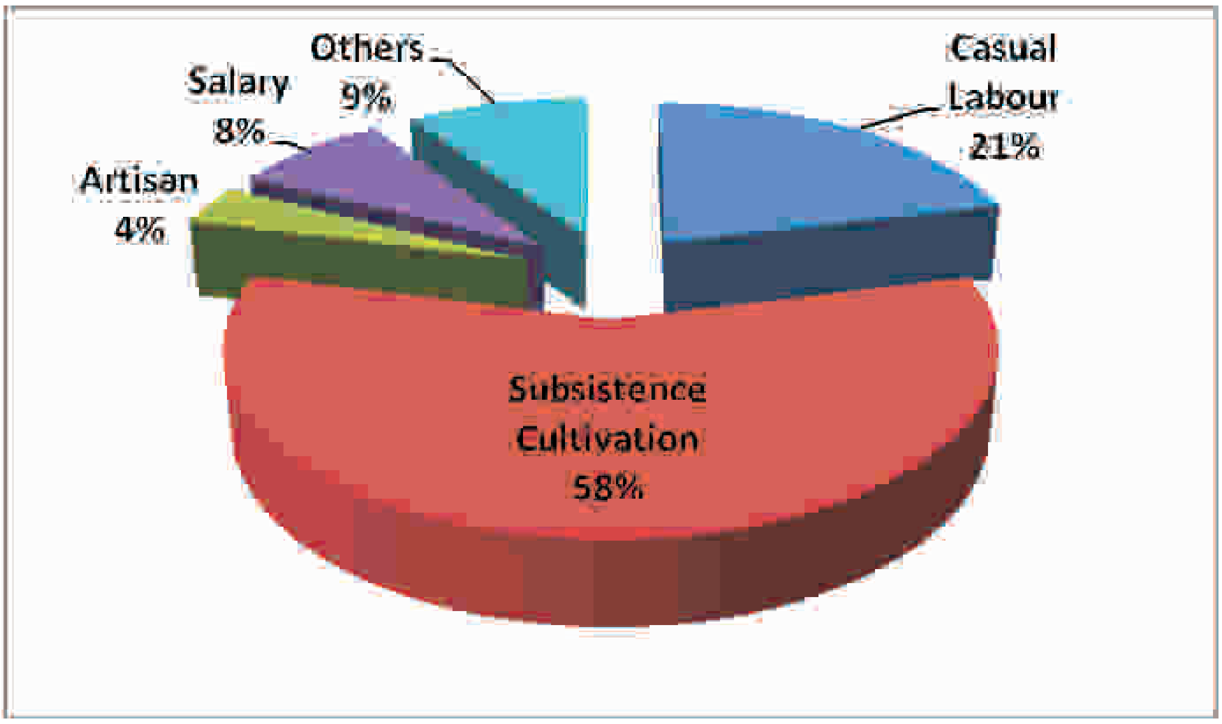

आजीविका के उपाय (2002), जिला उदयपुर

Block	Casual Labor	Subsistence Cultivation	Artisan	Salary	Others
Girwa	24.95	43.92	3.86	11.84	15.42
Badgaon	41.06	24.80	4.04	17.66	12.44
Gogunda	23.47	54.75	4.84	7.31	9.62
Mavli	25.41	37.58	5.46	12.24	19.31
Bhindar	21.45	52.03	5.22	8.43	12.88
Dhariawad	16.20	69.74	2.65	4.30	7.11
Kotda	19.51	74.36	1.32	1.35	3.46
Salumbar	14.90	64.87	5.19	5.76	9.27
Sarada	25.12	54.15	4.57	7.94	8.23
Jhadol	11.63	79.65	1.93	3.74	3.05
Kherwara	18.22	64.19	1.86	9.77	5.96

उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षैत्र में 34.80 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। बी.पी.एल. सेन्सस 2002 में 465.92 रू प्रति व्यक्ति प्रति माह से कम के परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे माना गया है। उदयपुर जिले की कोटडा पंचायत समिति कम आय वाले परिवारो में शीर्ष स्थान पर है। गिर्वा, बडगांव, भीण्डर, तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है।

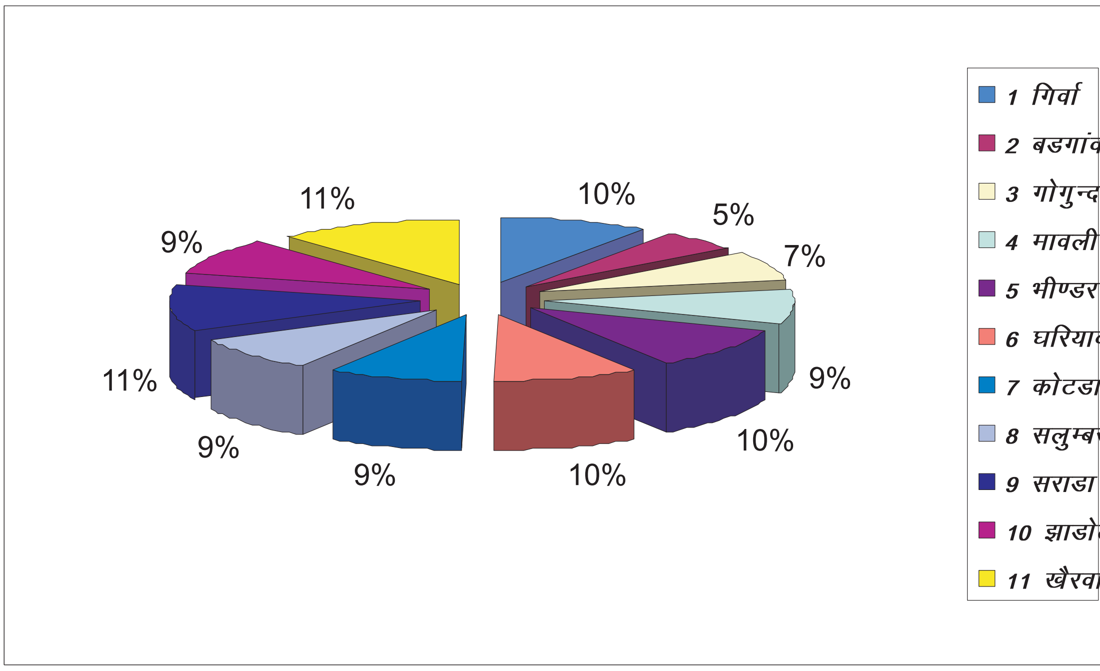

क्र.स.	पंचायत समिति	कुल परिवार	बी.पी.एल. परिवार	ए.पी.एल. परिवार
1	गिर्वा	51643	11092	40551
2	बडगांव	28257	5809	22448
3	गोगुन्दा	38024	14271	23753
4	मावली	45351	7329	38022
5	भीण्डर	52180	11354	40826
6	घरियावद	50848	14024	36824
7	कोटडा	45783	26798	18985
8	सलुम्बर	46686	17222	29464
9	सराडा	58841	25640	33201
10	झाडोल	48950	26582	22368
11	खैरवाडा	62609	24045	38564
	कुल	**529172**	**184166**	**345006**

उदयपुर जिले में शहरी क्षेत्र में 17.15 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। बी.पी.एल. सेन्सस 2003 में 465.92 रू प्रति व्यक्ति प्रतिमाह से कम आय के परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे माना गया है। जिले की नगर पालिका कानोड पंचायत समिति कम आय वाले परिवारो में शीर्ष स्थान पर है। उदयपुर नगर परिषद् तुलनात्मक रूप से अच्छी स्थिति में है।

क. स.	पंचायत समिति	कुल परिवार	बी.पी.एल. परिवार	ए.पी.एल. परिवार
1	नगर परिषद् उदयपुर	58111	6939	51172
2	नगर पालिका कानोड	2708	1291	1417
3	नगर पालिका भीण्डर	3677	1641	2036
4	नगर पालिका फतहनगर	3716	1297	2419
5	नगर पालिका सलुम्बर	3262	1096	2166
	कुल	71474	12264	59210

आजिविका

उदयपुर जिले में आजिविका का प्रमुख साधन कृषि है। अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। खेतों का छोटा होना, पहाडी ईलाका होना एवं पानी की कमी के कारण पैदावार नगण्य है अतः इन्हें कृषि के साथ–साथ मजदूरी पर भी निर्भर रहना पडता है। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन व्यवसाय भी है, परन्तु पशुओं की नस्ल अच्छी नहीं होने से उत्पादन बहुत कम होता है। स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्व रोजगार योजनान्तर्गत समूह बनाकर बी.पी. एल. परिवारों को बैंकों से जोड कर सरकार अनुदान उपलब्ध करा विभिन्न व्यवसायों से जोडा जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के तहत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त बेरोजगार व्यक्तियों को श्रमिक के रूप में रोजगार उपलब्ध करवा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है तथा जॉब कार्ड में अंकित बालिग सदस्यों को रोजगार से जोडा जा रहा है। प्रारम्भ में यह योजना देश के 200 जिलों में लागु की गई, जिसमें राजस्थान के 6 जिले श्शामिल है। पूरी देश में यह योजना अप्रेल, 2008 से लागु कर दी गई है। यह एक ऐसी योजना है, जिससे गॉव के प्रत्येक पंजीकृत परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारन्टी है। परिवार का हर वयस्क जो अकुशल श्रम करने को तैयार हो, उसे काम मिलेगा। सबसे बडी बात यह है कि इस योजना में बी.पी.एल. की कोई सीमा नहीं है। कोई भी वयस्क व्यक्ति जो बेरोजगार हो कार्य कर सकता है। इसमें श्रमिकों को जॉब कार्ड दिये जाते है, उस पर उस परिवार के सदस्यों के फोटो लगे होते है तथा जब–जब भी कोई वयस्क सदस्य कार्य करता है तो उसकी एन्ट्री जॉब कार्ड में की जाती है। महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। लाभार्थियों की 1/3 संख्या महिलाओं की होनी चाहिये। इसमें एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इस 100 दिन में उस परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य काम कर सकता है। एक बार में लगातार 14 दिन का काम मिलेगा। एक सप्ताह में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं लिया जायेगा। योजना में कार्य स्थल पर श्रमिकों के पानी एवं छाया की व्यवस्था अनिवार्य होगी। जिले में इस योजना में कई परिवार लाभान्वित होकर अपनी रोजी रोटी कमा रहें है। यह योजना बेरोजगार एवं गरीब परिवारों के वरदान साबित हो रही है। जिले में लगभग 10 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे है जो नौकरी से जुडे हुए है बाकी शेष मजदूरी, कृषि, एवं छोटे–छोटे धन्धे कर अपना भरण–पोषण कर रहें है।

कृषि क्षेत्र

प्रस्तावनाः–

कृषि के द्वष्टिकोण से देखा जाये तो कुल क्षेत्र के मुकाबले केवल 17 प्रतिशत भुभाग में ही खेती की जा रही है। उपलब्ध कृषि क्षेत्र भी समतल ना होकर ढलान व पहाडी क्षैत्रों के बीच में स्थित है। वर्षा की असामयिकता, छोटी जोत व सिंचित क्षेत्र में कमी होने की वजह से उत्पादकता पर बुरा असर पड रहा है। जिले में 4,63,286 हैक्टेयर भूमि पर मुख्य रूप से रबी व खरीफ की फसले उगाई जाती है। उदयपुर जिले में भूमि उपयोगिता के आधार पर सिमांत एवं लधु कृषकों की बाहुलता है। लगभग 75 प्रतिशत कृषक लधु एवं सींमात है, जिनके पास उपलब्ध भूमि लगभग 35 प्रतिशत ही है। कृषकों की जोत छोटी एवं बिखरी होने से बाछित पैदावार प्राप्त नही की जा सकी है।

जिले में पथरीली चट्टानी भूमि को छोड़कर सामान्य शेष भूमि अधिकतर गहरी व कहीं कही कम गहरी है। जबकि चूना युक्त रेतीली भूमि गोगुन्दा, कोटड़ा, झाडोल, मावली, भीण्डर, बडगांव, गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र में तथा लाल रेतीली भूमि खैरवाड़ा, लसाडिया, सलुम्बर व सराड़ा पंचायत समितियों में पायी जाती है। जिले के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों की भूमि सामान्यतः पथरीली है। जबकि इसके पूर्व में थोडे से क्षेत्र की भूमि हल्की भूरी है तथा उस पर पीली मिट्टी की हल्की सी परत है।

जिले में दो तहसीले क्रमशः कोटडा तथा झाडोल सर्वाधिक पहाडी क्षेत्र वाली तहसील है, जिसमें कुल भूमि का क्रमशः 39.70 तथा 18.73 प्रतिशत पहाडी क्षेत्र है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 28.32 प्रतिशत क्षेत्र में

वन तथा 15.12 प्रतिशत क्षेत्र में पहाडियाँ हैं। (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43.44 प्रतिशत)। जिले में मात्र 16.93 प्रतिशत क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन होता है। जिले में 8.93 प्रतिशत भूमि अनउपयोगी बंजड किस्म की है तथा 6.07 प्रतिशत भूमि में स्थाई चारागाह /गोचर है। जिले में मात्र 0.07 प्रतिशत भूमि पर वृक्षों के झुण्ड/बगीचे है। जिले में 3 लाख 37 हजार 135 हैक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक बुवाई होती है। जिसमे से 89 हजार 298 हैक्टेयर क्षेत्र में एक बार से अधिक बुवाई होती है। जिले का 71 प्रतिशत अंसिंचित व 29 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित है। खरीफ में 247000–254000 हैक्टेयर क्षैत्र, रबी में 100000–125000 हैक्टेयर क्षेत्र व पानी की उपलब्धता होने पर जायद में 10000–22000 हैक्टेयर क्षेत्र में बुबाई होती है। खरीफ की मुख्य खाधान्न फसल मक्का है जो 188500 हैक्टेयर में बोया जाती है। अन्य खाधान्न फसलें ज्वार, धान, उडद, अरहर, ग्वार व तिलहनी फसलें मूँगफली, तिल, सोयाबीन व अन्य फसलें गन्ना, कपास, सब्जियां व चारा फसलों की बुवाई होती है। रबी की मुख्य फसल गेंहू, चना व सरसों है, जो 1 लाख 10 हजार हैक्टेयर में बोयी जाती है। रबी की अन्य फसलों में जौ, तारामीरा, अफीम, जीरा, सब्जियॉ व चारा फसलों की बुवाई की जाती है। जायद में मॅूग, सब्जियॉ व हरा चारा फसलों की बुवाई होती है।

कृषि जोत

उदयपुर, में अधिकांश परिवारों (57.75) के पास एक हैक्टेयर से कम असिचिंत (अथवा 0.5 हैक्टेयर सिंचित भूमि) है। 23.91 प्रतिशत परिवारों के पास भूमि नहीं है, जबकि 0.83 : परिवारों के पास 5 हैक्टेयर असिंचित (अथवा 2.5 हैक्टेयर सिंचित) भूमि है। उपरोक्त आधार पर कह सकते हैं कि बडगांव व गिर्वा पंचायत समिति भूमिहीन परिवारों में शीर्ष पर है, जबकि सलुम्बर, झालोड, और मावली, पंचायत समिति अच्छी स्थिति में है, दूसरी और गोगुन्दा, खेरवाडा, झालोद, और कोटडा पंचायत समितियों की तुलना में पंचायत समितियों में अधिकांश मात्रा में छोटे किसान है।

परिवार वार कृषि जोत, जिला उदयपुर

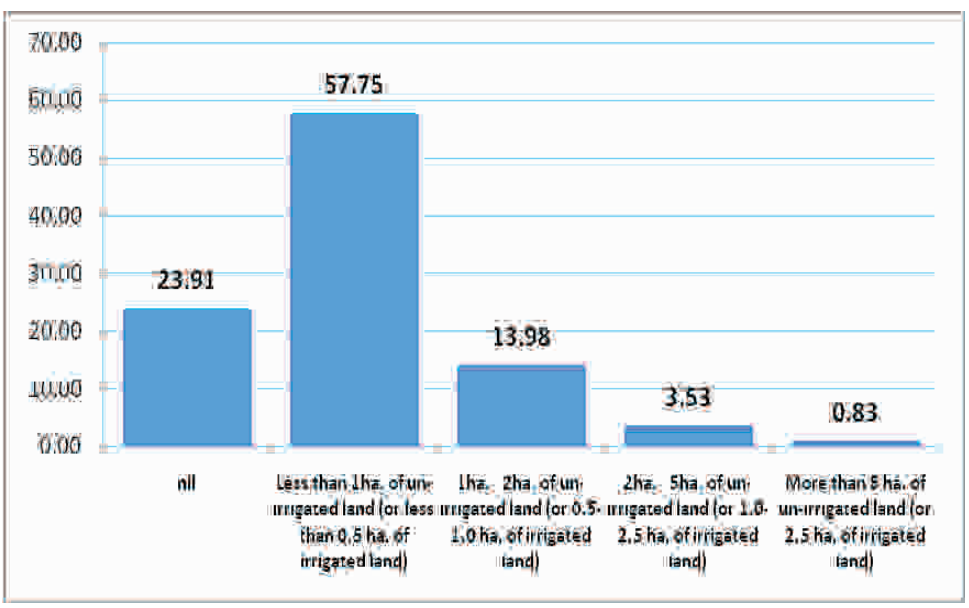

कृषि संसाधन :–

जिले में 4,63,286 हैक्टेयर भूमि पर मुख्य रूप से रबी व खरीफ की फसले उगाई जाती है। जिले में लघु उद्योग क्षेत्र में कृषि ससांधन पर आधारित 1,357 इकाईयॉ पंजीकृत है। जिसमें 4,500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि विश्लेषण :–

प्रशासनिक दृष्टि से कृषि को जिला 3 उपखण्डो यथा गिर्वा, बड़गांव व सलूम्बर में विभक्त किया गया है। कृषि उपखण्ड गिर्वा व बड़गांव का मुख्यालय उदयपुर एवं सलूम्बर का मुख्यालय सलूम्बर में अवस्थित है। पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्णय अन्तर्गत सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद उदयपुर के नाम से नवीन पदनाम दिया गया है। जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण जिला है। कृषि जलवायु की दृष्टि से उदयपुर जिला चतुर्थ ''अ'' व ''ब'' में आता है।

जिले का उत्तरी भाग उत्थित पठारो से बना हुआ है, दक्षिण भाग चट्टानों, पहाडियों व वनों से आच्छादित है। सामान्तया जिले के पश्चिमी भागों में मिट्टी पथरीली है। जबकि पीली भूरी मिट्टी पूर्वी और दक्षिणी भागों के छोटे हिस्सो में पाई जाती है। कुल बोया गया क्षेत्र 2,68,918 हैक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 18.39 प्रतिशत है।

कृषि सहकारी समितियों की उपलब्धता

जिले के ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहकारी समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ग्राम पंचायत स्तर पर वृहद कृषि बहुद्देशीय सहकारी समिति कृषको को बीज और उर्वरक प्रदान करा रही है और कृषको लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था भी करती है। जिला स्तर पर क्रय–विक्रय सहकारी समिति ग्राम पंचायत स्तर के लेम्पस को कृषि आदानो की खरीद और आपूर्ति करती है, लेम्पस उदयपुर, केन्द्रिय सहकारी बैंक से ऋण वितरण हेतु जुडे हुऐ है इसके अलावा वे कृषको की कृषि उपज भी खरीदते है। वर्तमान में जिले में कुल 498 ग्राम पंचायत है जिसमें 239 मे कोई लेम्पस व सहकारी समितियॉ नहीं है। वर्तमान मे मौजूदा 498 लैंपो में से 106 भवन की मरम्मत एवं 23 नवीन गोदाम की आवश्यकता महसूस की गई है।

कृषि विस्तार सेवा

किसान सेवा केन्द्र कृषि विस्तार का सबसे निचला एवं अहम स्तर की संरचना है, यहां से कृषि प्रर्यवेक्षक कृषि विस्तार की सेवाऐं प्रदान करती है।

कृषि उपज मंडी एवं सब यार्ड –

जहॉ तक बाजार सम्पर्क की सम्बन्ध है तो जिले मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी स्थित है इसके अलावा ब्लॉक गिर्वा, बडगांव, झाडोल, सलुम्बर, खेरवाडा, धारियावाद व मावली मे कृषि सब यार्ड उपलब्ध है परन्तु अधिकांश किसानों को बिक्री योग्य अधिशेष उचित मूल्यों पर बेचने में समस्या का सामना करना पड रहा है। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान जिले के किसानों ने स्पष्ट किया कि मंडी दूर स्थित होने एंव परिवहन सुविधा के कारण किसान मंडी लाभ से वंचित रह जाते है। प्रत्येक तीसरे ग्राम पंचायत के सरपंच ने इस समस्या को उजागर किया।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला –

मिट्टी की गुणवत्ता जिले में कम उत्पादन के लिए एक प्रमुख कारक है इस प्रकार पंचायत समिति स्तर पर मिट्टी परीक्षण की सुविधा की उपलब्धता आवश्यक है ताकि मिट्टी के आवश्यक घटक के साथ मिट्टी का इलाज किया जा सके। मृदा परीक्षण सेवा जिला मुख्यालय उपलब्ध है किन्तु सीमांत एवं छोटे किसानो को मिट्टी, परीक्षण सुविधा का लाभ उठाने में मुश्किल होती है।

जिले की कमजोर अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण वहां कृषि की स्थिति में निरंतर गिरावट होना है। जिले में बोयी जाने वाली फसलों में खाद्य फसलें प्रमुख है कुल बोये गये क्षेत्रफल में से 95 प्रतिशत में खाद्य फसलें बोयी जाती है। विगत वर्षों में खाद्य फसलों के उत्पादन का विश्लेषण किया जावे तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वर्ष 1983–84, 1989–90, 1999–2000 एवं 2003–04 में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन लगभग 2 लाख टन रहा है अधिकांश वर्षों में जिले में खाद्यान्न उत्पादन 1 से 1.5 लाख टन के बीच रहता है इससे यह प्रकट होता है कि जिले में खाद्यान्न व कृषि उत्पादन की स्थिति स्थिर बनी हुई है। जिले की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से गिरावट हो रही है।

जिले के खरीफ मौसम में, बोये गये क्षेत्रफल में सर्वाधिक लगभग 32 प्रतिशत क्षेत्र में मक्का बोयी जाती है मक्का के पश्चात् बोयी जाने वाली फसलों में गेहूं एवं दाले प्रमुख हैं जो कि रबी मौसम में कुल बोये गये क्षेत्रफल का 66 प्रतिशत है। जिले में गेहूं की 2 टन/प्रति हैक्टेयर उत्पादकता राज्य औसत के बराबर है जिले में मक्का की उत्पादकता दर समान कृषि जलवायु परिस्थिति वाले पड़ोसी जिलों के बराबर है जिले में दालें, मुख्यतया चने का उत्पादन लगभग राज्य औसत के बराबर है।

कृषि क्षेत्र की कम उत्पादकता एवं विविधतापूर्ण व्यवसायों की कमी के कारण जिले की प्रति व्यक्ति आय कम है। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भू भाग के छोटे–छोटे टुकड़ों में बोये जाने के कारण मक्का की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में निरन्तर कमी आ रही है। इसके विपरीत नवीन तकनीक, उर्वरक एवं अन्य साधनों के व्यापक प्रयोग से गेंहू के प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जिले की समस्त फसलों की उत्पादकता में स्थाई वृद्धि नहीं हुई है और इसमें विभिन्न वर्षों में 150–200 प्रतिशत तक उतार–चढ़ाव देखे गये है।

मक्का एवं गेंहू की फसल की उपज पर, जिला उदयपुर

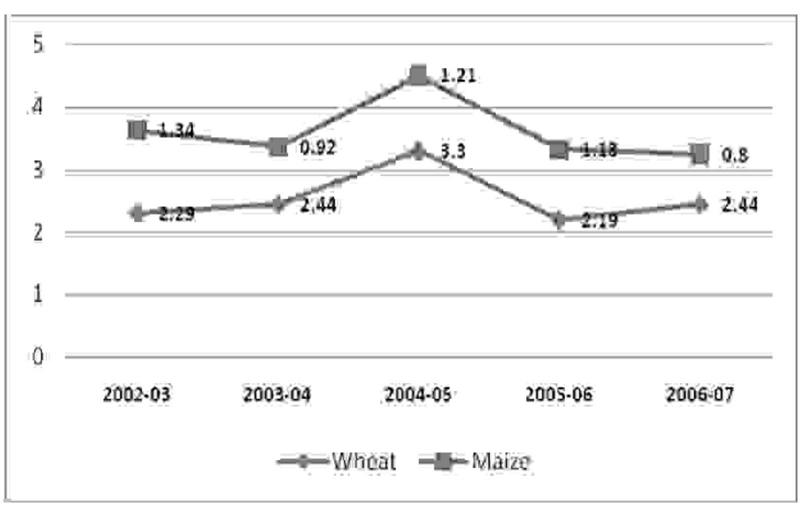

जिले में कृषि की स्थिति :–

विवरण	प्रकार	हैक्टेयर	प्रतिशत
कुल भौगोलिक क्षेत्र		14,62,105	
कृषि योग्य भूमि	सिंचित	127746	31.63
	असिंचित	276103	68.37
	कुल	**403849**	100.00
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	सिंचित	8850	6.55
	असिंचित	126081	93.45
	कुल	134931	100.00
वास्तविक बोया गया क्षेत्र	सिंचित	118896	44.21
	असिंचित	150022	55.79
	कुल	268918	100.00

श्रेणीवार कृषकों की संख्या

श्रेणी		कृषक संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर)	कृषि भूमि प्रति कृषक (हैक्टेयर)
1	बडे कृषक (2 हैक्टेयर से अधिक)	73,746	3,03,985	4.12
2	लघु कृषक (1 से 2 हैक्टेयर)	71,702	1,01,297	1.41
3	सिमांत कृषक (1 हैक्टेयर से कम)	1,45,168	65,110	0.44
योग		2,90,616	4,70,392	1.61

औद्योगिक घरानों / व्यापारियों / उपभोक्ता संगठनों से अनुबन्ध

1. कई बडे व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे रिलांयस, आई.टी.सी., मदर डेयरी आदि ने कई जगह अपने स्टोर खोले है जो उपभोक्ताओं को अनाज, फल, सब्जी व अन्य कृषि उत्पाद उपलब्ध कराते है इसी प्रकार कई उत्पादक कृषि मशीनरी, खाद / बीज, पंप सेट आदि उपकरणों को अपने स्तर पर किसानों को उपलब्ध करवाते है। सरकार को उच्च स्तर पर ऐसे प्रतिष्ठानों से अनुबन्ध किया जाना समुचित प्रतीत होता है ताकि किसानों को अपनी उपज की बिक्री हेतु खरीददार व कृषि उपकरणों व खादानों की खरीद हेतु समंय व धन की बचत संभव हो सके।

2. इस हेतु विभिन्न स्तरों पर सरकारी बैंक, क्रय विक्रय सरकारी समितियों व ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित व संचालित है ये संस्थान अपने स्तर पर भी विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अनुबंध कर किसानों को लाभान्वित कर सकतें है।

3. इस के अलावा विभिन्न बैंकों व संस्थाओं द्वारा किसान क्लब स्वयं सहायता समूह आदि का गठन किया गया है उपरोक्त सभी संस्थाएं "कांट्रेक्ट फार्मिग" जैसी व्यवस्था अपनाकर अपने सदस्य "किसान" की आय में 10 से 50 प्रतिशत इजाफा कर सकती हैं।
4. उपरोक्त हेतु सरकार को मात्र विज्ञापन का खर्च करना है जो राज्य के स्तर पर कम लागत में किया जा सकता है।

गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार सेवायें प्रदान करना

कृषि विस्तार सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि काश्तकार एवं विभागीय कर्मचारी दोनों ही के पास कृषि क्षेत्र में होने वाले सभी नये प्रयासों एवं उन्नत कृषि तकनीक के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार प्रदत्त किये जाने की योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस दिशा में किया गया एक सफल प्रयास है।इस योजना के अन्तर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड में एक गैर–सरकारी संस्था किसी क्षेत्र के किसानों को कृषि विस्तार सेवायें देने के लिये अपनी रूचि व्यक्त करती है एवं संस्था द्वारा किये गये कृषि विस्तार सम्बन्धी कार्यों के परिणामों के आधार पर संस्था को उनके कार्य के लिये भुगतान किया जाता है। कई राज्यों एवं जिलों में इस दिशा में किये गये प्रयासों के परिणामों के आधार पर इस गतिविधि का क्रियान्वयन जिले के 342 चयनित ग्राम पंचायतों में किया जाना प्रस्तावित है। इन ग्राम पंचायतों के चयन का आधार इनमें रहने वाले लघु एवं सीमान्त किसानों के अनुपात पर आधारित है।

वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन

करौंदा की खेती हेतु प्रोत्साहन

वाणिज्यिक फसलों की खेती, जिन्हे अक्सर कैश क्रॉप भी कहा जाता है, किसानों की आय को बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है। कई प्रकार की वाणिज्यिक फसलों में से जिले में करौंदा की खेती को प्रोत्साहित करना प्रस्तावित है जिले में होने वाली औसत वर्षा, भूमि के प्रकार एवं सिंचाई के सीमित साधनों को देखते हुये, कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन देने वाली करौंदा की फसल की खेती जिले के लिये एक अच्छी गतिविधि साबित हो सकती है करौंदा की खेती पर आने वाली लागत अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती पर आने वाली लागत से काफी कम होती है, इसलिये करौंदा जिले के लघु एवं सीमान्त किसानों के लिये एक आकर्षक विकल्प है जिले की 8 पंचायत समितियों – वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलो के उत्पादन को प्रोहत्साहित करने का लक्ष्य दिया गया है। इस कार्य में रूचि दिखाने वाले सभी किसानों को मौसम–पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं इसके पश्चात प्रत्येक किसान को एक इनपुट किट प्रदान की जायेगी। इस किट में प्रति 0५5 हैक्टेअर में करौंदा की खेती करने हेतु बीज के साथ ही उर्वरक, कीटनाशक, खर–पतवार

नाशक दवायें होंगी। सभी किसानों को खेतों पर ही खड़ी फसलों के रख–रखाव एवं प्रबन्धन पर प्रशिक्षण (Standing Crop Training-cum-Demonstration) दिया जायेगा। इसके पश्चात, काश्तकारों एवं खरीदारों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु एवं फसल की बिक्री के साथ ही अन्य किसानों में रूचि जाग्रत करने के उद्देश्य से किसान मेलों का आयोजन किया जायेगा। इन चार चयनित पंचायत समितियों में से प्रत्येक में प्रतिवर्ष 15 स्वंय सहायता समूह बनाये जायेंगे। प्रत्येक समूह में 18.20 सदस्य होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक पंचायत समिति में कुल 300 किसान प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। प्रति पंचायत समिति इस गतिविधि के निष्पादन हेतु कुल रूण 11.76 लाख का खर्च अनुमानित है।

मौसम–पूर्व प्रशिक्षण (5 बैच – 60 प्रतिभागी प्रति बैच ग रू. 7500 प्रति बैच)	**रू. 0.375 लाख**
इनपुट किट्स का वितरण (250 किट / रू. 3000 प्रति किट)	7.5
खड़ी फसल प्रबन्धन प्रषिक्षण एवं प्रदर्षन (Standing Crop Training-cum-Demonstration) (15 बैच कृ 20 प्रतिभागी प्रति बैच ग रू. 10000 प्रति बैच)	1.5
किसान मेलों का आयोजन (रू. 35,000 प्रति मेला)	0.35
उप–योग (1)	**9.725**
अन्य फुटकर व विविध खर्च (@ 10%) Miscellaneous & Contingency Expenses	0.97
उप–योग (2)	**10.695**
योजना प्रबन्धन व्यय (@ 10%) SchemeAdministration Expenses	1.06
कुल राशि प्रति पंचायत समिति प्रतिवर्ष	**11.76**
कुल राशि प्रति पंचायत समिति कुल योजना अवधि हेतु = रू. 58.80 लाख	
आठ पंचायत समितियों हेतु कुल प्रस्तावित राशि = रू. 470.40 लाख	

इस प्रकार से योजना के पांच वर्षों में आठ चयनित पंचायत समितियों में गतिविधि के निष्पादन हेतु कुल रूण 470.40 लाख का बजट प्रस्तावित है इस गतिविधि से जहाँ सीधे तौर पर 12,000 किसानों को लाभ होगा वहीं लगभग 36,000 किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।

फलोद्यान लगाने हेतु प्रोत्साहन

जिले में टमाटर, मिर्च, सौंफ, आदि के साथ ही फूलों एवं औषधीय पौधों की खेती के अतिरिक्त किसानों को आंवला, अमरूद, नीबू, अनार, बेर, आदि के बाग लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना भी प्रस्तावित है वर्तमान में जिले में किसानों द्वारा मात्र 188 हैक्टेअर क्षेत्र में बाग लगाये गये है। इस गतिविधि के अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में 1000

अतिरिक्त हैक्टेअर में बाग लगाये जाने प्रस्तावित है। जैसा विदित है कि बाग में छोटे पौधों का पशुओं से बचाव किये जाने की आवश्यकता होती है, इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि बाग के चारों ओर बाड़बन्दी (Fencing) की जाये। जिले के अधिकतर किसान बाग लगाने में रूचि इसलिये नहीं लेते है क्योंकि वे बाड़बन्दी हेतु व्यय करने में अक्षम होते है। तदनुसार, प्रस्तावित है कि बाग लगाने की गतिविधि में रूचि दर्शाने वाले सभी किसानों को बाड़बन्दी पर आने वाले व्यय पर 50 प्रतिशत की सबसिडी दी जाये। साथ ही, जल संवर्धन हेतु किसानों को ड्रिप सिंचाई के उपकरणों पर भी कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में उपकरणों पर दी जानी वाली सबसिडी भी उपलब्ध करायी जाये। प्रति हैक्टेअर बाड़बन्दी पर कुल रू. 26,000 का खर्च आता है, जिसमें से 50 प्रतिशत यानि रू. 13000 की सबसिडी बी.आर.जी.एफ अन्तर्गत दी जाना प्रस्तावित है इस प्रकार से कुल 1,000 हैक्टेअर की बाड़बन्दी पर रू. 130.00 लाख की राशि सबसिडी के रूप में बी.आर.जी.एफ. के अन्तर्गत दी जानी प्रस्तावित है। ड्रिप सिचाई के उपकरणों पर सबसिडी कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में दी जा रही है, परन्तु किसानों द्धारा इस सबसिडी का खर्चा वहन करना मुश्किल है तदनुसार सब्सिडी के अतिरिक्त की धन राशि बी.आर.जी.एफ द्धारा वहन किये जाने से जिले में बागवानी फसलों के प्रति रूझान बढेगा। इस प्रकार से जिले में करौंदा की खेती एवं फलोद्यान लगाने की गतिविधि को प्रोत्साहित करने हेतु कुल रू. 780.4 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

बीज प्रतिस्थापन्न दर

जिले की प्रमुख खरीफ व रबी फसलों की उत्पादन वृद्वि में प्रमाणित एवं उन्नत बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में बीज प्रतिस्थापन्न दर में 10 प्रतिशत वृद्विहै।

फसलवार उन्नत किस्मो के बीजों का उपयोग :–

नाम फसल		बीज वितरण (क्वि.)	बीज प्रतिस्थापन्न दर (प्रतिशत)
1	मक्का	4143.00	11.60
2	धान	14.00	1.00
3	उड़द	35.40	2.40
4	ग्वार	170.30	8.70
5	अरहर	34.50	6.30
6	सोयाबीन	1912.7	64.20
7	मूॅंगफली	183.78	2.10
8	तिल	45.98	49.50
9	गेॅंहू	9065	13.33
10	जौ	120	1.17
11	चना	790	7.90
12	सरसों	835	95.35

संतुलित उर्वरक उपयोग :–

फसल उत्पादकता बढाने में पोषक तत्वों का प्रयोग संतुलित मात्रा में होना आवश्यक हैं। परन्तु वर्तमान में मुख्य पोषक तत्व एन.पी.के. का प्रयोग तो बढा है परन्तु सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग नहीं होने से मृदा स्वास्थ्य पर विपरित असर पडा है साथ ही कार्बनिक खाद का भी उपयोग कम हुआ है।

उर्वरक उपयोग (एम.टी.)	**स्थिति (2008–09)**
नत्रजन	14568
फास्फोरस	5556
पोटास	174

प्रत्येक चयनित ग्राम पंचायतों में एक सामुदायिक कृषि कार्यकर्ता की नियुक्ति की जायेगी। यह सामुदायिक कृषि कार्यकर्ता कम से कम हाई स्कूल पास होगा। सामुदायिक कृषि कार्यकर्ता को मानदेय के रूप में प्रतिमाह रू. 3,000 प्रदान किये जायेगें। इसी प्रकार से पंचायत समिति स्तर पर स्नातक उपाधि प्राप्त एक पंचायत समिति कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति रू. 5000 प्रति माह के मानदेय पर की जायेगी। सभी किसान मित्रों एवं पंचायत समिति कोऑर्डिनेटरों को 4 माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आने वाले वर्षों में उनके लिये एक 2 माह का रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा। इस पूरे कार्यक्रम का समन्वयन कृषि के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाली एक गैर सरकारी संस्था के माध्यम से किया जायेगा। इस संस्था को किया जाने वाला भुगतान उनके द्वारा क्षेत्र में किसानो को दी गयी सेवाओं की सफलता के आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

गतिविधि	**धनराशि (रू. लाख में)**
मानदेय (सामुदायिक कृषि कार्यकर्ता एवं पंचायत समिति कोर्डिनेटर)	648.6
गैर सरकारी संस्था को दिया जाने वाला भुगतान कुल वेतन का 10%	64.86
किसान मित्रों एवं पंचायत समिति कोर्डिनेटरों का प्रशिक्षण	35.3
कुल	**748.76**

इस प्रकार से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कृषि विस्तार सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने हेतु कुल रू. 748.76 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

फसल प्रदर्शन

बी.पी.एल. परिवारों की एक हैक्टेयर भूमि का चुनाव फसल प्रदर्शन के लिऐ किया जाऐगा। पंचायत समिति स्तर पर एक गैर सरकारी संस्था को इस फसल प्रदर्शन हेतु अधिकृत किया जाऐगा। फसल प्रदर्शन हेतु वित्तीय प्रावधान निचे दी गई सारिणी में दर्शाया गया है।

विवरण	(रूपये लाख में)
11 पंचायत समिति के लिऐ प्रतिवर्ष प्रति हैक्टेयर 1.00 लाख रूपये गैर सरकारी संस्था हेतु	55
प्रत्येक गांव से 2 किसान (2458 गांव) रूपये 1000.00 प्रति किसान समस्त खर्चे सहित	49.16
कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन देखने हेतु सभी 498 कृषि विस्तार कार्यकर्ता प्रति कार्यकर्ता रूपये 1000.00 समस्त खर्चे सहित	4.98
प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्वाचित 2 सदस्य प्रति सदस्य (996) खर्चा 1000 रूपये समस्त खर्चे सहित	9.96
कुल खर्चा	**119.1**

फल विकास कार्यक्रम :—

1. **सब्जी विकास योजना :**

इस योजना के अन्तर्गत 40 कृषको का समुह बनाकर उनको सब्जी की उन्न्त किस्मो के पैदा करने की सम्पूर्ण जानकारी दी जाती है। कृषको के 0.05 है. क्षेत्र मे टमाटर, बैंगन, मिर्च, और भिन्डी के प्रर्दशन लगाने हेतु अनुदान दिया गया। वर्ष 2007—08 में 5.73 लाख रू. का आंवटन किया गया है, जिसके विरूद्ध 520 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

2. **सैरीकल्चर कार्यक्रम :**

शहतूत की खेती से प्राप्त शहतूत के पत्तों पर रेशम के कीड़े पालकर रेशम ककून उत्पादन हेतु वर्ष 2007—08 हेतु 10.42 लाख रू. व्यय कर 500 जनजाति कृषको को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2008—09 में 9.64 लाख रू. का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध 100 जनजाति कृषको को लाभान्वित किया गया है।

3. **बायफ के माध्यम से**

उद्यान विकास : जनजाति कृषकों के यहां फलदार बगीचे एवं चारों तरफ वानिकी पौध लगाए जाने हेतु वर्ष 2007—08 हेतु 57.78 लाख रू. व्यय कर 353 कृषको को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2008—09 हेतु 57.31 लाख रू. का प्रावधान किया गया है जिससे 353 जनजाति कृषको को लाभान्वित किया जा रहा है।

बंजर भूमि विकास : जनजाति कृषको के यहा उपलब्ध बंजर भूमि मे ट्रेच खुदाई कर रतन जोत के पौधे लगाए इस हेतु वर्ष 2007—08 में 800 जनजाति कृषको को लाभान्वित करने हेतु 51.04 लाख रू. व्यय किये गये। वर्ष 2008—09 हेतु 57.85 लाख रू. का प्रावधान किया गया है जिससे 800 जनजाति कृषको को लाभान्वित किया जा रहा है।

पशुपालन

प्रस्तावनाः—

उदयपुर जिले की वर्तमान स्थिति अनुसार पशु पालन विभाग की कुल 202 संस्थाऐ कार्यरत हैं जिसमें से 7 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 66 पशु चिकित्सालय,एवं 129 पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत हैं। पशु गणना 2003 के अनुसार उदयपुर जिले में 10.38 लाख गौवंश के पशु 5.30 लाख भैस वंश, 11.64 लाख बकरी एवं 2.04 लाख भेडें हैं। पशुधन के अनुपात में निश्चित रूप से पशु उत्पादन बहुत ही कम हैं। उदयपुर जिले में प्रति गाय प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 1.41 लीटर हैं जबकि भैस का प्रति भैस प्रतिदिन 2.29 लीटर उत्पादन हैं।

उदयपुर जिले में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रशासनिक एवं तकनिकी नियंत्रण की दृष्टि से उपनिदेशक का पद सृजित है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाऐं संचालित की जाती हैं। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर संभाग में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम के अतिरिक्त टी.एस.पी. के तहत् भी त्रिदिवसीय पशु चिकित्सा शिविर, उन्नत नस्ल के बकरे वितरण एवं संकर नस्ल बछडा.बछडी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

(1) **कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम** :— उदयपुर जिले की स्थानिय नस्ल नोनडीस्क्रीप्टीव एवं कम उत्पादन वाली है। इन कम उत्पादन वाली गौवंश एवं भैसवंश को अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत नस्ल के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कर संकर नस्ल में परिवर्तित किया जाता हैं विभागीय प्रजनन नीति के अनुसार उदयपुर संभाग में गौवंश में एच एफ जर्सी व गीर नस्ल से व भैसवंश में मुर्रा व सुरती से कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता हैं।

(2) **प्राकृतिक सेवा** :— अश्व में मारवाडी उन्नत नस्ल तैयार करने की दृष्टि से उदयपुर जिला मुख्यालय पर उन्नत नस्ल का अश्व प्राकृतिक सेवा हेतु उपलब्ध हैं।

(3) **बधियाकरण** :— नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक हैं कि आवारा नकारा सांडो को

बधियाकरण किया जाऐं। अतः पशुपालन की समस्त संस्थाऔं के माध्यम से बधियाकरण का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

(4) **पशु स्वास्थ्य संरक्षण** :— उदयपुर संभाग में कार्यरत 1 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, 6 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, 66 पशु चिकित्सालयों के माध्यम से पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा कर पशु स्वास्थ्य संरक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है। पॉलीक्लीनिक में सोनोग्राफी, एक्सरे मशीन इत्यादि द्वारा रोग निदान कार्य किया जाता हैं साथ ही यहॉ वृहद् शल्य चिकित्सा हेतु आधुनिक ऑपरेशन थियेटर भी है।

(5) **टीकारकण कार्यकम** :— सक्रामंक रोगो से बचाव हेतु पशुपालन कि समस्त संस्थाओं के माध्यम से रोग निरोधक टीके अनुदानित दर पर लगाये जाते हैं। बडे पशुओं में एच.एस., बी, क्यु, एवं एफ.एम.डी. का एवं छोटे पशुओं में शीपपोक्स एवं ई.टी.वी का टीकाकरण किया जाता हैं।

(6) **पशुधन सहायक प्रशिक्षण केन्द्र** :— उदयपुर संभाग मुख्यालय पर पशुधन सहायको के दो वर्षीय प्रशिक्षण हेतु एक विद्यालय भी स्थापित हैं। इसमें जीव विज्ञान व कृषि विज्ञान के उच्चतर माध्यमिक उर्तीण विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है।

(7) **क्षेत्रिय पशुरोग निदान केन्द्र** :— उदयपुर संभाग के पशुओं में उचित उपचार के लिये सही रोग निदान एवं पशुओं के संक्रामक रोग के पूर्ण नियंत्रण की दृष्टि से उदयपुर सभांग मुख्यालय पर क्षेत्रिय रोग निदान केन्द्र इकाई कार्यरत हैं। किसी भी क्षेत्र से रोग प्रकोप की सूचना प्राप्त होने पर अति आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला वाहन के साथ पशु चिकित्सकों का दल वहॉ पहुॅच कर रोग प्रकोप पर पूर्ण नियंत्रण पाता हैं।

(8) **भ्रमणशील पशु शल्य एवं बाझ निवारण इकाई** :— आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के उन दूर दराज क्षेत्रों में जहॉ पशु पालन विभाग की कोई संस्था कार्यरत नही हैं उन क्षेत्रों के पशु पालको को अपने पशुओं को राहत पहुॅचाने की दृष्टि से उदयपुर संभाग मुख्यालय पर भ्रमणशील पशु शल्य एवं बाझ निवारण इकाई स्थापित हैं। इस इकाई द्वारा समय.समय पर शिविरों का आयोजन कर वहॉ के पशु पालको को राहत पहुॅचाने का कार्य किया जाता हैं।

(9) **पशु चिकित्सा शिविर** :— उदयपुर संभाग में स्थापित प्रत्येक पशु चिकित्सालय द्वारा प्रति वर्ष 24 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त शिविरों में पशुओं का उपचार पशु पालकों की समस्याओं का निराकरण एवं उपलब्धता अनुसार यथा सम्भव औषधी वितरण की जाती हैं साथ ही टीकाकरण कार्य भी किया जाता हैं एवं कृमिनाशक दवा पिलाई जाती हैं।

(10) **पशु पालन प्रचार.प्रसार हेतु कार्यकम** :— पशु पालन के प्रचार.प्रसार हेतु उदयपुर जिले में कई कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

अ) **संकर नस्ल बछडी एवं दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता** :— पशुपालन व्यवसाय के प्रति प्रेरित एवं संकर नस्ल के प्रति जागरूकता बढाने के लिये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 1 जिला स्तरीय संकर नस्ल बछडी एवं दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता हैं।

साथ ही अनुसूचित जातियों के लाभार्थ जिले मे। 2 बछडी एवं दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।

ब) **पशु कुरता की रोकथाम** :— पशु पालन संस्थाओं द्वारा पशुओं की कुरता की रोकथाम हेतु विशेष कार्यक्रम 4 अक्टुबर को विश्व पशु दिवस एवं 15 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाडा आयोजित किया जाता हैं। उक्त दिवसों में क्षेत्र के विद्यालयों में पशु पालन सम्बन्धि चित्रकला, निबन्ध, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर विद्यार्थियों को पशु कुरता एवं उनके रोकथाम हेतु व्यापक जानकारियॉ उपलब्ध कराई जाती है। एवं उनमें पशु प्रेम की भावना विकसित किये जाने का प्रयास किया जाता है।

(11) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कार्यक्रम :

आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र उदयपुर संभाग में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रम के अतिरिक्त टी.एस.पी. के तहत् भी त्रिदिवसीय पशु चिकित्सा शिविर, उन्नत नस्ल के बकरे वितरण एवं संकर नस्ल बछडा—बछडी जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

(12) पशु कल्याण पखवाडा :

जिले में कार्यरत समस्त पशुपालन संस्थाओं के माध्यम से दिनांक 14 से 31 जनवरी तक पशु कल्याण पखवाडा एवं गौ सवंर्धन सप्ताह मनाया जाता है। इस पखवाडें में सभी संस्थाओं द्वारा निम्न कार्य सम्पादित कर पशु पालको की पशु पालन की प्रति जागरूकता बढाने का प्रयास किया जाता है।

1. शिक्षण संस्थाओं, पंचायत मुख्यालयों, नगरपालिका मुख्यालय, गौशाला आदि मे सभायें आयोजित कर पशुओं के प्रति दया एवं करूणा, पशु कल्याण के प्रति जन साधारण में जागृति तथा पशु कुरता निवारण हेतु वातावरण बनाया जाता है।
2. सभा एवं गोष्ठियों का आयोजन कर आम जनता से सम्पर्क कर पशु कल्याण पखवाडे के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने के प्रयास जारी किये जाते है।
3. क्षेत्र में आवारा पशुओं की देखभाल की समुचित व्यवस्था के लिये स्वंय सेवा संस्थाओं से निम्न कार्यो में सहयोग लिया जाता है।

   धर्म नाम पर पशुओं की बलि रोक।

   मुर्गे एवं मेंढे की लडाई को रोक।

   पशु गाडियों में अधिक भार रखने से रोक।

   परिवहन हेतु ट्रकों में अधिक पशु भरकर ले जाने से रोक।

   पशुओं को अधिक सर्दी, गर्मी की प्रतिकुलता से सुरक्षा करना व बरसात में बांधने से रोक।

   पशुओं को बिजली के खंभो से बांधने से रोक।

   रोगी एवं घायल पशुओं को तुरन्त पशु चिकित्सालय भिजवाना एवं निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध

करवाना।

पशु गृहों का निरीक्षण एवं इनके लिये साफ स्वच्छ स्वाथ्यवर्धक वातावरण का निर्माण करना।

पंचायत एवं नगरपालिका के सहयोग से निम्न कार्य करवाना।

बूचड खानों में मानवीय ढंग से पशुओं का वध होना।

अन्य पशुओं के सामने अन्य पशुओं का का वध न हो।

पशु वध से पूर्व पशुओं को पर्याप्त भोजन एवं आराम दिया जाना।

तीस जनवरी को सर्वोत्तम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन एवं 26 जनवरी को समस्त राज्य में पशु . पक्षियों को वध रोकने एवं मांस आदि बेचने पर अनिवार्य रूप से बंद करवाने में विभाग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

उदयपुर जिले में पशु पालन की दृष्टि से पशु पालक गाय, भैंस, भैड़, बकरी, ऊंट एवं कुक्कुट आदि पालते है। राज्य सरकार द्वारा भैसों एवं गायों को नस्ल सुधार हेतु देशी विदेशी नस्ल के उन्नत सांड़ो एवं मुर्रा सूरती के उन्नत भैसों के वीर्य से गर्भित कराने के लिये जिले में विभिन्न योजनाअें के अन्तर्गत संस्थाऐं कार्यरत है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों को कम उत्पादक देशी नस्ल के पशुओं में नस्ल सुधार का कार्य कर अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की वृद्धि करने एवं आदिवासी परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए सतत् क्रियाशील है जिसका लाभ भी इस परिगणित क्षैत्र के निवासियों को मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर बहु उद्देशीय पशु चिकित्सालय एवं क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र स्थित है, जिसमें पशुओं के रोगों का निदान के साथ एक्सरे सुविधा एवं सोनोग्राफी भी उपलब्ध है इससे यहां पशुओं में वृहत शल्य क्रिया का कार्य किया जाता है।

जिले मे उपलब्ध पशुधन की संख्या और प्रतिशत

क्र. सं.	नाम पशुधन	1992		1997		2003	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	गाय / बैल	904147	35.65	70232	36.92	1038263	33.64
2	भैंस / भैंसें	409053	16.13	457119	17.4	530405	17.18
3	भेड़ें	259914	10.24	244017	9.29	204491	6.62
4	बकरियॉ	870894	34.35	850773	32.38	1164316	37.71
5	घोड़े एवं टट्टू	1512	0.05	1521	0.06	1379	0.04
6	गधे एवं खच्चर	5873	0.23	5270	0.2	6279	0.20
7	ऊॅट	7712	0.3	9413	0.36	9125	0.30
8	सूअर	1678	0.06	720	0.03	10865	0.35
9	कुत्ते एवं अन्य	75721	2.99	88393	3.36	122194	3.96
	योग	**2536504**	**100**	**2627658**	**100**	**3087317**	**100**
10	मुर्गा / मुर्गी	350043		432569		840020	
	योग (कुक्कुट)	**350043**		**432569**		**840020**	
	कुल पशुधन एवं कुक्कुट	**2886547**		**3060227**		**3927337**	

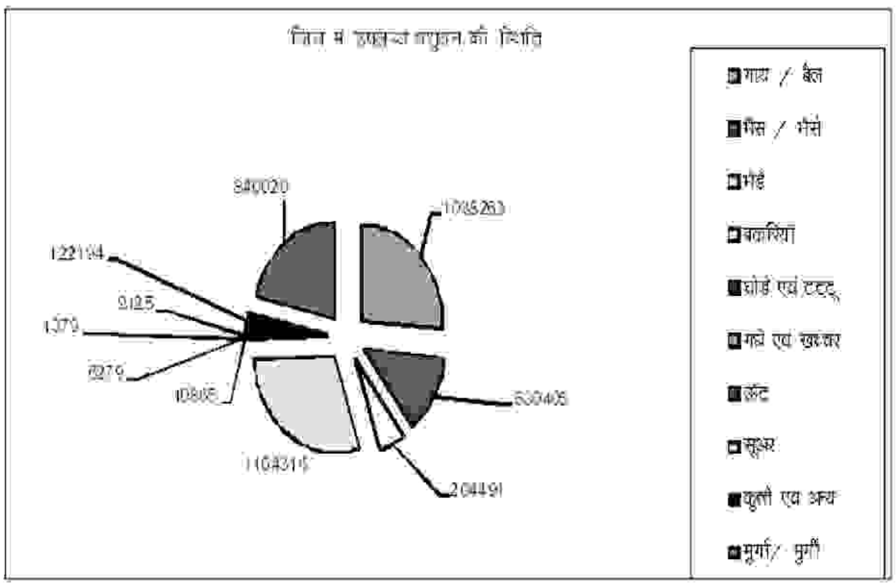

पशु चिकित्सा संस्थाओं की उपलब्धता

उदयपुर जिले में पशु पालन की दृष्टि से पशु पालक गाय, भैंस, भैड़, बकरी, ऊंट एवं कुक्कुट आदि पालते है। राज्य सरकार द्वारा भैसों एवं गायों को नस्ल सुधार हेतु देशी विदेशी नस्ल के उन्नत सांड़ो एवं मुर्रा सूरती के उन्नत भैसों के वीर्य से गर्भित कराने के लिये जिले में विभिन्न योजनाअें के अन्तर्गत संस्थाऐं कार्यरत है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आदिवासियों को कम उत्पादक देशी नस्ल के पशुओं में नस्ल सुधार का कार्य कर अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं की वृद्धि करने एवं आदिवासी परिवारों की स्थिति में सुधार के लिए सतत् क्रियाशील है जिसका लाभ भी इस परिगणित क्षेत्र के निवासियों को मिल रहा है। जिला मुख्यालय पर बहु उद्देशीय पशु चिकित्सालय एवं क्षैत्रीय रोग निदान केन्द्र स्थित है, जिसमें पशुओं के रोगों का निदान के साथ एक्सरे सुविधा एवं सोनोग्राफी भी उपलब्ध है इससे यहां पशुओं में वृहत शल्य क्रिया का कार्य किया जाता है।

जिले में पंचायत समितिवार कार्यरत संस्थाऐं निम्नानुसार है :–

क्र.स.	पंचायत समिति	पशु चिकित्सालय	पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्र
1	गिर्वा	10	16
2	बड़गांव	4	8
3	गोगुन्दा	6	10
4	झाड़ोल(फ)	6	7
5	कोटडा	6	13
6	खेरवाड़ा	7	17
7	सराड़ा	5	6
8	सलूम्बर	7	21
9	लसाडिया	2	6
10	भीण्डर	12	14
11	मावली	8	11

वर्तमान में विभाग द्वारा निम्न पशु चिकित्सा सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही है।

(अ) 53 पशु चिकित्सालयों

(ब) 7 पशु चिकित्सालयों वी.एच.एफ.

(स) 17 पशु दवाखानों द्वारा (जिन्हे अब पशुचिकित्सालयों में क्रमोन्नत कर दिया गया है)

(द) 139 उपकेन्द्र द्वारा

जिले में उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन 310 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां कार्य कर रही है जिसमें 18090 सदस्य नियमित दुग्ध संकलन में सहयोग कर रहे है। 42765 लीटर दैनिक दुग्ध संग्रहण किया जा रहा है। दुग्ध अभिशीतलन केन्द्र राजस्थान डेयरी फेडरेशन के तहत् उदयपुर में स्थापित हैं।

चरागाह की स्थिति

प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान लगभग प्रति तीन परिवार में से दो परिवारों ने चारे की कमी बताई। इस क्षेत्र में स्थायी चारागाह और अन्य चराई जमीन में तेजी से गिरावट आई है इसके अलावा पशुओं के चारे विकास के लिए कोई योजना नहीं है इसलिए चारे की भारी कमी प्रतीत हो रही है खेती के लिए गॉव की चराई जमीन पर अवैध अतिक्रमण चारागाह और अन्य चराई जमीन में तेजी से गिरावट के लिए मुख्य कारण है चूंकि जिला पहाडी क्षेत्र में स्थित है एवं नियमित रूप से अतिक्रमण और अधिक पशु घनत्व के कारण चारागाह भूमि घटती जा रही है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

जिले में पशुधन क्षेत्र का विकास, वहां रहे भूमिहीन एवं कृषकों की दैनिक आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होता है।

इसके अनुसार, नीचे पॉच वर्षों के लिऐ लक्ष्य एवं उदेश्य निर्धारित किये गये है।

- ❖ दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना।
- ❖ पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु।
- ❖ पशुधन के स्वास्थ्य एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु।
- ❖ पशुधन में संलिप्त लोगो की आय में वृद्धि।
- ❖ डेयरी एवं विपणन सुविधा का उत्थान।
- ❖ पशु स्वास्थ्य चिकित्सा से पशुचिकित्सा प्रथा की ओर परिवर्तित करना।

सामुदायिक पशुधन कार्यकर्ता प्रशिक्षण

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु प्रत्येक (498) ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक पशुधन

कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाऐगा। यह कार्यकर्ता कम से कम हाई स्कूल पास होगा। सभी सामुदायिक पशुधन कार्यकर्ताओं को पंचायत समिति स्तर पर तीन माह का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 10,000 के हिसाब से कुल रू. 49.80 लाख की धन राशि का प्रावधान किया गया हैं।

डेयरी विकास

उदयपुर जिला जनजाति बाहुल्य है जिसमें आजीविका हेतु मुख्य साधन पशुपालन एवं कृषि है जिले में जोत की भूमि का कम होने के कारण आय का मुख्य स्त्रोत पशुपालन ही रह गया है। क्षेत्र के दुग्ध उत्पादनों को उनके उत्पाद का उचित दाम दिलवाने एवं आर्थिक व सामाजिक पिछडेपन को दूर करने की नितान्त आवश्यकता है।

जिले में एक मात्र सहकारी दुग्ध संध है, जिसका मुख्य व्यवसाय दुग्ध संकलन एवं विपणन है। फील्ड सर्वे के दौरान देखा गया कि दुग्ध संघ में दुग्ध उत्पादकों को उनके साप्ताहिक दुग्ध भुगतान देरी से करने के कारण दुग्ध संकलन में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण दुग्ध संघ के पास कार्यशील पूंजी का अभाव होना बताया गया। इस हेतु दुग्ध संघ का दुग्ध समितियों के सुदृढ़ीकरण हेतु रूपये 67.76 लाख की पूंजी का प्रावधान किया है।

मत्स्य पालन

शुभमकिंग

विधुत मछली

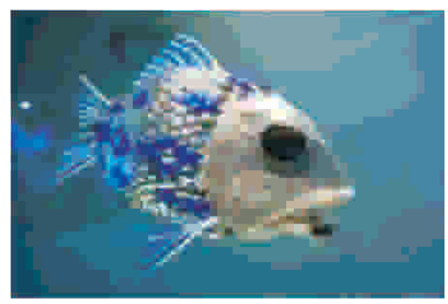

टाईगर शार्क

मत्स्य पालन

जिले में मत्स्य विकास कार्यक्रम मत्स्य विभाग एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि. राजसंघ, उदयपुर के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। विभागवार विवरण निम्नानुसार है :

1. जयसमन्द झील पर मत्स्य आखेट :

विभाग द्वारा स्थानीय आदिवासी मछुआरों की सहकारी समितियों के माघ्यम से मत्स्य आखेट हेतु नियुक्त किया हुआ हैं।

2 मत्स्य विभाग की गतिविधियॉं :

अर्न्तस्थलीय मत्स्य पालन एवं विकास सम्बन्धी गतिविधियॉं जैसे मत्स्य बीज उत्पादन, संग्रहण एवं विक्रय, 'ग' एवं 'घ' श्रेणी जलाशयो के मत्स्याखेट ठेके, मत्स्य सम्पदा का संर्वधन एवं संरक्षण, जलाशयों का सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण आदि कार्य विभाग के स्तर से सम्पादित किये जाते है। उपरोक्त कार्यो के लिए एक जिला स्तरीय

सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय एवं सम्भाग स्तरीय उपनिदेशक मत्स्य कार्यालय स्थित है। इनके अतिरिक्त जिले में विभाग के दो राज्य स्तरीय कार्यालय क्रमशः प्रधानाचार्य, मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय एवं मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अधिकारी कार्यालय भी कार्यरत है।

3 मत्स्य बीज उत्पादन संग्रहण एवं विक्रय :

जिले में मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य प्रेरित प्रजनन विधि, शुष्क बन्ध प्रजनन विधि एवं स्पान रियरिंग के माध्यम से किया जाता है। प्रेरित प्रजनन हेतु जिले में दो विभागीय फार्म क्रमशः जयसमन्द एवं सोमकागदर पर स्थित है। निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु जयसमन्द के निकट वीरपुरा ग्राम में मत्स्य पालक विकास अभिकरण के सहयोग से दो मत्स्य बीज उत्पादन फार्मो का निर्माण करवाया गया है।

बन्ध बाघेला (कैलाशपुरी) जिले का मत्स्य अभिजनक केन्द्र है। स्पान रियरिंग अन्तर्गत अन्य फार्म / हैचरी पर उत्पादित मत्स्य बीज स्पान को तलाईयों में छोड़कर फ्राई अथवा फिंगरलिंग अवस्था तक पालन किया जाता है। तत्पश्चात इन्हें तलाई से संग्रहित कर विक्रय/जलाशयों में संचय किया जाता है। उक्त गतिविधियां अब निजी क्षेत्र में भी मत्स्य कृषको द्वारा व्यापक रूप से अपनाई जा रहीं है।

मत्स्य उत्पादन :

जिले में मत्स्य ठेकेदारों/मस्त्य कृषकों एवं मत्स्य सहकारी समितियों द्वारा उनके अधिक जलाशयों से विभिन्न विधियों से मत्स्याखेट करके जो मछलियां प्राप्त की जाती है, उसे मत्स्य उत्पादन की श्रेणी में लिया जाता है।

4 मत्स्य सहकारी समितियॉं :

जिले में मत्स्य पालन से सम्बन्धित लगभग 17 मत्स्य पालन सहकारी समितीयॉं विभिन्न जलाशयों पर कार्यरत है। इनमें से 13 सहकारी समितियां जयसमन्द झील के आसपास बसे आदिवासी मछुआरों की राजससंघ की देखरेख में कार्यरत है। शेष जिले के अन्य छोटे बड़े जलाशयों पर कार्यरत है।

5 मत्स्य प्रशिक्षण :

राज्य के विभिन्न जिलो से चयनित मत्स्य कृषको एवं राजससंघ के अधीन कार्यरत आदिवासी मछुआरो आदि को समय समय पर अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें मत्स्य पालन तकनिकी की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

इसी प्रकार जिले में एक राज्य स्तरीय मत्स्य प्रशिक्षण विद्यालय कार्यरत है। राज्य के विभिन्न जिलो से चयनित मत्स्य कृषकों एवं राजससंघ के अधीन कार्यरत सहकारी समिती के आदिवासी मछुआरों आदि को समय समय पर अल्पावधि एवं दीर्घ अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों/ अधिकारियों के लिये भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है तथा उन्हे मत्स्य पालन तकनिकी की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

6 मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान यूनिट :

राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल स्त्रोतों का सर्वेक्षण करनें एवं उनमें वैज्ञानिक विधि से मत्स्य पालन कर उत्पादन राजस्थान में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल स्त्रोतो का सर्वेक्षण करने एवं उनमें वैद्धानिक विधि से मत्सय पालन कर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जिले में एक मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अधिकारी का राज्य स्तरीय कार्यालय कार्यरत है।

7 जलाशयो के मत्स्याखेट ठेके :

विभागीय ठेका सूची के अनुसार जिले में विभिन्न श्रेणी के 135 जलाशय है। इनसे प्राप्त राजस्व के आधार पर इन्हें 4 श्रेणीयों में बांटा गया है।जिले मे कुल मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्र 12,000 हैक्टेयर से अधिक है।

क्र.सं.	जलाशय की श्रेणी	जलाशयों की संख्या	राजस्व
1	''क'' श्रेणी	4	5 लाख रूपये और उससे अधिक
2	''ख'' श्रेणी	13	0.50 लाख व उससे अधिक किन्तु 5 .0 लाख से कम।
3	''ग'' श्रेणी	23	0.10 लाख एवं उससे अधिक किन्तु 0 .50 लाख से कम
4	''घ'' श्रेणी	95	0.10 लाख रूपये से कम।

जिले के 'ख 'ग 'घ' श्रेणी के जलाशय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिये गये हैं। 'क' श्रेणी के जलाशयों का ठेका विभागीय स्तर पर कराया जाता है। 'ख' श्रेणी के जलाशयो का जिला परिषद् स्तर पर एवं 'ग' श्रेणी के जलाशयो का पंचायत समिति स्तर पर मत्स्याखेट हेतु ठेका कराया जाता है। ग्राम पंचायतों द्वारा 'घ' श्रेणी के जलाशय स्थानीय इच्छुक व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु आवंटित किये जाते है। पंचायती राज संस्थाओं में मत्स्यपालन की गतिविधियों की देखरेख के लिये विभागीय कर्मचारियों की सेवाऐं हस्तांतरित की गई है।

मछलियो की विभिन्न प्रजातियॉ जो कि निजी तौर पाली जाती है और बजारो मे उच्चे दामो पर बिकती जिससे लोग का जीविकोपार्जन मे इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

खनिज सम्पदा :–

उदयपुर जिला खनिज सम्पदा की दृष्टि से राजस्थान में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तार से फैली है जिसकी चट्टानें विश्व में प्राचीनतम है। अरावली पर्वत श्रृंखला के गर्भ में विविध एवं बहुमूल्य खनिज सम्पदा छुपी हुई है जिसका सम्बन्ध मानव विकास से जुड़ा हुआ है। जिले में अनेकानेक बहुमूल्य खनिजों की उपलब्धता प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में वरदान सिद्ध हो रही है। खनिज सम्पदा के विपुल भण्डारों को अपने गर्भ में छिपाये यह सीसा–जस्ता–चांदी अयस्क, ताम्र अयस्क, रॉक फास्फेट, सोप–स्टोन, डोलोमाइट, केल्साइट, क्वार्टज, चाइना–क्ले, लोह अयस्क, बेराइटीज, सीमेन्ट श्रेणी का चुना पत्थर, विभिन्न रंगों व प्रकार का मार्बल, सरपेन्टाइन (ग्रीन) मार्बल, लाइमस्टोन (बर्निग), चूनाई पत्थर, कंकड़, बजरी, वोलेस्टोनाइट्स, एसवेसट्स आदि खनिज उपलब्ध कराता है।

जिले में खनिज खनन का इतिहास बहुत पुराना है। करीब 3000 वर्ष पूर्व भी यहां खनिजों का दोहन किया जाता था। जावर क्षेत्र में सीसा–जस्ता भण्डारों की खोज लगभाग 2500 वर्ष से भी पहले कर ली गई थी। जस्ता अयस्क से जस्ता प्राप्त करने की तकनीक भी सम्भवतः सर्वप्रथम विश्व में इसी जिले में विकसित हुई है। जिसके प्रमाण जावर सीसा–जस्ता क्षेत्र में मिलते है। 14 वीं शताब्दी से 18 वीं शताब्दी तक जावर क्षेत्र में किया गया जिंक स्मेल्टिंग का कार्य भी जग जाहिर है। जिले में उत्पादित बाबरमाल–देवीमाता का ''पिंक मार्बल'' एवं केसरियाजी का ''ग्रीन मार्बल'' भी विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है।

जिले में उत्पादित होने वाले खनिजों पर आधारित विभिन्न प्रकार के उद्योग विभिन्न स्थलों पर स्थापित किये गये है। जिनमें हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर, उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स का सीमेन्ट संयंत्र, रॉक फास्फेट आधारित उद्योग, मार्बल व ग्रेनाइट, कटिंग एवं पॉलिशिंग इकाइयाँ प्रमुख है। उदयपुर जिले में 623 से अधिक मार्बल ग्रेनाइट, कटिंग पॉलिशिंग इकाइयाँ, 133 ग्राइडिंग–पल्वेराईनिंग इकाइयाँ, 51 ग्रीड व बेलास्ट इकाइयाँ, 3 मार्बल चिप्स उद्योग, 10 से अधिक चूना–भट्टा उद्योग, 45 ईट–भट्टा उद्योग, 81 सीमेन्ट–जाली उद्योग, 6 उर्वरक संयंत्र, 1 मोजेइक टाईल उद्योग चल रहे है। इनके अलावा भी कई छोटे व मंझले दर्जे के खनिज आधारित उद्योग इस जिले में चल रहे है। जिले का उदयपुर–ऋषभदेव क्षेत्र मार्बल मण्डी के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है।

केलसाईट

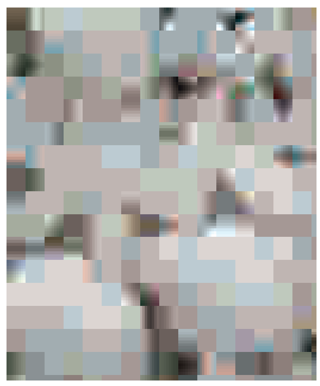

क्वार्टज

सोपस्टोन

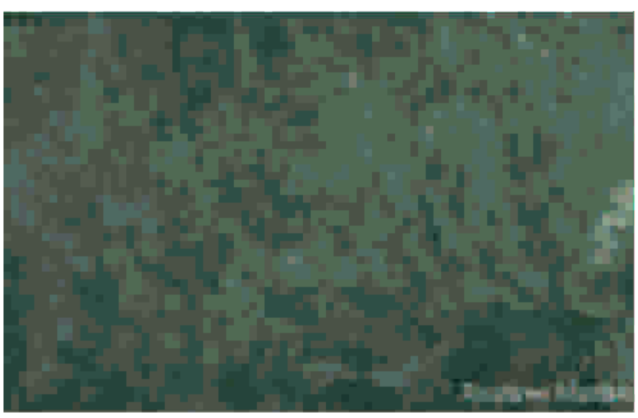

मार्बल

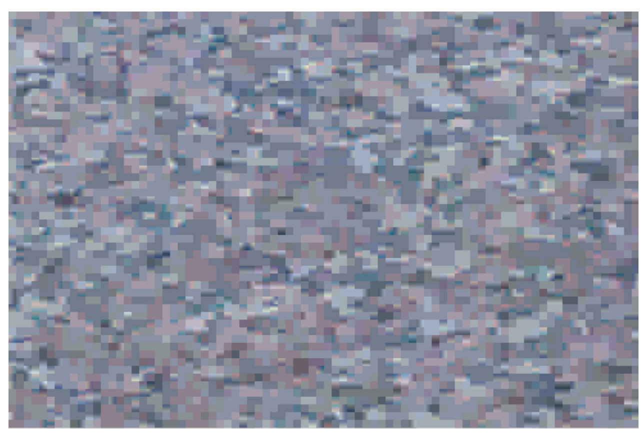

ग्रेनाईट

पर्यटन उद्योग

पर्यटन उधोग

दुनिया में पर्यटन नगरी के रुप में स्थापित तथा पूर्व का कहे जाने वाला वेनिस, राजस्थान का कश्मीर माना जाने वाला उदयपुर खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ हैं। अपने नैसर्गिक सौंदर्य सुषमा से भरपूर झीलों की यह नगरी सहज ही देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उदयपुर के प्रमुख दर्शनीय/धार्मिक/पर्यटन स्थलों में राजमहल, लेक पैलेस, राजकीय संग्रहालय, जगदीश भगवान का मंदिर, दूध तलाई, पिछोला झील, फतह सागर, नेहरु गार्डन, मोती मगरी, सहेलियों की बाडी, गुलाब बाग, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तथा शिल्प ग्राम आदि प्रमुख है। जिले के ग्रामीण /आंतरिक क्षेत्र में एकलिंग भगवान का मंदिर, जगत एवं नागदा के मंदिर, चावंड, केशरिया जी भगवान का मंदिर तथा जयसमंद झील आदि प्रमुख हैं।

पर्यटन एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उदयपुर जिला हस्तशिल्प की विभिन्न विधाओं यथा लकडी के खिलौने व कलात्मक वस्तुऐं, चित्रकारी, बतिक पेटिंग, तलवार, भाले, चाकू आदि, धातू–ताराकारी व पच्चीकारी, व्हाईट मेटल कार्य तथा पत्थर की हस्तशिल्प वस्तुऐं देश–विदेश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

पर्यटन को बढावा देने हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यक्रमो एवं कार्यो का विवरण :

जिले में पर्यटन को बढावा देने हेतु विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यक्रमो एवं कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैं:–

मेवाड कॉम्पलेक्स के अन्तर्गत पर्यटन विकास :

मेवाड कॉम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत महाराणा प्रताप से सम्बन्धित निम्न पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा हैं :–

1. **चावण्ड** :– महाराणा प्रताप की अन्तिम शरण स्थली चावण्ड में महाराणा प्रताप के महल, समाधि है। इस वर्ष में समाधि स्थल के अन्तर्गत म्यूजियम एवं पर्यटक सुविधाओं के विकास कार्य प्रगति पर हैं।

महाराणा प्रताप समाधि स्थल **चावण्ड** पर प्रस्तावित विकास कार्य – महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अन्तिम समय इसी स्थान पर बिताया। चावण्ड में स्थित तालाब में महाराणा प्रताप की समाधि स्थित हैं। चावण्ड उदयपुर से 60 कि०मी० पूर्व में स्थित है। जयसमन्द से 20 कि०मी० पश्चिम में तथा रिषभ देव जी से 30 कि०मी० पूर्व में स्थित हैं। ये स्थल महाराणा प्रताप की कर्मस्थली एंव निर्वाण भूमि के रूप में भी गौरवान्वित हैं। मेवाड काम्पलेक्स योजना के अन्तर्गत चावण्ड में पर्यटन परियोजना के तहत समाधि स्थल की 32 एकड भूमि पर विकास कार्य हो रहे है। जिसके अन्तर्गत स्वागत द्वार से समाधि स्थल तक ब्रिज का निर्माण, समाधि स्थल पर 200 – 250 प्लेटफार्म का निर्माण व लैण्ड्स स्केपिंग का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है तथा एनिकट बाउन्ड्री वाल, सुलभ कॉम्पलेक्स एंव म्युजियम का निर्माण प्रगति पर हैं तथा इन सब का सालाना रख रखाव भी योजना है। यहां 92.48 लाख रू के कार्य प्रस्तावित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा चावण्ड स्थित स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया हुआ है।

2. **गोगुन्दा** :– महाराणा प्रताप की राजतिलक स्थली गोगुन्दा में वर्तमान में विकास कार्य पूर्ण हो गये है, जहॉ म्युजियम का निर्माण, पर्यटक सुविधाओं के विकास कराये गये हैं। गोगुन्दा में राजतिलक स्थल पर पाथवे, संग्रहालय, एम्फीथियेटर, रेस्तरा का निर्माण तथा बावडी व अन्य सुधार कार्य प्रगति पर हैं, इस हेतु रू. 105.89 लाख रू. व्यय किये गये हैं। महाराणा प्रताप की आदम कद मूर्ति स्थापित की गयी है।

   उदयपुर में पर्यटन स्थलों के समग्र विकास (IDURTD) के लिए भारत सरकार द्वारा 276.68 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है। जिसमें से माछला मगरा एंव कालका माता कॉम्पलेक्स के लिए राशि 88.10 लाख रू सज्जनगढ पैलेस कॉम्पलेक्स हेतु 42.26 लाख, सहेलियों की बाडी हेतु 50.32 लाख रू. व इको ट्रेक और नेचर कन्जरवेशन पार्क, थूर का मगरा के विकास हेतु राशि 61.00 लाख रू, नेहरू पार्क (फतहसागर) के लिए राशि 20.00 लाख रू एंव फतहसागर, पिछोला के जेटी निर्माण हेतु राशि 15.00 लाख रू स्वीकृत हुये है। स्वीकृत राशि के अनुरूप विकास के लिए अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

अन्य विकास कार्य :

1. **ऐतिहासिक दरवाजों पर रोशनी** :– वर्तमान में शहर में प्रमुख ऐतिहासिक दरवाजों यथा देहलीगेट, सूरजपोल आदि पर रोशनी की व्यवस्था की गयी हैं, जिसमें जिससे रात्रि में इन ऐतिहासिक दरवाजों की सुन्दरता ओर बढ गयी है।
2. **ऐतिहासिक दरवाजों की मरम्मत** :– शहर के प्रमुख ऐतिहासिक दरवाजों यथा किशनपोल, हाथीपोल, सूरजपोल की मरम्मत का कार्य जारी है। ऐतिहासिक दरवाजों की मरम्मत से दरवाजों की सुन्दरता में निखार आया है।
3. **लाईट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम** :– विभाग द्वारा मोती मगरी में लाईट एण्ड साउण्ड सिस्टम लगवाया गया, जिसमें रात्रि को लाईट एण्ड साउण्ड का कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है, जिससे प्रताप स्मारक में पर्यटकों की वृद्धि हुई है।

मेवाड, वागड धार्मिक पर्यटन विकास के कार्य :

1. धार्मिक पर्यटन को बढावा देने की दृष्टि से मेवाड वागड धार्मिक पर्यटन का विकास पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। जिसमें जगदीश मंदिर, जगत मंदिर तथा नागदा मंदिरों के सौन्दर्यकरण एवं संरक्षण के कार्य कराये जा रहे है।
2. सज्नगढ पर फ्लड लाईट्स :– वर्तमान में विभाग द्वारा सज्जनगढ दुर्ग पर फ्लड लाईट्स लगायी गयी है, जिससे रात्रि में उक्त दुर्ग काफी सुन्दर दिखाई देता है तथा पर्यटक होटलों की छतों पर बैठकर इसका आनन्द लेते है।

पर्यटन पुलिस :

पर्यटकों की सुविधा एवं सहायता के उद्धेश्य से पर्यटन पुलिस का गठन राज्य स्तर पर किया गया। उदयपुर में वर्तमान में 18 पर्यटक सहायता बल विभिन्न पर्यटन स्थलों पर उपस्थित होकर पर्यटकों को अपनी सेवायें दे रहे है। इस कार्य में पुलिस विभाग के जवान भी सहयोग कर रहे है, जिससे पर्यटकों को काफी सुविधा मिल रही है।

इसके अन्तर्गत पर्यटक स्वागत केन्द्र सूरजपोल उदयपुर पर्यटक सूचना केन्द्र रेलवे स्टेशन व एअर पोर्ट पर स्थापित हैं। पर्यटक सहायता केन्द्र के रूप में शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कियोस्क स्थापित है जिनमें सहेलियों की बाडी, सुखाडिया सर्कल, बागौर की हवेली, सज्जन निवास गार्डन, फतेहसागर झील प्रमुख हैं।

उपरोक्त स्थलों पर पर्यटको की हर सम्भव सहायता व जानकारी हेतु पर्यटक सहायता बल के जवानों को तैनात किया हुआ है।

गाईड –

पर्यटकों का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, व विविध जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त 300 गाईड उदयपुर शहर में कार्यरत है एंव पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा वर्ष 2007–08 के लिये नये स्थानीय स्तर पर गाइड प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर पर गाइड़ बनने के इच्छुक युवाओं से प्रार्थना पत्र मांगे गये है। संभावना है कि जून 2008 तक नये गाइड कार्य करना प्रारंभ कर देंगे।

पेइंग गैस्ट सुविधा –

मार्च 2009 तक शहर में 104 पेइंग गैस्ट हाउस सुविधा थी। वर्ष 2009–10 में 28 नये पेइंग गैस्ट हाउस की अनुमति दी गई ये सभी विभाग से मान्यता प्राप्त है।

मेला त्यौहार – पर्यटन विभाग उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का तीन दिवसीय आयोजन करता है।

प्रचार–प्रसार – धार्मिक व पर्यटक स्थलों, मेले त्यौहार व प्राकृतिक स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य का मुद्रण किया जाता है।

विकास कार्य –

1 शहर के ऐतिहासिक दरवाजें – यथा किशनपोल, सूरजपोल , देहलीगेट, उदयापोल, हाथीपोल, चांदपोल, ब्रह्मपोल व अम्बापोल पर फ्लड लाइट व मरम्मत कार्य पर क्रमशः रू 3.20 व 15.00 लाख का कार्य पूर्ण हो

चुका है तथा मरम्मत कार्य हेतु स्वीकृत कुल 19.77 में शेष बची राशी रूपये 4.77 लाख के कार्य और होने है। जिनके लिए नगर परिषद द्वारा पर्यटन विभाग से जारी किये जाने की मांग की है।

2 मेवाड़ वागड़ सर्किट में धार्मिक पर्यटन विकास कार्य हेतु केन्द्रिय पर्यटन मंत्रालय द्वारा रूपये 5.80 करोड स्वीकृत किये गये है। कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

3 उदयपुर के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास हेतु केन्द्रिय पर्यटन मंत्रालय द्वारा रू. 276.68 लाख स्वीकृत किये गये है। कार्य प्रगति पर हैं।

4 मेवाड काम्पलैक्स योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत रू. 675 लाख में से रू. 250 लाख के कार्य पूर्ण होने को है तथा कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अनुसार शेष कार्य प्रगति पर है।

धार्मिक पर्यटन का विकास –

राजकीय मंदिरों एंव धार्मिक स्थलों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग की सहभागिता से धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये गये हैं। जिसमें मेवाड़, वागड़ सर्किट की योजना तैयार की गई हैं।

राज्य सरकार द्वारा उदयपुर शहर में सिटी पेलेस से जगदीश मंदिर (चौक) एंव गणगौर घाट तक को हेरिटेज रोड़ घोषित किया गया हैं। उक्त रोड़ स्थित मंदिरों, भवनों को पर्यटन विभाग के माध्यम से हेरिटज के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे जगदीश मंदिर के विकास, मरम्मत पर 72 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जगत के मन्दिर हेतु 38.50 व नागदा मन्दिर हेतु 27.50 लाख का व्यय किया गया है।

देवस्थान विभाग, उदयपुर के क्षैत्राधीन (सलुम्बर, खेरवाड़ा एंव सराड़ा तहसीलों के अतिरिक्त) उदयपुर, राजसमन्द एंव चित्तौड़ जिले है। इन तीनों जिलों में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एंव नियंत्रित मंदिरों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार है–

क्रं.स.	संभाग	जिला	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार	राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी	सुपुर्दगी श्रेणी	योग
1.	उदयपुर	उदयपुर	44	31	10	85
		चित्तौड़गढ़	10	10	02	22
		राजसमन्द	04	04	–	8
		योग	58	45	12	115

देवस्थान विभाग द्वारा भी चालु वित्तीय वर्ष 2008–09 में उदयपुर में निम्न मंदिरों के जिर्णोद्वार कार्य करवाया गया है–

1.	मंदिर श्री जगत शिरोमणि जी, सिटी पेलेस रोड़ उदयपुर	2.00 लाख
2.	मंदिर श्री माता जी गोवर्धन विलास, उदयपुर	3.00 लाख
3.	बेजनाथ महादेव, सिसारमा, उदयपुर	0.48 लाख

धार्मिक पर्यटन के विकास में जिला प्रशासन से निम्न सहयोग की अपेक्षांए की जा सकती हैं–

1. अवाप्तिकरण करने में सहयोग।
2. विकास कार्यों एंव अतिक्रमण हटाने हेतु स्थानीय प्रशासन का पर्यवेक्षणीय सहयोग।
3. उत्सवों एंव धार्मिक आयोजनों में कानून व्यवस्था हेतु सहयोग।

मंदिर मूर्ति का कृषि भूमि का संरक्षण एंव स्थानीय प्रशासन से अपेक्षांए

मंदिर मूर्ति का राजस्व कानून में शाश्वत अवयस्क (नाबालिग) माना गया है। ग्रामीण अंचलों में स्थित अराजकीय मंदिरों की सुचारू रूप से व्यवस्था हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मंदिर पर अतिक्रमणों के प्रकरणों से त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये जा सकते हैं।

गरीबी, बेरोजगारी एवं पलायन

जनजाति समुदाय की जीविका परम्परागत रूप से कृषि, पशुपालन एवं वानिकी क्षेत्र पर निर्भर रही है। कृषि भूमि से प्राप्त उत्पादन ग्रामीणों की औसतन तीन माह से अधिक की खाद्य आपूर्ति नहीं कर पाता है। वनों के निरंतर कम होते जाने से सामान्यजन के जीविकोपार्जन में असुरक्षा उत्पन्न हुई है, इस कारण श्रमिकों को मजदूरी हेतु पलायन करना पड़ता है। अकाल एवं सूखे के समय पलायन की स्थिति और भी विकट हो जाती है।क्षेत्र सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार मौसमी या अन्य कारणों से जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जीविकोपार्जन हेतु पड़ोसी जिलों एवं गुजरात में पलायन कर जाता है। पुरूष कामगार अधिक समय के लिये पलायन करते हैं वहीं महिलाएं एवं बच्चे भी अल्पावधि पलायन कर रहे हैं। मजदूरी प्राप्त करने वाले आकस्मिक श्रमिकों में बहुत से श्रमिक पलायन के दौरान विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य यथा बढ़ईगीरी, प्लास्टर, कारीगरी, रंगाई–पुताई, रेस्टोरेन्ट एवं खाना पकाना आदि सीख रहे हैं। वर्ष 2005 के सर्वे अनुमानों के अनुसार उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से सर्वाधिक 12.96 प्रतिशत मौसमी पलायन रहा है सारिणी–2.04 जिले के विभिन्न खण्डों से होने वाले पलायन को दर्शाती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिले की अधिकांश कार्यशील जनसंख्या कृषि जैसे अस्थिर क्षेत्र में कार्यरत है तथा व्यवसाय हेतु विविधतापूर्ण बाजार भी उपलब्ध नहीं है, इस कारण नीति निर्धारण द्वारा विविधतापूर्ण बाजार प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण, साख, विकास केन्द्रों का निर्माण और अन्य स्त्रोत उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। हाल ही में आजीविका मिशन के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को सुधारने हेतु प्रारंभ किये गये उपायों सहित व्यावसायिक विविधता लायी जाये ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

बाल श्रमिकों का जिले से बाहर पलायन

जिले से बाल श्रमिक जिनमें बालिकाओं की संख्या अधिक है, वर्ष में 2–3 माह के लिये गुजरात राज्य के साबरकांठा एवं बनासकांठा जिले में बी.टी. कॉटन उत्पादन कार्य हेतु पलायन करते है। उदयपुर जिले के झाड़ोल, कोटडा, खैरवाडा गोगुन्दा एवं सलुम्बर खण्डों में बाल श्रमिकों की बहुतायत है। दयनीय आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों के चलते मजबूर माता–पिता अपने बच्चों को कार्य के लिये बाहर भेजते है। परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा बाधित हो जाती है, और वापस आने पर भी वे पुनः स्कूल नहीं जा पाते है। यद्यपि पलायन से उनके स्वास्थ्य में सुधार देखा गया है। यही नहीं बच्चों के हीमोग्लोबिन में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। 70% बच्चे बाहर जाने से पूर्व खून की कमी, कम हीमोग्लोबिन की समस्या से ग्रसित थे। यह संख्या उनके वापस आने पर घटकर 11% रह गई है। गम्भीर रूप से कुपोषित बच्चों (ग्रेड–3) का प्रतिशत 82 से घट कर 67 प्रतिशत हो गया है।

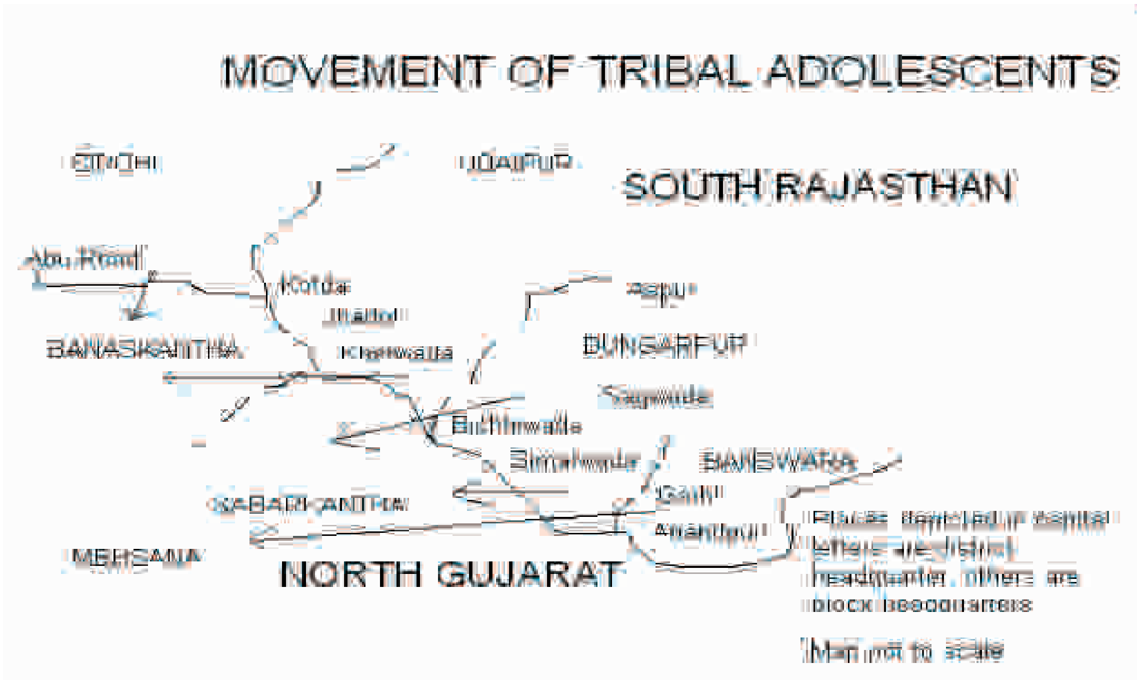

उदयपुर में मौसमी पलायन

उदयपुर में मौसमी पलायन

(एक या अधिक सदस्यों सहित मौसमी पलायन करने वाले परिवारों का प्रतिशत)

Block	Percent
गिर्वा	5.23
बडगांव	4.81
गोगुन्दा	15.43
मावली	4.67
भीण्डर	8
धरियावद	12.29
कोटडा	23.28
सलुम्बर	15.57
सराडा	13.06
झाड़ोल	18.29
खेरवाडा	21.9
Total	**12.96**

स्त्रोतः जी.ओ.आर.,2005

उदयपुर में पलायन :

परिवार इकाइयों और समुदायों को प्राप्त या उपज क्या वे अपनी बुनियादी जरूरतों दोनों भोजन और खपत (जैसे आवास या कपड़े के रूप में) के अन्य प्रकार के मामले में संतुष्ट जरूरत के रूप में आजीविका सिस्टम विचार, जैसे आजीविका सिस्टम सामाजिक राजनैतिक पर्यावरण और आर्थिक प्रक्रियाओं और संसाधनों के स्पेक्ट्रम शामिल है जिस पर आजीविका ऐसे आम संसाधनों श्रम के लिए पलायन और पर्यावरण सुरक्षा और क्षेत्र की विविधता के शासन के रूप में निर्भर करती है, दक्षिणी राजस्थान कार्य क्षेत्र में पहाड़ों की ऊबड़ अरावली रेंज में सेट कम वर्षा द्वारा विशेषता (प्रतिवर्ष 400.600 मिमी) और उच्च तापमान परिवर्तन (4 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस) है, क्षेत्र उप के रूप में वर्गीकृत उष्णकटिबंधीय वन समशीतोष्ण अर्ध शुष्क कृषि वन के रूप में वर्गीकृत देश के लगभग 43% के साथ जलवायु क्षेत्र है pastureland के रूप में कुछ 5 राजस्व भूमि के रूप में 25% के आसपास इस प्रकार कुल आम भूमि लेने के लिए 73% हो और शेष निजी जा रहा है, परंपरागत रूप से प्राकृतिक संसाधनों – कृषि पशुपालन वन और चराई स्थानीय समुदाय की आजीविका का आधार के थोक हिसाब उन उत्पादों की एक सीमा प्रदान करने के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने की खपत अनाज दालें फल दूध मांस और अंडे इस के अलावा जंगलों उपयोगी लकड़ी और गैर की विविधता–लकड़ी उत्पाद प्रदान किया हालांकि पिछले कई दशकों से प्राकृतिक संसाधन आधार गहन शोषण के अधीन किया गया है पर बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के लिए अग्रणी है और फलस्वरूप भूमि क्षरण और ह्रास और उत्पादकता में एक सामान्य गिरावट के उच्च स्तरों जैसे आबादी का एक बड़ा हिस्सा वन प्रवासी मजदूर है आमतौर पर निर्माण खनन या कारखानों में और आमतौर पर न्यूनतम वेतन के साथ शोषक शर्तों के अधीन के लिए उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तथापि विशेष रूप से एक के लिए वन भूमि आवास और जंगल पर निर्भर समुदाय दोनों रूपों एक आजीविका के स्रोत के उदयपुर में देश एक अत्यंत जटिल उपयोग पैटर्न है उद्भव और नई सीमाओं विशेष रूप से की स्थापना 1960 के दशक के निपटान के बाद भ्रम और दोनों के बीच और गांवों भूमि भी अपनी पारिस्थितिकी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है भीतर संघर्ष के लिए प्रेरित किया है उसके स्वामित्व और प्रबंधन के स्वरूप में परिवर्तन के अलावा एक थे जब तक कि क्षेत्र प्राचीन जंगलों आज पहले कुछ दशकों झूठ अवक्रमित नंगे और निजीकरण मामलों की एक विशाल बहुमत में साझा संसाधन है जो परिभाषित समुदाय के पारंपरिक नियमों मजबूत करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हाल के परिवर्तन का सामना किया है मनमानी सीमा बंदिशों संसाधनों की कमी और बढ़ते दबाव–भीतर और बाहरी बाजार से दोनों – भी पारंपरिक संसाधन साझा तंत्र पर काफी दबाव डाला जो विकास की पहल नियमों की एक प्रदाता है और एक निष्पक्ष मध्यस्थ का स्त्रोत होने की आशा थी मोर्चों पर विफल रही है बजाय नरम अभी तक सत्तावादी राज्य अमीर और ताकतवर दोनों के अवसर और शक्ति प्रदान की है आम उपयुक्त संसाधनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के अस्तित्व कथन से इस सच्चाई को दिखाता है ऐसे परिदृश्य में केवल regenerating भूमि साथ प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर काम करने का सवाल नहीं है यह भी regenerating समुदाय के साथ संबंध है कुछ मामलों में पुराने सिस्टम के अवशेष नई प्रणाली के लिए एक आधार प्रदान करते हैं अधिकांश मामलों में समुदायों का सामना करना पड़ कार्य केवल शासन की पुरानी परंपराओं के पुनरुद्धार नहीं है बल्कि नए मानदंड विकसित करने और अपने संबंधों को नए सिरे से बातचीत की जरूरत है अपने पड़ोसियों के साथ बेहद नाजुक प्राकृतिक संसाधन आधार है और विकल्प की सीमित उपलब्धता को स्थानीय रूप से घरेलू आय के पूरक के लिए केवल जीवित रहने के निष्कर्षण से अधिक के लिए अग्रणी मजबूरियों के साथ पतन और अलगाव के दुष्चक्र–पुष्ट बदले में ह्रास के कारण और समुदायों में जिसके

परिणामस्वरूप अपने दांव में हार Commons के रखरखाव जहां जरूरत इन अक्रमित संसाधनों पर काम करने के लिए काफी स्पष्ट है उनके उत्थान के लिए कई बाधाएं हैं ऐसी भूमि को समुदाय की पहुँच काफी सीमित वन भूमि जा रही भूमि का बहुमत है भू नीति है जो सहायता और इन भूमि पर अतिक्रमण भी दोनों भौतिक भूमि उपलब्ध है और समुदाय की क्षमता की सीमा को एकजुट फैशन में काम करने के स्तर विकृति स्थिति एक बहुआयामी दृष्टिकोण के लिए कहते हैं एक जरूरत को आजीविका पर एक साथ काम व्यक्तिगत परिवारों की जारी संबंधित समुदायों के आम भूमि के उपयोग में सुधार के अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं है और व्यवस्थित करने और समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने की जटिलताओं और भ्रम से निपटने के तहत जो वे रहते हैं अधिकांश परिवारों के कुछ कृषि भूमि (कम से कम 1 हेक्टेयर ही औसतन) हैं और प्रति वर्ष कम से कम एक फसल की खेती करने में सक्षम मुख्य Copping *खरीफ* मौसम है (सीधे मानूसन के बाद) जिसमें प्रमुख फसल किसानों के एक छोटे से अनुपात भी दालों की दूरी पर खेती हालांकि मक्का है वार्षिक फसल रोटेशन असामान्य है कुछ किसानों खासकर जो सिंचाई के उपयोग पर भी जो अपने क्षेत्रों में पर्याप्त अवशिष्ट नमी हो सकते हैं *रबी* मौसम के दौरान एक दूसरे फसल गेहूं चना अक्सर या सरसों के साथ intercropped ले सकते हैं पसंदीदा फसल पद्धति जा रहा है कम कुल क्षेत्र की तुलना में 20% की खेती के तहत सिंचाई के कुछ फार्म में है इन किसानों का एक भी छोटे अनुपात और कड़ाई से सिंचित शर्तों के अधीन है, *zaid* के मौसम में एक तिहाई फसल सब्जियों, मिर्च, रतालू, हल्दी, अदरक और कुछ फाइबर फसलों से मिलकर लेने में सक्षम है और उदयपुर और गुजरात में बाजार में बेचा जाता है कुल मिलाकर तथापि उदयपुर जिले में फसल की पैदावार राज्य में सबसे कम लोगों में से हैं का सुझाव है कि वहाँ काफी अप्रयुक्त क्षमता स्थानीय कृषि आजीविका को मजबूत बनाने के लिए हो सकता है।

उदयपुर जिले में पशुधन घनत्व राज्य में सबसे ज्यादा परिवारों के 88% के साथ है पशुपालन में शामिल किया जा रहा है। ज्यादातर परिवारों को कुछ बकरियों, भेड़ों और गायों, बैलों या buffalo की एक छोटी संख्या ही आम तौर पर एक गैर descript नस्ल के बड़े जानवरों को मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को अपने खाद और ड्राफ्ट के रूप सत्ता में योगदान के लिए किया जाता है। दूध और buffalos, गाय और बकरी के दूध उत्पादों मोटे तौर पर घर के भीतर खपत होती है चारे की कमी और पशुधन के नेतृत्व के कम उत्पादकता के लिए गरीब गुणवत्ता विपणन इस प्रकार की व्यवहार्यता सीमित पशु उत्पादों की बिक्री कम हालांकि पशुओं की बिक्री विशेष रूप से बकरी स्थानीय सूखे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रणनीतियाँ परछती का गठन किया है।

उदयपुर क्षेत्र के कुछ बिक्री स्थानीय शिल्प है, एक परिणाम के रूप में वहाँ अल्प गांव आज सृजन के लिए विकल्प आधारित है गैर कृषि आजीविका विकल्प तथापि विशेष रूप से शारीरिक श्रम के रूप में जीविका के आधार के एक महत्वपूर्ण घटक के फार्म का आम तौर पर एक घर के आजीविका के आधे से अधिक योगदान की जरूरत है, एक 2003 में किए गए एक अध्ययन है कि औसत वार्षिक आया (कृषि एवं पशुधन उत्पादन के मूल्य घर की खपत के लिए प्रयोग से पता चला सहित ग्रामीण उदयपुर जिले में घरों में) Rs. 16,450, जिनमें से 24.2% कृषि उत्पादन जानवर से और 19.4% से आता है चारों ओर है पालन जबकि गैर कृषि व्यवसाय और नियमित रूप से वेतनभोगी रोजगार धनी 10% के लिए आय का मुख्य स्त्रोत है जनसंख्या का अधिकांश अपनी आय का बड़ा हिस्सा के लिए दैनिक और मौसमी प्रवास पर निर्भर है।

कई युवा पुरुष और महिलाएं कभी कभी उनके परिवारों के साथ पास के शहरों की ओर पलायन श्रम और मजदूरी के लिए अवसरों की तलाश पड़ोसी राज्यों । दैनिक और मौसमी प्रवास क्षेत्र में लगभग हर परिवार को छुआ है। पत्थर और

राज्य के संगमरमर की खानों में कई लोग काम करते हैं। अक्सर गहरी शोषक और खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों में यह भी कारण परिवार इकाइयों की अव्यवस्था और अच्छी तरह से और शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव है बच्चों की जा रही है। हाल के काम के क्षेत्र में किए गए एक अध्ययन से पता चला कि किशोरों के लगभग 30% कम से कम इस साल के कुछ भाग और ऐसा करने में वे स्वयं शोषक और उच्च को बेनकाब मादा जा रहा है। किशोरों के साथ जोखिम का काम शर्तों के लिए प्रसव के लिए विस्थापित विशेष रूप से संवेदनशील।

जबकि महिलाओं हमेशा अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका निभाई है आज वे कृषि कार्य के लिए तेजी से जिम्मेदार हैं और प्रवास श्रम के माध्यम से आय अर्जित हालांकि श्रम शक्ति में वृद्धि हुई प्रतिनिधित्व महिलाओं के सशक्तिकरण का एक सकारात्मक संकेत के रूप में लिया जा सकता है सच है कि असली गरीबी इस प्रवृत्ति को चला रहा है तो पता चलता है महिलाओं के लिए खतरनाक रोजगार के साथ अंत तक की असुरक्षित खराब हो जाते हैं भुगतान और कम या कोई प्रस्ताव सामाजिक सुरक्षा आम तौर पर उनके पुरूष समकक्षों से बदतर आगे नहीं बढ़ सका।

अध्याय - 6

महिला एवं बाल विकास

1. **जिले में लैंगिक भिन्नताः**

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार उदयपुर जिले की जनसंख्या 2633312 है इनमें से पुरूष 1336004 एवं महिलाएॅ 1297308 है लिंगानुपात 1000 पुरूषों के अनुपात में महिलाएॅ 971 ही है। स्त्रोतः जिला सांख्यिकी अधिकारी,उदयपुर

2. **साक्षरता और नामांकन का पैटर्नः**

सर्वे के अनुसार कुल निरक्षर	452996
अब तक बनाये गये कुल नवाक्षर	374284
शेष रहे निरक्षर	78712
राज्य स्तर पर जिले का स्तर	ए–स्तर

जिले में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम स्वीकृति वर्ष अप्रेल,1994 एवं समाप्ति वर्ष 31.3.98 है

सर्वे के अनुसार निरक्षर

पुरूष	महिला	योग
1,85,478	2,67,518	4,52,996

लाभान्वितो की संख्या

पुरूष	महिला	योग
1,17,643	1,49,391	2,67,034

शेष रहे निरक्षर

पुरूष	महिला	योग
67,835	1,18,127	1,85,962

स्त्रोतः जिला साक्षरता समिति, उदयपुर

3. **कार्य भागीदारी रूझानः**

महिलाओं का पूर्व में कार्यक्षैत्र घर के काम काज तक ही सीमित था महिलाएँ सभी घरेलु कार्य,

खेती–बाड़ी का कार्य आदि सम्पादित करती थी। परन्तु इन कार्यो से आर्थिक लाभ नहीं होता था वर्तमान में महिलाएँ घरेलु कार्यों के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी कर रही है जिससे अर्थ लाभ हो। वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी लगभग सभी कार्यक्षेत्रों में देखी जा सकती है। सरकारी एवं निजि संस्थानों में छोटे से लेकर बड़े ओहदो पर महिलाएँ आसीन है। अर्थ लाभ होने से जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है।

स्त्रोतः प्रचेता, जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

4. **महिलाओं के काम का सीमान्तकरन(मार्जिनेलिजेशन):**

महिलाएँ देरी से सोती है एवं प्रातः जल्दी उठकर नियमित रूप से प्राथमिकता के आधार पर देर रात तक कार्य सम्पादित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ घरेलु कार्य यथा पानी भरना, घर की साफ सफाई का कार्य, पशुओ के चारे – पानी की व्यवस्था करना, दूध निकालना, परिवार के लिए भोजनादि की व्यवस्था करना तथा इसके बाद भी खेतों में जाकर खेती संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। महिलाओं को घर से बाहर रहकर कार्य करने की मनाही की जाती है। परन्तु धीरे धीरे यह धारणा बदलने लगी है एवं घरेलु कार्यो के अतिरिक्त जरूरत

पड़ने पर महिलाएँ अन्य अर्थ संबंधी कार्य भी संपादित करती है यथा सब्जी बेचना, दूध बेचना, सिलाई– कढ़ाई का कार्य, बच्चों को पढ़ाना आदि कार्य सम्पादित करती है। वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी लगभग सभी कार्यक्षेत्रों में देखी जा सकती है। सरकारी एवं निजि संस्थानों में छोटे से लेकर बड़े ओहदो पर महिलाएँ आसीन है। अर्थ लाभ होने से जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है।

स्त्रोतः प्रचेता, जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

5. **पंचायती राज संस्थाओं आदि में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में रूझानः**

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कायम है। वर्तमान में महिलाएँ प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वार्ड पंच, सभी पदों पर पदासीन है जिला परिषद, उदयपुर द्वारा आयोजित साधारण सभा की बैठकों में निम्नांनुसार महिलाओं की उपस्थिति रही हैः–

बैठक दिनांक	कुल उपस्थित सदस्य	पुरूष सदस्य	महिला सदस्य
31.5.08	42	29	13
17.9.08	33	22	11
15.1.09	38	24	14
5.6.09	35	24	11

6. **महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करने वाले सामुदायिक व्यवहार और सामाजिक पूर्वाग्रहः**

विभिन्न भाषाएँ, संस्कृति , पहनावा व अन्य कई कारणों से अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे छोटी उम्र में शादी कर देना पुरानी परम्परा है कि लड़की की माहवारी शुरू होने से पहले ही उसकी शादी करने पर ही कन्या दान का फल मिलता है विधवा औरतों को रंगीन कपड़े नही पहनने देना पुरानी मान्यता है यदि भड़काऊ रंग विधवा पहनेगी तो उसकी भावनाएँ भी उत्तेजित होगी और वो गलत कदम उठायेगी। ऐसी मान्यताएँ महिलाओं की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात है गांवों में आटे– साटे की परम्परा भी अमरबेल की तरह छाई हुई है जो कई लड़कियो के घर बर्बाद कर देती है इन विवाहो में पसन्द – नापसन्द का खयाल नहीं रखा जाता है और न ही उम्र के अन्तर का ध्यान, मामूली गलती होने पर चारों जिन्दगियाँ भी तबाह हो जाती है ऐसे और भी कई रिवाज और परम्पराएँ है जो सीधे महिलाओं एवं बालिकाओं से जुड़े हुए है जिनमें नाता प्रथा, दापा प्रथा, दहेज प्रथा बालिका शिक्षा –'लड़की को पढ़ाकर क्या करना , कौनसा चित्तौड का किला जीतना है ससुराल में जाकर चूल्हा चौका ही तो संभालना है ज्यादा लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना अकेले नहीं जाने देना चाहे लड़का पांच साल का ही हो साथ लेकर जाओ कुआरी लड़की को ज्यादा श्रृंगार नहीं करने देना ऐसा करने से लड़कियों की भावनाएँ उत्तेजित होती है और वो गलत राह पर चली जाती है आदि ये सभी ऐसे रिवाज व परम्पराए है जो लड़की के विकास में बाधक है **डायन प्रथा** किसी महिला के साथ इस शब्द का जुड़ जाना उसके जीवन को अभिशाप बना देती है समाज उसका जीना मुश्किल कर देता है घर, परिवार व समाज के लोग उस महिला का बहिष्कार कर देते है उसे प्रताड़ित करते है और कभी–कभी तो उस महिला को पीट पीट कर मार देते है। **बांझपन** यदि कोई महिला किसी प्राकृतिक कारण या शारीरिक कमी से बच्चा पैदा नहीं कर पाती है तो समाज उसे हीन दृष्टि से देखता है यदि वो सुबह सामने भी आ जाये तो लोगो की मान्यता है कि दिन खराब बीतेगा– बांझ का मुंह देखकर या बाँझ का शकुन हुए तो। ऐसी स्थिति में कई बार बाझ औरत को निकृष्ट जीवन यातनाओं से भरे हुए भी सहने पढ़ते है पति द्वारा दूसरी शादी करने पर वो सोतन का बोझ भी उठाती है महिलाओं के लड़की ही पैदा होना लड़का पैदा ही न होना ये सब ऐसी परिस्थितियाँ है जिनका सीधा असर महिला के जीवन पर पड़ता है हालांकि समय परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्तन अवश्य

हुआ है।

स्त्रोतः प्रचेता, जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

7.

उदयपुर जिले के अधिकांश लोग गांवों में निवास करते है हालांकि पुरूष वर्ग रोजी रोटी की तलाश में गांवों से पलायन कर शहरों की ओर जा रहे है लेकिन महिलाऍ आज भी पति के घर की सम्पति संभाले हुए है वे अपने बच्चों एवं परिवार के साथ गांव में ही रह रही है गांवों की बुजुर्ग महिलाऍ लगभग अनपढ़ है, जो अपनी भूमिका परिवार चलाने में देखती है बच्चों की परवरिश का ध्यान रखती है बच्चों को पढ़ाना लिखाना व कमाने योग्य बनाना। इन कार्यो की पूर्ति के लिए वो खेती में दिन भर काम करती है पशुपालन कार्य, जंगल से लकडिया लाना खेतो से चारा लाना बाजार से सामान लाना मजदूरी करना पारिवारिक सामाजिक कार्यो में शामिल होना आदि सभी कार्यो के लिए अपना शारीरिक श्रम प्रदान करती है।

स्त्रोतः प्रचेता, जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

8.

शहरी महिलाऍ दोहरी भूमिका निभा रही है शहरी महिलाऍ वे सभी कार्य करती है जो परिवार को चलाने के लिए आवश्यक होते है, बच्चों की देखभाल बच्चों की शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना परिवार में आना जाना , शहरी महिलाऍ विभिन्न नौकरियों द्वारा आर्थिक मदद करती है।

स्त्रोतः प्रचेता, जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

9.

आज के आर्थिक युग में महिला हो या पुरूष सभी अर्थ कमाने के पीछे दौड़ रहे है एक दूसरे से ज्यादा कमाने की होड़ है ताकि सभी सभी सुख सुविधाओं का भोग कर सके दूसरो से अधिक सम्पन्न दीखे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महिलाऍ भी पुरूषों से पीछे नहीं है महिलाऍ तीहरी जिन्दगी जी रही है वो परिवार चलाती है, वंश वृद्धि एवं आर्थिक साधन जुटाने में भी अहम भू

10.

महिलाओं के आर्थिक एवं सर्वागीण विकास के लिए महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम समूह कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक उन्ययन एवं विकास का महत्वपूर्ण आयाम है,महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वंय निर्णय लेकर समूह बनाकर बचत,सहयोग स्वावलम्बन की प्रवृतियां एवं स्वरोजगार की ओर प्रवृत होती है समूह की महिलाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित बचत राशि से आपसी लेन देन करने के साथ स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होती है। स्वयं सहायता समूह की गतिविधयों को अधिक सुदृढ एंव व्यवस्थित करने के लिए समूह के पदाधिकारियों को प्रबन्धकीय क्षमता का प्रशिक्षण दिया जाता है वित्तिय वर्ष 2009–10 का प्रगति विवरणः– माह जुलाई, 2009(1.4.09 से 31.7.09 तक)

1. स्वयं सहायता समूह का गठन 514
2. वित्तिय वर्ष में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत 16.70 लाख

स्त्रोतः जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

11.

महिलाओं के भूस्वामित्व (लेंडहोल्डिंग) और संपदा अधिकार

8जुलाई,2009 को नोटिस जारी हुआ नोटिस अनुसार मुद्रांक कर पुरूषों के लिए 5 प्रतिशत एवं महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत किया गया। महिलाओं के पक्ष में विक्रय संबंधी पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या निम्नानुसार है

स्त्रोतः उप महानिर

बच्चों को भी शामिल कर लिया पुनः समूह से ऋण लेकर पत्तल दोने बनाने की मशीन लगाई एवं माल की आपूर्ति गोगुन्दा व आस पास के क्षेत्र में ही करने लगे इस कार्य से इतनी आय होने लगी कि इन्होने घर खर्च के अतिरिक्त बच्चों को अच्छी तालीम दी एक बच्चा बी.एड. कर रहा है व एक बच्चा 12 वीं मे पढ़ रहा है। मांगी बाई हिम्मत वाली महिला है दो वर्ष पूर्व ऊन के गठठर गुजरात में अधिक वर्षा के कारण भीग गये थे एवं मिल मालिक के पास समय पर बिचोलियों द्वारा नहीं पहुचाये गये बीच में ही गडबडी कर दी गई इन्हे एक लाख रूपये का नुकसान उठाना पड़ा अन्य समूह से ऋण लेकर गुजरात में जाकर केरोसीन का व्यापार किया समूह का पैसा किश्तों में समय से चुका रही है एवं पति व बच्चों को भी काम पर लगा दिया है। मांगी बाई आंगनबाड़ी केन्द्रो के लिए पोषहार बना रही है मूल्यांकन आधार पर इनका बनाया पोषाहार अच्छी क्वालिटी का दर्ज किया है मांगीबाई के साथ 15 समूह बीपीएल के जुड़े है जिनकी प्रथम व द्वितीय ग्रेडिंग करा प्रोजेक्ट लोन भी पास करा दिया गया है मांगी बाई को समूह बनाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता स्वयं महिला इनके पास समूह से जुडने के लिए आती है। मांगीबाई खण्डस्तर पर दो बार एस एच जी के लिए सम्मानित हो चुकी है आशा है मांगीबाई हिम्मत, लगन एवं मेहनत से आगे भी इससे अधिक प्रगति करे।

2– महिला की सफलता की कहानी खुद की जुबानी– ग्राम साथिन श्रीमती गीता जैन– पांच वर्ष पूर्व बहुत ही मजबुरी थी 16 वर्ष तक किराये के मकान में रही कई मकान बदले तीन लडकियां एवं एक लड़का है पास में कुछ भी नहीं होने से सास ससुर काफी झगडते थे आखिर अलग कर दिया पति की इजाजत से सडक पर मस्ट्रोल भरा कुछ समय बाद सरपंच सा0 की मदद से इन्दिरा आवास योजना में मकान स्वीकृत हुआ एवं कार्य पूर्ण कराया गया आंगनबाडी कार्यकर्ता ने जानकारी दी कि साथिन का फार्म भरो ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र दिया एवं साथिन पर फरवरी 04 में चयन होने से निरन्तर कार्य कर रही है बाद में एक बीपीएल का ग्रुप बनाया स्वयं सहायता समूह से एस बी आई से दो लाख बीस हजार का ऋण लिया उसमें बीस हजार उसे मिले उससे घर का कार्य कराया गया लड़की का भी विवाह कराया गया। अभी 9 बी पी एल समूह बनाने से इनका फेसीलेटर में चयन किये जाने 51 हजार रूपये जिला परिषद द्वारा प्रोत्साहन राशि दी गई।

3– खेरवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ढेलाणा की श्रीमती समरथ देवी एक साधारण अनपढ़ महिला जिसे अपने घर के कार्य एवं पशुपालन का कार्य करती थी वर्ष 1984 में उसे साथिन बनाया गया अनपढ़ होते हुए भी साथिन ने महिलाओं के विकास हेतु स्वयं के घर का एवं बच्चों का सुधार किया उसके बाद वार्ड पंच निर्वाचित हुई गांव की लड़कियों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भिजवाया गया सामाजिक कुरीतियों यथा बाल विवाह,नाताप्रथा, एंव दापा प्रथा जाति पंचों से महिलाओं के हक में निर्णय करवाये गये अनपढ़ होते हुए भी आर्थिक मजबूती के लिए 42 स्वयं सहायता समूह बनाकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा महिलाओं को उनके अधिकार के लिए प्रशिक्षित किया। महिलाओं को जमीन का स्वामित्व प्रदान कराया गया।

स्त्रोतः प्रचेता,जिला महिला विकास अभिकरण,उदयपुर

महिला अधिकारिता – एक परिचय

महिला अधिकारिता निदेशालय का गठन दिनांक 18 जून, 2007 को किया गया। विभाग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आयोत्पादक गतिविधियों को बढ़ावा एवं विकास करना है। महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य पोषण परिवार कल्याण रोजगार तथा प्रशिक्षण एवं उसका सामाजिक सशक्तिकरण महिला अधिकारिता के प्रमुख क्षैत्र है इसके अन्तर्गत महिलाओं का विकास की प्रक्रिया में केवल लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जाकर एक आवश्यक भागीदार के रूप में समझा जाता है ताकि एक समेकित मानवीय दृष्टिकोण का विचार पनप सके ग्रामीण महिलाओं में आत्मविश्वास एंव जागरूकता की भावना जागृत करना,विचारों व सोच में परिवर्तन करना शामील है।

मुख्यमंत्री पांच सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

राज्य में पांच सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संचालित किया जा रहा है बालिकाओं का विद्यालयों में शत प्रतिशत एनरालेमेंट, बाल विवाह की समाप्ति ,प्रत्येक गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध करवाना ,सकल जन्म दर को 21 प्रति हजार की जनसंख्या तक लाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना जिससे आने वाले तीन वर्षो में प्रत्येक जिले में कम से कम 1 हजार महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके

महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम

महिलाओं के आर्थिक एवं सर्वागीण विकास के लिए महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम समूह कार्यक्रम महिलाओं के आर्थिक उन्ययन एवं विकास का महत्वपूर्ण आयाम है,महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दृष्टि से कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 से 20 महिलाएं स्वंय निर्णय लेकर समूह बनाकर बचत,सहयोग स्वावलम्बन की प्रवृतियां एवं स्वरोजगार की ओर प्रवृत होती है समूह की महिलाएं इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नियमित बचत राशि से आपसी लेन देन करने के साथ स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होती है। स्वयं सहायता समूह की गतिविधयों को अधिक सुदृढ एंव व्यवस्थित करने के लिए समूह के पदाधिकारियों प्रबन्धकीय क्षमता का प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्वावलम्बन योजना

महिलाओं की आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना के अन्तर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार प्रदान करने की योजना गैर सरकारी संगठनों के द्वारा संचालित है इस वित्तीय वर्ष में स्वयं सेवी संस्थाओं से इस योजना के तहत आवेदन प्राप्त किये गये है

सामुहिक विवाहों हेतु अनुदान

समाज में विवाहो पर व्यय की प्रवृति बढ़ती जा रही है सामुहिक विवाहों के आयोजन से ही इसे

नियंत्रित किया जा सकता है सामाजिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा विवाहों पर होने वाले व्यय को रोकने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान ,1996 बनाये गये जिसमें समय समय पर संशोधन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अधीन किसी पंजीकृत संस्था को कम से कम 10 जोड़ो के सामुहिक विवाह पर प्रति जोड़ा 6000/– से अधिकतम दस लाख रूपये की राशि का अनुदान दिया जाता है। चालु वित्तीय वर्ष में दो संस्थाओ। को 3,68,000/– राशि का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

जिला महिला सहायता समिति

महिलाओं के आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार के उपरान्त भी महिलाओं की स्थिति में परिवार स्तर पर अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है एंव महिला उत्पीडन एंव शोषण के प्रकरणों में कमी नहीं आ रही है समाज में व्याप्त महिलाओं के प्रति विचारधारा ही महिलाओं के प्रति उत्पीड़न एवं हिंसा का मुख्य कारण है। पारिवारिक प्रकरणों को समझाईश के माध्यम से सकारात्मक रूप से सुलझाये जाने का प्रयास किया जाता है ऐंसी शोषित एवं उत्पीड़ित महिलाओं को अविलम्ब राहत देने उन्हे आवश्यक सहायता एंव मार्गदर्शन प्रदान करने एवं शोषण के प्रकरणों का पुनरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाई कराने के उद्देश्य जिला स्तरीय महिला सहायता समिति की स्थापना जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में की गई है

माननीय सर्वोच्च न्यायालयके निर्देशों की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 बनाया है इस अधिनियम की पालना भी जिला महिला सहायता समिति के अधीन ही सुनिश्चित की जानी है घरेलू हिंसाा अधिनियम की पालना में राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग को जिला स्तरीय संरक्षण अधिकारी तथा खण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है वर्तमान में उदयपुर जिले में 12 बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं 11 प्रचेताये नियुक्त है इसी प्रकार उदयपंर जिले में वर्तमान में कुल 28 स्वयं सेवी संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त किया गया है विभिन्न माननीय न्यायालयों हेतु 16 अधिवक्ताओ का एक पैनल तैयार किया गया है माननीय सर्वोच्च नयायालय के निर्देशों की पालना में जिला महिला सहायता समिति के अधीन जिले के सभी विभागों /संस्थाओं इत्यादि में एक समिति गठन करने के निर्देश है जो उन विभागों के अधीन कार्यरत कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों का निवारण करेगी , ऐसी एक समिति जिला स्तर पर बनाई गई है।

प्रचेताओं एवं साथिन द्वारा रोके गये महिला उत्पीड़न प्रकरणः वर्ष 2007–08 में प्राप्त प्रकरण 307 एवं निस्तारित प्रकरण 285, वर्ष 2008–09 में प्राप्त प्रकरण 211 एवं निस्तारित प्रकरण 185, वर्ष 2009–10 में माह जुलाई 09 तक प्राप्त प्रकरण 115 एवं निस्तारित प्रकरण 110 है।

किशोरी बालिका मण्डल परियोजना

बालिका मण्डलों के माध्यम से स्कूल में जाने वाली/स्कूल छोड़ने वाली किशोरी बालिकाओं में

जीवन कौशलों का विकास करना, प्रजनन स्वास्थ्य उन्नत करना तथा उन्हे शिक्षा की औपचारिक / अनौपचारिक पद्धति से जोड़ना है ।

उदयपुर जिले में इस वर्ष में दो खण्ड क्रमश गोगुन्दा एवं सलुम्बर के लिए यह योजना स्वीकृत हुई है इस योजना के अन्तर्गत 11 से 18 वर्ष तक की उन बालिकाओं का समूह बनाया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गई हो अथवा स्कूल जाना छोड़ दिया हो इन बालिकाओं का समूह बनाकर उन्हें उनकी रूचि के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है एवं उन्हे स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है वित्तीय वर्ष में इस योजना के अधीन दोनो पंचायत समितियों गोगुन्दा एवं सलुम्बर में कुल 81 बालिका मण्डल गठित किए गए हैं

बाल विवाह

जिला महिला विकास अभिकरण के अधीन कार्यरत प्रचेताओं एवं साथिन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों मे समझाईश द्वारा बाल विवाह रूकवाने के प्रयास किये जाते है। वित्तिय वर्ष 2007—08 में 192, वर्ष 2008—09 में 162 एवं वर्ष 2009—10 में माह जुलाई 09 तक 147 बाल विवाह समझाईश से रूकवाये गये है।   स्त्रोतः जिमविअ,उदयपुर

संक्षिप्त आंकलन

शक्तियां	कमजोरियां	अवसर	भय / शंकाएँ
• महिलाओं कें बाहरी कार्यो को करने से पारिवारिक आय में वृद्धि हुई हैं।	• महिलाओं को घर का,पारिवारिक कार्यों का अतिरिक्त कार्यभार होने पर भी उन्हें आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।	• महिलाओं को धरेलु कार्य में सहयोग होने पर बाहरी कार्य से पारिवारिक आर्थिक आय में वृद्धि होगी।	• महिलाएँ बाहरी कार्य पर ही घ्यान देने लगी तो पारिवारिक जिम्मेदारियॉ का निर्वाह कुशलता पूर्वक नहीं कर पायेगी
• किशोरी बालिकाओं के लिए जीवन कौशल का ज्ञान देना होता है। शिक्षा से जुड़ाव करना, स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाओ को शिक्षा से जोड़ना।	• क्षैत्रीय स्तर पर बालिकाओं का समूह बनाकर गतिविधियों का आयोजन करने में बहुत ही व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।	• किशोरी बालिकाओं में विभिन्न गतिविधियों द्वारा जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला का विकास किया जाय तो वह अपने भावी जीवन में सामाजिक,आर्थिक एंव व्यवहारिक रूप से अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी पायेगी।	• किशोरी बालिकाओं के विकास के लिए जो भी गतिविधियां क्षैत्रीय स्तर पर की जायेगी उसमें व्यवहारिक रूप से बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
• महिलाएँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक एवं सर्वागीण विकास होता है। महिलाओं में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।	• महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करने में महिलाओं की अशिक्षा बहुत बड़ी बाधक के रूप में सामने आती है।	• स्वयं सहायता समूह के द्वारा हम महिलाओं में लघु उद्योग चलाने का प्रोत्साहन दिया गया।	• महिलाएँ एक समूह में रहकर रोजगार करती है तो लाभ को लेकर महिलाओं में आपसी मतभेद होने का भय रहता है।

अध्याय - 7

जिले के सूचकांक

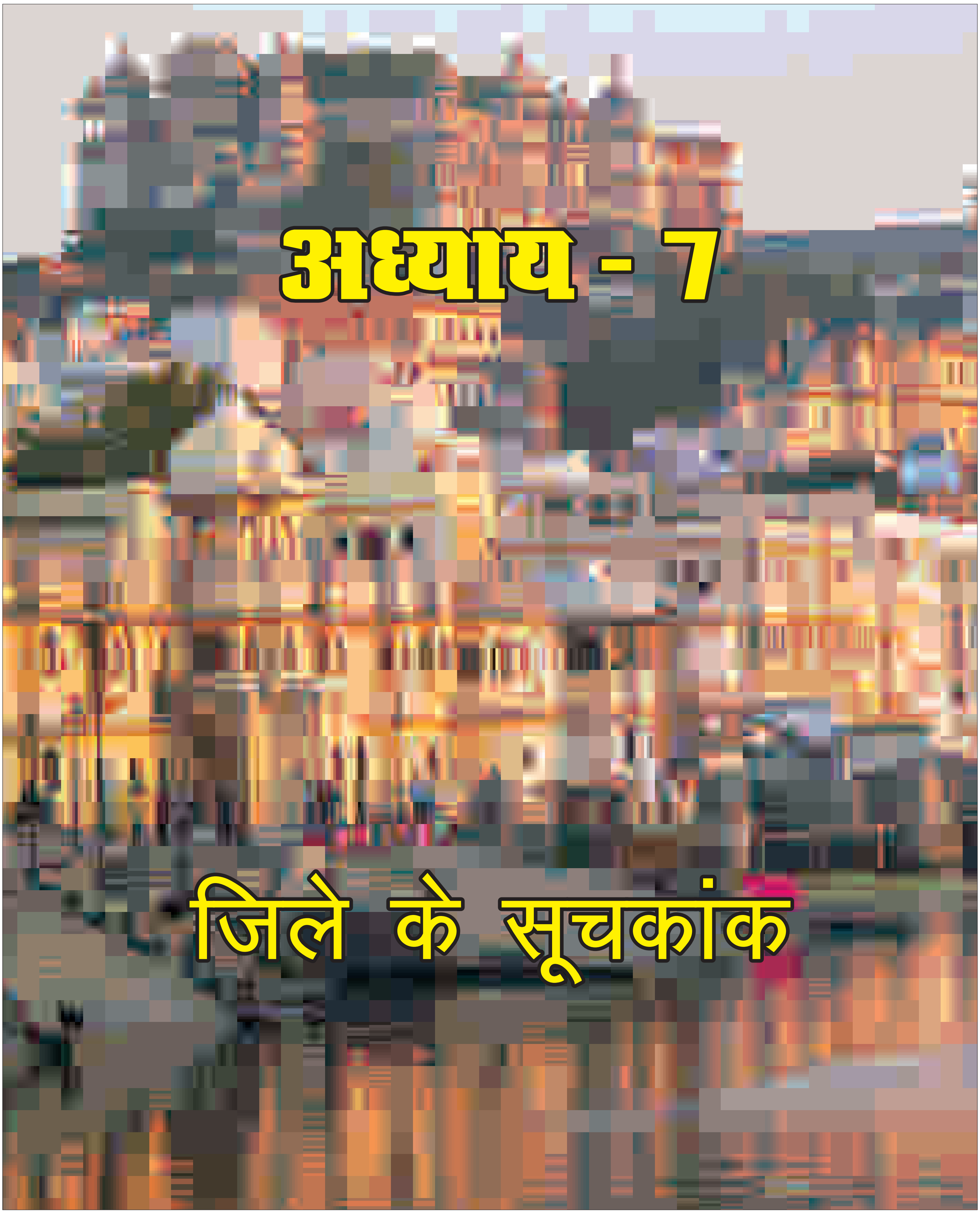

जिले के सूचकांक

पृष्ठभूमि

उदयपुर देश का एक अविकसित जिला है मानव विकास की दृष्टि से राज्य के विभिन्न जिलों के मानव विकास सूचकों में उदयपुर का 20 वाँ स्थान है राज्य के गंगानगर जिले में मानव विकास सूचकांक का मान अधिकतम 0.809 है, जिसकी तुलना में उदयपुर जिले का मान न्यूनतम 0.595 है। इस कारण इसका स्थान मानव विकास की दृष्टि से कम आंका गया है। मानव विकास सूचकांक के तीन संघटक है –स्वास्थ्य, शिक्षा व आय। राज्य के 33 जिलों में शिक्षा सूचकांक की दृष्टि से उदयपुर का स्थान नीचे से प्रथम जबकि शेष दो संघटकों क्रमशः स्वास्थ्य एवं आय की दृष्टि से इसका स्थान 20 वाँ है।

उदयपुर मूलतः अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला है। जनगणना 2001 के अनुसार यहां लगभग 72% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। जिले की ग्रामीण जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों के परम्परागत आजीविका संसाधनों –वन उत्पाद, पशुपालन एवं मौसमी कृषि पर निर्भर है।उदयपुर जिला पहाड़ी इलाका है, जो केक्टस, जोजोबा, सालार (गम उत्पाद वाला पेड़) तथा गहरी भूमि तथा नमी की कम आवश्यकता वाले विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से घिरा हुआ है, चूंकि जिले का अधिकांश भू–भाग पहाड़ी एवं पथरीली सतह वाली घाटियों से भरा है। इस कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जहॉ कुछ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है, वहां अधिकांश भागों में सामान्य कृषि की जाती है, तथा पहाड़ी एवं लहरदार ढ़ालों में फसलों से कम उत्पादन प्राप्त होता है। राज्य की तुलना में जिले की ग्रामीण एवं कृषि बाहुल्य जनसंख्या की कुल उर्वरता एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है, तथा साक्षरता दर कम है।

जिले के पिछड़ेपन का कारण

हमारे संविधान में भारतीय लोकतंत्र के लिए जिन उच्चतम आदर्शों की चर्चा की गई है, उन्हें स्थानीय स्वशासन निकायो के मूलभूत सिद्धान्तों पर रखा जाना चाहिए ताकि बेहतर कल के वायदे को पूरा किया जा सके। ऐतिहासिक रूप से हमारे देश में निर्णय लेने, संसाधन जुटाने और उसके वितरण के लिए एक केन्द्रीयकृत प्रणाली चली आ रही है जिसमें कुछ कमिया दृष्टिगत होती है जिसके कारण देश के नागरिक अपने लिए दी जानेवाली सहायता को निष्क्रिय रूप से लेते है अथवा वे योजना निर्माण एवं क्रियान्विती में अपनी भूमिका नही निभाते है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी समाहित शक्ति को पूरी तरह नहीं भाप पाते। विकास संरचनाओं और प्रणालियों को प्रभावित करने में लोगों का निर्णय महत्त्वपूर्ण होता है जो निष्क्रिय साबित हुआ है जबकि एक लोकतांत्रिक माहौल में लोगों के हितो के लिए स्थानीय संसाधनो का संरक्षण और उनका समुचित उपयोग वहां के लोगो की सहभागिता से ही सम्भव है। विभिन्न योजनाएं स्थानीय नागरिको, चयनित प्रतिनिधियों एवं सरकारी क्षेत्र की भागीदारी से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है एवं स्थाई विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालाकि भौगोलिक अथवा प्राकृतिक परिस्थिति का भी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है।

जनगणना वर्ष 1961 के अनुसार जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 86.66 था जो कि वर्ष 2001 में घटकर 81.38 प्रतिशत रह गया है। जबकि 1961 में शहरी जनसंख्या 13.34 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2001 में बढकर 18.62 प्रतिशत हो गई है। इससें प्रतित होता है कि जिले की ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। साथ ही विकास की कुछ आधारभुत सुविधाओं की कमी जिसमें परिवहन सुविधाओं की कमी, दूर दराज के क्षेत्रो में विद्युतीकरण नहीं हो पाना, परम्परागत कृषि पद्धति पर आश्रित होना, पर्याप्त चरागाह भूमि की कमी, अकालग्रस्त क्षेत्र होने के कारण वर्षा जल संचय एवं जल ग्रहण ढांचों का अभाव, स्थानीय उपज पर आधारित लघु उद्योग, कुटीर उद्योग एवं हैण्डीक्राफ्ट की कमी, युवाओं के क्षमता निर्माण एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान/कार्यक्रमों की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा के स्तर की कमी, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता का अभाव, दोषपुर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देशी पशु नस्ल की बाहुल्यता एवं पशु सुधार कार्यक्रमो का अभाव, ग्राम की विरासत एवं संस्कृति की रक्षा के प्रयासो की कमी, सामुदायिक संगठन एवं सहभागिता का अभाव आदि। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार हैं :–

1. जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि :

वर्ष 1961 में उदयपुर जिले की जनसंख्या 9.50 लाख थी जो 40 वर्षो में बढ़कर 26.33 लाख हो गई। इस प्रकार 277 प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी परन्तु उसके अनुकुल किसी भी तरह की आधारभूत सुविधा नही बढ़ पायी अतः निरन्तर जनसंख्या बदलाव महसुस किया गया।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र :

2001 की जनगणनानुसार जिले की कुल जनसंख्या में से 47.86 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति एवं 6.07 प्रतिशत अनुसूचित जाति की है। ग्रामीण क्षेत्रों मे अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जनसंख्या 57.43 प्रतिशत तथा 5.17 प्रतिशत है। जिले की 7 तहसीलें क्रमशः कोटडा 89.32, धरियावद 78.76, खैरवाडा 75.30, झाडोल 69.73, सराडा 61.86,सलुम्बर 52.43 तथा गोगुन्दा 44.66 आदिवासी बहुल क्षेत्र की है। जिनके अनुरूप योजनाओं की कमी एवं जनजाति क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव व्याप्त है। अनुसूचित जनजाति के लोग स्वभाव से ही दुरस्त, पहाड़ी व जंगलों में बिखरी आबादी में रहना पसन्द करते है जिसके कारण सूचना एवं संचार तन्त्र इन तक देर से पहुँच पाता है तथा आधारभूत सुविधाऐं भी इन तक समय पर नहीं पहुँच पाती है। सरकार द्वारा कई विकास की योजनाऐं चलाई जा रही है जिसका पूर्ण लाभ यह वर्ग नहीं ले पाता है।

3. निम्न साक्षरता स्तर :

जनगणना वर्ष 2001 अनुसार जिले में कुल 58.62 प्रतिशत लोग साक्षर है। ग्रामीण क्षेत्रो में साक्षरता दर 52.52 प्रतिशत है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 85.43 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुरूष साक्षरता दर 69.10 प्रतिशत पुरूष साक्षर

है तथा महिला साक्षरता दर मात्र 35.84 प्रतिशत ही है। जिले में कुल महिला साक्षरता दर (शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र सहित) 43.33 प्रतिशत है। इन आंकडो से ज्ञात होता है कि बडगांव के अतिरिक्त लगभग सभी पंचायत समितियों में साक्षरता का स्तर कम है जिसके परिणाम स्वरूप सम्पन्न वर्ग द्वारा विभिन्न स्तरों पर शोषण होना, अशिक्षा एवं आधुनिक भारत के विकास और जानकारी का अभाव रहता है।

4. कृषि एवं सिंचित क्षेत्र की कमी :

उदयपुर जिले में दो तहसीले क्रमशः कोटडा तथा झाडोल सर्वाधिक पहाडी क्षेत्र वाली तहसील है, जिसमें कुल भूमि का क्रमशः 39.70 तथा 18.73 प्रतिशत पहाडी क्षेत्र है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 28.32 प्रतिशत क्षेत्र में वन तथा 15.12 प्रतिशत क्षेत्र में पहाडियॉ है। (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43.44 प्रतिशत)। जिले में मात्र 16.93 प्रतिशत क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन होता है। सिंचाई की सुविधाओं के कारण 6.10 प्रतिशत क्षेत्र में एक से अधिक बार फसले बोई जा सकती है।

5. परिवहन सुविधाओं का अभाव :

उदयपुर जिला अरावली पर्वत श्रृखलाओं में अवस्थित हैं कही उँचे–उँचे पर्वत, कहीं पठार है। बहुत कम समतल क्षेत्र है जिसके कारण परिवहन सुविधाओं का विस्तृत जाल नहीं फैल पाया है। जिसके कारण विकास की गति नगन्य है। पहाडी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को पैदल यात्राएँ करनी पडती है व आपातकालीन परिस्थितियों में जन हानी उठानी पडती है।

जिले में 8.93 प्रतिशत भूमि अनुउपयोगी बंजड किस्म की है तथा 6.07 प्रतिशत भूमि में स्थाई चारागाह / गोचर है। जिले में मात्र 0.07 प्रतिशत भूमि पर वृक्षों के झुण्ड / बगीचे है।

6. रोजगार के अवसरो की कमी :

जनगणना वर्ष 2001 जिले में 27.50 प्रतिशत लोग कार्यशील है, जबकि 14.31 प्रतिशत लोग सीमान्तिक रूप से कार्यशील है तथा 58.19 प्रतिशत जनसंख्या अकार्यशील है।

जिले में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या सलुम्बर में 35.78 प्रतिशत, धरियावद में 30.38 प्रतिशत तथा गोगुन्दा में 30.17 प्रतिशत है, जबकि अन्य तहसीलों में 21 से 30 प्रतिशत तक कार्यशील व्यक्ति है। सबसे कम कार्यशील व्यक्ति खैरवाडा (20.55 प्रतिशत) में है। कोटडा तथा खैरवाडा तहसीलों में सर्वाधिक क्रमशः 22.86 तथा 22.22 प्रतिशत सीमान्तिक कार्यशील जनसंख्या है। गिर्वा तहसील में 7.66 प्रतिशत सीमान्तिक कार्यशील जनसंख्या है। इसके साथ ही जिले में तहसील गिर्वा में सर्वाधिक 64.08 प्रतिशत अकार्यशील जनसंख्या है तथा धरियावद तहसील सबसे कम 50.57 प्रतिशत अकार्यशील जनसंख्या है।

पंचायत समिति धरियावद में सर्वाधिक 49.43 प्रतिशत मुख्य कार्य करने वाले रहे हैं, जबकि पंचायत गिर्वा में मात्र 39.76 प्रतिशत मुख्य कार्यशील है। महिलाओं के सन्दर्भ में भी पंचायत समिति धरियावद में सर्वाधिक 45.54 प्रतिशत तथा न्युनतम पंचायत समिति गिर्वा में 27.12 प्रतिशत महिलाऐं रही है।

पंचायत समितिवार पारिवारिक उद्योगों के सन्दर्भ में पंचायत समिति मावली में सर्वाधिक 2.23 प्रतिशत तथा पंचायत समिति कोटडा में मात्र 0.43 प्रतिशत जनसंख्या पारिवारिक उद्योगों से जुडी हुई है। महिलाओं के सन्दर्भ में भी पंचायत समिति मावली में सर्वाधिक 1.55 प्रतिशत तथा न्युनतम पंचायत समिति कोटडा में 0.27 प्रतिशत महिलाऐं पारिवारिक उद्योगों में है। अतः जिले में स्वरोजगार कार्यक्रमों को बढावा देकर कार्यशील जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सकता है।

7. परम्परागत अथवा देशी पशुपालन :

उदयपुर जिला राजस्थान के सुदूर दक्षिणी भाग की अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। जिले का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतया आदिवासी अंचल है। पहाडी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप यहां के ग्रामीण क्षेत्र में बसे कृषकों एवं पशुपालको के पास खेती हेतु बहुत ही कम सिंचीत क्षेत्रफल है। अधिकतर भूमी पथरीली एवं कम उपजाऊ है। ऐसी स्थिति में खेती के साथ–साथ पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन आय अर्जित कर सकता है, परन्तु पहाडी क्षेत्र होने के कारण यहा की स्थानीय दुधारू पशुओं की नस्ल भी बहुत छोटी एवं कम दुग्ध उत्पादन करने वाली है। औसत गाय लगभग आधे से 1 किलो एवं भैंस 2–3 किलो प्रतिदिन दुग्ध

उत्पादन देती है। ऐसे में किसान पर भी परिवार की जीविका हेतु पर्याप्त आय व साधन जुटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।

8. दुरदराज के गांवों में विद्युत व्यवस्था का अभाव :

उदयपुर जिला अन्तर्गत विद्युत वितरण व्यवस्था संसाधनों से सामान्य ही चल रही है। प्रतिवर्ष जिले में लगभग 10,000 नये कनेक्शन दिये जा रहे है और वर्तमान में जिले में लगभग 3 लाख उपभोक्ता विभिन्न श्रेणियों के है। परन्तु लम्बित आवेदनों के मद्देनजर एवं अविद्युतिकृत मजरे तथा ढाणियों में विस्तार की आवश्यकता है जो कि दूर दराज के गांव है आज भी वहां बिजली चलित यंत्र टी. वी. अथवा सुचना संचार के उपकरण नही चल पाते है, और ये गांव पहाडों के मध्य स्थित है कुछ जगहों पर सडकों का भी अभाव है।

9. पर्याप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव :

विभाग की सूचनाओं के आधार पर जिले में जनसंख्या प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र / एड पोस्ट सर्वाधिक पंचायत समिति मावली में यथा 4,412 व्यक्ति प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र तथा न्यूनतम 833 पंचायत समिति धरियावद में है। जनसंख्या प्रति चिकित्सक सर्वाधिक पंचायत समिति भीण्डर में यथा 33,639 तथा न्यूनतम 10,201 व्यक्ति प्रति चिकित्सक पंचायत समिति धरियावद में है।

शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार) सर्वाधिक पंचायत समिति गोगुन्दा में यथा 62 तथा न्यूनतम शिशु मृत्यु दर 6 पंचायत समिति खेरवाडा में है। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधर पर जिले में 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व 42 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के अभाव में किराए के भवनो में संचालित है।

10. सुदुर अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल का अभाव :

उदयपुर जिले की भौगोलिक स्थिति तथा गत वर्षो में कम वर्षा के कारण भू–जल का जल स्तर काफी नीचे है एवं स्वच्छ पेयजल का अभाव हैं। पेयजल का मुख्य स्त्रोत हेण्डपम्प एवं कुएं के नजदीक ही दुषित पानी का निस्तारण होने से पानी प्रदुषित हो जाता है और बिमारियों को आमन्त्रण देता है।

11. महिला एवं बाल विकास विभाग की सुविधाओं का अभाव

राज्य के बच्चों एवं महिलाओं के स्वस्थ्य जीवन की मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने के उद्धेश्य से वर्ष 1985 में गठित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन वर्तमान में उदयपुर जिले में कुल 12 बाल विकास परियोजनाओं में से 11 आई.सी.डी.एस. सामान्य में 1 आई.सी.डी.एस. तृतीय में है, आबादी की दृष्टि से 7 जनजाति, 4 ग्रामीण व 1 शहरी परियोजना है। वर्तमान में कुल 2300 स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्रों एवं 217 मिनी आंगनवाडी केन्द्रों में से 1682 केन्द्र ही विभागीय भवनों में चल रहे शेष केन्द्र किराये अथवा अन्य भवनों में संचालित होने से उपलब्ध सुविधाएं लोगो तक पहुंचने में बांधित होती है जैसे बच्चो के खिलोने, पोषाहार वितरण आदि।

12. ग्रामीण पर्यटन के रूप में पहचान एवं सुविधाओं का अभाव :

उदयपुर जिले की भौगोलिक स्थिति विशेशकर कोटडा, झाडोल एवं गिर्वा तहसील क्षेत्र एवं शहर एवं आसपास स्थित झीलों को देखते हुए जिले में एडवेंचर स्पोर्ट्स यथा माउंटेनियरिंग, रॉक ग्लाइडिंग, ट्रैकिंग, एरो स्पोर्ट्स, हॉट एयर बैलून, वाटर स्पोर्ट्स, ग्रामीण पर्यटन एवं पर्यटन से जुडे व्यवसाय का अभाव है ।

13. पहाड़ी क्षेत्र होने से कृषि क्षेत्र व उत्पादकता का कम होना :

- जिला उत्तर से दक्षिण तक अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं से धिरा हुआ है। इसका उतरी भाग उचें पठारों से परिपूर्ण है, जबकि पूर्वी भाग में मैदानी क्षेत्र काफी उपजाऊ है।
- जिले के दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में चट्टानों, पहाड़ियों तथा घने जंगलो की बहुतायत है। सामान्यतया जिले के पश्चिमी

भागों में मिट्टी पथरीली है।

- जिले का कुल भोगोलिक क्षेत्र 1462105 हैक्टेयर है। जिसमें से कृषि योग्य क्षेत्रफल 337135 हैक्टेयर है, जो कुल क्षेत्रफल का 23.05 प्रतिशत है। लगभग 74385 हैक्टर क्षेत्र सिंचित है जो कृषि मय क्षैत्र का 22.06 प्रतिशत है।
- जिले में पथरीली चट्टानी भूमि को छोड़कर सामान्य शेष भूमि अधिकतर गहरी व कहीं कही कम गहरी है। जबकि चूना युक्त रेतीली भूमि गोगुन्दा, कोटड़ा, झाडोल, मावली, भीण्डर, बडगांव, गिर्वा पंचायत समिति क्षेत्र में तथा लाल रेतीली भूमि खैरवाड़ा, धरियावद, सलुम्बर व सराड़ा पंचायत समितियों में पायी जाती है।
- बनास एवं इसकी सहायक नदियॉ जिले के पूर्वी भागों में होकर बहती है। जिले में अन्य नदियॉ सोम, जाखम, वाकल, सेई, साबरमती, एवं बेंडच सम्मिलित है। जो केवल वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती है।
- सिंचाई का मुख्य स्त्रोत कुएं एवं टयूबबैल है एवं लगभग 70 प्रतिशत (52006 हैक्टेयर) क्षेत्र में कुओं एवं टयूबबैल से सिंचाई होती है तथा 30 प्रतिशत क्षेत्र तालाब/नहरों से सिंचित है।
- उदयपुर जिले में 4,63,286 हैक्टेयर भूमि पर मुख्य रूप से रबी व खरीफ की फसले उगाई जाती है। जिले में भूमि उपयोगिता के आधार पर सीमांत एवं लघु कृषकों की बाहुलता है। लगभग 75 प्रतिशत कृषक लधु एवं सीमात है, जिनके पास उपलब्ध भूमि लगभग 35 प्रतिशत ही है। कृषकों की जोत छोटी एवं बिखरी होने से वाछित पैदावार प्राप्त नही की जा सकी है।
- उदयपुर जिले में दो तहसीले क्रमशः कोटडा तथा झाडोल सर्वाधिक पहाडी क्षेत्र वाली तहसील है, जिसमें कुल भूमि का क्रमशः 39.70 तथा 18.73 प्रतिशत पहाडी क्षेत्र है। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से 28.32 प्रतिशत क्षेत्र में वन तथा 15.12 प्रतिशत क्षेत्र में पहाडियॉ है। (कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 43.44 प्रतिशत)।
- जिले में मात्र 16.93 प्रतिशत क्षेत्रफल में फसलों का उत्पादन होता है। जिले में 8.93 प्रतिशत भूमि अनुउपयोगी बंजड किस्म की है तथा 6.07 प्रतिशत भूमि में स्थाई चारागाह /गोचर है। जिले में मात्र 0.07 प्रतिशत भूमि पर वृक्षों के झुण्ड/बगीचे है। अतः अनुउपयोगी बंजड भूमि के सुधार तथा ऐसे पहाडी क्षेत्र जिन पर वन भी नहीं है के लिये विशेष योजना प्रस्तावित की जा सकती है ताकि वन क्षेत्र के विस्तार के साथ–साथ पर्यावरण सुधार किये जा सकें। साथ ही बेकार व बंजड भूमि के उपयेाग अधिक से अधिक किया जा सके।

14. क्षमतावर्धन कार्यक्रमों की कमी

उदयपुर जिला पूर्णतया पर्वतमालाओं के बीच अवस्थित हैं जिसमें बहुत कम समतल क्षेत्र है जिसके कारण कृषि उत्पादन बहुत कम होता है। जिले में अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है जिसमें भील, मीणा, गरासिया व गमेती मुख्य है। ये लोग पहाडियों के ऊपर व आसपास जंगलों में निवास करते है जहां पर सामन्यतः सामुदायिक सुविधाओं का अभाव रहता है। आदिवासी एवं ग्रामीण लोगों का जिविकोपार्जन के साधन मुख्यतया कृषि, पशुपालन, जंगल के उत्पाद एवं दैनिक मजदूरी हैं। यह क्षेत्र पूर्णतया वर्षा पर आधारित है समय पर वर्षा नहीं होने पर कृषि उत्पादन नहीं हो पाता हैं व यहां पर अक्षर अकाल की स्थिति बनी रहती है। अनुसूचित लोगों के पास कृषि क्षेत्र भी बहुत कम होता है व पशु संख्या भी अपर्याप्त होती है जिसके कारण इन्हें मेहनत का पुरा लाभ नहीं मिल पाता है व कृषि कार्य भी पूरे वर्ष नहीं चलता अतः वर्ष में आठ माह खाली रहते हैं उस दौरान आस–पास के क्षेत्रों में मजदूरी करते हैं जिसमें भी इन्हें पूरी मजदूरी नहीं मिल पाती है।

बिखरी हुई बसावट, कम साक्षरता, निरक्षता, यातायात की कमी, सामुदायिक सुविधा एवं संचार तन्त्र की कमी जिलें की मुख्य समस्याएं है। पूंजीपति एवं गरीब के बीच बढ़ती खाई का कारण साक्षरता का निम्न स्तर, उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी, रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों का अभाव, विकास कार्यक्रमों में सहभागिता की कमी व वर्तमान में जीने की प्रवृति मुख्य है।

मानव विकास सूचकांक–2007 : जिलों और राज्य

जिला	शिक्षा सूचकांक	स्वास्थ्य सूचकांक	आय सूचकांक	मानव विकास सूचकांक	कंमाकन
बांसवाडा	0.63	0.309	0.335	0.425	31
चित्तौडगढ	0.705	0.383	0.585	0.558	27
डूंगरपुर	0.64	0.282	0.304	0.409	32
उदयपुर	**0.761**	**0.413**	**0.611**	**0.595**	**20**
गंगानगर	0.787	0.816	0.825	0.809	1
राजस्थान	0.755	0.735	0.64	0.71	

उदयपुर जिले का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है, एवं जिले की आय का मुख्य स्त्रोत प्राथमिक क्षेत्र है। 1999–2000 से 2004–05 की अवधि में जिले के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 9.2% रहा है। इसके विपरीत कृषि पर निर्भर श्रमिकों में वर्ष 2001 में 75% की वृद्धि हुई है।जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व कम होता जा रहा है। नब्बे के दशक में जिले की आय में कृषि क्षेत्र के योगदान में स्पष्ट कमी देखी जा सकती है। 1999–05 की अवधि में जिला आय में कृषि की भागीदारी 19.81% से वर्ष 2004–05 में केवल 6.48% मामूली वृद्धि हुई है, जबकि पशुधन का हिस्सा 2002–03 में, 10.27% से घटकर 2004–05 9.34% रह गया है इस अवधि के दौरान जिले की आय में जिन क्षेत्रों के योगदान में वृद्धि हुई है वे इस प्रकार है–

- निर्माण क्षेत्र 12.24% से 15.26%
- अन्य परिवहन 11.89% से 13.98%
- खनिज 6.12% से 9.21%

सकल जिला उत्पाद का विवरण, उदयपुर 1999.2005 (वर्तमान आय)

क्षेत्र	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2004–05
कृषि	6.32	4.59	5.88	4.39	6.72	6.48
पशुधन	9.35	9.11	8.81	10.27	9.43	9.34
वानीकीय	5.21	5.46	5.36	6.37	5.89	5.79
मतस्य	0.14	0.11	0.1	0.04	0.06	0.09
खनिज	6.12	7.94	7.27	8.03	8.98	9.21
पंजीकृत एवं अनपंजीकृत विनिर्माण	11.52	11.61	11.34	8.51	8.09	8.98
निर्माण	**11.89**	**10.7**	**10.93**	**12.22**	**14.34**	**13.98**
बिजली, गैस एवं जल आपुर्ती	3.39	3.1	3.33	2.91	2.4	1.58
रेलवे	0.61	0.63	0.71	0.85	0.76	0.75
अन्य परिवहन	3.18	3.12	3.01	3.42	2.6	2.73
भंडारण	0.07	0.08	0.06	0.06	0.04	0.05
दूरसंचार	1.16	1.32	1.51	1.6	1.66	1.73
होटल एवं रेस्त्रा	15.78	16.09	16.01	13.17	13.04	13.59
बैंकिग एवं बीमा	3.57	3.74	3.99	5.02	4.66	4.34
Real state आवास का स्वामित्व	6.3	6.82	6.81	7.62	6.93	6.78
लोक प्रशासन	4.76	4.79	4.54	12.32	4.5	4.37
अन्य	10.64	10.8	10.35	10.77	9.88	9.85
योग	100	100	100	100	100	100

Source-Directorate of Economics & Statistics, GOR

जिले की आय में जिन क्षेत्रों के योगदान से वृद्धि हुई है उनमें–

- खनन (लाईम स्टोन एवं अन्य प्रकार का पत्थर)
- कुछ खाद्य प्रसंस्करण
- निर्माण
- सड़कों पर सार्वजनिक विनियोजन आदि प्रमुख है।

उपरोक्त में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो जिले की शहरी जनसंख्या को स्थायी रोजगार उपलब्ध करा सके। ऐसा नहीं है कि जिले की शहरी जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है, वस्तुतः शहरी क्षेत्रों में लोक प्रशासन से प्रदत्त सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की आवश्यक सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

जिले की आय में फुटकर क्षेत्र के योगदान में अच्छी वृद्धि हुई है जो कि जिला घरेलू उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत है एवं यह कृषि क्षेत्र से अधिक तथा पशुपालन क्षेत्र के लगभग बराबर है। इसका सम्भावित कारण लम्बे समय से चल रहे अकाल राहत कार्य एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर चलाया जाना है। वर्ष 2006 की गर्मियों में इस तरह के कार्यक्रमों पर होने वाला सम्भावित व्यय लगभग 1 करोड़ रूपये प्रति माह था, संभवतः इस कारण से फुटकर क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिला है।

अत्यन्त पिछडी पंचायत समिति की पहचान –

इसका उदेश्य जिले में अत्यन्त पिछडी पंचायत समिति की पहचान करना है ताकि उसके विकास पर ध्यान दिया जाऐ। इस उदेश्य के लिऐ जिले के बी.पी.एल. आंकडों एवं विभिन्न सूचकांकों की गणना सूचना प्रयोग में ली गई।

विश्लेषण का आधार –

प्राथमिक सर्वेक्षण में उपलब्ध सूचनाओ को सरकारी आंकडों से मिलान करके हम निम्नांकित आधारो को निश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य	**स्वास्थ्य सूचकांक**
शिक्षा	**शिक्षा सूचकांक**
	लिंग संबंधी शिक्षा सूचकांक
आय	**प्रति व्यक्ति आय सूचकांक**

उपरोक्त सूचकांको की गणना करके, हम प्रत्येक पंचायत समिति के मानव विकास सूचकांक का निर्धारण करते हुए निष्कर्ष तक पहुंचेगें। जिले की संबधित क्षेत्र की अत्यन्त पिछडी पंचायत समिति की पहचान करने हेतु हम बी.पी. एल. आंकडों का विश्लेषण भी करेंगें।

गरीबी पर आधारित विश्लेषण

बी.पी.एल. परिवारो की सामाजिक संरचना – जिले में 73.38 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति, 5.82 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग 11.83 प्रतिशत और अन्य 8.97 प्रतिशत है। कोटडा पंचायत समिति 58.53 प्रतिशत बी.पी.एल. के साथ शीर्ष पर है, जबकि मावली पंचायत समिति 16.16 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है।

बी.पी.एल. परिवारों का सामाजिक वितरण, जिला उदयपुर

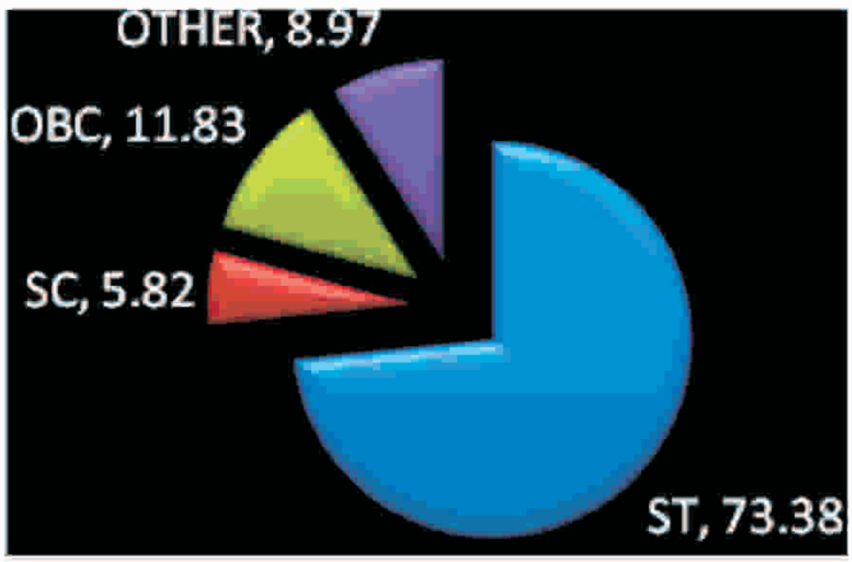

पंचायत समितिवार बी.पी.एल. परिवारों का सामाजिक वितरण जिला उदयपुर

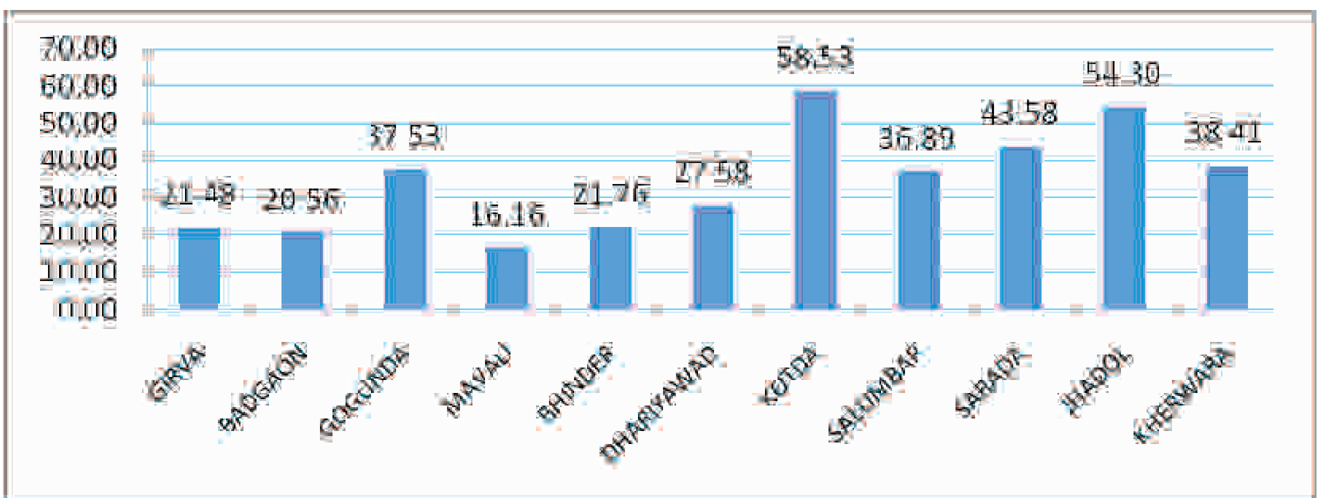

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

परिवारों में उच्चतम शिक्षित वयस्कों का साक्षरता स्तर –

उदयपुर में 33.40 प्रतिशत परिवारों में साक्षर व्यक्ति नहीं है। 5.30: प्रतिशत परिवारों में स्नातक और उच्च शिक्षित 44.44 प्रतिशत परिवारों के सदस्य प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं। निरक्षर परिवारों में 67. 75 प्रतिशत के साथ कोटडा शीर्ष पर है, उसके पश्चात धारियावद और सलुम्बर कमशः 48.87 प्रतिशत और 33.95 प्रतिशत है। स्नातक और उच्च शिक्षा प्राप्त परिवारों के सदस्यों में बडगांव 10.21 प्रतिशत के साथ शीर्ष है।

परिवार वार वयस्कों का **साक्षरता स्तर,** जिला उदयपुर

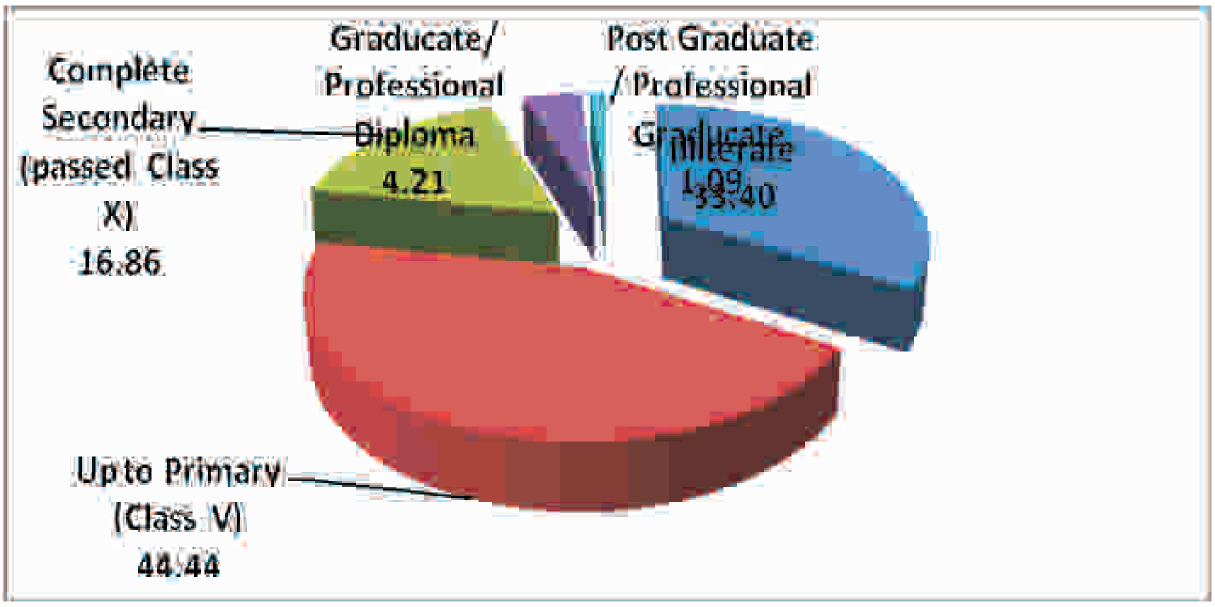

Sources – BPL Senses. 2002

पंचायत समितिवार उच्च साक्षर परिवारों की स्थिति (2002), जिला उदयपुर

% Literacy Of The highest Literate Adult					
Block	**Illiterate**	**Up to primary (Class V)**	**Completed secondary (Passed Class X)**	**Graduate / professional Diploma**	**Post Graduate / Professional Graduate**
Girwa	28.01	50.40	17.09	3.52	0.98
Badgaon	19.07	46.77	23.96	6.69	3.52
Gogunda	32.84	43.80	19.56	3.21	0.59
Mavli	26.23	43.13	23.42	5.70	1.52
Bhindar	31.74	41.25	20.14	5.60	1.26
Dhariawad	48.87	38.54	9.66	2.27	0.66
Kotda	67.75	26.04	5.17	0.88	0.15
Salumbar	33.95	45.51	16.23	3.73	0.57
Sarada	28.50	51.06	15.50	4.24	0.71
Jhadol	35.12	44.26	15.66	3.92	1.05
Kherwara	16.40	53.86	21.41	6.62	1.71

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

पारिवारिक श्रम बल –

उदयपुर जिले में 70.30 प्रतिशत परिवारों में केवल वयस्क पुरूष कार्य करते है, जबकि 5.35 प्रतिशत में स्त्री और बच्चे मजदूरी करते है 2.30 प्रतिशत स्थायी प्रवृति के मजदूर हैं।

पारिवारिक श्रमिक बल (2002), जिला उदयपुर

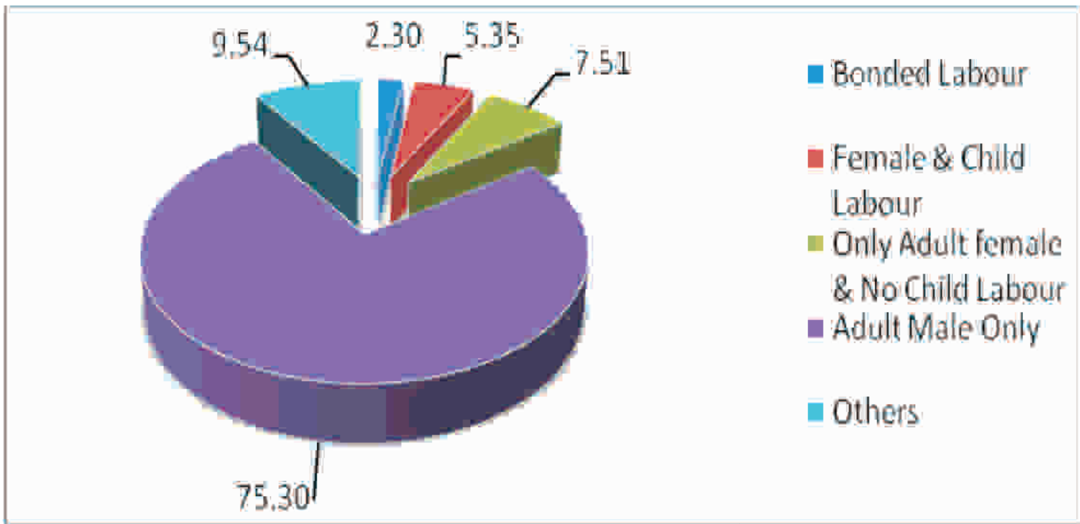

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

ग्रामीण परिवारों का पलायन –

59.99% प्रतिशत परिवारों के सदस्य पलायन नहीं करते है 12.96 प्रतिशत परिवारों के लोग मौसम आधारित रोजगार हेतु पलायन करते हैं। 19.43% प्रतिशत आकस्मिक कार्य हेतु पलायन करते हैं। 23.28% प्रतिशत के साथ कोटडा मौसमी पलायन में शीर्ष पर है, जबकि बडगांव 4.81% के साथ सबसे निम्न हैं। पलायन नहीं होने वाले परिवारो में बडगांव 83.51%के साथ शीर्ष पर है, जबकि कोटडा में 38.4% परिवार पलायन करते है।

परिवारों के पलायन का कारण जिला उदयपुर

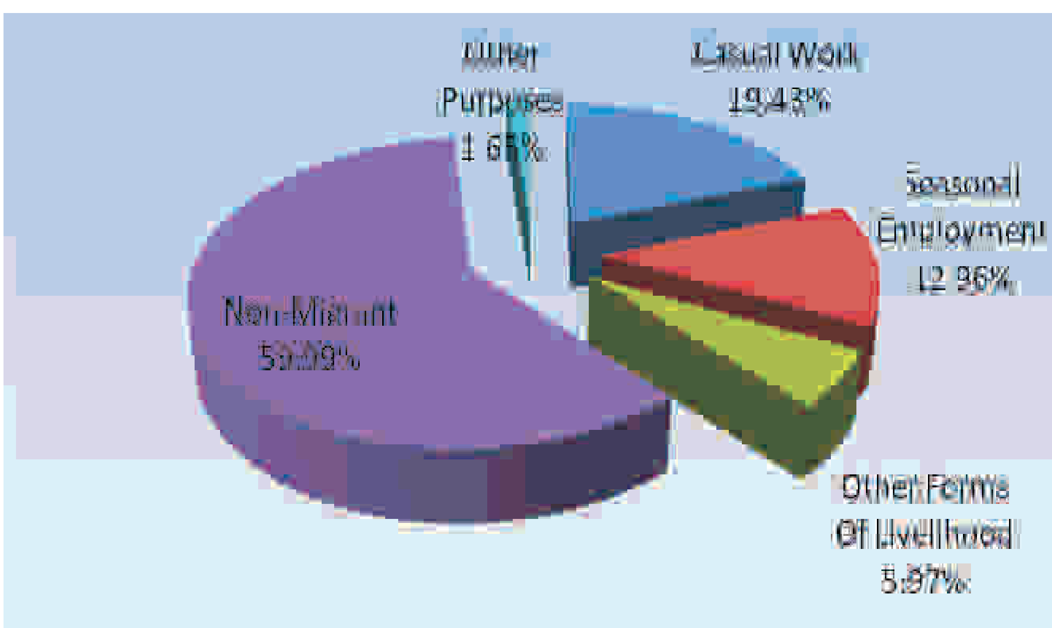

ग्रामीण परिवारों के पलायन का कारण 2002, जिला उदयपुर

	Casual Work		Seasonal Employment		Other Forms Of Livelihood		Non-Migrant		Other Purposes		Total
Block	No.s	%	No.s	%	No.s	%	No.s	%	No.s	%	
Girwa	5647	10.93	2702	5.23	2163	4.19	40143	77.73	988	1.91	51643
Badgaon	2499	8.84	1359	4.81	596	2.11	23597	83.51	206	0.73	28257
Gogunda	8022	21.1	5867	15.43	3600	9.47	19588	51.51	947	2.49	38024
Mavli	5558	12.26	2120	4.67	2681	5.91	34098	75.19	894	1.97	45351
Bhindar	6046	11.59	4177	8	2524	4.84	38557	73.89	876	1.68	52180
Dhariawad	7141	14.04	6247	12.29	3255	6.4	33657	66.19	548	1.08	50848
Kotda	14745	32.21	10657	23.28	2305	5.03	17586	38.41	490	1.07	45783
Salumbar	10247	21.95	7268	15.57	3559	7.62	24674	52.85	938	2.01	46686
Sarada	13388	22.75	7683	13.06	3573	6.07	33013	56.11	1184	2.01	58841
Jhadol	15151	30.95	8953	18.29	3793	7.75	20672	42.23	381	0.78	48950
Kherwara	16964	27.1	13711	21.9	3930	6.28	26471	42.28	1533	2.45	62609
Total	**105408**	**19.43**	**70744**	**12.96**	**31979**	**5.97**	**312056**	**59.99**	**8985**	**1.65**	529172

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

सामाजिक आर्थिक सूचकांक पर आधारित विश्लेषण

स्वास्थ्य सूचकांक

- मावली शीर्ष पर जबकि कोटडा निम्न पर है।
- कोटडा पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

पंचायत समितिवार स्वास्थ्य सूचकांक जिला उदयपुर

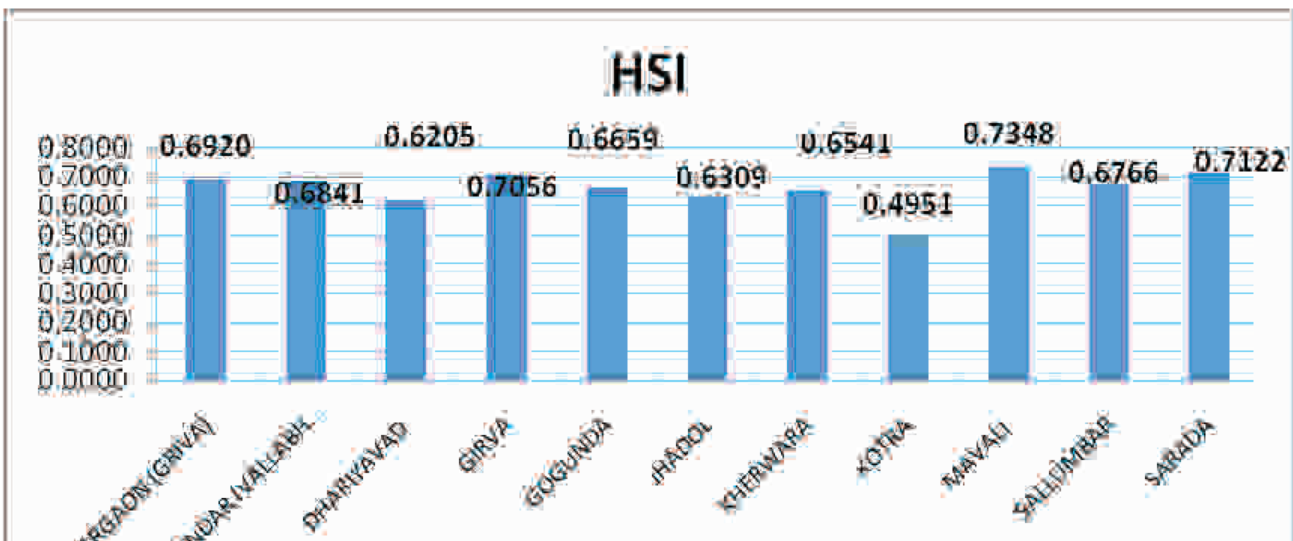

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

शिक्षा सूचकांक (EDI):

– शिक्षा सूचकांक की निम्नानुसार गणना होगीः EDI =2/3 (साक्षरता सूचकांक) +1 ⁄ 3 (महिला साक्षरता सूचकांक)

– गणना के अनुसार बडगांव और सराडा साक्षरता सूचकांक में शीर्ष पर है, जबकि कोटडा निम्न पर है।

– बडगांव और सराडा महिला साक्षरता में 0.5066 के साथ शीर्ष पर है एवं कोटडा निम्न पर है।

उपरोक्त वर्णित सूत्र के अनुसार हमने शिक्षा सूचकांक की गणना करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुॅचे की जिले में बडगांव सबसे शीर्ष पर एवं कोटडा अंतिम स्थान पर है।

शिक्षा सूचकांक अनुसार पंचायत समितियों की स्थिति, जिला उदयपुर

Block	LITERACY INDEX (A)	FEMALE LITERACY INDEX (B)	EDI (2*A+1*B)/3
Badgaon (Girwa)	0.6651	0.5066	0.6123
Bhindar	0.6082	0.4449	0.5538
Dhariawad	0.3522	0.1821	0.2955
Girwa	0.5793	0.4048	0.5211
Gogunda	0.5012	0.3232	0.4419
Jhadol	0.5926	0.4343	0.5398
Kherwara	0.5578	0.3617	0.4924
Kotda	0.2452	0.1114	0.2006
Mavli	0.5372	0.3543	0.4762
Salumbar	0.5738	0.4144	0.5207
Sarada	0.6651	0.5066	0.6123

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

लिंग वार शिक्षा सूचकांक –

लिंग शिक्षा सूचकांक की गणना पुरूष जनसंख्या सूचकांक, महिला जनसंख्या सूचकांक, पुरूष व महिला साक्षरता सूचकांक से की जाती है लिंग शिक्षा सूचकांक के आधार पर बडगांव शीर्ष पर है, जबकि कोटडा का निम्न स्तर है।

लिंगवार साक्षरता सूचकांक जिला उदयपुर

Block	FPI	MPI	F. L.I.	M.L.I.	GEDI
Badgaon	0.485	0.515	0.507	0.815	0.63
Bhindar	0.496	0.504	0.445	0.771	0.565
Dhariawad	0.499	0.501	0.182	0.523	0.27
Girwa	0.49	0.51	0.405	0.747	0.528
Gogunda	0.495	0.505	0.323	0.677	0.439
Jhadol	0.494	0.506	0.434	0.747	0.551
Kherwara	0.501	0.499	0.362	0.757	0.489
Kotda	0.495	0.505	0.111	0.376	0.172
Mavli	0.494	0.506	0.354	0.718	0.476
Salumbar	0.506	0.494	0.414	0.742	0.5
Sarada	0.504	0.496	0.368	0.746	0.491

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

लिंगवार शिक्षा सूचकांक जिला उदयपुर

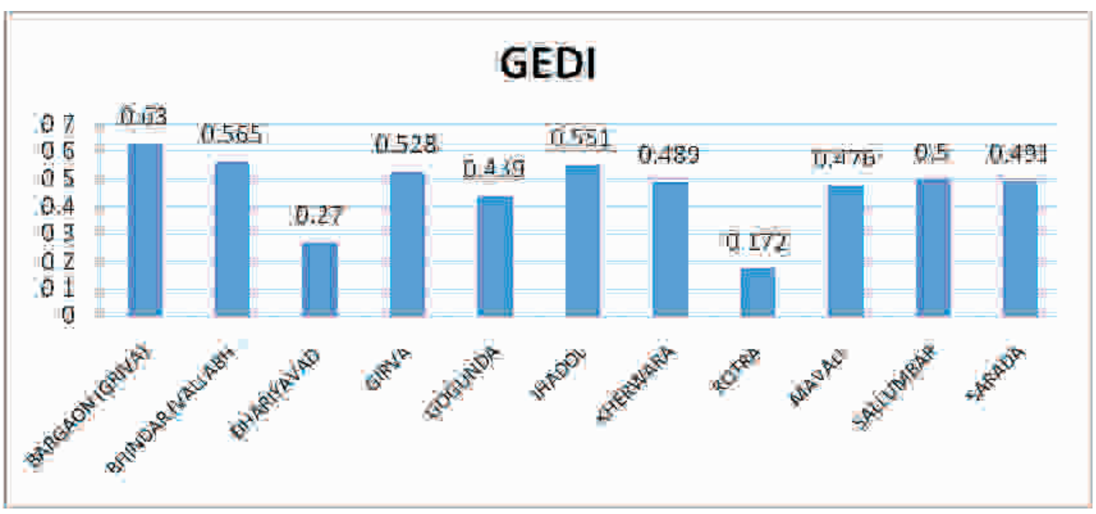

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

आय सूचकांक

– आय सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित तथ्य दर्शाते है।

– आय सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय में बडगांव शीर्ष पर है उसके पश्चात् खेरवाडा और गिर्वा निम्न पर है।

– आय के स्त्रोतो की गतिविधियों में कोटडा, खेरवाडा और गिर्वा पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है।

प्रति व्यक्ति आय, जिला उदयपुर

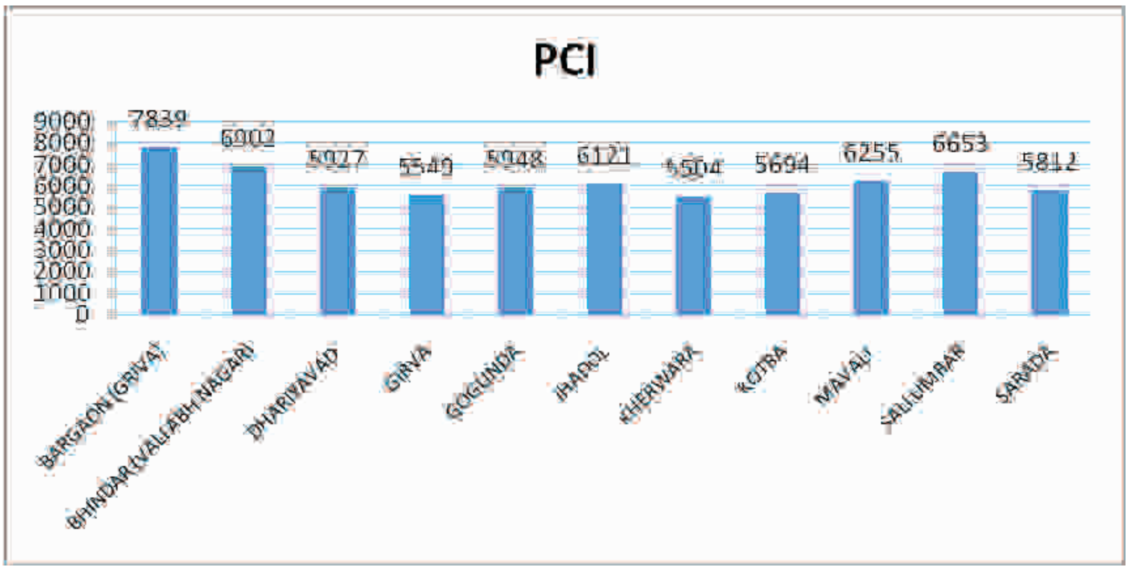

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

आय सूचकांक, जिला उदयपुर

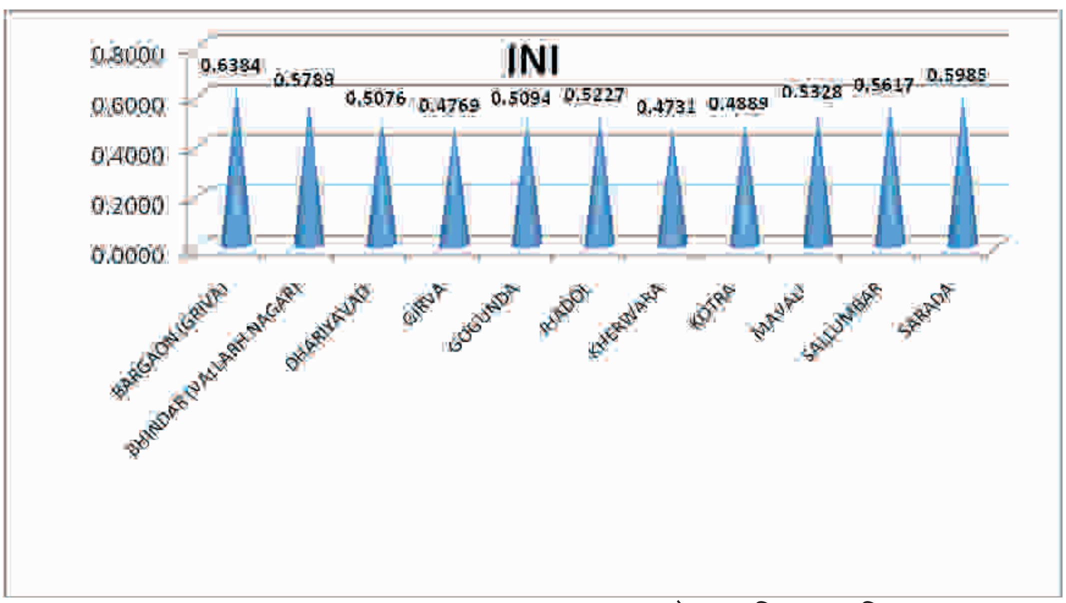

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

लिंग वार आय सूचकांक (GINI)-

लिंग वार आय सूचकांक में बडगांव शीर्ष पर उसके पश्चात् कमश 1 बडगांव कम 2, भीण्डर कम 3 धरियावद कम 4, झाडोल, कम 5 गोगुन्दा ,कम 6 कोटडा, कम 7 खेरवाडा, कम 8 मावली ,कम 9 सराडा कम 10 और अंत में गिर्वा अंतिम कम है।

लिंग सम्बन्धी आय सूचकांक , जिला उदयपुर

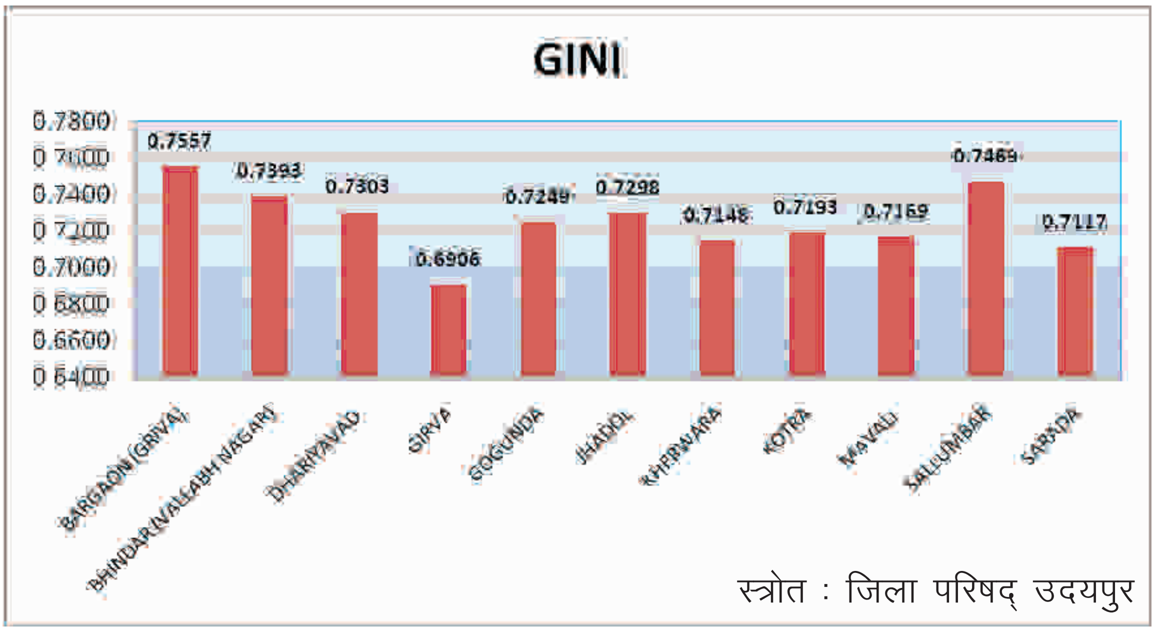

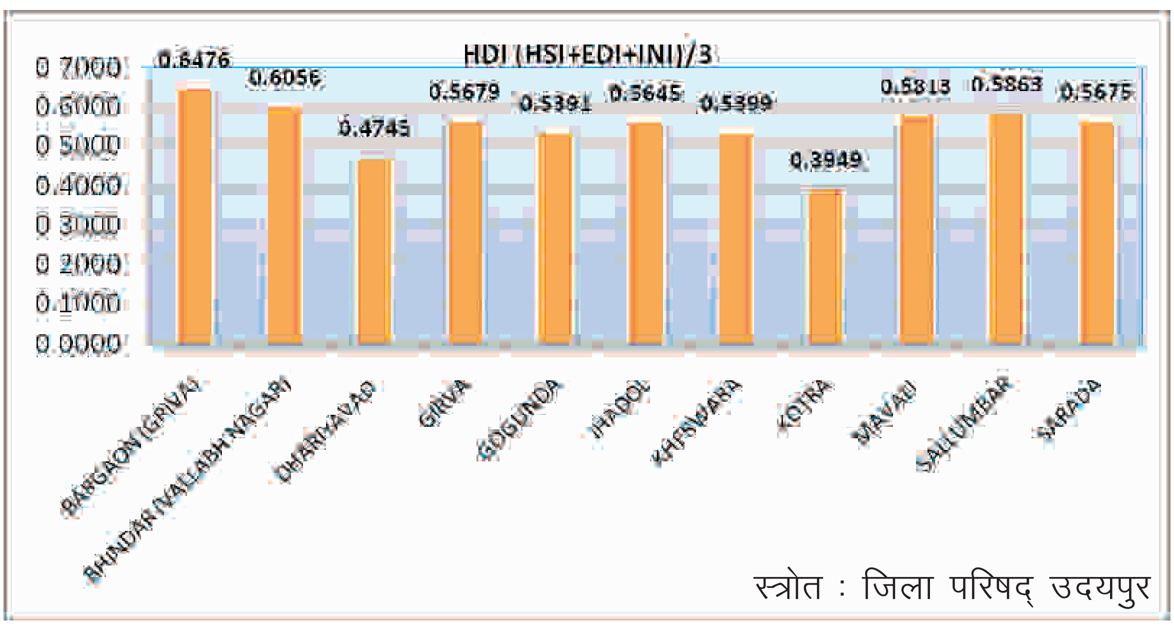

मानव विकास सूचकांक, जिला उदयपुर

मानव विकास सूचकांक

स्वास्थ्य सूचकांक शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक की सहायता से मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है मानव विकास सूचकांक के आधार पर कोटडा अत्यंन्त पिछडी पंचायत समिति है तथा उसके बाद धारियावाद, गोगुन्दा, खेरवाडा, झाडोल, गिर्वा, सराडा, मावली, सलुम्बर, भीण्डर गरीबी के अंतिम स्तर पर है। बडगांव अत्याधिक विकसित पंचायत समिति है।

निष्कर्ष

मानव विकास सूचकांक और गरीबी से गणना के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि कोटड़ा अत्यन्त पिछडी पंचायत समिति एवं बडगांव अत्यधिक विकसित पंचायत समिति है।

मानव विकास सूचकांक की गणना

मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना UNDP-HDR द्वारा निर्धारित मापदण्डों से की जाती है। हांलाकि यह पंचायत समितियों के अनुसार उपलब्ध आंकडों के परिप्रेक्ष्य में भी परिवर्तित हों सकता है मानव विकास सूचकांक इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि कोई भी पंचायत समिति ने कितनी तरक्की की है तथा कितनी की जानी शेष है निम्न तीन कारकों को मुख्य आधार बनाया जाता है।

1. लम्बा व स्वस्थ जीवन– स्वास्थ्य स्थिति सूचकांक द्वारा।
2. ज्ञान, जिसमें कुल साक्षरता को दो तिहाई व महिला साक्षरता को एक तिहाई महत्व दिया गया है।
3. जीवनशैली, जो पंचायत समिति की अनुमानित प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद में निर्धारित की गई है।

मानव विकास सूचकांक के गणनायक संकेतक ए जिला उदयपुर

SN	Variables	Maximum	Minimum
1	Estimated Per Capita Net Panchayat Samiti	17000*	2000*
	Domestic ProductAt constant prices (NPDP, Rs.)	25000**	100**
2	Literacy Rate (%)	72.60	59.37
3	% of Rural Population served by medicalAmenities		
4	% of villages having medicalAmenities		
5	% of rural population served by drinking waterAmenities	100	0
6	% of rural population served by educationalAmenities		
7	% of rural populationApproached by pucca road		
8	% of rural population served by powerAmenities		
9	Sex Ratio	1080	760

स्त्रोत : जिला परिषद् उदयपुर

अध्याय - 8

A A

संक्षेपाक्षर

संक्षेपाक्षर

NRHM – राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रा.स्वा.केन्द्र – प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

सा.स्वा.केन्द्र – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

RTI/STI – रिप्रोडक्टिव ट्रेक्ट इन्फेक्शन/सेक्सुयलि ट्रासंमिटीड इन्फेक्शन

डी0डी.टी. – डाईक्लोरो डाईफिनाईल ट्राईक्लोरो ईथाइलिन

एच.आई.वी. – ह्यूमन इम्यूनो डेफिशियन्सी वायरस

आई.सी.टी.सी. – एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र

ए.आर.टी. – एण्टी रिट्रोवाईरल थैरेपी

टी.बी. – ट्यूबरक्योलिसस

RNTCP – संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम

TU – ट्यूबरक्यूलोसिस यूनिट

DOT – डाइरेक्ट आब्सर्व्ड ट्रीटमेन्ट

DMC – डेजिगनेटेड मागक्रोस्कोपी सेन्टर

AFHS – एडोलेसेन्ट फ्रेण्डली हेल्थ सर्विसेस

MDI– मल्टी ड्रग थैरेपी

PRI – पंचायती राज इनस्टीट्यूट

आई.यू.सी डी. – इन्ट्रा यूटेराइन कान्ट्रासेप्टीव डीवाईस

एम.टी.पी. – मेडीकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेनेन्सी

NGO – नॉन गर्वमेन्ट आर्गेनाईजेशन

पी.सी.पी.एन.डी.टी. – प्री कन्शेप्शनल प्री नेटल डाइगनोस्टिक टैक्नीक (गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनिक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम)

डी.पी.टी. – डीप्थीरिया, पर्ट्शिश, टीटनेस वैक्सीन

बी.सी.जी. – बेसिलाइ काल्मेंट ग्यूरीन वैक्सीन

ओ.पी..वी. – ओरल पोलियो वैक्सीन

प्रावि – प्राथमिक विद्यालय
उप्रावि – उच्च प्राथमिक विद्यालय
टीएलई – शिक्षण अधिगम सामग्री
टीएलएम – शिक्षक अधिगम सामग्री
एसएसए – सर्व शिक्षा अभियान
केजीबीवी – कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय
मिड डे मील – दोपहर का भोजन
जि.शि.अ. – जिला शिक्षा अधिकारी
अति. जि.शि.अ. – अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी
व.उ.जि.शि.अ. – वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी
शै.प्र.अ. – शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी
व.अ. – वरिष्ठ अध्यापक
च.श्रे.क. – चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
शा.शि. – शारीरिक शिक्षक
एनपीइजीईएल – बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
टीएसपी – ट्राईबल सब प्लान
मा.वि. – माध्यमिक विद्यालय
एसडीएमसी – विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति
स्टे होम – आवासीय छात्रावास
डीपीसी – जिला परियोजना समन्वयक
एसआईईआरटी – शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
सीआरसीएफ – संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी
बीआरसीएफ – ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी
आर.पी. – संदर्भ व्यक्ति
एसएफजी – विद्यालय अनुदान
टीएलसी – सम्पूर्ण साक्षरता अभियान
डाईट – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
ओ.बी.बी. – ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड